श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश

की

कार्यवाहियों की वार्षिक समीक्षा

१९५५

भाग १

और

भाग २

अनुक्रमणिका

भाग १

अनुक्रमणिका

भाग २

अध्याय १

उत्तर प्रदेश-भूमि, निवासी एवं अर्थ-व्यवस्था

उत्तर प्रदेश का शाब्दिक अर्थ उत्तरी राज्य है, जिसमे हिमालय की श्रेणी एवं पंजाब की सीमा से लेकर वस्तुतः उत्तरी भारत के मध्य में अवस्थित विंध्य पठार एवं बिहार तक गंगा बेसिन का सम्पूर्ण उत्तरी भाग सम्मिलित है। उत्तर मे यह विश्व के कुछ सर्वोच्च गिरिशिखरों से युक्त हिमालय, नेपाल एव तिब्बत, दक्षिण में ऊंची-नीची विशृंखल पर्वतीय विंध्याचल श्रेणी, मध्य प्रदेश एव मध्य भारत, पश्चिम मे पंजाब, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तथा पूर्व मे बिहार राज्य से घिरा हुआ है।

२—ऐसे विस्तृत प्रदेश में स्वभावतया विभिन्नतायें होती ही हैं। इस राज्य का उत्तरांश पर्वतीय क्षेत्र है जहां नदियों की घाटियों में कृषि के छोटे-छोटे टुकडे पाये जाते ह। इस क्षेत्र के भाबर एवं तराई के क्षेत्र नम ओर दलदली भूखड हैं जो सघन वनो तथा लम्बी घास से आच्छादित हैं। जीवनयापन अत्यधिक दुर्लभ है। कृषि उपज एव जन-संख्या का घनत्व बहुत ही कम है । इस भूखड के कुछ भाग अब साफ किए जा रहे हैं और कृषि योग्य बनाए जा रहे हैं। हिमालय की श्रेणी तथा विंध्य श्रेणी के पर्वतीय भूखडों के बीच उर्वर गगा का मैदान अवस्थित है जो गगा, उसकी सहायक नदियो तथा नहरों द्वारा सिंचित होता है। यह विश्व के अत्यधिक उर्वर प्रदेशो मे से है। कृषि लोगो का मुख्य जीवनयापनाधार है और जन सख्या का घनत्व बहुत अधिक है। दक्षिण में विशृंखल नीची चट्टानी पहाड़ियां हैं जिनमें कटीली झाडिया एव जगल है। ये पहाडियां विंध्याचल के बाहरी विस्तार अग हैं।

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

३—इस राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्रफल १,१३,४०९ वर्गमील है जिसके अनुसार भारत के वर्तमान राज्यो म इसका चतुर्थ स्थान है। राज्य की जनसख्या ६,३२,१५,७४२ है जिसमें से ३,३०,९८,८६६ पुरुष एव ३,०१,१६,८७६ स्त्रियां ह। यह सख्या ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील अथवा आस्ट्रेलिया से अधिक है। जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक ह। सम्पूर्ण राज्य में प्रति वर्गमील 'ओसत जनसंख्या ५५७ है। निम्नांकित तालिका से राज्य की जनसंख्या एव उसके घनत्व का अनुमान लगाया जा सकता है:—

क्षेत्र फल वर्गमील में	जनसंख्या लाख में	प्रतिवर्ग मील घनत्व	ग्रामीण जनसख्या	
			लाख	प्रतिशत
१	२	३	४	५
१,१३,४०९	६३.२	५५७	५४.६	८६ ३

४--क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी भारत मे जिसमें, एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य सम्मिलित है, भारत की कुल जनसख्या की १८ प्रतिशत जनसख्या है। इतनी अधिक जनसख्या का अनुपात इसी से लगाया जा सकता है कि इस राज्य की जनसंख्या ब्रिटन, इटली, फास, ब्राजील अथवा कनाडा से अधिक है। वस्तुत फैजाबाद डिवीजन की जनसख्या जो राज्य के १० रेवेन्यू डिवीजनो मे से एक है - डेन्मार्क, लका, आस्ट्रिया तथा नैपाल की जनसख्या से अधिक है। जबकि गोरखपुर डिवीजन की जनसख्या विश्व के सर्वाधिक घनी जनसख्या के देश बेल्जियम को सम्मिलित करते हुए इन देशो की जनसख्या से अधिक है।

५--उत्तर प्रदेश के ५१ जिलो मे से ६ जिलो की जनसख्या २० लाख और इससे अधिक है ७ जिलो की १५ और २० लाख के बीच है, २२ जिलो की १० लाख और १५ लाख के बीच है, १३ जिलो की ५ और १० लाख के बीच है और ३ हिमालय जिलो की जनसख्या ५ लाख है। अधिक जनसख्या वाले जिले बस्ती, मेरठ, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और इलाहाबाद है जबकि विरल जनसख्या वाले जिले टेहरी-गढवाल, देहरादून, तथा नैनीताल के पहाडी जिले है। सबसे अधिक जनसख्यकीय घनत्व के जिले लखनऊ (१,१५६ व्यक्ति प्रति वर्ग मील), बलिया (१,०१०), बनारस (१,००७), देवरिया (१,००७) है। जनसख्या के कम घनत्व के जिले टेहरी-गढवाल (९१ व्यक्ति प्रति वर्ग मील)। गढ़वाल (११४), नैनीताल (१२७) तथा अलमोडा (१४१) है। पूर्वी मैदान मे जनसख्या का घनत्व सर्वाधिक है तथा हिमालय की श्रेणियो तथा राज्य के दक्षिण पहाडियो एवं पठारो भाग की जनसख्या न्यूनतम है।

६--चूकि उत्तर प्रदेश मुख्यतया कृषि प्रधान राज्य है, अतएव जनसख्या का बहुताश अर्थात् ८६.३ प्रतिशत गांवो मे है जबकि अवशेष १३.७ प्रतिशत कस्बो एव नगरो मे है। चूकि राज्य अतीतकाल से सस्कृति विद्या एव धर्म का स्थल है, अतएव इसमे भारत के अन्य राज्यो की अपेक्षा अधिक कस्बे तथा नगर है। अन्य राज्यो की तुलना में वाणिज्य के विकास ने भी नगरी क्षेत्रो मे विशाल श्रम समस्याओ के केन्द्रीय-करण को बढ़ाया। कानपुर इस राज्य का सबसे बडा नगर है। इसकी जनसख्या ७ लाख से अधिक है।

निम्न तालिका मे उत्तर प्रदेश के एक लाख से अधिक जनसख्या वाले नगरो की जनसख्या १९५१ की जनगणना के अनुसार दिखाई गई है:--

नगर		जनसख्या
१--कानपुर	..	७,०५,३३०
२--लखनऊ	..	४,९६,८६१
३--आगरा	.	३,७५,६६५
४--बनारस	.	३,५५,७७७

नगर	जनसंख्या
५—इलाहाबाद	३,३२,२९५
६—मेरठ	२,३३,१८३
७—बरेली	२,०८,०८३
८—मुरादाबाद	१,६१,८५४
९—सहारनपुर	१,४८,४३५
१०—देहरादून	१,४४,२१६
११—अलीगढ	१,४१,६१८
१२—रामपुर	१,३४,२७७
१३—गोरखपुर	१,३२,४३६
१४—झासी	१,२७,३६५
१५—मथुरा	१,०५,७७३
१६—शाहजहापुर	१,०४,८३५

७—विश्व मे कृषि सबसे पुराना व्यापार है और आज भी सबसे बडा है। विश्व की अधिकाश जनसंख्या सम्भवत कुल का दो-तिहाई जीवनोपार्जन के लिये उस पर निर्भर ह। चूंकि इस राज्य के अधिकांश भाग मे मैदान हैं, जिनमे उर्वर मिट्टी तथा सिचाई के साधन उपलब्ध हैं, अतएव इसमे कोई आश्चर्य की बात नही कि कृषि राज्य का प्रधान उद्योग है जो ७४·२ प्रतिशत जनसंख्या के जीवनोपार्जन का प्रमुख साधन तथा ८ प्रतिशत की आय का सहायक साधन ह। निम्न तालिका के अवलोकन से राज्य के भूमि-साधनो की जानकारी होती है:—

उत्तर प्रदेश	प्रति व्यक्ति भूमि	प्रति व्यक्ति उपयोगी क्षेत्र	प्रति व्यक्ति वास्तविक क्षेत्रफल	वास्तविक क्षेत्रफल का प्रतिशत		कुल जनसख्या का ग्रामीण का प्रतिशत	कृषि पर निर्भर जनसख्या का प्रतिशत
				सिचाई क्षेत्र	दो फसलो से अधिक का क्षेत्र		
१	२	३	४	५	६	७	८
	एकड़	एकड	एकड़				
उत्तर प्रदेश	१·१	०·९	०·६	२९·१	२४·२	८६·४	७४·२
कुल भारत	२·१	१·४	०·८	१७·८	१८·४	८२·७	७०·०

८—कृषि उपज की दो महत्वपूर्ण विशेषतायें फसलों की विभिन्नता तथा अखाद्य फसलों पर खाद्य का बाहुल्य है। राज्य की प्रमुख खाद्य फसलें गेहूं, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तथा मुख्य नकदी फसलें गन्ना, अलसी, सरसो, मूगफली, तिल तथा कपास है। दो पूर्ण पारिभाषित फसलें है—खरीफ तथा रबी। मुख्य खरीफ फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना एवं मूंगफली और मुख्य रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, अलसी तथा सरसो है। मोटे तौर से चावल का आधिक्य पूर्वी जिलों एव उप-हिमालय जिलो में है तथा गेहू का बाहुल्य गंगा के मैदान के अधिकतर भाग मे है। गन्ना, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल माना जाता है, पश्चिम में मेरठ डिवीजन केन्द्र में रुहेलखड एवं लखनऊ डिवीजन और पूर्व मे गोरखपुर डिवीजन में बोया जाता है। यह अनुभव कर कि कृषि उपज न तो पर्याप्त है और न सतोषजनक है, सरकार एवं जनता दोनों के प्रसाधन उपज के बढाने के लिये केंद्रित हैं। कृषि क्षेत्र मे अभिवृद्धि छोटे बडे सिचाई कार्यों द्वारा तथा बजर एव परती भूखडों को कृषि योग्य बनाकर की जाती है।

अन्य साधन

९—उत्तर प्रदेश अन्य साधनों से भी सम्पन्न हैं, जिनमें जंगल, पशु तथा विद्युत् विशेषरूप से उल्लेखनीय है।

१०—जगलों को ठीक ही कृषि का साथी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में एक विशाल बन-क्षेत्र का होना, जो भारत के सम्पूर्ण बन क्षेत्र का ११.२ प्रतिशत है, राज्य की मूल्यवान पूंजी है। राज्य के सामान्य अर्थ मे जगलों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। जंगलो से मिट्टी के संरक्षण, मिट्टी को रोकने, कटाव, ईंधन, एव चारे की पूर्ति, कुछ उद्योगो को चलाने तथा प्रकृति के प्रहारो को वहन करने तथा उसके भयानक प्रभावो से बचाने में अत्यधिक सहायता देते हैं।

११—पशु, चूंकि पशु-शक्ति, खाद, दूध तथा खाल एवं हड्डी के साधन है, अतएव वे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अर्थ में उल्लेखनीय योगदान देते है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशु पाये जाते है। इनकी संख्या लगभग २१५ लाख अथवा देश की पशु-शक्ति का १६ प्रतिशत है।

१२—यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां बहुत अधिक नदियां हैं जो उसके सम्पूर्ण क्षेत्र में फैली हुई है। हिमालय के हिम से सिंचित नदियां सदैव जल से पूर्ण रहती हैं और लोगो की सेवा के लिये सदैव ही उपलब्ध रहती है। तथा सस्ती जल-विद्युत् शक्ति के विकास के लिये अच्छी संभावनाये प्रदान करती है। पंचवर्षीय योजना मे जल-विद्युत् योजनाओ के विकास का महत्वपूर्ण स्थान है।

१३—इस राज्य में खनिज साधनों की कमी है। इसके फलस्वरूप कुछ उद्योगो का राज्य में विकास नही हो सका। मुख्य तलवरती, उपज ककड है जो सडक बनाने के काम में आता है।

१४--किसी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि वहां की यातायात सुविधाओं पर निर्भर है। समूचे देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित रेले है। नार्दर्न रेलवे की प्रमुख रेलवे लाइनें मुगलसराय से दिल्ली, मुगलसराय से सहारनपुर तथा सहारनपुर से दिल्ली तक जाती हैं और वे लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरो जैसे, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, अलीगढ, बनारस, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर तथा मेरठ को मिलाती हैं। इसके अतिरिक्त एक मीटर गाज रेलवे (नार्दर्न-ईस्टर्न रेलवे) भी है जो वस्तुतः हिमालय श्रेणी एवं गगा नदी के बीच के समूचे क्षेत्र की सेवा करती है। सेन्ट्रल रेलवे राज्य के दक्षिणी भाग की सेवा करती है और मुख्य रेलवे लाइनो से कानपुर, आगरा, मथुरा तथा इलाहाबाद में मिलती है। राज्य में यातायात के प्रमुख साधन के रूप में रेलो के अतिरिक्त सड़कों का भी एक विस्तृत अच्छा सा जाल है। राज्य का सडक यातायात अधिकांशतया यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज के द्वारा राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

औद्योगिक स्थिति

१५--कृषि के बाहुल्य के साथ-साथ राज्य का भारत की औद्योगिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। देश की उल्लेखनीय स्थिति इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें उद्योगों की बहुत अधिक किस्में हैं, जिसके फलस्वरूप यह राज्य भारत के प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यहां देश में अन्य स्थानो में पाए जाने वाले लगभग सभी उद्योग पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अनेक दस्तकारियो, कलात्मक वस्तुओ तथा गृह उद्योगो का, जो देश के आर्थिक ढांचे का एक भौतिक अंग है तथा इसमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है, परम्परागत घर है। उल्लेखनीय गृह उद्योग, आगरा के जूते, बनारस का रेशम एवं जरी, सहारनपुर का लकड़ी का काम, फर्रुखाबाद की छपाई, लखनऊ एव बनारस का हाथी दांत का काम, आगरा का संगमरमर का काम, लखनऊ का बिदार तथा चिकन का काम एव हाथ के बुने कपडों तथा बनारस एवं मिर्जापुर की दरी एवं लाख के काम हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् इस राज्य में जिन कुछ बडे उद्योगो ने उल्लेखनीय प्रगति की है, वे हैं.--लालटेन, बटन, टिन के कनस्टर, छपाई रक्षण, साइकिल तथा तीन पहिएवाली साइकिल के हिस्से, फाउन्टेनपेन के हिस्से एवं स्याही, तेल के कोल्हू, लेन्स, खेल-कूद का सामान, अस्पताल में काम आने वाली वस्तुएं, शल्य-औजार, नल एवं स्वच्छता (सैनिटरी) सामान, भेषजीय तथा अन्य वस्तुएं हैं। इन उद्योगो का राज्य के उद्योगों के सम्पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अनुमानतया छोटे एवं बडे उद्योगो मे ५० लाख श्रमिक नियोजित हैं और उनसे राष्ट्रीय आय में १७० करोड़ रुपए का योगदान प्राप्त होता है।

१६--राज्य के प्रमुख बडे उद्योग वस्त्र (सूती, ऊनी तथा जूट), चीनी, चीनी एव मद्यसार, कांच, चमडा एवं चमडा कमाना, तेल उद्योग, वनस्पति, रोजिन एवं तरपेनताइन, कागज एव कागज कूट, मोजा, बाबिन, कृषि-यंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्लाई वुड एव 'टी चेस्ट', दियासलाई, मेटल रोलिंग, इंजीनियरिंग एवं सिगरेट है। जहां तक चीनी एवं मद्यसार तथा चमड़ा के उद्योगो का संबंध है, राज्य का भारत में एक प्रमुख स्थान है क्योंकि उत्तर प्रदेश

में चीनी, मद्यसार तथा चमडा (अ) कच्चा, (ब) क्रोम-देश का क्रमश ५४·२, ८१·२ तथा ६९·९ एव ४६·२ है।

१७--राज्य के कुछ प्रमुख उद्योगो से जीविकोपार्जन करने वाले आत्म निर्भर व्यक्तियो की सख्या नीचे दी जा रही है :--

उद्योग	नियोजक	कर्मचारी	स्वतन्त्र श्रमिक	योग
१	२	३	४	५
१--बागान उद्योग ..	४९५	३,०७०	९,७०४	१३,२६९
२--खान .	३२४	९३५	१०,१३३	११,३९२
३--वनस्पति तेल एव दुग्धशाला उत्पादन	२,७१०	८,८६१	७९,७७८	९४,३४९
४--चीनी उद्योग ...	२,०३६	४२,८०४	१९,४८३	६४,३२३
५--तम्बाकू ..	९२०	४,५४०	९,१४०	१४,६१०
६--सूती वस्त्र .	५,३४९	७७,२९०	१,८४,००६	२,६६,६४५
७-- पहिनने के कपडे (जूतो एवं बने बनाये सूती वस्त्र के अतिरिक्त)	५,३६५	१४,३२०	१,२८,३०२	१,४७,९८७
८--वस्त्र उद्योग, अवर्गीकृत वस्त्र उद्योग के अति-रिक्त।	१,७४४	१३,२५६	५०,४७७	६५,४७७
९--चमडा, चमडे की वस्तुए और जूते।	२,१४९	११,८३४	७१,७४७	८५,७३०
१०--धातु एवं रासायनिक तथा इनसे निर्मित वस्तुएं	७,१४०	७०,१५२	१,०९,४७०	१,८६,७६२

१	२	३	४	५
११—कागज और कागज की वस्तुएं।	१६६	१,८२४	२,३९९	४,३८९
१२—मुद्रण तथा सम्बन्धित उद्योग।	९४३	१२,२२८	५,१२४	१८,२९५
१३—भवनो का निर्माण तथा रक्षण।	१,०८९	८,६६७	६८,५३५	७८,२९१
१४—सडको, पुलो तथा याता-यात के अन्य कार्यों का निर्माण एवं रक्षण।	७११	९,०९८	६,७४६	१६,५६६
१५—विद्युत् एव गैस पूर्ति उद्योग।	५०	५,८३९	..	५,८८९
१६—घरो एव उद्योगो के लिए जल पूर्ति।	३३	२,४७०	.	२,५०३
१७—वाणिज्य	६८,०३५	८६,५०७	७,५८,०७६	९,१२,६१८
१८—परिवहन भडार एव यातायात।	६,०३१	१,४३,९२१	१,३४,५१३	२,८४,४६५

१७—निम्न तालिका में श्रमिकों (पुरुष, स्त्री, किशोर, बालक) की संख्या तथा १९५४ के वर्ष में इस राज्य में विभिन्न उद्योगों में लगे कुल चालू कारखानों की संख्या दी गई है:—

क्रमांक	उद्योग	नियोजित श्रमिको की औसत दैनिक संख्या					
		पुरुष	स्त्री	किशोर	बालक	योग	
						श्रमिक	कारखाना
१	२	३	४	५	६	७	८
१	(अ) राजकीय एवं स्थानिक कोष कारखाने	२९,२६६	१५१	२७८		२९,६९५/१२७	
	(ब) अन्य उद्योग						
२	कृषि से संबंधित प्रक्रिया ..	८२०	१२४		.	९४४/२०	
३	पेय के अतिरिक्त खाद्य .	५८,१५९	१,२२४	४	२	५९,३८९/३९५	
४	पेय . .	१,५८२	१	.	. .	१,५८३/१६	
५	तम्बाकू	२३,८५	५३	१५	.	२,४५३/१०	
६	वस्त्र .. .	६२,६६०	५३९	३९	१०	६३,२४८/८७	
७	जूते तथा अन्य पहनाव के कपडे तथा तैयार सूती सामान	३,३६५	...	२	५	३,३७२/२६	

१	२	३	४	५	६	७ ८
८	लकड़ी तथा कार्क, फर्नीचर के अलावा	७९७		१		७९८/३८
९	फर्नीचर तथा मिक्सचर	३०				३०/३
१०	कागज तथा कागज का सामान	१,९२६		१		१,९२७/७
११	मुद्रण एवं प्रकाशन तथा संबंधित उद्योग	५,१४७	२	१	३	५,१५३/१५९
१२	चमड़ा तथा चमडे का सामान जूतो के अलावा.	२,७१२	१२			२,७२४/३०
१३	रबड़ तथा रबड की वस्तुए	१३७		३		१४०/१
१४	रसायन एवं रासायनिक वस्तुए	४,१११	१४९			४,२६०/५३
१५	पेट्रोल और कोयले के उत्पादन					
१६	अधातु वस्तुएं, पेट्रोल तथा कोयले की वस्तुओ के अलावा	१०,६९७	३८६	१०६		११,१८९/१३८
१७	मूल धातु उद्योग	३,७०५	१८	१२		३,७३५/८७
१८	मशीनो एव परिवहन के सामान के अतिरिक्त धातु वस्तुओ का उत्पादन	२,३६३	१	१५	१	२,३८०/६५
१९	इलेक्ट्रिकल मशीनो के अलावा मशीनो का निर्माण	४,६७६	५	८	५	४,६९४/१३०
२०	इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सामान तथा पूर्ति	४३		२		४५/३

१	२		३	४	५	६	७	८
२१	परिवहन तथा परिवहन सामान	.	१,६९४	.	८	१	१,७०३/५४	
२२	विविध उद्योग		४,०१५	१५८	१		४,१७४/११८	
२३	इलेक्ट्रिसिटी गैस तथा स्टीम	.	१,६१५	१२			१,६२६/२७	
२४	जल तथा स्वच्छता सेवाए		१८	१	.		१९/१	
२५	मनोविनोद सेवाएं .	.		.			..	
२६	वैयक्तिक सेवाएं ..		१२	.	...	..	१२/१	
	योग	..	२,०१,९३५	२,८३६	४९६	२७	२,०५,२९४/१५७२	

टिप्पणी—योग स्तम्भ के अन्तर्गत दिए गए हर (Denominator) राज्य के विभिन्न उद्योगो के कार्यरत कारखानो की सख्या सूचित करतहैं।

१९—कानपुर राज्य का अति महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। अन्य औद्योगिक केन्द्र आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, हाथरस, फिरोजाबाद, बनारस, बरेली, रामपुर, मोदीनगर तथा मेरठ हैं। निम्न तालिका में भारत के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में कारखानों और उनमें नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या दी गई है:—

क्रमांक	जिले का नाम	कार्यरत कारखाने	श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या
१	२	३	४
१	कानपुर	२७४	६७,६४८
२	आगरा	२२७	१२,६०१
३	मेरठ	१३८	१५,५५१
४	लखनऊ	१०९	१४,९१०
५	इलाहाबाद	९३	५,५६४
६	बनारस	८८	४,६३६
७	अलीगढ़	६५	५,७५७
८	बरेली	५६	५,७५३
९	मुरादाबाद	५६	३,५९६
१०	सहारनपुर	३८	९,०३२
११	गोरखपुर	३५	११,३२८
१२	रामपुर	३२	३,७०३

परिशिष्टों में जिलावार कारखानों की संख्या और उनमें नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या दी गई है।

२०—निम्न तालिका मे १९४० से अब तक उत्तर प्रदेश के कारखानो मे नियोजित पुरुषो, स्त्रियो, किशोरो तथा बालको की संख्या दी गई है —

वर्ष		कारखानो की संख्या	इस राज्य मे श्रमिको की सख्या				योग	कुल नियोजन मे नियोजित स्त्रियो का प्रतिशत	कुल नियोजन मे नियोजित बालको का प्रतिशत
			पुरुष	स्त्री	किशोर	बालक			
१		२	३	४	५	६	७	८	९
१९४०	..	६५४	१,७४,३०२	४,२७६	१,१७०	८८६	१,८०,६३४	२.४	०५
१९४१	.	८११	२,१७,०८७	४,९५०	१,०८६	१,१९३	२,२४,३१६	२२	०५
१९४२	...	९४०	२,२५,३३९	४,७००	१,११७	१,३६८	२,३२,५२४	२०	०६
१९४३	.	८५६	२,४७,५८६	४,४५४	९३२	१,८६७	२,५४,८३९	१८	०७
१९४४	.	९४३	२,७०,६३१	४,६६७	२,०३१	९००	२,७८,२३८	१७	०३
१९४५	.	९६९	२,७०,१०८	४,१४९	१,२००	१,०११	२,७६,४६८	१५	०.४
१९४६	..	९७१	२,५१,९०७	३,१६४	१,१८२	८६७	२,५७,१४०	१३	०३
१९४७	.	९६७	२,३५,८७४	२,६८१	१७७	८५६	२,४०,३९६	११	०४

१		२	३	४	५	६	७	८	९
१९४८	.	१,०४०	२,३८,०४६	२,६८९	८३४	५१४	२,४२,०८३	१.१	०.२
१९४९	.	१,१७८	२,३०,२९८	२,३९४	७८६	३५९	२,३३,८३७	१.०	.१५
१९५०	.	१,२५३	२,२९,३६२	२,३९७	६५५	२८१	२,३२,६९५	१.०	.१२
१९५१	.	१,१७९	१,९९,३८१	२,४०६	५०३	२२४	२,०२,५१४	१.२	.११
१९५२	...	१,२६४	२,०३,५३१	२,७०७	४६२	१३२	२,०६,८३२	१.३	.०६
१९५३	...	१,३४१	२,०३,३९२	२,७९५	५१४	३९	२,०६,७४०	१.४	.०१९
१९५४	...	१,४०९	२,०१,९३५	२,८३६	४९६	२७	२,०५,२९४	१.४	.०१३

टिप्पणी—(अ) १९५१ तथा उसके बाद के वर्षो के आंकडो मे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत सुरक्षा संस्थापनो के आकड़ सम्मिलित नही हैं ।

(ब) दूसरे स्तम्भ में १९४९ के बाद विवरण प्रस्तुत करने वाले कारखानो की सख्या हैं ।

२१—जहा तक कारखाना नियोजन का सम्बन्ध है, विदित होगा कि १९४४ मे वह अपने चरम पर था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष, १९४८ को छोड़कर संख्या घटना प्रारम्भ हुई। १९४४ के बाद नियोजन की संख्या में कमी होने का प्रमुख कारण युद्ध सामग्री तैयार करने मे लगे कारखानो में कमी, देश का विभाजन, कच्चे माल की कमी तथा सामान्य रूप से व्यापार मे मन्दी है। १९४१ से १९५० तक स्त्री श्रमिकों की संख्या वस्तुत: घटी। किन्तु इसके बाद वह बढ़ी जबकि बालक श्रमिकों के सम्बन्ध में [illegible] हुई। बालक श्रमिको के नियोजन मे यह उल्लेखनीय कमी कारखाना कानून, १९४८ तथा बालक नियोजन कानून, १९३८ की व्यवस्थाओ को दृढ़ता के साथ लागू करने के फलस्वरूप आई। वास्तव मे इस राज्य के बड़े उद्योगो मे नियोजित स्त्रियो की संख्या नही के बराबर है और कुल श्रमिको मे स्त्रियो का प्रतिशत समूचे भारत की संख्या से बहुत कम है।

———

अध्याय २

श्रम विभाग और उसके कार्य

सन् १९३७ में इस राज्य में प्रथम लोक प्रिय सरकार के पदारूढ होने के पूर्व श्रम समस्याओ को मूलतः शांति व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याएं समझा जाता था। औद्योगिक विवादो की रोक थाम एवं निपटारे और श्रम विषयक अन्य बातो के प्रशासन के लिये कोई व्यवस्थित सरकारी प्रबन्ध न था। लोकप्रिय सरकार के पदारूढ होते ही इस स्थिति में परिवर्तन हुआ और श्रम विषयो के प्रशासन के लिये एक पृथक् विभाग की स्थापना की आवश्यकता हुई। विविध श्रम समस्याओ को हल करने के लिये व्यवस्थित प्रबंध करने की ओर जो पहला कदम उठाया गया वह था औद्योगिक विवादो के निपटारे तथा श्रम-कल्याण-कार्यो की व्यवस्था के लिये एक पूर्णकालिक श्रम अधिकारी की देख-रेख में एक संक्षिप्त श्रम कार्यालय की स्थापना।

२—उद्योग विभाग के तत्कालीन सचिव श्री पी० एम० खरेघाट, आई० सी० एस० को जुलाई, १९३८ मे प्रथम अंशकालिक श्रमायुक्त नियुक्त किया गया। बाद में सन् १९४० तक उद्योगो के संचालक श्रमायुक्त का कार्य भी करते रहे और इस प्रकार श्रम विभाग का कोई पृथक् अध्यक्ष नही रहा। जैसे ही यह अनुभव हुआ कि श्रम विषयो के प्रशासन कार्य का समायोजन बहुत आवश्यक है, वैसे ही श्रम विभाग के अध्यक्ष के रूप में एक पूर्णकालिक श्रमायुक्त की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। फलस्वरूप श्री एस० एस० हसन, आई० सी० एस० को सन् १९४०ई० मे प्रथम श्रमायुक्त और विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इससे श्रम विषयो के प्रशासन-कार्य के केन्द्रीकरण की आवश्यकता पूरी हो गई।

३—धीरे-धीरे श्रम समस्याओ का महत्व बढ़ा, अत. यह नितांत स्वाभाविक था कि जो प्रारम्भिक कार्यालय सन् १९३७ मे साधारण रूप से स्थापित हुआ था, वह प्रति वर्ष क्रमशः बढ़ता रहा। सन् १९४६ में जब से इस राज्य मे दूसरी बार लोकप्रिय सरकार ने बागडोर सभाली है, यह विस्तार बहुत तीव्र और चमत्कारित ढग से हुआ है। श्रम समस्याओं को सरकार ने जो अधिक महत्त्व दिया है, उसका अनुमान आगे की तालिका से लगाया जा सकता है। जिसमे श्रम विषयो के प्रशासन के निमित्त उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त के कार्यालय मे सरकार द्वारा नियुक्त गजटेड अधिकारियो तथा अन्य कर्मचारियो की संख्या दिखलाई गई है।

कर्मचारियों की संख्या

वर्ष	विज्ञापित (गजटेड)	अविज्ञापित (नान-गजटेड)	योग
१९४४	१५	२००	२१५
१९४७	३३	४०७	४४०
१९५२	६६	१,०९५	१,१६१
१९५३	७५	१,१५८	१,२३३
१९५४	७६	१,२७७	१,३५३
१९५५	७८	१,३६३	१,४४१

४—उक्त तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि श्रमायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियो की सख्या सन् १९५५ मे १,४४१ हो गई जब कि सन् १९४४ में यह २१५ थी। यह विस्तार मुख्यतः राज्य सरकार की प्रगतिशील श्रम-नीति के विकास के फलस्वरूप ही हुआ है।

५—श्रम समस्याओ को राज्य सरकार कितना अधिक महत्त्व देती है, इसका अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा सकता है। जिसमे सन् १९४४-४५ से १९५५-५६ तक के बजट अनुदानो का विवरण दिया गया है :—

सन् १९४४-४५ से सन् १९५५-५६ तक के बजट अनुदान का लेखा

वर्ष	बजट अनुदान (रुपयो में)
१९४४-४५	३,२५,४००
१९४५-४६	३,६२,८००
१९४६-४७	६,३५,७००
१९४७-४८	६,५२,८००
१९४८-४९	९,९४,८००
१९४९-५०	१८,२६,०००
१९५०-५१	१८,०५,२००
१९५१-५२	२१,४५,२००
१९५२-५३	२३,३२,०००
१९५३-५४	२५,०८,८००
१९५४-५५	२७,९५,४००
१९५५-५६	३६,४०,३००

६—श्रमायुक्त श्रम विभाग के अध्यक्ष है और सन् १९४६ के औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत "प्रमाणकर्ता अधिकारी" तथा कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के "प्रादेशिक प्राविडेण्ट फण्ड आयुक्त" भी है। वे उत्तर प्रदेश चानी एवं चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण तथा विकास निधि अधिनियम के अन्तर्गत "श्रमिक कल्याण आयुक्त" भी हैं।

७—इस समय श्रमायुक्त के कार्यालय मे निम्नलिखित विभाग है, जिनमे से प्रत्येक को श्रम प्रशासन की विशिष्ट शाखाओं की देख-रेख का कार्य सौंपा गया है:—

(१) औद्योगिक सम्बन्ध विभाग—यह एक प्रति श्रमायुक्त तथा एक सहायक श्रमायुक्त की देख-रेख मे है तथा इसमे कई समाधान अधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम सहायक तथा अन्य कर्मचारी है। श्रमायुक्त तथा एक प्रति श्रमायुक्त औद्योगिक विवादो को अभिनिर्णय के लिये भेजने तथा अभिनिर्णायको के निर्णय देने एवं समझौता बोर्डो के प्रतिवेदन करने के निमित्त अवधि बढाने के लिये क्रमशः सरकार के पदेन सयुक्त सचिव एवं प्रति सचिव भी है।

(२) कारखाना विभाग—यह मुख्य कारखाना निरीक्षक के अधीन है। इसमें एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा २० कारखाना निरीक्षक है। विभाग के अधीन कारखाना अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, उत्तर प्रदेश मातृका हितलाभ अधिनियम तथा बाल नियोजन अधिनियम का पालन कराने का कार्य है।

(३) न्यूनतम मजदूरी और दूकान विभाग—आलोच्य वर्ष मे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और दूकान अधिनियम के प्रशासन मे अधिक कुशलता लाने के लिये न्यूनतम मजदूरी तथा दूकान विभागो को एक मे मिला दिया गया है। एक प्रति श्रमायुक्त इन सम्मिलित विभागो का अध्यक्ष है और उसकी सहायता के लिये दो सहायक श्रमायुक्त, एक प्रति मुख्य दूकान निरीक्षक, ५२ श्रम निरीक्षक, ३ सहायक श्रमायुक्त तथा अन्य कर्मचारी है। इस विभाग का कार्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ तथा उत्तर प्रदेश दूकान एव वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७ का प्रशासन करना है।

(४) ब्वायलर विभाग—यह विभाग मुख्य ब्वायलर निरीक्षक तथा ६ ब्वायलर निरीक्षको के अधीन है। यह भारतीय ब्वायलर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने केन्द्रीय ब्वायलर नियमो की देख-रेख करता है तथा राज्य के ब्वायलरों का निरीक्षण इस आशय से करता है कि वे ठीक दशा मे रखे जायं और भारतीय ब्वायलर अधिनियम के नियमो के अनुसार ही चलाए जाय।

(५) हितकारी विभाग—यह एक प्रति श्रमायुक्त के अधीन है, जिनकी सहायता एक हितकारी अधिकारी, दो सहायक हितकारी अधिकारी, कई हितकारी अधीक्षक, सहायक हितकारी अधीक्षक एव अन्य कर्मचारी करते है। यह

विभाग राज्य में श्रम हितकारी केन्द्रों के द्वारा श्रम-कल्याण का कार्य करता है।

(६) संख्या, अनुसन्धान तथा प्रचार विभाग--इनमें से प्रत्येक शाखा एक गजटेड अधिकारी की देख-रेख में है और सबके अधीक्षण तथा समन्वय के लिए एक प्रति श्रमायुक्त है। इनके अतिरिक्त एक सख्याविद, ज्येष्ठ अन्वेषक तथा अन्वेषक, सख्या सहायक, सकलन लिपिक तथा अन्य कर्मचारी है । इस विभाग के कार्य है--श्रम सम्बन्धी आकड़ो का सग्रह तथा संकलन, जिसमें कानपुर के श्रमिको का आय-व्यय मूल्य सूचनाक सकलन करना भी है, श्रम सम्बन्धी अनेक समस्याओ पर अनुसधान करना, जिसमे श्रमिकों के रहन-सहन तथा काम की दशाओ तथा परिवारो के आय-व्यय की जाच भी सम्मिलित है, सामान्यत. श्रम समस्याओ तथा श्रम-कानूनो का अध्ययन तथा श्रम-सम्मेलनो से सम्बन्धित कार्य, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन का कार्य भी है, दो पत्रिकाओं--मासिक "लेबर बुलेटिन" तथा साप्ताहिक "श्रमजीवी" का प्रकाशन, जो श्रम के प्रत्येक पहलू पर तथ्यमूलक एव सामान्य सभी अधिकृत समाचारों का प्रकाशन करते हैं।

(७) व्यावसायिक संघ तथा स्थायी आदेश विभाग---यह एक प्रति-श्रमायुक्त के अधीन है, जो व्यावसायिक सघो के रजिस्ट्रार भी है। उनकी सहायता के लिये एक व्यावसायिक सघो के सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक सघ निरीक्षक और दो सहायक व्यावसायिक सघ निरीक्षक, एव अन्य श्रम निरीक्षक तथा कर्मचारी है। इस विभाग का कार्य व्यावसायिक सघों को तथा कारखानों के स्थायी आदेशो को प्रमाणित करना है। यह विभाग भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम का प्रशासन कराता है।

(८) गृह निर्माण विभाग--इस विभाग की दो शाखाए है। उनमे से एक शाखा राज्य के चीनी के कारखानो से सम्बन्धित आवास योजना के कार्य को और दूसरा भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अतर्गत प्रगति की ओर उन्मुख औद्योगिक आवास योजना से सम्बन्धित कार्य को देखता है। उत्तर प्रदेशीय चीनी एव मद्यसार, उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त, श्रम-कल्याण आयुक्त भी है। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक लेखा अधिकारी तथा योजना को कार्यरूप में परिणत करने मे कल्याण आयुक्त को सहायता देने के लिए अन्य कर्मचारी भी है। सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिए एक सहायक इजीनियर-कम-केयर टेकर, एक सहायक लेखा अधिकारी, एक ओवरसियर, वर्क्स सुपरवाइजर, १३ आवास निरीक्षक और अन्य प्राविधिक व लिपिक कर्मचारी है, जो एक प्रति-श्रमायुक्त के प्रत्यक्ष नियत्रण के अन्तर्गत काम करते हैं।

(९) कार्य कुशलता विभाग---यह एक सहायक श्रमायुक्त के अधीन है। इस विभाग का कार्य सामान्यतया सब उद्योगों में, किन्तु विशेषतया सूती और चीनी कारखानों में, सभी चीनी करण-सम्बन्धी योजना की जांच तथा औद्योगिक इंजीनियरिंग के दूसरे दृष्टिकोणों का अध्ययन करना है।

(१०) लेखा, स्थापना तथा सामान्य प्रशासन विभाग---यह एक प्रति-श्रमायुक्त के अधीन है। उनकी सहायता एक सहायक श्रमायुक्त, एक सहायक लेखा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी करते हैं।

८---सन् १९५५ में विविध विभागों द्वारा किए गए कार्य-कलापों की संक्षिप्त समीक्षा आगामी अध्यायों में दी गई है।

अध्याय ३

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम केन्द्रीय विधान द्वारा अप्रैल, १९४८ में पारित किया गया था। सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में सामाजिक सुरक्षा का यह पहला व्यापक कानून है।

२—कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पहले पहल कानपुर और दिल्ली में एक अग्र-गामी योजना के रूप में अप्रैल, १९५० में लागू करने का विचार किया गया। बाद में इस तिथि को स्थगित कर जुलाई, १९५० तक कर दिया गया परन्तु उस समय के लगभग उत्तरी भारत मिल मालिक संघ कानपुर ने कुछ महत्वपूर्ण मसले उठाये जिनके कारण सन १९५१ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को संशोधित करना पड़ा। संक्षेप में मिल मालिक संघ की आपत्ति यह थी कि उक्त अधिनियम को कई चरणों में लागू करने से कानपुर के उद्योगों को, जहां कि उसके प्रथम चरण को लागू करने का विचार था, प्रतियोगी शक्ति को क्षति पहुंचेगी। इस आपत्ति को इस प्रकार दूर किया गया कि सारे भारत में जहां पर योजना लागू नहीं की गई वहां के नियोजकों का विशेष चंदा उनके द्वारा देय वेतन की रकम का ३/४ प्रतिशत रखा गया और जहां पर योजना लागू की गई वहां चन्दे की दर कुछ अधिक अर्थात् केवल १ १/४ प्रतिशत रखी गई। जबकि मूल अधिनियम में वह ४ १/२ प्रतिशत थी।

३—राज्य बीमा योजना अधिनियम में सन् १९५१ में संशोधन हो जाने से योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का मार्ग खुल गया उसे २४ फरवरी, १९५२ से दिल्ली और कानपुर में एक साथ लागू कर दिया गया। कानपुर में योजना का उद्‌घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था।

४—प्रारम्भ में यह योजना कानपुर के ८०,००० और दिल्ली में ४०,००० कर्मचारियों पर लागू हुई। तब से योजना को अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा चुका है। सन् १९५५ के समाप्त होने के पूर्व तक भारत के अनुमानित कुल २० लाख औद्योगिक कर्मचारियों में से १० लाख से अधिक उसके अन्तर्गत आ गये, जो निम्नलिखित तालिका से विदित हो जायगा :—

क्षेत्र	लागू होने की तिथि	कर्मचारियों की संख्या
कानपुर	२४ फरवरी, १९५२ ...	८०,०००
दिल्ली .	,, ..	४०,०००
पंजाब (७ नगर) ..	१७ मई, १९५३ .	३५,०००

क्षेत्र	लागू होने की तिथि	कर्मचारियों की संख्या
नागपुर	११ जुलाई, १९५४	२२,०००
वृहत्तर बम्बई	२ अक्तूबर, १९५४	४,२५,०००
मध्य भारत (४ नगर)	२३ जनवरी, १९५५	५२,०००
कोयम्बटूर	२३ जनवरी, १९५५	३६,०००
हैदराबाद और सिकन्दराबाद	१ मई, १९५५	१८,०००
कलकत्ता नगर तथा हावड़ा जिला	१४ अगस्त १९५५	२,३६,०००
आंध्र (७ नगर)	९ अक्तूबर, १९५५	१७,०००
मद्रास	२० नवम्बर, १९५५	५२,०००
	योग	१०,१३,०००

५—योजना के प्रशासन के लिये देश को ५ प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है जिनके प्रादेशिक कार्यालय दिल्ली, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित हैं। मूलतः कानपुर के प्रादेशिक कार्यालय का अधिकार-क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा विंध्य प्रदेश तक ही सीमित था। परन्तु नवम्बर, १९५४ में उसमें मध्य प्रदेश को भी सम्मिलित कर दिया गया।

कानपुर प्रदेश में योजना का प्रतिपालन

६—जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कानपुर में योजना को २४-२-५२ को लागू किया गया। कानून वर्ष भर चलने वाले २० या अधिक व्यक्तियों वाले सभी शक्ति चलित कारखानों पर लागू है।

७—जिन क्षेत्रों में कानून लागू है, वहां कानून के अन्तर्गत आने वाले कारखानों के सभी कर्मचारियों का भी, जिनकी कुल मासिक आय ४०० रु० से अधिक नहीं है। योजना के अन्तर्गत, बीमा होता है। कर्मचारी को अपने वेतन का लगभग २$\frac{1}{3}$ प्रतिशत अपने अनुदान (कान्ट्रीब्युशन) के रूप में और नियोजक को कर्मचारियों के कुल वेतन का १$\frac{1}{4}$ प्रतिशत देना होता है। योजना जहां नहीं लागू है, वहां केवल नियोजक को अपना विशेष अनुदान ३/४ प्रतिशत की घटी दर से देना पड़ता है।

८—कानपुर प्रदेश के विभिन्न राज्यो के जिन क्षेत्रों म योजना लागू है और जहाँ योजना लागू नही है, वहां के कारखानो तथा कर्मचारियो की संख्या की ३०–११–५५ तक की स्थिति नीचे दी जा रही है :—

क्षेत्र	कारखानो की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
१	२	३
उत्तर प्रदेश—		
क—लागू होने का क्षेत्र (कानपुर क्षेत्र)	१८९	८०,०००
ख—क्षेत्र जहां लागू नही है	६१९	६७,०००
मध्य प्रदेश—		
क—लागू होने का क्षेत्र (नागपुर)	६२	२२,०००
ख—क्षेत्र जहां योजना लागू नही है	२०९	४३,०००
विंध्य प्रदेश—		
समस्त क्षेत्र जहा-जहां योजना लागू नही है	१४	१,३००
योग	१,०९३	२,१३,३००

९—योजना को अभी हाल ही मे १४–१–५६ को लखनऊ, सहारनपुर और आगरा में लागू किया गया है, जहा के १५० कारखानों मे काम करने वाले २०,००० और कर्मचारी उसके अन्तर्गत आ जायेंगे।

बीमा हुए व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन

१०—प्रत्येक बीमा होने योग्य कर्मचारी के विषय मे कुछ आवश्यक सूचना एक "घोषणा प्रपत्र" मे एकत्र की जाती है जो योजना के अन्तर्गत आनेवाले सभी कर्मचारियो के संबंध मे नियोजक के द्वारा भरा जाता है। योजना को लागू करने के लिये निर्धारित "नियुक्ति दिवस" पर काम मे लगे कर्मचारियो के संबध में "घोषणा प्रपत्र" भरने का अधिकाश कार्य उस तिथि से पूर्व ही कर लिया गया था। नए भर्ती होने वालो के सबंध में कर्मचारी को काम म लगाने के पूर्व ही नियोजक को घोषणा-प्रपत्र भरना पडता है। आगे के

आंकड़ों से कानपुर तथा नागपुर में जहां योजना लागू है, पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रगति का पता चलता है :—

कानपुर

अवधि समाप्ति की तिथि	नए रजिस्ट्रेशन		रजिस्ट्रेशन की समाप्ति		कुल जोड	अवधि की समाप्ति पर कुल संख्या
	संख्या	समान्य संख्या का प्रतिशत	संख्या	समान्य संख्या का प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७
२४–२–५२	६७,३४२	८४ १		.	.	६७,३४२
३१–१२–५२	४३,५६८	५४ ४	१,५८४	२·०	४१,९८४	१,०९,३२६
३१–१२–५३	२७,२६४	३४ ०	१,६९३	२·१	२५,५७१	१,३४,८९७
३१–१२–५४	२८,४१९	३५·५	७३३	० ९	२७,६८६	१,६२,५८३
३१–१२–५५	२६,४८०	३३·०	१,५१७	१·८	२४,९६३	१,८७,५४६

११—कानपुर में रजिस्ट्रेशन की प्रगति से पता चलता है कि वर्ष में नए श्रमिकों का आना लगभग कुल समान्य संख्या (८०,०००) के ३० प्रतिशत के बराबर सीमित हो गया है। यह सभव है कि कुछ कर्मचारी काम बदलने पर अपने को नये सिरे से रजिस्टर कराते हो। नागपुर में चालू वर्ष में नए श्रमिको का आगमन औसत सामान्य संख्या (२२,०००) की तुलना में कम है।

१२—कानपुर मे ३१–१२–५५ को १,८७,५४६ रजिस्ट्रेशन के आंकडे साधारणतः ८०,००० की औसत संख्या को देखते हुए अनुपात से अत्यधिक प्रतीत होगे। योजना के हितलाभ पाने का अधिकार न रहने पर बीमा हुए व्यक्तियों को योजना से अलग करने की प्रणाली सितम्बर, १९५४ में निकाली गयी थी, जिसे उसके बाद लागू कर दिया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक ७७,५४५ व्यक्तियों को हटाया गया है और ३,००९ को पुन शामिल करने की गुंजाइश रखने के बाद योजना से लाभ उठाने के अधिकारी बीमा हुए व्यक्तियों की संख्या ३१–१२–५५ को १,१३,०१० थी।

अस्पतालों की कार्य-प्रणाली

चिकित्सा हितलाभ--

१३--कर्मचारी राज्य बीमा योजना में बीमा हुए। व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित रूप में चिकित्सा हित-लाभ की व्यवस्था है .--

(१) राज्य बीमा अस्पतालो मे बाहरी बीमारो को चिकित्सा।
(२) अस्पताल मे निःशुल्क निवास जिसमें निःशुल्क भोजनादि भी शामिल हैं।
(३) निःशुल्क औषधिया और मरहम पटटी।
(४) बीमा हुई स्त्री कर्मचारियो के लिये प्रसव पूर्व और प्रसवोपरान्त चिकित्सा।
(५) स्त्री कर्मचारियो की प्रसव-काल मे सेवा।
(६) टीकों के रूप मे रोग निरोधक चिकित्सा।
(७) बीमारी, मातृका, काम के समय चोट तथा मृत्यु के सबध में बिना मूल्य प्रमाण-पत्र देना।
(८) अस्पताल मे आने मे असमर्थ बीमार बीमा हुए व्यक्तियों के निवास-स्थान पर जाकर बीमा के चिकित्साधिकारी द्वारा देखभाल।

१४--कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा हितलाभ की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। कानपुर मे चिकित्सा हितलाभ के प्रबन्ध के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थानो पर १३ दवाखाने तथा नगर के बाहर के क्षेत्रो मे रहने वाले व्यक्तियो की आवश्यकता पूर्ति के लिये दो चल दवाखान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (कर्मचारी राज्य बीमा) के उप-सचालक के अधीन खोले गए है।--

(१) चमनगज
(२) डिप्टी का पडाव
(३) दर्शनपुरवा
(४) रामबाग
(५) ग्वालटोली
(६) लाटूश रोड
(७) पटकापुर
(८) मीरपुर
(९) रेलबाजार
(१०) जूही
(११) नवाबगज
(१२) गोविन्दनगर
(१३) जाजमऊ
(१४) चल दवाखाना (अ)
(१५) चल दवाखाना (ब)।

१५--निम्नलिखित तालिका से कानपुर मे नियुक्त तिथि अर्थात् १४-२-१९५२ से दवाखानों के काम का आभास मिलेगा :--

अवधि समाप्ति की तिथि	कुल उपस्थिति	ओसत दैनिक उपस्थिति	घर पर देखे गये रोगियो की संख्या	दुर्घटनाओ की संख्या	चिकित्सा प्राप्त क्षय रोगियो की सख्या	अस्पतालो को भेजे गये		दिये गये प्रमाण पत्रो की कुल सख्या
						भरती होने वालो की संख्या	विशेष जाच	
३१ दिसम्बर, १९५२	४,५२,८८९	१,४५१	५,६०४	१,८८०	४,६७४	९९५	२,२२७	१,२१,५६९
३१ दिसम्बर, १९५३	८,३७,१४२	२,२९३	१०,०८६	२,९४०	९६८	१,२६९	४,८७२	२,३८,४९७
३१ दिसम्बर, १९५४	८,९८,२०५	२,४६३	५,२१६	३,७७२	८००	१,१५३	५,४७७	२,२८,५१८
३१ दिसम्बर, १९५५	८,५५,८२१	२,३४४	४,८१४	३,५२७	७७६	१,४२२	६,४९५	२,१५,०८०

स्थानीय कार्यालयों की प्रणाली

नकद हितलाभ

१६—दवाखानो मे होने वाली नि शुल्क चिकित्सा के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित चार प्रकार के नकद हित लाभो की व्यवस्था है :—

१—बीमारी हितलाभ

कुछ चन्दा देने की शर्तो के अधीन ३६५ दिनो की किसी निरतर अवधि के अन्तर्गत अधिकत्तम ५६ दिन के लिए नियमित रूप से प्रमाणित बीमार बीमा हुए व्यक्तियो के लिए औसत दैनिक मजदूरी के लगभग आधे की दर पर निर्धारित अवधियो पर नकद भुगतान।

२—मातृ का हितलाभ

बीमा हुई स्त्रियो के लिए १२ सप्ताहो के लिए १२ आना प्रति दिन अथवा दैनिक मजदूरी का लगभग आधा, जो भी अधिक हो, मातृ-हित-लाभ। यह भी चन्दे की कुछ शर्तो के अधीन है।

३—विकलागता हितलाभ

कारखाने मे काम करते हुए चोट लगने पर औसत दैनिक मजदूरी के लगभग आधे की दर से तब तक सावधिक भुगतान, जब तक कि अस्थायी असमर्थता रहती है। इसके लिए कोई चन्दा देने की शर्त नही है।

स्थायी असमर्थता होने पर जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है। पूर्ण असमर्थता के लिए औसत दैनिक मजदूरी के आधे की दर से और आंशिक असमर्थता के लिए असमर्थता के अनुपात में हित-लाभ दिया जाता है।

४—आश्रित हितलाभ

कारखाने मे काम करते समय चोट के फलस्वरूप बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके आश्रितो को कालावधि नकद भुगतान। कुछ शर्तों के अधीन मृत्यु प्राप्त बीमेदार की विधवा या विधवाओ एव सतानो को दी जाने वाली पेंशन की कुल रकम मृतक की औसत दैनिक मजदूरी की दर से अधिक नहीं होगी।

१७—नकद हित-लाभ के प्रबन्ध के लिए पहले कानपुर में निम्नलिखित क्षेत्रो में स्थानीय कार्यालय खोले गये थे :—

(१) चमनगज
(२) ग्वालटोली
(३) दर्शनपुरवा
(४) जूही
(५) रामबाग
(६) लाटूशरोड
(७) मीरपुर
(८) नवाबगज
(९) पटकापुर
(१०) गोविन्दनगर
(११) जाजमऊ

१८--प्रशासकीय व्यय कम करने के लिए परन्तु साथ ही बीमादारो की सुविधा का ध्यान भी रखते हुए पटकापुर, गोविन्दनगर और जाजमऊ के स्थानीय कार्यालय जुलाई, १९५४ में बन्द कर दिए गए क्योकि वहा पर काम अपेक्षाकृत कम था। इसके अतिरिक्त नवाबगज के स्थानीय कार्यालय को भी वैसे ही कारणो से जुलाई, १९५५ से उप-स्थानीय कार्यालय कर दिया गया। एक खजान्ची हर दूसरे दिन जाजमऊ और गोविन्दनगर के दवाखानो में जाकर वहा के क्षत्रो मे रहने वाले बीमा हुए व्यक्तियो को नकद हितलाभ का भुगतान करता है। दावे भी वहा एकत्रित किए जाते है। सभी स्थानीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालय अभी किराये के स्थानों मे है।

१९--नियुक्त दिवस से कानपुर के स्थायी कार्यालयो का काय विवरण इस प्रकार है --

अवधि समाप्त होने की तिथि	अस्थायी असमर्थता		बीमारी		मातृका हितलाभ		स्थायी असमर्थता		आश्रित	
	भुगतान किये गए दावो की सख्या	भुगतान की गई रकम	भुगतान किये गये दावो की सख्या	भुगतान की गई रकम	भुगतान किये गये दावो की सख्या	भुगतान की गई रकम	नये स्वीकृत मामले	दिया गया धन	स्वीकृत आश्रितो की सख्या	दिया गया धन
		रु०		रु०		रु०		रु०		रु०
३१ दिसम्बर, १९५२	४,९९६	४२,४०८	६,८९८	६०,५५९			४०	१,१३७	७	४७६
३१ दिसम्बर, १९५३	८,७७९	८०,९४२	१,८४,०९४	१०,५०,०५६	२६	१,८६९	५५	६,९५३	११	२,३५७
३१ दिसम्बर, १९५४	९,४७५	८८,२१०	१,८७,७१९	१०,५६,६५५	१८	१,६६७	५९	१२,७१०	१	३,५६७
३१ दिसम्बर, १९५५	९,६१०	७९,६४१	१,७०,४२८	९,२४,००७	१७	१,६०४	६५	२०,११६	१८	७,१०९

असमर्थता की वैकल्पिक माफी

२०--बीमारी और अस्थायी असमर्थता के हितलाभ देने के उपयुक्त मामलों में नियम ५३ के अन्तर्गत निगम (कारपोरेशन) को उपयुक्त बीमा चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा दिए गये प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त अन्य चिकित्सकीय प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने का अधिकार है। चूंकि इस सुविधा का दुरुपयोग क्षयरोगियों एवं विवेक शून्य बीमा हुए व्यक्तियों द्वारा हो सकता है, इसलिए केवल नगर के बाहर के प्रमाणित चिकित्सकों द्वारा दिए गए तथा गांव के सरपंच द्वारा नियमानुकूल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों को ही उन मामलों में स्वीकार किया जाता है जिनमें निगम को बीमा हुए व्यक्तियों की प्रमाणिकता में विश्वास रहता है और एक समय में एक प्रमाण-पत्र का समय १५ दिन तक ही सीमित रहता है।

वैकल्पिक प्रमाण की स्वीकृति की जानकारी निम्नलिखित तालिका में हो सकेगी:--

अवधि	प्राप्त हुए प्रमाण-पत्रों की संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या	हित लाभ दिनों की संख्या
सन् १९५३ की जनवरी से दिसम्बर तक	१,८३७	९०३	१४,७९३
सन् १९५४ जनवरी से दिसम्बर तक	२,८१६	१,०६५	१६,९८१
सन १९५५ जनवरी से दिसम्बर तक	१,८६१	७७९	१४,६०३

चिकित्सा मंडल

२२--काम के बीच चोट की घटनाओं से उत्पन्न स्थायी असमर्थता की मात्रा का निश्चय करने के लिए एक चिकित्सा मंडल (मेडिकल बोर्ड) की स्थापना कानपुर में की गई है, जिसके अध्यक्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लोकसेवा (क० रा० बी०) के उप-संचालक हैं। अन्य दो सदस्य सिविल सर्जन, कानपुर तथा लाला लाजपतराय अस्पताल के सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। निम्नलिखित तालिका में मण्डल को भेजे गये तथा उसके निर्णित मामलों की संख्या दी गई है:—

अवधि समाप्त होने की तिथि	मंडल को भेजे गये मामलों की संख्या	मंडल के सम्मुख उपस्थित होने वालों की संख्या	स्थायी असमर्थता के मामलों की संख्या
१	२	३	४
३१ दिसम्बर, १९५२	६६	६१	४०
३१ दिसम्बर, १९५३	१४४	११५	५५
३१ दिसम्बर, १९५४ ..	१७४	१३७	७१
३१ दिसम्बर, १९५५ ..	१४४	१२३	६६

कर्मचारियों के बीमा न्यायालय, विशेष न्यायाधिकरण आदि

२२—निगम तथा कर्मचारियो के नियोजनो के बीच विवादो एव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा ७५ के अन्तर्गत अनुदाय एवं हितलाभो के दावों का निपटारा करने के लिए इस समय एक अंशकालिक कर्मचारी बीमा न्यायालय कानपुर मे है, जिसका न्यायाधीश एक डिप्टी कलेक्टर है। पहले एक पूर्ण कालिक न्यायालय था, परन्तु मुकदमो की संख्या कम होने के कारण कारपोरेशन ने प्रशासकीय व्यय कम करने के लिए उसे बन्द कर देने का निश्चय किया।

२३—नियोजको के विशेष अनुदाय से सम्बन्धित विवादो के लिए कानपुर के बाहर कर्मचारी बीमा न्यायालय स्थापित नही किये गये ह वहा उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक संराधन अधिकारियो की अध्यक्षता म अब तक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गये हैं।

२४—धारा ७३ (डी) के अन्तर्गत निगम (कारपोरेशन) को यह भी अधिकार है कि वह नियोजको के विशेष सनुदाय को संबधित जिले के कलेक्टर के जरिये बकाया भूमि लगान के तौर पर वसूल कर सके।

कानूनी कार्यवाही

२५—कुछ अपराधियो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो गया जिन्होने बार-बार प्रार्थना करने और समझाने-बुझाने पर भी कर्मचारी राज्य बीमा कानून के धाराओ की लगातार अवहेलना की।

२६—नियुक्त तिथि से स्थिति का ज्ञान नीचे दी हुई तालिका से हो सकेगा:—

अ—कारपोरेशन द्वारा चलाये गए मुकदमे	मुकदमो की सख्या
१	२
१—अभियोग	
(अ) चलाए गए मामले	११
(ब) निर्णय हुए मामले	११
२—दीवानी कार्यवाही	
(अ) चलाए गए मामले	२३
(ब) निर्णय हुए मामले	२२
३—क० रा० बी० कानून की धारा ७३ (डी) के अन्तर्गत कार्यवाही	
(अ) चलाए गए मामले ...	८१
(ब) निर्णय हुए मामले ...	३८

हित लाभो के विस्तार की योजनाये

परिवारों के लिये चिकित्सा

२७—कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओ को बीमा हुए व्यक्तियो के परिवारो को भी देने के लिये बराबर बडी माग होती रही है। इसलिये कारपोरेशन इस बात पर विचार करता रहा है कि योजना के अन्तर्गत परिवारो को चिकित्सा सुविधा किस प्रकार दी जाय। सन् १९५१ मे एक अनुमानकर्त्ता इसलिये नियुक्त किया गया कि वह कारपोरेशन के साधनो और उत्तरदायित्वो का मूल्यांकन करे तथा कानपुर और दिल्ली मे प्राप्त अनुभवो के आधार पर चन्दो तथा हितलाभो का ठीक-ठीक अन्दाजा लगावे। अनुमानकर्त्ता ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बीमादारो के परिवारो को चिकित्सा सुविधा मे होने वाले व्यय का अनुमान दिया है। निगम (कारपोरेशन) ने एक पत्र राज्य सरकार को भेजा है और प्रार्थना की है कि वह शीघ्र ही इस बात पर विचार कर कि (अ) क्या वह बीमेदारो के परिवारो को चिकित्सा सुविधा देने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने को तैयार है और (ब) क्या वह परिवारो की चिकित्सा पर होने वाले व्यय का भी चौथाई भाग देने को तैयार है। इस मामले को कारपोरेशन की १७-१२-५५ का होने वाले बैठक में रक्खा गया था, जिसमे यह निश्चय किया गया कि बीमादारो के परिवारो को भी चिकित्सा हितलाभ यथाशीघ्र दिया जाय। राज्य सरकार से इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है।

अस्पताल में भर्ती

२८—दूसरी माग अस्पताल मे पलगो की व्यवस्था करने की रही है। अभी अस्पताल मे रह कर चिकित्सा कराने की आवश्यकता वाले बीमा हुए व्यक्तियो को कानपुर के दो सरकारी अस्पतालो मे भर्ती के लिये भेजा जाता है। कानपुर मे पलग सुरक्षित नही है परन्तु बीमा हुए व्यक्ति के लिए आवश्यक सब कीमती दवाइया राज्य बीमा के केंद्रीय भडार से दी जाती है।

२९—यद्यपि आवश्यकता होने पर बीमा हुए व्यक्ति को पलग दिलाने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जाता है परन्तु वर्तमान प्रबंध को पूर्णतया सतोषजनक नही कहा जा सकता। विशेषकर पलगो की सख्या के विषय में कारपोरेशन ने निश्चय किया है कि पलग निम्न-लिखित आधार पर दिए जाया करें :—

(अ) साधारण प्रति हजार बीमा हुए व्यक्तियो पर एक पलग।

(ब) क्षय रोगियो के लिये प्रति दो हजार बीमा हुए व्यक्तियो पर एक पलग।

(स) प्रसूताओ के लिए प्रति एक हजार बीमा हुई स्त्रियो पर दो पलंग।

३०—तदनुसार यह विचार किया गया है कि कानपुर मे एक अस्पताल केवल बीमा हुए व्यक्तियो के उपयोग के लिये खोला जाय। उसमें १०० साधारण रोगियो के लिये, ६० क्षय ग्रस्तों के लिये तथा प्रसूताओ के लिये ४ चारपाइया रहे। कारपोरेशन इस अस्पताल

के व्यय का ३/४ भाग देगा। कारपोरेशन के परामर्श के साथ राज्य सरकार योजनायें तैयार कर रही है। इस उद्देश्य के लिये १५½ एकड़ भूमि का प्लाट पसंद भी किया जा चुका है और आशा की जाती है कि योजना पूरी होने पर तथा भूमि प्राप्त किए जाने पर निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना मे कारपोरेशन ने पहले के तथा दूसरी योजना के समय मे बनने वाले बीमादारो तथा उनके परिवारो के लिये अस्पताल बनाने का विचार किया है।

क्षयग्रस्त बीमा हुए व्यक्तियों के लिये नकद हितलाभ

३१--तीसरी माग बीमारी हितलाभ क्षय ग्रस्त बीमादारो को भी देने की रही है। कारपोरेशन ने निश्चय किया है कि बीमारी नकद हितलाभ उन क्षय ग्रस्त बीमादारो को दिया जाय जो लगातार दो वर्ष कारखाने मे काम करते रहे है और जिनका साधारण बीमारी का हितलाभ समाप्त हो चुका है। यह नया बीमारी हितलाभ १८ सप्ताहो तक सीमित होगा और १२ आने की अथवा पहले दिये ग' बीमारी हितलाभ के आधे की दर से, जो भी अधिक हो, दिया जायगा। क्षय ग्रस्तो के चिकित्सा हितलाभ के बारे में निगम ने अपनी १७-१२-५५ की बैठक मे निश्चय किया है कि यदि बीमादार दो या अधिक वर्षों तक लगातार काम करता रहा हो तो अवधि को एक वर्ष और बढा दिया जाय।

प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में योजना का विस्तार

३२--कारपोरेशन ने योजना को उन सब स्थानो पर इस वर्ष की समाप्ति के पूर्व लागू करने का निश्चय किया है, जहां औद्योगिक जनसख्या ५,००० या अधिक है और अन्य स्थानों मे सन् १९५६-५७ के प्रारम्भ तक यह लागू हो जायगी। तदनुसार राज्य सरकारो को सलाह की गयी है कि वे अपने चिकित्सा संगठन की स्थापना के लिये प्रादेशिक व्यवस्था करे। इन व्यवस्थाओ से सबधित स्थिति इस प्रकार है--

३३--जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कानपुर में योजना २४ फरवरी, १९५२ से चालू की गयी। इसके बाद जब योजना को नए क्षेत्रो मे विस्तृत करने के बारे मे राज्य सरकार का इरादा पूछा गया तो उसने यह इच्छा प्रकट की कि योजना का विस्तार भारत के अन्य राज्यो मे हो। परन्तु पिछले वर्ष के अन्त मे सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्य कस्बो में योजना का विस्तार करने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की। तदनुसार कारपोरेशन ने ६ नगरो में, जिनकी औद्योगिक जनसख्या ५ हजार या इससे अधिक है अर्थात् लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, मोदीनगर, इलाहाबाद तथा बनारस योजना के विस्तार का प्रस्ताव रक्खा। परन्तु सन् १९५५-५६ के बजट मे राज्य-सरकार ने केवल तीन नगरो में विस्तार के लिये ही व्यवस्था की और तीन स्थानो अर्थात्--लखनऊ, आगरा, सहारनपुर मे योजना का उद्घाटन १४ जनवरी, १९५६ को हो गया है।

३४--शेष तीन नगरों के अतिरिक्त, जिनमें बीमा कराई जाने योग्य जनसख्या ५ हजार या अधिक है अर्थात्--इलाहाबाद, बनारस और मोदीनगर, उत्तर प्रदेश मे ६ और ऐसे कस्बे

हैं, जिनमें बीमा के योग्य व्यक्ति २,००० और ५०,००० की संख्या के बीच म हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) हाथरस,
(२) अलीगढ़,
(३) मेरठ,
(४) गाजियाबाद,
(५) क्लक्टरबकगंज,
(६) ज्वालानगर (रामपुर)।

३५—आशा की जाती है कि बीमा कारपोरेशन के २,००० या उससे अधिक बीमा योग्य जनसंख्या वाले सब स्थानों तक योजना विस्तार के कार्यक्रम के साथ शेष सब ९ कस्बों में यथासमय योजना कार्यान्वित हो जायगी।

———

अध्याय ४

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी प्राविडेन्ट फन्ड योजना

प्राविडेन्ट फड अधिनियम, १९५२ की धारा ५ के अन्तर्गत निर्मित कर्मचारी प्राविडेंट फड योजना १ नवम्बर, १९५२ से लागू हुई थी। यह एक केन्द्रीय विधान है और इसे केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर लागू किया है। इस योजना को कार्यरूप में चालू हुए ३ वर्ष समाप्त हो चुके है। केन्द्रीय न्यासधारी मडल (सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज) की सहायता से केन्द्रीय सरकार इस योजना का प्रशासन कर रही है। मडल ने निश्चय किया है कि योजना की प्रशासन व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया जाय, इसी उद्देश्य से अपने कतिपय अधिकार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो को सौप दिए है। यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि इस योजना का प्रशासन राज्य सरकारो को सौप दिया जाय।

उत्तर प्रदेश में सन् १९५५ मे योजना प्रशासना की प्रगति

२—कर्मचारी प्राविडेट फड अधिनियम, १९५२ के अनुसार उन कारखानो को इस अधिनियम और योजना से मुक्त कर दिया गया है, जो अपनी स्वय की योजनाएं चला रहे है और जो सरकारी योजना से मिलती-जुलती है या अधिक लाभप्रद है। सन् १९५३ में २१ ऐसे कारखाने थे, जिनको कर्मचारी प्राविडेट फड अधिनियम की धारा १७ (१)अ के अन्तर्गत अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया गया था। कुल ३४ कारखानो ने सरकारी योजना से मुक्त रहने के लिये प्रार्थना-पत्र दिए थे। सन् १९५४ मे मेसर्स अग्रवाल आयरन वर्क्स, आगरा, और मेसर्स म्योर मिल्स क० लिमिटेट, कानपुर को दी गयी छूट सरकार ने वापस ले ली, क्योंकि इन कारखानो ने छूट के साथ दी गयी शर्तो का पालन नही किया। मेसर्स महेश्वरी देवी जूट मिल्स कं० लिमिटेड, कानपुर ने स्वेच्छा से ही दी गई छूट को सरकार को सौंप दिया है और अपने कारखाने मे सरकारी योजना लागू कर ली है। सन् १९५४ में शिकोहाबाद के एक कारखाने को, जिसका नाम मेसर्स हिन्द लैम्प्स लिमिटेड है, यह छूट दी गई है। इस प्रकार सन् १९५४ के अन्त तक १९ कारखानो को यह सरकारी छूट दी गई है।

सन् १९५५ के वर्ष मे छूट दिये गए कारखानो की यह सख्या ज्यो की त्यो कायम रही। निम्नलिखित तालिका से प्रगट हो जायगा कि सन् १९५३, १९५४ और १९५५ के वर्षों में कितने कारखाने सरकारी योजना से मुक्त रहे और उससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए—

क्रम सं०	उद्योग	१९५३		१९५४		१९५५	
		कारखानो की सख्या	चन्दा देने वालो की सख्या	कारखानो की सख्या	चन्दा देने वालो की सख्या	कारखानो की सख्या	चन्दा देने वालो की सख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
१	सीमेट			..	.	.	
२	सिगरेट						
३	विद्युत् एव सामान्य इजीनियरिग	४	५४०	५	१,०२२	५	१०२७
४	लोहा और इस्पात	२	५६७	१	५४०	१	५३३
५	कागज	१	६२२	१	७१६	१	७०६
६	वस्त्र	१४	२७,१४०	१२	२२,२५३	१२	२२,३८८
	योग	२१	२८,८६९	१९	२४,५३१	१९	२४,६५४

३—सन् १९५३ मे छूट पाये हुए कारखानो मे एकत्रित कुल रकम ३२,६४,०४९ रु० १३ आने ६ पाई हुई, जिसमे से १०,१७,४२० रु० १२ आने ६ पाई की रकम सरकारी सिक्योरिटियो मे जमा कर दी गयी। सन् १९५४ के अन्त तक इन कारखानो मे २७,७८,४६३ रु० ८ आने की और रकम जमा हुई और उसमे से १८,१२,२५० रु० १५ आना ९ पाई सरकारी सिक्योरिटियो मे जमा की गयी। इस प्रकार इन अस्थायी रूप से छूट पाये हुए कारखानो में इस अवधि के अन्दर कुल ५३,८४,२४० रु० ११ आने की रकम एकत्रित हुई और इसमे से २७,५०,९७५ रु० १५ आने ४ पाई की रकम सरकारी सिक्योरिटियो मे इसी वर्ष के अन्दर ही लगा दी गई। प्रारभिक रूप म इन कारखानो को प्राविडेंट फड अधिनियम की धारा १७(१) अ के अन्तर्गत कवल अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। और यदि कुछ समय पश्चात् यह देखा जाता है कि ये कारखाने प्राविडेट फड की व्यवस्था संतोषजनक रूप मे चला रहे है, तो उन्हे अधिनियम की उक्त धारा के अनुसार अतिम रूप से कानून से मुक्त कर दिया जाता ह, और उनके नाम भारत सरकार के गजट मे प्रकाशित कर दिए जाते है। उत्तर प्रदेश मे अभी तक किसी भी कारखाने को अतिम रूप से मुक्त नहीं

किया गया। इस बात की बडी सावधानी रक्खी जाती है कि किसी ऐसे कारखाने को अतिम रूप से छूट की सिफारिश न कर दी जाय, जिसकी आर्थिक स्थिति यथेष्ट रूप से दृढ न हो और वह स्वय की बनाई योजना क उत्तरादायित्व को निभाने मे असमर्थ हो।

४--कर्मचारी प्रावीडेंट फड अधिनियम की धारा १३(१) के अनुसार समय-समय पर कारखानो का निरीक्षण करने के लिये प्राविडेट फड निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बात की कोशिश की जाती है कि छूट पाये कारखानो का निरीक्षण ६ मास मे एक बार और बिना छूट पाय कारखानो का ३ मास मे कम से कम एक बार कर लिया जाय। यदि आवश्यकता होती है तो किसी कारखाने का निरीक्षण परिस्थिति के अनुसार वर्ष मे कई बार और प्रायः किया जाता है। मुक्त और अमुक्त दोनो ही प्रकार के कारखानो मे चन्दा देने वालो के हित की रक्षा के लिये सभी सभव उपाय काम में लाये जाते है। अन्य दूसरे कारखानो का भी निरीक्षण, समय-समय पर यह देखने के लिये कि कर्मचारी प्राविडेट फड अधिनियम और योजना उन पर लागू की जा सकती है अथवा नही, किया जाता है।

५--कर्मचारी प्राविडेट फड योजना के अनुच्छद २७ और २७-अ के अन्तगत, कुछ व्यक्तियो अथवा कर्मचारी वर्ग को क्रमश इस पाबन्दी से मुक्त किया जा सकता है कि वे कम्पनी की योजना के सदस्य निरतर बने ही रहें। इन अनुच्छेदो मे जिन अधिकारो का उल्लेख ह, वे केवल प्रादेशिक प्रावीडेड फंड आयुक्त को प्राप्त है। यह छूट केवल उसी दशा में स्वीकार की जाती है, जब उस कम्पनी की प्राविडेट फड योजना वैयक्तिक कर्मचारियो या कतिपय श्रेणी के कर्मचारियो के लिये अधिक लाभप्रद होती है और इस प्रकार के अपवाद के लिये जिन लोगो ने प्रार्थना की हो। सन् १९५३ के वर्ष मे ३९७ कर्मचारियो को इन अनुच्छेदो के अनुसार छूट दी गई। यह सख्या सन् १९५४ मे स्थिर रही और सन् १९५५ के अत में कुल ४०० कर्मचारी इस योजना से मुक्त रहे। ऐसे कर्मचारी रखने वाले कम्पनियो को विवरण-पत्र भेजने के आदेश दिए जाते है और उन्हे कुल मासिक चन्दे की रकम का ३/४ प्रतिशत निरीक्षण शुल्क के रूप में देना होता है। कर्मचारियो की चन्दे की रकम भारत सरकार की सिक्योरिटियो मे उसी प्रकार लगा दी जाती है, जिस प्रकार फड अधिनियम की धारा १७ (१) अ के अन्तर्गत अन्य मुक्त कारखानो की लगाई जाती है।

६--कर्मचारी प्राविडेन्ट फड योजना सन् १९५३ मे ८१ कारखानो पर लागू थी। सन् १९५४ के अन्त मे यह संख्या बढ़ कर ९१ हो गई। सन् १९५५ मे यह संख्या और भी अधिक बढ गई और अब १०१ कारखाने इस योजना के अन्तर्गत हैं। जिस कारखाने मे यह योजना लागू होती है उसका प्रत्येक कर्मचारी एक वर्ष लगातार नौकरी कर लेने या वर्ष मे २४० दिन काम कर लने पर इस फड योजना का सदस्य हो सकता है। निम्नलिखित तालिका मे यह दिखालाया गया ह कि उद्योगानुसार कितने कारखाने और चन्दा देने वाले, इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५३, १९५४ और १९५५ में आ चुके हैं--

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	१९५३		१९५४		१९५५	
		कारखानो की सख्या	सदस्यो की सख्या	कारखानो की सख्या	सदस्यो की सख्या	कारखानो की सख्या	सदस्यों की संख्या
१	सीमेंट			.	..		...
२	सिगरेट	१	२,०७३	१	२,०६३	१	२,०२८
३	विद्युत् एवं अन्य सामान्य इंजीनियरिंग	४१	१,९९९	४५	२,४४७	५३	२,८३९
४	लोहा और इस्पात	१३	१,१९३	१४	१,२१४	१४	१,२७३
५	कागज	३	१,०१४	३	१,४२०	३	१,४४८
६	वस्त्र	२३	३५,६३२	२८	४५,५५९	३०	४२,९५५
	योग ..	८१	४१,९११	९१	५२,७०३	१०१	५०,५४३

७—इन कारखानों में जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन ३०० रु० या इससे न्यून है और जो इस फंड योजना में सदस्य होने के अधिकारी हैं, उनसे उनके वेतन का सवा छः प्रतिशत चन्दा लिया जाता है और इतनी ही रकम प्रतिमास कारखाने का मालिक भी देता है। इस पूरी रकम का और इस पर ३ प्रतिशत प्रशासन खर्च की रकम को आगामी मास की १५ तारीख तक कारखाने का मालिक अपने निकटवर्ती स्टेट बैंक आफ इन्डिया की किसी शाखा में जमा कर देता है और यह कुल रकम कर्मचारी प्राविडेंट फंड हिसाब खाता सं० १ और २ में क्रमशः जमा होती जाती है। जिन कारखानो को अधिनियम की धारा १७(१) अ के अन्तर्गत छूट दे दी गई है, उन्हें भी नियोजको और कर्मचारियो के योग का ३/४ प्रतिशत निरीक्षण शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यह प्रशासकीय और, निरीक्षण सम्बन्धी, जो खर्च लिया जाता है, उसे

सरकार इस फंड की व्यवस्था और देखरेख के कार्य पर खर्च करती है। तत्सम्बन्धी प्राप्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं०	मास	चन्दा			प्रशासकीय शुल्क			निरीक्षण शुल्क		
१	२	३						५		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	१९५३ में	५०,००,०००	०	०	१,७२,३४६	५	६	—		
२	१९५४ में	५०,३३,०९५	०	०	१,५१,९७९	६	०	३१,०२५	७	०
३	जनवरी, १९५५	४,७३,८३४	४	०	१९,७९१	५	९	१,८१९	०	९
४	फरवरी, १९५५	५,२८,६२५	४	०	१०,९८०	६	३	१,७०९	१	३
५	मार्च, १९५५	५,१८,८९१	१२	०	१३,४२६	९	९	१,७७९	११	६
६	अप्रैल, १९५५	४,१९,४७०	१३	०	१२,५८४	५	६	१,८३८	१२	०
७	मई, १९५५	४,२०,४९०	१२	०	१२,६१६	५	९	१,५२८	३	०
८	जून, १९५५	१,३५,४३७	१	६	६,०४८	८	३	१,२११	११	०
९	जुलाई, १९५५	३,१२,७९३	४	०	७,२५६	४	९	१,१९८	१२	६
१०	अगस्त, १९५५	२,३५,६४९	४	०	७,२७४	४	९	१,५२८	२	६
११	सितम्बर, १९५५	४,५०,१९१	४	०	१३,७४६	६	०	१,६६०	०	०
१२	अक्टूबर, १९५५	४,१४,२१३	५	०	११,३२९	१०	३	१,७७६	४	६
१३	नवम्बर, १९५५	५,४१,४१७	१५	०	१८,२२९	११	०	१,७१०	४	०
१४	दिसम्बर, १९५५	५,६९,३६७	१४	०	१५,८८९	१	३	१,६२३	९	०
	योग .	१,५०,५३,४७७	१२	६	४,७३,४९८	१०	९	५०,४०९	१५	०

८—दिसम्बर, १९५४ तक चन्दे और प्रशासकीय शुल्को की क्रमश. ४,९,०,५९३ रु० ८ आने और १४,७२२ रु० १४ आना ९ पाई रकमे पाना शेष था। आलोच्य वर्ष में यह शेष रकमें और अधिक बढ़ गई है। दिसम्बर, १९५५ के अन्त मे ये क्रमश ५,३४,१५७ रु० १० आ० ६ पा० और १४,९०४ रु० २ आ० शेष थी। सन् १९५३ मे चन्दे की रकम ३,००,००० शेष थी। कानपुर के बाहर की तीन सूती मिले इसकी सबसे बडी दोषी है। इन कारखानो ने १९५२ से अब तक प्राविडेंट फड की रकम भुगतान नही की है। उनसे रुपया शीघ्र वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही ह। बाकी सभी कारखानो से भी, जिन्होंने चन्दे की रकम नही दी है, रुपया वसूल करने की कोशिश की जा रही है। यदि अनुरोध करने पर भी सफलता नही मिलती है और मामला आपस मे ही नही सुलझता तो उनके विरुद्ध अधि- नियम की धारा ८ के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है और कुल रुपया माल्गुजारी के ढग से वसूल कर लिया जाता है। १९५५ मे दो मामलो को सरकार के पास उक्त तरीके से रुपया वसूल करने के लिये भेजा गया। रुपए के भुगतान मे विलम्ब करने का अर्थ कानून की धाराओ एव योजना का उल्लघन होना है। ऐसे मामलो मे यदि आवश्यक समझा गया तो अधिनियम की धारा १४ अनुच्छेद ७६ के अनुसार अभियोग चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त भुगतान मे देरी करने से फड की आमदनी को हानि पहुचती है और ब्याज भी कम हो जाने से चन्दा देने वालो की हानि होती है। अधिनियम की धारा १४ (ब) के अनुसार दोषी कारखानो से २५ प्रतिशत तक हरजाना भी वसूल किया जा सकता है।

९—सन् १९५४ के अन्त तक इस प्रकार के ८ अभियोग विभिन्न अदालतो मे चल रहे थे। सन् १९५५ में दोषी मालिको के विरुद्ध इसी प्रकार के ५ अभियोग चलाये गए। इनमें से १२ मामले, अधिनियम की धारा १४ के अनुच्छेद ७६ के साथ पठित, के अनुसार चलाये गए है तथा एक अभियोग भारतीय दड विधान की धारा ४०६ के अनुसार अपराध- पूर्ण विश्वासघात करने के फलस्वरूप चलाया गया। ६ मामलो मे न्यायाधीशो ने निर्णय सुना दिए है, ४ मामलो में अपराधियो को ८७५ रु० जुर्माने का दंड दिया गया है और दो मामलो मे अभियुक्तो को चेतावनी दे कर छोड दिया गया है। एक मामले मे अभियोग उठा लिया गया, क्योंकि अभियुक्त ने अपनी उन अनियमित भूलों को सुधार लेना स्वीकार कर लिया जिनके कारण उस पर अभियोग चलाया गया था। सन् १९५५ के अन्त में ६ अभियोग विभिन्न अदालतो के पास शेष थे। आलोच्य वर्ष में दो कारखानेदारो ने कर्मचारी प्राविडेंट फंड योजना के विरुद्ध इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में आवेदन किया। ये दोनो मामले अभी चल रहे हैं।

१०—प्राविडेट फड की एकत्रित रकमो को यथासभव शीघ्र ही सरकारी सिक्योरिटियों में लगा दिया जाता है। स्टेट बैंक आफ इंडिया की समस्त शाखाओ मे जो रकम प्रति सप्ताह जमा की जाती है उसकी ९८ प्रतिशत रकम हर बुधवार को बम्बई स्थित रिजर्व बैंक को भेज दी जाती है। यदि उस दिन बैंक की छुट्टी हुई तो उस रकम को शनिवार तक जमा कर दिया जाता है। हस्तातरित होने के बाद, जो रकमें बैंक में जमा होती है, वे कभी—कभी निर्धारित सीमा के बाहर पहुंच जाती है, ऐसी स्थिति में सप्ताह में दो बार रकमें हस्तांतरित

की जाती है। ऐसा इस विचार से किया जाता है कि पूंजी को तुरन्त लगा दिया जायगा तो ब्याज अधिक प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार चन्दा देने वाले सदस्यो को अच्छा ब्याज भी मिलेगा। यह प्रणाली इस वर्ष बहुत अच्छी सिद्ध हुई और इस वर्ष ३½ प्रतिशत का ब्याज घोषित किया गया है, जब कि इसके पूर्व वष मे केवल तीन प्रतिशत दर से ही ब्याज मिला था। सन् १९५४ और १९५५ में कितनी पूंजी ब्याज के लिये लगाई गई और कितनी रकम चन्दे से आई, 'इसकी स्थिति निम्नलिखित तालिका से प्रकट हो जायगी —

मास	चन्दा			लगाई गई रकम		
१	२			३		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
३१ दिसम्बर, १९५४ तक जमा की हुई रकम ...	५३,६९,७७०,	६	६	५२,५९,९७४	१	४
३१ दिसम्बर, १९५५ तक की रोकड बाकी	२,५४५	०	८	—		
जनवरी, १०५५	४,९५,१८७	५	६	४,९५,६१८	०	०
फरवरी, १९५५ .	५,२९,१७८	३	०	५,३१,१९३	०	०
मार्च, १९५५	५,१९,८१३	२	०	५,१६,५४५	०	०
अप्रैल, १९५५ .	४,२०,४९३	१४	०	३,२९,९०२	०	०
मई, १९५५	४,०५,५०३	१	०	४,९८,६३७	०	०
जून, ..	१,३०,९५५	३	६	१,२६,३०३	०	०
जुलाई .	३,१४,२२५	१२	०	३,०८,४३४	०	०

मास	चन्दा			लगाई गई रकम		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
अगस्त, १९५५	२,३६,७९८	१४	०	२,४४,७६१	०	०
सितम्बर, १९५५	४,५१,०९४	११	०	३,९४,९०२	०	०
अक्तूबर, १९५५	४,१४,३०१	७	६	४,६७,४९२	०	०
नवम्बर, १९५५	५,४५,४२५	९	९	५,४६,१३५	०	०
दिसम्बर, १९५५	५,७१,११२	०	३	५,७३,५२१	०	०
योग	५०,३६,६३४	४	८	५०,३६,४२३	०	०

११८—प्राविडेंट फंड के सदस्यो का हिसाब कार्यालय के लेखा उप–विभाग में यान्त्रिक प्रणाली से रक्खा जाता है। लेखा उप–विभाग एक लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है। इस उप-विभाग का कर्त्तव्य है कि वह चन्दो तथा प्रकाशकीय शुल्कों की मासिक प्राप्तियो की जाच करे, सदस्यो के प्राविडेंट फंड का हिसाब रखे, उनके हिसाब का वार्षिक चिट्ठा भेजे, और उनके दावो का फैसला करें। तालिका २ में दिखाया गया सदस्यो का हिसाब खाता खोल दिया गया है और उनमें हर महीने का हिसाब लिखा जाता है। सन् १९५४–५५ का वार्षिक हिसाब का चिट्ठा २९ सितम्बर, १९५५ को सभी श्रमिको के पास भेज दिया गया था। केवल उन श्रमिकों के पास नहीं भेजा गया जिनके कारखानो ने उस दिन तक फंड की रकम भुगतान नही की।

१२—सदस्यो द्वारा प्राप्त सभी दावो को अथवा उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियो द्वारा भेज गए दावो को दस दिनो के अन्दर ही निपटा दिया जाता है, किन्तु यह आवश्यक है कि, उन दावों को सब प्रकार से पूर्ण करके नियमित रूप से पेश किया जाय। सदस्यो के दावे तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर भुगतान कर दिये जाते हैं। यदि, किसी कारखाने में सामूहिक छटनी हुई हो, वृद्धावस्था होने के कारण, या काम करने में कोई कर्मचारी स्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो और नोकरी छोडनी पडे, या मृत्यु हो जाये तो इन सब दशाओ में दावे का भुगतान तुरन्त ही कर दिया जाता है। मृत्यु हो जाने पर उस सदस्य को फंड का सब रुपया दे दिया जाता है। किन्तु अन्य दशाओ में यह विचार करना पडता है कि कारखाने के मालिक से कितना रुपया दिलाया जाय। फंड योजना के अनुच्छेद ६९ (३) के अनुसार इस पर निश्चय किया जायगा।

१३—प्राविडेंट फंड योजना मे इस बात की भी व्यवस्था है कि चन्दा देने वाले सदस्यो को उनकी जीवन बीमा की पुरानी अथवा नई पालिसियों के लिये रुपया उधार भी दिया जाय, किन्तु इसके लिये यह देखना आवश्यक होता है कि प्रस्तावित बीमा पालिसी को चालू रहने के लिये उस सदस्य का पर्याप्त फंड जमा हो गया है अथवा नही। निम्नलिखित तालिका से यह ज्ञात हो जायगा कि, कितने दावो का भुगतान किया गया है, जीवन बीमा पालिसियो के लिये कितना रुपया उधार दिया गया है और सन् १९५४ और १९५५ में इन दोनो मदो में कितनी रकम खर्च की गई है।

मास	अंतिम दावों का भुगतान				जीवन बीमा कराने के लिये दी गई अग्रिम धनराशि			
	दावों की संख्या	धनराशि			अग्रिमों की संख्या	धनराशि		
		रु०	आ०	पा०		रु०	आ०	पा०
३१ दिसम्बर, १९५४ तक	२,१३७	३,११,०७४	१०	०	२२२	१७,७०४	५	०
जनवरी, १९५५	३३७	३९,१३३	०	०	५४	३,४७०	८	०
फरवरी, १९५५	७९	१०,५३५	११	०	१३	७६८	८	०
मार्च, १९५५	२१८	४०,९५८	६	०	६९	४,३७३	८	०
अप्रल, १९५५	११०	१६,२३३	१४	०	६०	३,६९१	०	०
मई, १९५५	१११	१७,१४३	०	०	४३	२,७७०	०	०
जून, १९५५	४७	७,२४२	०	०	११	९७५	८	०
जुलाई, १९५५	१३८	२६,३९३	६	०	१८	१,२३५	०	०
अगस्त, १९५५	१६२	३५,८३३	२	०	१७	१,४७६	८	०
सितम्बर, १९५५	१७५	२९,४७०	४	०	२९	१,८३७	१२	०
अक्टूबर, १९५५	१९८	४०,०७२	१५	०	३६	२,६३६	४	०
नवम्बर, १९५५	३२०	७५,४२३	६	०	९०	५,४६२	८	०
दिसम्बर, १९५५	२६५	५३,१००	१२	०	१७९	११,५८७	६	०
सन् १९५५ का योग	२,१६०	३,९१,५३९	१२	०	६१९	४०,२८४	६	०

प्रादेशिक समिति

१४—कर्मचारी प्राविडट फंड योजना, १९५२ के अनुच्छे ४ के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाई गई प्रादेशिक समिति के तीन सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किए गए थे, ३ सदस्य मालिकों और कर्मचारियों की ओर से और वे सदस्य जिसे सेंट्रल बोर्ड

आफ ट्रस्टीज ने चुना जो प्राय उत्तर प्रदेश के ही रहन वाले होते है। इस समिति की बैठक २० अप्रैल, १९५४ को उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के सचिव श्री कुलदीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमे कई महत्वपूर्ण विषयो पर विचार किया गया। इस समिति का कार्य परामर्श देना होता है। श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०, श्रम कमिश्नर और प्रादेशिक प्राविडेट फड कमिश्नर इस प्रादेशिक समिति के मन्त्री ह।

१६--इस योजना के प्रशासन सबधी कार्यों मे कई कठिनाइयो का भी अनुभव किया गया। इसलिये सन् १९५२ के प्राविडेट फड अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित कर दिया गया। यह सशोधन कर्मचारी प्रावीडेट फड (सुधार) अधिनियम, १९५३ के रूप में स्वीकृत किया गया है और जिसको सन १९५३ का अधियिनम ३७ कहा जाता है। इस सशोधित अधिनियम का उद्देश्य यही है कि योजना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयो को दूर किया जाय। फड योजना में भी कतिपय संशोधन किए जा रहे है और उनकी अतिम रूप-रेखा बनाई जा रही है।

अध्याय ५

संख्या, प्रचार एवं अनुसंधान, श्रम संबंधी जांज तथा अन्वेषण

सख्या, प्रचार एवं अनुसधान

श्रमायुक्त के कार्यालय मे सख्या, प्रचार एव अन्वेषण विभाग के नाम से एक पृथक् विभाग है, जिसके तीन अलग-अलग उप-विभाग है, यथा--(क) संख्या, (ख) प्रचार तथा (ग) सामान्य अन्वेषण। प्रत्येक उप-विभाग एक गजटेड अधिकारी के अन्तर्गत है तथा देखरेख एव विभिन्न उप-विभागो के बीच सामजस्य स्थापित करने के लिये सपूर्ण विभाग एक प्रति-श्रमायुक्त के अधीन है। सख्या उप-विभाग का कार्य श्रमसबधी समस्त पहलुओ के बारे मे विभिन्न सूत्रो से प्राप्त सभी सदर्भो को एकत्र करना, सकलन करना तथा विश्लेषण करना है। अनुसंधान विभाग का कार्य प्रादशिक सरकारो, केन्द्रीय सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सदर्भो के आधार पर श्रम सबधी समस्याओ की गहन समीक्षा करना तथा उनके सबध में विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार करना है। यह उपविभाग श्रम सम्मेलनो सबधी कार्य भी करता है तथा उनके लिये टिप्पणियां, विषय-सूची तथा स्मृति-पत्र भी तैयार करता है। प्रचार उप-विभाग प्रकाशन कार्य से सबधित है तथा प्रदेश के अन्दर श्रम तथा उससे संबधित अन्य मामलो के विषय मे तथ्यपूर्ण सूचनाये प्रसारित करता है। इन उपविभागो के अन्तर्गत १९५५ मे जो कार्य हुआ, उसका व्योरा निम्नलिखित है :--

संख्या उप-विभाग

२--इस उप-विभाग का मुख्य कार्य है--दैनिक प्रशासनीय कार्यो के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयो में नियुक्त अन्वेषको और ज्येष्ठ अन्वेषको के द्वारा अथवा सीधे कारखानो से अथवा अन्य सूत्रो से प्राप्त श्रम-संबंधी विभिन्न विषयो के बारे मे विस्तृत सख्या सबधी आकड़ों को एकत्र करना है। यह उप-विभाग सरकार के पास अनेक विवरण पत्र और सावधिक प्रतिवेदन संकलित करके भेजता है। यह विभिन्न श्रम कानूनो के प्रशासनात्मक प्रतिवेदनो पर आलोचनात्मक एव विश्लेषणात्मक टिप्पणिया तैयार करता है तथा समय समय पर सामाजिक एव आर्थिक जाच-पडताल किया करता है यह उप-विभाग श्रम-सबधी जिन विभिन्न विषयो पर नियमित रूप से आकडे सग्रहीत करता और रखता है, वे नीचे दिए जा रहे हैः--

(१) औद्योगिक विवाद, हडताले और ताला बन्दिया,

(२) औद्योगिक प्रतिष्ठानो मे बैठकी,

(३) कारखानो की बन्दी,

(४) छटनी,

(५) समझौते और अभिनिर्णय द्वारा निर्णीत औद्योगिक विवादो के मामले,

(६) मजदूरो की अनुपस्थिति,

(७) कानपुर के मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचनाक का संकलन,

(८) श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून के अन्तर्गत मासिक तथा वार्षिक विवरण-पत्र,

(९) श्रम-हितकारी आकडो के सबध मे मासिक एव वार्षिक विवरण-पत्र,

(१०) गैर-सूती मिलो और कारखानो की बन्दी,

(११) अवैध हडतालों का व्यौरा,

(१२) कोयल की खानो के लिये मजदूरो की माग-पूर्ति का व्यौरा,

(१३) विभाग में प्राप्त और निर्णीत शिकायते,

(१४) सामूहिक एव आकस्मिकता-निवारण योजना के अन्तर्गत भर्ती का व्यौरा,

(१५) उपभोक्ता मूल्य सूचनाक मे रक्खी गयी सामग्रियो तथा कानपुर के मजदूरो के उपभोग की अन्य सामग्रियो का मूल्य सग्रह,

(१६) लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, मेरठ तथा बरेली मे मजदूरो द्वारा सामान्यत उपयोग मे लाई जाने वाली सामग्रियो के फुटकर मूल्यो का संग्रह,

(१७) उपर्युक्त केन्द्रो मे चुने हुए उद्योगो मे मजदूरो की दरो का सग्रह। इन उद्योगोमे मुद्रण, तेल, कांच, धातु तथा इजीनियरिंग के उद्योग शामिल हैं।

३--जिन प्रतिवेदनो का विश्लेषण किया जाता हैं और जिन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार की जाती है, उनमे कारखाना अधिनियम और वेतन अधिनियम के प्रशासन-सबधी वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित है। यह उप-विभाग सरकारी अभिकर्त्ताओ द्वारा समय-समय पर मागे जाने वाले श्रम-सबधी विषयो पर सामान्य श्रम, सामान्य सांख्यिक सूचना सग्रहीत करता और भेजता है। इसमे भारत सरकार के 'लेबर ब्यूरो' के सचालक को, 'इण्डियन लेबर ईयर बुक' तथा 'इडियन लेबर गजट' के लिये तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार के अर्थ बोध एव सख्या सचालक को सख्या तथा सख्यासार की मासिक पत्रिका के लिये नियमित रूप से भेजी जाने वाली सूचनाये शामिल हैं।

४--यह विभाग अनुसधान कार्य और अन्वेषणो के सिलसिले मे सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिये श्रम-कार्यालय म प्राय आने वाले अनुसधान के छात्रो को सुविधाए भी प्रदान करता है।

५--सन् १९५५ मे कुछ विशिष्ट प्रकार की आकडो-सबधी सूचनाए सग्रहीत एव सकलित की गई। प्रमाणित कारखानो मे मिल-मालिको की ओर से मजदूरो को दी जाने वाली व्यायाम-सबधी सुविधाओ, बाढ के फलस्वरूप कारखानो को हुई हानि तथा श्रम-विभाग की गतिविधियो के बारे में विधान सभा मे किए गए प्रश्नो के सबध मे तथ्य एव आकडे संग्रहीत किए गए।

१९५५ में कानपुर के मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचनांक की समीक्षा

६—उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिये केवल यही उपभोक्ता मूल्य सूचनांक तैयार किया जाता है। इसका संकलन अगस्त, १९३९ से आरम्भ हुआ। १९३८–३९ में परिवार की आय–व्यय–संबंधी एक जांच पर यह सूचनांक आधारित है। १ अक्तूबर सन् १९५५ से इस सूचनांक माला का नाम "कानपुर के मजदूरों के रहन-सहन का व्यय सूचनांक" से बदल कर "कानपुर के मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचनांक" कर दिया गया। यह परिवर्तन श्रम मंत्री सम्मेलन के निर्णय के फलस्वरूप किया गया।

७—यह सूचनांक साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। सूचनांक की सन् १९५५ की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है :—

८—सन् १९५५ में सूचनांक का वार्षिक औसत ३७१ था, जबकि वह पिछले वर्ष ४०८ था। सन् १९५५ में यह सूचनांक ३३५ तथा ३९३ के बीच घटता-बढ़ता रहा, जबकि १९५४ में ३६९ तथा ४४२ के बीच था। इससे यह विदित होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में १९५५ में उतार–चढ़ाव कम दिखाई दिया। दिसम्बर, १९५५ में यह सूचनांक शिखर पर पहुंच गया, अर्थात् ३९३ रहा तथा मई, सन् १९५५ में सबसे कम ३३५ रहा। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न वर्गों के १९५४ के सूचनांकों की तुलना में सन् १९५५ के सूचनांकों का औसत दिखाया गया है :—

वर्ग	सन् १९५४ का औसत सूचनांक	सन् १९५५ का औसत सूचनांक	सन् १९५४ की अपेक्षा १९५५ में वृद्धि अथवा घटती का प्रतिशत
१	२	३	४
खाद्य	४१९	३६६	(–) १२.६
ईंधन और प्रकाश .	३८८	३६४	(–) ६.२
वस्त्र	५०६	४६७	(–) ७.७
मकान–किराया	२१८	२३५	(+) ७.८
विविध	४४७	४४८	(+) ०.२

खाद्य वर्ग

९—सन् १९५५ में खाद्य वर्ग का औसत सूचनाक ३६६ था, जब कि १९५४ में ४१९ था अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा १२ ६ प्रतिशत की कमी हुई। खाद्य-वर्ग का सूचनाक ३०८ तथा ४०१ के बीच घटता बढता रहा, जब कि सन् १९५४ में ३५८ और ४६८ के बीच रहा। इससे यह विदित हुआ कि पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५५ में उतार चढ़ाव कम हुआ। दिसम्बर, १९५५ मे अधिकतम ४०१ रहा। मई, १९५५ में खाद्य सूचनांक न्यूनतम ३०८ रहा। इसका कारण गेहू, बेझर, चना, अरहर, मास, शकर, घी तथा सरसो के तेल के भावो मे आकस्मिक सस्ती का आना था। जून से लेकर दिसम्बर तक यह सूचनांक ऊपर जाता दिखायी दिया। केवल सितम्बर में नीचे गिरता दिखायी दिया। इस वर्ग के सूचनाक के ऊपर जाने के कारण ही दिसम्बर सन् १९५५ में ३९३ हो गया जब कि मई, १९५५ मे केवल ३३५ था। निम्नलिखित तालिका मे मई, १९५५ तथा दिसम्बर, १९५५ मे कुछ वस्तुओ के फुटकर मूल्य दिए गए है, जिनसे भावो की वृद्धि की मात्रा का पता चलता है :—

वस्तु	मई, १९५५ में प्रति सेर औसत मूल्य			दिसम्बर, १९५५ मे प्रति सेर औसत मूल्य		
१	२			३		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
गेहू	०	४	३	०	६	३
बेझर .	०	२	४	०	४	१
चना .	०	२	७	०	८	३
अरहर .	०	४	३	०	७	११
सरसो का तेल	१	०	७	१	६	७
आलू . ..	०	२	८	०	५	३

ईंधन और प्रकाश वर्ग

१०—सन् १९५५ मे ईंधन और प्रकाश वर्ग का औसत सूचनाक ३६४ था, जबकि १९५४ मे ३८८ था, अर्थात् ६ २ प्रतिशत की कमी हुई। ईंधन के दामो मे परिवर्तन के कारण उक्त कमी दिखायी दी। मिट्टी के तेल का भाव अपरिवर्तित रहा। जलाने की लकड़ी का औसत भाव अप्रैल, १९५५ मे २ रुपये ६ आना २ पाई प्रतिमन तथा दिसम्बर, १९५५ में २ रुपया १३ आना ८ पाई प्रतिमन था। ये भाव वर्ष मे क्रमश: न्यूनतम तथा अधिकतम भाव थे।

वस्त्र वर्ग

११—सन् १९५५ में वस्त्र वर्ग का औसत सूचनांक ४६७ था जबकि १९५४ में ५०६ था। अर्थात् ७.७ प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष के आरम्भ मे इस वर्ग का सूचनांक ऊपर जाता दिखायी दिया अर्थात् मार्च, १९५५ मे अधिकतम ४८५ हो गया। मार्च के बाद यह सूचनांक गिरता दिखायी दिया ओर वर्ष के अन्त तक गिरता रहा। बीच मे केवल जून मे थोड़ा बढ़ता दिखायी दिया था। न्यूनतम सूचनांक दिसम्बर, १९५५ मे ४४५ था।

मकान-किराया वर्ग

१२—मकान किराया वर्ग का सूचनांक पूरे वर्ष भर अपरिवर्तित बना रहा, अर्थात २३५ रहा।

विविध वर्ग

१३—सन् १९५५ मे विविध वर्ग का औसत सूचनाक ४४२ तथा ४५३ के बीच बढ़ता-घटता रहा, जबकि १९५४ मे ४४३ तथा ४५६ के बीच रहा। इससे यह विदित हुआ कि १९५४ की अपेक्षा १९५५ मे कम परिवर्तन हुआ। सन् १९५५ मे इस वर्ग का औसत सूचनांक ४४८ रहा, जबकि १९५४ मे ४४७ था अर्थात् ०.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। साबुन और सुपारी के दामो मे वृद्धि के कारण उक्त वृद्धि दिखायी दी।

१४—विविध वर्ग का न्यूनतम तथा अधिकतम सूचनांक क्रमशः मार्च, १९५५ मे ४४२ तथा दिसम्बर, १९५५ मे ४५३ रहा।

१५—अनुसूची (१) मे मजदूरो की उपभोक्ता मूल्य सूची के साथ वर्ग मूल्य सूची १९५३ से १९५५ तक की दिखायी गयी हैं।

अनुसूची (१)

कानपुर में मजदूरों का उपभोक्ता मूल्य सूचनांक

महीने		१९५३				
	खाद्य	ईंधन और प्रकाश	वस्त्र	मकान किराया	विविध	सूचनांक
१	२	३	४	५	६	७
जनवरी ..	५०२	३९६	४५६	२१४	४५८	४५४
फरवरी	५०८	३७६	४७६	२१४	४६३	४५०
मार्च	४८९	३६७	४८७	२१४	४६३	४४८
अप्रैल	४६८	३६८	४७७	२१४	४६५	४३४
मई .	४७०	३६८	५२१	२१४	४६५	४४१
जून	४८६	३७१	५२७	२१४	४७०	४५३
जुलाई ..	५०४	३९९	५१६	२१४	४७८	४६७
अगस्त .	५१२	४११	५०३	२१४	४७७	४६०
सितम्बर .	५०९	४०८	४८२	२१४	४७६	४४४
अक्तूबर	४९९	४२५	४६०	२१४	४७२	४५०
नवम्बर .	४९१	४२८	४७२	२१४	४६८	४५३
दिसम्बर ...	४६५	४२३	४९५	२१४	४५२	४३८
औसत ...	४९२	३९५	४८९	२१४	४६८	४५३

महीने	१९५४					
	खाद्य	ईंधन और प्रकाश	वस्त्र	मकान किराया	विविध	सूचनांक
१	८	९	१०	११	१२	१३
जनवरी	४६८	४२८	५०६	२१४	४४९	४४२
फरवरी	४५१	४१७	५२२	२१४	४४८	४३२
मार्च .	४३०	३६१	५३०	२१४	४५६	४१६
अप्रैल ..	४४६	३६४	५३५	२१४	४५४	४२६
मई	४२७	३६८	५४१	२१४	४४७	४१५
जून	३९९	३८३	५१४	२१४	४४५	३९६
जुलाई	४०९	३८४	४९४	२१४	४४३	४००
अगस्त	४२०	३९१	४९९	२१४	४४४	४०८
सितम्बर .	४१८	३९३	४९५	२१४	४४४	४०६
अक्तूबर	४१७	३९२	४८३	२१४	४४६	४०४
नवम्बर ..	३८६	३८९	४७६	२३५	४४६	३८७
दिसम्बर .	३५८	३८७	४७४	२३५	४४५	३६९
औसत ..	४१९	३८८	५०६	२१८	४४७	४०८

महीने	१९५५					
	खाद्य	ईंधन और प्रकाश	वस्त्र	मकान किराया	विविध	सूचनांक
१	१४	१५	१६	१७	१८	१९
जनवरी	३६५	३८१	४६५	२३५	४४४	३७२
फरवरी	३८५	३७४	४७४	२३५	४४६	३८४
मार्च	३७४	३५४	४८५	२३५	४४२	३७७
अप्रैल	३३७	३३५	४८१	२३५	४४४	३५२
मई	३०८	३३९	४८०	२३५	४४८	३३५
जून	३२६	३४४	४८४	२३५	४४८	३४७
जुलाई	३६७	३५४	४६४	२३५	४४२	३७१
अगस्त	३७२	३६६	४६३	२३५	४५१	३७५
सितम्बर	३६९	३७२	४६०	२३५	४५०	३३३
अक्टूबर	३८९	३७५	४५२	२३५	४५०	३८०
नवम्बर	४००	३८४	४५०	२३५	४५१	३९२
दिसम्बर	४०१	३९३	४६५	२३५	४५३	३९३
औसत ...	३६६	३६४	४६७	२३५	४४८	३७१

प्रचार उपविभाग

१६—सन् १९४८ में श्रमायुक्त के कार्यालय में एक सांगोपांग प्रचार उपविभाग की स्थापना की गयी। इस उपविभाग का मुख्य कार्य श्रम विभाग की विभिन्न गतिविधियों से जनता को सूचित करना है तथा श्रम-संबंधी दो पत्रों-अंग्रेजी में 'लेबर बुलेटिन' मासिक तथा हिन्दी में 'श्रम जीवी' साप्ताहिक को प्रकाशित करना है। इस विभाग द्वारा श्रम विभाग के विभिन्न उपविभागों की कार्यवाहियों के संबंध में प्रेस विज्ञप्तियां प्रसारित की जाती हैं तथा अभिनिर्णायकों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है। विभाग के विविध कार्यों के संबंध में यह उपविभाग जनमत से अवगत होता रहता है और उस पर उचित कार्यवाही करता रहता है। मिथ्या तथा त्रुटिपूर्ण समाचारों का अविलम्ब खंडन किया जाता है और सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सही स्थिति प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रों में लेखों को प्रकाशित करके तथा प्रचार पुस्तिकाओं, छोटी पुस्तिकाओं एवं सचित्र पुस्तिकाओं को प्रकाशित करके जनता को विभाग की विकास-संबंधी कार्यवाहियों से अवगत कराया जाता है। १९५४-५५ में दो सचित्र पुस्तिकाएं—एक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक मजदूरों के लिये सुन्दर मकानों के विषय में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश में श्रमहितकारी कार्य के विषय में प्रकाशित की गयी। विभाग की गतिविधियों के संबंध में सविधिक समीक्षाएं नियमित रूप से 'इंडियन लेबर गजट', 'कामगार,' 'उत्तर प्रदेश' तथा इसी प्रकार की अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है।

१७—इस उपविभाग से श्रम विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण श्रम समाचारों को प्रति सप्ताह सोमवार को प्रसारित करने के लिये आल इंडिया रेडियो, लखनऊ के पास भेजा जाता है।

१८—संदर्भ रखने के हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित श्रम-संबंधी समाचारों को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत करके उनका पूर्ण एवं नियमित विवरण संगृहीत किया जाता है।

१९—यह उपविभाग हिन्दी की अपनी साप्ताहिक पत्रिका 'श्रमजीवी' की बिक्री की व्यवस्था भी करता है। पत्रिका के ग्राहकों और चन्दा देने वालों की नियमित सूची रखी जाती है। विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियों के वितरण का कार्य भी यह उपविभाग करता है।

'श्रमजीवी'

२०—सामान्य जनता तथा विशेषतया श्रमिक वर्ग एवं उनके संगठनों को श्रम विभाग के संबंध में अधिकृत सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से 'श्रमजीवी' नामक हिन्दी की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन अगस्त, १९४८ से आरम्भ हुआ था। सन् १९५० के अन्त तक यह प्रति सप्ताह दो बार प्रकाशित होती थी और इस अवधि में श्रम-संबंधी समाचारों की यह एक 'बुलेटिन' मात्र रही। बाद में इसमें महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करने तथा इसे और अधिक उपयोगी बनाने का निश्चय किया गया। अतएव जनवरी, सन् १९५१ से 'श्रमजीवी' को १६ पृष्ठों की एक साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित कर दिया गया। 'श्रमजीवी' में श्रम-संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय, श्रम विभाग के विभिन्न उपविभागों के कार्यों के प्रतिवेदन, श्रम-समस्याओं पर विशेष लेख, कहानियां, कविताएं, कानपुर के मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य-सूचनांक संबंधी आंकड़े, राजकीय गजट की महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा श्रम-संबंधी अन्य बातें प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिका में पाठकों की 'अपनी बात' 'कुछ ज्ञातव्य बातें', 'क्या आप जानते हैं', जैसे स्थायी स्तम्भ भी हैं।

सन् १९५५ मे चिकने आर्ट पेपर पर दुरंगे मुखपृष्ठ के प्रयोग मे पत्रिका के सौंदर्य और लोकप्रियता मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। मजदूरो मे यह पत्रिका बहुत लोकप्रिय है तथा व्यक्तिगत रूप से बहुत से कर्मचारी, श्रम सगठन तथा श्रम-सबधी समस्याओ मे दिलचस्पी रखने वाले अन्य लोग इसके ग्राहक है।

२१—सदा की भांति ६ फरवरी, सन् १९५५ को 'श्रम जीवी' का एक सचित्र विशेषाक श्रम हितकारी विभाग के वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रकाशित किया गया, जिसे बहुत पसन्द किया गया।

लेबर बुलेटिन

२२—जनता को श्रम विभाग के कार्यों के सबध मे सूचना देने के लिये इस अंग्रेजी मासिक पत्रिका का प्रकाशन जनवरी सन् १९४१ मे प्रारभ हुआ था। इस बुलेटिन को श्रम विभाग के कार्यो तथा श्रम-सबंधी आकडो का एक सदर्भ पुस्तक बनाना था। 'बुलेटिन' राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकाशनो मे एक है तथा राज्य के श्रमिको के सबध मे एक मात्र अधिकृत सरकारी प्रकाशन है। इस पत्र के ग्राहक केवल भारत मे ही श्रम-समस्या से दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति तथा सगठन नही है, अपितु बाहर के अन्य देशो यथा अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, इगलैंड, हिन्द एशिया, जावा, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, दक्षिणी अफ्रीका आदि मे भी इसके ग्राहक है।

२३—इस पत्रिका के महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है:—

(क) वर्तमान श्रम-समस्याओ पर लेख।

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारो के श्रम कानून तथा महत्वपूर्ण सूचनाए।

(ग) भारत के श्रम अपीली न्यायाधिकरण राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा अभिनिर्णायको के निर्णय।

(घ) वेतन, काम के घटों, पारिवारिक बजटो, श्रमिको की दशाओ, मकान किराया आदि के संबध मे विभाग द्वारा की जाने वाली जाचो के परिणामो के प्रतिवेदन।

(ङ) विभिन्न अधिनियमो के प्रशासन-संबधी वार्षिक प्रतिवेदन।

(च) राज्य की नियोजन सस्थाओ तथा कर्मचारी राज्य बीमा नियम, कानपुर के प्रादेशिक संचालक के कार्यालय द्वारा किए गए काम की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन।

(छ) श्रम संबंधी आकडे, यथा श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचनाक थोक तथा फुटकर मूल्य, श्रमिको की क्षतिपूर्ति, हितकारी आंकडे, औद्योगिक विवाद, विभिन्न श्रम अभियोग, कारखानो तथा श्रमिक संघो का प्रमाणीकरण, हडताल, तालाबन्दी, छंटनी, बैठकी आदि के आंकडे।

२४—प्रत्येक वर्ष के अन्त मे बुलेटिन' की एक अनुक्रमणिका पृथक् रूप से प्रकाशित की जाती है, जिसमें वर्ष भर मे प्रकाशित होने वाले विशेष लेखो तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का विवरण रहता है।

चैत्रिक प्रचार

२५—पत्र-पत्रिकाओं तथा प्रेस विज्ञप्तियों के प्रकाशन के अतिरिक्त यह उपविभाग अपने विभाग की विभिन्न गति-विधियो के संबध मे चैत्रिक प्रचार का कार्य सिनेमा

स्लाइडो, विज्ञापनो तथा प्रदर्शनियो मे भाग लेकर करता है। इस उप विभाग के पास श्रम-सबंधी आकडो के ग्राफ एव चार्ट, श्रमहितकारी कार्यो के चित्र तथा अन्य प्रकार की संपूर्ण सामग्री रहती है। यह उपविभाग अपने राज्य तथा राज्य के बाहर की प्राय: सभी मुख्य प्रदर्शिनियों में भाग लेता है। आलोच्य वर्ष मे इस विभाग न निम्नलिखित प्रदर्शनियो मे भाग लिया :—

(१) अवाडी (मद्रास) के कांग्रेस अधिवेशन की प्रदर्शिनी।

(२) नैनीताल मे शरदोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी।

(३) नयी दिल्ली मे आयोजित औद्योगिक प्रदर्शिनी।

अनुसंधान उपविभाग

२६—यह उपविभाग श्रम-सबंधी विभिन्न समस्याओ का प्रशासनीय एव अध्ययन की दृष्टि-कोण से परीक्षण करता है और इस प्रकार सरकार की श्रम-नीति के निर्धारण के लिये मौलिक सामग्री प्रस्तुत करता है। इस उपविभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) राज्य तथा केन्द्र की श्रम-सबधी समितियो और सम्मेलनो मे विचारार्थ प्रस्तावित विषयो का आलोचनात्मक परीक्षण, अध्ययन एव विश्लेषण तथा विस्तृत टीकाओ और सुझावो को प्रस्तुत करना। इस प्रकार की बैठको मे विवाद के लिए सरकार द्वारा मांगे जाने पर नए विषयो का सुझाव भी इस उप विभाग द्वारा दिया जाता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ, तथा उसके द्वारा नियुक्त अन्य अभिसमितियो अर्थात् प्रादेशिक सम्मेलनो तथा औद्योगिक समितियो आदि द्वारा प्रसारित प्रतिवेदनो का आलोचनात्मक अध्ययन।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ के समझौतो एव सिफारिशो की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति से सबंधित विषयो की समीक्षा।

(४) भारत तथा विदेशो के श्रम-सबंधी कानूनो का अध्ययन तथा राज्य मे ऐसे कानूनो से उत्पन्न प्रशासकीय समस्याओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसमे राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न श्रम अधिनियमो के अन्तर्गत राज्य आनियमो को प्रस्तुत करना तथा उनका प्रारूप बनाना।

(५) समय-समय पर सख्या उपविभाग के सहयोग से जाच और अनुसधान करके श्रमिको के सामाजिक और आर्थिक पहलुओ (यथा मजदूरी, छुट्टी, आवास, ऋणग्रस्तता आदि) के सबध मे सद्य प्राप्त आंकडो तथा अन्य सूचनाओ का संग्रह एवं विश्लेषण।

(६) श्रम-सबधी अनुसधान कार्य मे यह उपविभाग, अनुसधानक छात्रो की सहायता करता है और उनका पथ-प्रदर्शन करता है तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओ द्वारा प्रेषित छात्रो के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

(७) कर्मचारियो की राज्य बीमा योजना तथा राष्ट्रीय नियोजन सेवा से सबंधित सभी कार्य, जिनका प्रादेशिक सरकार के श्रम विभाग से संबध है, इस उपविभाग द्वारा सपादित किए जाते हैं।

(८) विभागीय पुस्तकालय का संचालन भी इस उपविभाग के अन्तर्गत है यह पुस्तकालय श्रम से संबंधित विषयो पर प्रमुख सदर्भ पुस्तकालयो मे से एक है। यह उपविभाग पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था रखने तथा उसमे सुधार करने

तथा विश्व के समस्त देशो से श्रम–सबधी साहित्य को एकत्र करने और व्यवस्थित करने की प्रत्येक सावधानी रखता है। विश्व के समस्त भागो यथा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा सयुक्त राष्ट्र सघ और उसकी विशिष्ट अभिसमितियो द्वारा प्रकाशित श्रम-विषयक लगभग ८० पत्र-पत्रिकाए इस पुस्तकालय मे आती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ तथा ब्रिटेन के श्रम और राष्ट्रीय सेवा मंत्रालय के सभी प्रकाशनो को विशेष रूप से मगाया जाता है। सन् १९५५ के अन्त मे पुस्तकालय मे ५,५०० पुस्तके थी, जिनमे २०० पुस्तके तथा पत्रिकाए क्रय की गयीं।

(९) यह उपविभाग राज्य सरकार के श्रम विभाग की पच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करता है तथा योजनाओ मे सामन्जस्य की स्थापना एवं उनकी प्रगति से सबंधित अन्य कार्य सपादित करता है।

(१०) इसके अतिरिक्त सामान्य अध्ययन सबंधी सभी कार्य तथा श्रम सूचनाओं से सबधित सभी समस्याओ को यह उपविभाग अपने हाथ में लेता है।

श्रम–संबंधी जाच तथा अन्वेषण

२७––श्रम विभाग के सख्या और अनुसधान उपविभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूरो के रहन-सहन तथा काम की दशाओ क सबध मे सामाजिक, आर्थिक जाच और अन्वेषण करना है, यथा :––

(१) पारिवारिक बजट
(२) आवास–व्यवस्था
(३) ऋण–ग्रस्तता
(४) मजदूरी
(५) काम के घटे आदि

२८––सन् १९५५ मे इस उपविभाग ने अन्य जाचो के साथ निम्नलिखित जाचे भी की ––

(१) कानपुर के औद्योगिक मजदूरो के घरो मे आवास–सघनता की जाच, जो सन् १९५४ मे मकान किराए के उतार–चढाव के सिलसिले में की गई थी, १९५५ मे भी कानपुर की अन्य मजदूर बस्तियो म जारी रही।

(२) कानपुर में कर्घा उद्योग के प्रतिष्ठानो की सख्या, उनमे काम करने वाले कर्मचारियो की संख्या, उनके काम के घंटे तथा उनकी काम करने की सामान्य दशाओ से सबधित प्राथमिक तथ्य आकडो को सग्रहीत करने के उद्देश्य से सन् १९५५ मे इस उद्योग की अग्रगामी जाच की गयी।

(३) इस वर्ष कानपुर मे साडियो की विभिन्न किस्मो की जांच भी की गई, जिसका उद्देश्य इन किस्मो के स्थान पर नई किस्मो का चलन करना था, जिनका उत्पादन अब बन्द हो गया है। इस जाच का प्रयोग मजदूरो के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के संकलन मे किया जाता है।

(४) आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी उपविभाग ने संख्या उपविभाग के सहयोग से अनेक असगठित उद्योगो की जांच नमूने की तौर पर की। इन जाचो का उद्देश्य इन उद्योगो मे प्रचलित मजदूरी की दर आदि तथा काम की अन्य दशाओ से अवगत होना था।

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश के बड़े कारखानों में अभिनवीकरण

अभिनवीकरण (रेशनलाइजेशन) के प्रश्न पर सन् १९३७ से ही, जब से लोकप्रिय सरकार बनी, ध्यान दिया जा रहा है। लोकप्रिय सरकार ने पद ग्रहण के पश्चात् शीघ्र ही डा० राजेन्द्र प्रसाद (इस समय भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति) की अध्यक्षता में एक जाच समिति कानपुर के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के काम और जीवन की दशा पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये बनाई। समिति ने मजदूरी के सरूपीकरण की वांछनीयता पर जोर दिया, जो अभिनवीकरण का एक अग है। उसने श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए अभिनवीकरण योजना को स्वीकार करने का सुझाव दिया। उसने कारखानों में अभिनवी-करण कार्य प्रारम्भ करने के उद्देश्य से नियोजक और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच सहयोग पर भी बल दिया।

२--श्रम जाच समिति से भी, जो निम्बकर समिति के नाम से ज्ञात है, अन्य बातों के अतिरिक्त सरूपीकरण के प्रश्न पर भी विचार करने के लिये कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट के चौथे अध्याय में कहा है "कानपुर के सूती कारखानों के श्रमिकों तथा मालिकों द्वारा इस उद्योग म मजदूरी के सरूपीकरण की माग पर बल दिया जाता रहा है।" इसलिये समिति ने सूती उद्योग में मजदूरी तथा उपस्थिति (मस्टर) में सरूपीकरण के लिये कुछ सुझाव दिए। चीनी उद्योग में मजदूरी और उपस्थिति (मस्टर) सरूपीकरण का प्रश्न श्री आर० सी० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में निर्मित एक उप समिति को सौप दिया गया। एक व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता समझ कर सरकार ने प्रति श्रमायुक्त श्री एम० सी० पन्त की अध्यक्षता मे एक सरूपीकरण चीनी समिति बनाई जिसके सदस्य सवश्री जगदीश प्रसाद तथा काशीनाथ पाडे थे। इस समिति के प्रतिवेदन पर नवम्बर सन् १९५२ में लखनऊ में होने वाले चीनी त्रिदलीय सम्मेलन मे विचार किया गया। सम्मेलन का मत था कि चीनी उद्योग मे मजदूरी ओर उपस्थिति का सरूपीकरण काम के मूल्याकन तथा उचित काय-भार एव काम की दशाओ का निश्चय करके प्रारम्भ किया जाय।

३--सूती तथा चीनी उद्योग मे सरूपीकरण के प्रश्न पर सितम्बर सन् १९५२ में नैनीताल मे हुए राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन मे पुन विचार किया गया। सम्मेलन ने मालिको और मजदूरो दोनो के हित मे सरूपीकरण के महत्व को अनुभव किया और उसके लिये आवश्यक कदम उठाने के लिये सरकार को सलाह दी। उस सिफारिश के अनुसार श्रम विभाग ने श्रमायुक्त के कार्यालय मे सहायक श्रमायुक्त डा० बशीधर पी० एच० डी० के अधीन, जिन्होने अभिनवीकरण की प्रविधि के सबध मे विदेशो मे तथा 'इबकान' के अन्तर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक कार्य-कुशलता विभाग खोला गया।

४--कार्य-कुशलता विभाग सन् १९५३ मे इस दृष्टि से स्थापित किया गया था कि वह कानपुर के सात सूती मिलो में अभिनवीकरण की योजना की जांच करे। काम के समय कारखानों मे जाकर जांच करने के बाद कार्य-कुशलता विभाग ने कुछ प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार किए। इन प्रस्तावों पर श्रमिको तथा मालिको ने तथा बाद मे जून सन् १९५४ म नैनीताल मे होने वाले त्रिदलीय सम्मेलन मे विचार विनिमय हुआ। मालिको ने अभिनवीकरण योजना को बिना छंटनी किए हुए कार्यान्वित करना स्वीकार किया। नैनीताल सम्मेलन के निर्णय के अनुसार ७ व्यक्तियो की एक समिति बनाई गई: किन्तु उसे दिसम्बर सन् १९५४ मे श्रमिको के कुछ प्रतिनिधियो के असहयोग के फलस्वरूप विघटित कर देना पडा और अभिनवीकरण की प्रक्रिया को मालिको तथा मजदूरो के स्वीकृत समाधान पर छोड दिया गया।

५--इस समिति के विघटन के बाद अभिनवीकरण के विरुद्ध बहुत प्रचार किया गया, जिसके फलस्वरूप सूती कारखानो मे २ मई सन् १९५५ मे हड़ताल हो गई। यह हड़ताल २० जुलाई, १९५५ को समाप्त हुई। अभिनवीकरण की नैनीताल सम्मेलन मे तैयार की गई प्रणाली को पुन. सब के द्वारा स्वीकार किया गया और तदनुसार राज्य सरकार ने ११ अगस्त सन् १९५५ की अभिसूचना सख्या १८०१ (एल एल)/३६-बी के द्वारा इस प्रश्न की जाच करने के लिय निम्नांकित व्यक्तियो की एक समिति नियुक्ति की:--

(१) श्री बिदबासनी प्रसाद, हाई कोर्ट, इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा अब श्रम अपीली न्यायाधिकरण के एक सदस्य--अध्यक्ष,

(२) बी० आई० सी० की एलगिन मिल्स शाखा के श्री आर० डी० आर० बेल (मालिकों के प्रतिनिधि)--सदस्य,

(३) स्वदेशी काटन मिल्स क० लि०, कानपुर के श्री मुन्नालाल बागला (मालिको के प्रतिनिधि)--सदस्य,

(४) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के श्री काशीनाथ पांडेय (श्रमिको के प्रतिनिधि) सदस्य,

(५) सूती मिल मजदूर सभा क श्री गणश दत्त बाजपेयी (श्रमिकों क प्रतिनिधि)--सदस्य,

(६) उत्तर प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त श्री एच० एम० मिश्र--सदस्य-सचिव,

(७) उत्तर प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त (अभिनवीकरण) डा० बंशीधर--विशेषज्ञ परामर्शदाता।

इस समिति को आगे सात कारखानो से सबधित अभि नवीकरण की अलग-अलग योजनाओं को प्रस्तुत करने तथा निर्णयो के कार्यान्वयन के लिये विवरण प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है:--

(१) दि एलगिन मिल्स कं० लि०, कानपुर
(२) दि कानपुर टेक्सटाइल्स लि०, कानपुर
(३) दि कानपुर काटन मिल्स लि०, कानपुर
(४) दि स्वदेशी काटन मिल्स क० लि०, कानपुर
(५) दि म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर
(६) दि अथर्टन वेस्ट कं० लि०, कानपुर
(७) दि जे० के० काटन स्पिनिग ऐंड वीविग मिल्स कं० लि०, कानपुर

इस समिति मे विचार विनिमय अभी जारी हैं।

चीनी उद्योग में अध्ययन--

६--कार्य-कुशलता विभाग मे राज्य के निम्नलिखित २५ चीनी के कारखानों में भी जांच की है और नामकरण, काम करने वालो की स्तर संख्या, भंडार, कार्यालय तथा अधीक्षक कर्मचारी, गन्ना विभाग तथा प्रबन्धक कर्मचारियो के अभिनवीकरण से सबधित तथ्यो को संग्रह किया। चीनी के कारखानो द्वारा प्रस्तुत तथ्यो की जाच काम के स्थान पर जाकर की जा रही है :--

चीनी के कारखाने--

(१) रजा शुगर कं०, रामपुर
(२) बुलन्द शुगर क०, रामपुर
(३) श्री शादी लाल शुगर ऐंड जनरल मिल्स, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर
(४) सिम्भौली शुगर मिल्स, सिम्भौली (मेरठ)
(५) राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीनपुर (मेरठ)
(६) अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली (मुजफ्फरनगर)
(७) अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली
(८) अपर गैंजेज शुगर मिल्स, शिवहारा (बिजनौर)
(९) लक्ष्मी शुगर मिल्स, महोली (सीतापुर)
(१०) केसर शुगर वर्क्स, बहेरी (बरेली)
(११) न्योली शुगर फैक्टरी, न्योली (एटा)
(१२) रतन शुगर मिल्स क० लि०, शाहगज (जौनपुर)
(१३) सेक्सरिया शुगर मिल्स क० लि०, बभनान (गोंडा)
(१४) लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी (देवरिया)
(१५) राम कोला शुगर मिल्स राम कोला, (देवरिया)
(१६) देवरिया शुगर मिल्स, रामकोला (देवरिया)
(१७) श्री सीताराम शुगर क० बेतालपुर (देवरिया)
(१८) पडरौना राज कृष्णा शुगर वर्क्स, पडरौना, देवरिया

(१९) जगदीश शुगर मिल्स लि०, कठकुइया (देवरिया)
(२०) महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला (देवरिया)
(२१) ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, लक्ष्मीगज, देवरिया
(२२) डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच, गोरखपुर
(२३) श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद (बस्ती)
(२४) गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर (गोरखपुर)
(२५) बलरामपुर शुगर कं०, बलरामपुर (गोडा)

७—इस विभाग की कार्यवाहियो मे से एक कार्यवाही के रूप में एक औद्योगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला भी खोली गई है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का नाम १५ अगस्त सन् १९५५ से, जबकि मुख्य मत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी ने प्रयोगशाला का निरीक्षण किया "सम्पूर्णानन्द मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला" कर दिया गया है। प्रयोगशाला में श्रमिको की थकान को नापने के लिये आवश्यक यन्त्र लगे हैं। इसकी एक विशेषता सूती कारखानो में गुणाकन नियत्रण (क्वालिटी कट्रोल) के लिए नमूनो को तैयार करना और वास्तविक स्थितियो से संबधित समय मूल्याकन एव कुशलता सयोजनाओ को तैयार करना है। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर एक "पावर लूम" लगाया गया है। इस योजना को हथ-करघो क लिये भी लागू किया जा रहा है। सर्वाधिक प्रभावशाली समन्वय तैयार करने के लिये श्रमिको के अगसचालन के फिल्म ले लिये जाते है और विश्लेषण करके "थर्बलिग्स' तैयार किए जाते हैं। गति के अध्ययन को भी ऐसे स्तर पर सगठित किया जा रहा है, जो इस देश में अपने ढग का प्रथम कार्य है।

अध्याय ७

श्रम-विधान

बडे पैमाने पर औद्योगीकरण ने श्रमिक वर्ग को विस्तृत काम के घन्टो एव औद्योगिक थकावट, काम करने के स्थान पर गन्दा वातावरण, औद्योगिक खतरे, गन्दी बस्तियो मे जन-संख्या केन्द्रित होने, गन्दगी, औद्योगिक बीमारियो आदि के रूपो मे बुरी तरह से प्रभावित किया है। समाज बडे पैमान पर होने वाले उत्पादन का परित्याग नही कर सकता। किन्तु श्रमिक वर्ग की दशाओं के सुधार के लिये वह निश्चय ही उचित कदम उठा सकता है। श्रमिको को कुछ हद तक कम से कम लाभ पहुचाने वाली व्यवस्था की स्थापना के लिये श्रम विधान कर्म-चारियो के साधनों मे से एक है। आधुनिक औद्योगीकरण से सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है तथा श्रम-विधान उसे जितना हो सकता है कम करने का प्रयत्न करते है।

२—श्रम विधान अवश्य ही एक सामाजिक विधान है। औद्योगीकरण से सम्बन्धित समस्याओ को मोटे तौर से निम्नांकित स्तम्भो मे विभक्त किया जा सकता है :—

(१) काम की दशाये, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा तथा काम के स्थान मे कल्याण व्यवस्था,

(२) मजदूरी,

(३) औद्योगिक सम्बन्ध,

(४) व्यावसायिक सघ आन्दोलन,

(५) सामाजिक सुरक्षा,

(६) नियोजन के बाहर के स्थानो मे कल्याण कार्य,

(७) नियोजन तथा बेकारी, और

(८) विविध समस्याये।

३—ये समस्याये अनेक नई सामाजिक समस्याओ को जन्म देती है, जिनका कि वर्तमान औद्योगीकरण के पूर्व अस्तित्व भी न था। इसलिये सामान्य नागरिक कानून इन समस्याओ के समाधान के लिये पर्याप्त नही है और इसीलिये इनके समाधान के हेतु एक विशेष विधान, विशेष प्रविधि, विशेष व्यवस्था एव सबसे अधिक एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण ससार के लगभग सभी प्रगतिशील औद्योगिक देश स्वीकार कर चुके है। श्रम विधान, सामाजिक न्याय तथा इन समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण के अत्यन्त उदार सिद्धान्तों पर आधारित है जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संहिता मे व्यवस्था की गई है। प्रायः संसार के समस्त प्रगतिशील औद्योगिक देशो मे श्रम-विधान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सघ के समझौतो एव सिफारिशो पर ही आधारित किये जाते है।

४—सभी प्रगतिशील देशो की भांति भारतवर्ष में भी अपनी एक प्रगतिशील श्रम-संहिता का निर्माण करते समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सघ के समझौतो एव सिफारिशो से प्रेरणा

ली गई है। भारतवर्ष न १ जून, १९५५ तक अतर्राष्ट्रीय श्रम-सघ के २२ समझौतो की सपुष्टि की है, जिनमें से दो को बाद में अस्वीकृत कर दिया गया। भारत द्वारा स्वीकृत शेष २० समझौते नीचे दिय जा रहे हैः—

क्रम–सख्या	समझौतो की सख्या	विषय
१	१	काम के घण्टे (उद्योग)
२	४	रात्रि-कार्य (महिलाये)
३	६	युवा पुरुषो का रात्रि-कार्य (उद्योग)
४	११	संगठन का अधिकार (कृषि)
५	१४	साप्ताहिक विश्राम (उद्योग)
६	१५	न्यूनतम वेतन (ट्रिमर्स और स्टाकर्स)
७	१६	युवापुरुषो की औपचारिक परीक्षा (समुद्र)
८	१८	श्रमिको की क्षति-पूर्ति (व्यवसाय सम्ब धी बीमारियां)
९	१९	व्यवहार की समानता (दुर्घटना की क्षति-पूर्ति)
१०	२१	प्रवासी श्रमिको का निरीक्षण
११	२२	नाविकों के समझौते के अनुच्छेद
१२	२६	न्यूनतम वेतन निश्चित करने की व्यवस्था
१३	२७	तौल का अंकन (जल-पोत द्वारा भेजे गये पुलिन्दे)
१४	२९	अनधिकृत श्रम
१५	३२	दुर्घटनाओ से बचाव (डाकर्स) संशोधित
१६	४५	भूगर्भकार्य (महिलायें)
१७	८०	अन्तिम अनुच्छेदो का संशोधन
१८	८१	श्रम निरीक्षण
१९	८९	रात्रि में कार्य (महिलाये) (संशोधित)
२०	९०	युवा पुरुषो द्वारा रात्रि में कार्य (उद्योग) संशोधित

भारत द्वारा सपुष्ट उपयुक्त समझौतो के अतिरिक्त देश मे लागू अन्य श्रम कानूनो मे भी अतर्राष्ट्रीय श्रम समझौतो एव सिफारिशों की अनेक प्रमुख विशषेतायें निहित हैं, यद्यपि कुछ विशिष्ट कारणो से उन समझौतो पर पूर्णतया स्वीकृति देना अभी तक सम्भव नहीं हो सका हैं।

५—२६ जनवरी, १९५० से लागू हुये भारत के सविधान में भी सघ एव राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन पूर्ववत् बना हुआ ह। खानो तथा तेल-क्षेत्रो मे श्रमिक सुरक्षा और नियन्त्रण भारत सरकार के कर्मचारियो से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद तथा अन्तर्राज्य प्रव्रजन केन्द्रीय विषय हैं। कारखाने, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, व्यावसायिक सघ, औद्योगिक विवाद आदि सघ तथा राज्य दोनो के सह-विधानात्मक अधिकार-क्षेत्र है, सयुक्त अधिकार क्षेत्र के इनमें से किसी भी विषय पर भारतीय ससद् तथा राज्य विधान सभा दोनो ही को कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त है।

६—यद्यपि राज्य सरकारो को सह-विधानात्मक अधिकार के विषयो पर अपना-अपना पृथक् कानून बनाने का अधिकार हैं फिर भी पृथक् राज्य विधान का निर्माण केवल उन विषयो के सम्बन्ध में किया गया है, जिन पर कोई भी केन्द्रीय कानून लागू नहीं हैं अथवा जिन विषयो पर राज्य की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक पृथक् राजकीय विधान की आवश्यकता रही हैं।

७—श्रम नीति एव उससे सम्बन्धित विधानात्मक कार्यक्रम के निर्धारण में केन्द्रीय तथा राजकीय दोनों ही सरकारें अब त्रिदलीय परामर्श करती है। यह कार्यप्रणाली श्रम-विधान से प्रभावित होने वाले पक्षो अर्थात् मालिको एव श्रमिको का दृष्टिकोण जानने मे शासन की सहायता करती हैं।

८—इस देश में लागू किये गये श्रम-विधान को उसके अन्तर्गत आने वाली समस्याओं के अनुसार मोटेतौर पर ६ भागो मे विभाजित किया जा सकता हैः—

१—काम की दशायें, औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य के स्थान पर कल्याण-कार्य।

केन्द्रीय अधिनियम

(१) कारखाना अधिनियम, १९४८
(२) बाल नियोजन अधिनियम, १९३८
(३) बागान श्रम अधिनियम, १९५१

राज्य अधिनियम

(४) उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७।

केन्द्रीय अधिनियम

२—औद्योगिक सम्बन्ध

(५) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७
(६) औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०
(७) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

राज्य अधिनियम

(८) उत्तर देशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

३—वेतन

केन्द्रीय अधिनियम

(९) वेतन वितरण अधिनियम, १९३६

(१०) न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८

४—व्यावसायिक संघ

केन्द्रीय अधिनियम

(११) भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६

५—सामाजिक सुरक्षा

केन्द्रीय अधिनियम

(१२) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३

(१३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८

(१४) कर्मचारी प्राविडेण्ट फण्ड अधिनियम, १९५२

राज्य अधिनियम

(१५) उत्तर प्रदेशीय मातृका हितलाभ अधिनियम, १९३८

६—काम के स्थानो के बाहर श्रम-कल्याण

राज्य अधिनियम

(१६) उत्तर प्रदेशीय चीनी व मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम, १९५१

इन श्रम कानूनो के प्रशासन के हेतु उपयुक्त नियम बनाये गये है तथा उन्हें पालन कराने के लिये सरकार द्वारा उचित व्यवस्था भी की गई ह।

९—उपर्युक्त श्रम-कानूनो के अतिरिक्त ऐसे कुछ अन्य कानून भी है, जो यद्यपि श्रम-विषयो से सीधा सम्बन्ध नही रखते तथा इसलिए श्रम विभाग द्वारा प्रशासित नही होते फिर भी श्रम समस्याओ के लिये उनका बडा महत्व है। ऐसे कानून निम्नलिखित हैः—

(१) उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १९५१, जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार कुछ महत्वपूर्ण उद्योगो का नियमन व विकास करती है :—

(२) सख्या संग्रह अधिनियम, १९५३, यह सख्या अधिकारी को श्रम-सम्बन्धी तथा अन्य मामलो मे संख्या संकलन का अधिकार प्रदान करता है।

(३) उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग नियत्रण अधिनियम, १९३८

(४) चाय बागान प्रवासी श्रम अधिनियम, १९३२, जिसके द्वारा आसाम के चाय बागानो के लिये उत्तर प्रदेश के जिलो से भरती होने वाले श्रमिको का नियमन होता है। यह केन्द्रीय अधिनियम भी है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी प्रशासित होता है।

१०--बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ को केन्द्रीय सरकार न १ अप्रैल, १९५४ से लागू किया। अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो के मार्ग प्रदर्शन हेतु कुछ आदश नियम बनाये है, जिससे वे अपने अधिकार क्षेत्र मे इस अधिनियम के प्रशासन के लिये उपयुक्त नियम बना सक। उत्तर प्रदेशीय बाग नियमावली, १९५५ का प्रारूप जनता की आपत्तियो और सुझाव जानन के लिय प्रकाशित किया जा चुका है।

११--उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास अधिनियम को विधान सभा ने स्वीक कर लिया है एवं राष्ट्रपति ने उस पर स्वीकृति भी दे दी है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनने वाले मकानो के प्रशासन एलाटमेंट नियन्त्रण देखभाल किराया वसूली तथा अन्य मामलो के सम्बन्ध मे व्यापक व्यवस्था रहेगी।

१२--सन् १९५५ मे एक अन्य अधिनियम श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) अधिनियम, १९५५ केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ को श्रमजीवी पत्रकारो पर भी लागू कर दिया गया है।

अध्याय ८

श्रम-हितकारी काय

उत्तर प्रदेश का राज्य श्रमहितकारी कार्य में अग्रवा रहा है, क्योंकि श्रम-हितकारी कार्य को सगठित करने वाला यह प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा १९३७ में प्रारम्भ किए गये हितकारी-कार्य का लक्ष्य श्रमिको को श्रम-कल्याण केन्द्रो द्वारा चिकित्सा, स्वस्थ मनोरजन, खेल-कूद आदि का प्रबन्ध करके उनको भलाई और उन्हें सुखी बनाना था। श्रम-हितकारी कार्य का प्रारम्भ सन् १९३७ में छोटे रूप से केवल १० हजार रुपये से कानपुर में चार श्रम-हितकारी केन्द्र खोलकर हुआ। तबसे प्रतिवर्ष श्रम-हितकारी कार्य के लिये आवश्यक अनुदान तथा केन्द्रो में श्रम-कल्याण कार्यों का क्षेत्र तथा श्रम-हितकारी केन्द्रो की सख्या क्रमश. बढ़ती जा रही है। सन् १९५५ के वर्ष में श्रम-हितकारी केन्द्रो की कुल सख्या ४४ हो गई और बजट ८ लाख ८२ हजार ६ सौ रुपये तक बढा दिया गया।

२—श्रम-हितकारी केन्द्रो से श्रमिको को बड़ा लाभ हुआ और वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गये। श्रमिको के उत्साह को देखकर सरकार ने सन् १९३८-३९ में अनुदान दुगुना कर दिया और कानपुर तथा लखनऊ में दो और केन्द्र खोले गये। इसके अतिरिक्त ३५ मिली-मीटर की एक सिनेमा मशीन भी मजदूर-बस्तियो में मुफ्त सिनेमा दिखाने के लिए खरीदी गई।

३—सन् १९३९-४० में श्रमहितकारी कार्य के लिए अनुदान की रकम बढ़ाकर ३०,०० रु० कर दी गई और हितकारी केन्द्रो की सख्या बढाने के अतिरिक्त केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाओ का क्षेत्र भी अधिक व्यापक कर दिया गया। अब इनके कार्यक्रमों में संगीत, कवि-सम्मेलन, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कीर्त्तन, केन्द्रो एव मिलों की तमाम खेल-कूद प्रति-योगिताएं, रोगियो, बच्चो को दूध पिलाने वाली या माता बनने वाली स्त्रियो को तथा मजदूरो के क्षीण एव अर्द्धपोषित शिशुओ को नि:शुल्क दूध का वितरण भी शामिल है। मजदूर-बस्तियो में प्रसव के पूर्व, प्रसवकाल तथा उसके उपरात की देखभाल करने के लिए मिडवाइफें और दाइया हर एक केन्द्र में नियुक्त की गईं।

४—श्रम-हितकारी केन्द्रो की सख्या एव उनका कार्य प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहा। सन् १९५४ में तीन नये केन्द्र खोले गये और सन् १९५५ में एक और केन्द्र खोलने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी। इस प्रकार केन्द्रो की कुल संख्या ४५ हो गई।

५—श्रम-हितकारी कार्य के लिए १९५५-५६ के वर्ष में कुल अनुदान की रकम ८ लाख ८२ हजार ६ सौ रुपया है। प्रत्येक केन्द्र पर होने वाले औसत व्यय "अ" और "ब" श्रेणियो के केन्द्रो के लिए २१,४०० रु० और "स" श्रेणी के लिए १,५०० रु० होता है।

६—केन्द्रो के कार्यों के अनुसार उन्हें तीन श्रेणियो अर्थात् "अ" "ब" और "स" में विभाजित किया गया है। "अ" श्रेणी के प्रत्येक केन्द्र में एक एलोपैथिक दवाखाना,

महिला तथा शिशु विभाग, सिलाई विभाग, कमरे के अन्दर एव बाहर के खेल, जिमनाजियम, अखाडे, खेल के मैदान, वाचनालय तथा पुस्तकालय और मनोरजन के साधन जैसे रेडियो, हारमोनियम, ढोलक और तबला रहते है। प्रत्येक "ब" श्रेणी के केन्द्र मे प्राय वही सुविधाएं है, जो "अ" में है, केवल इनमे एलोपैथिक के स्थान पर होम्योपैथिक दवाखाने है। "स" श्रेणी के केन्द्रो अभी तक एक प्रकार के श्रमिको के क्लब थे, जिनमे कमरे के बाहर एवं भीतर के खेल, वाचनालय, पुस्तकालय तथा अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधन थे, अब इनमे अधिकाश केन्द्रो में यूनानी या आयुर्वेदिक दवाखानो का प्रबन्ध कर दिया गया है।

७--राज्य के विभिन्न उद्योगो में काम करने वाले श्रमिको, जैसे चाय बगीचो के श्रमिको अथवा चीनी उद्योग मे काम करने वाले मजदूरो के लिये अलग से केन्द्र खोले गये है। ये श्रम हितकारी केन्द्र उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरो मे निम्न प्रकार से स्थित हैं --

नगर का नाम	श्रम हितकारी केन्द्रो की सख्या	श्रम हितकारी केन्द्रो की श्रेणी			
		"अ"	"ब"	"स"	मौसमी
१	२	३	४	५	६
१--कानपुर	१५	६	५	४	
२--लखनऊ	४	२	२		
३--बरेली	२	.	१	१	.
४--मुरादाबाद	१	१			
५--सहारनपुर	२	१	.	१ १	.
६--गाजियाबाद	१	...	१		...
७--बनारस	१	१			..
८--मिर्जापुर	१	.	१		.
९--आगरा	१	१			
१०--फिरोजाबाद	२		१	१	.

१	२	३	४	५	६
११—अलीगढ़ .	२		१	१	.
१२—हाथरस (अलीगढ)	२		१	१	.
१३—इलाहाबाद .	१	१			.
१४—रुडकी .	१		.	१	.
१५—रम्पपुर	१	१			.
१६—झासी	१		१		
१७—हरबशवाला चायबगीचा (देहरादून) .	१		.	१	.
१८—हरबर्टपुर चाय बगीचा (देहरादून)	१	.		१	.
१९—रामकोला	१	१	.	.	.
२०—खतौली .	१		.		१
२१—बलरामपुर .	१	.	.	.	१
२२—राजा का सहसपुर	१		.	.	१
योग	४४	१५	१४	१२	३

८—एक नया "ब" श्रेणी का केन्द्र धौरा (झासी) में पत्थर खोदने वाले मजदूरो के कल्याण के लिए खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है और बहुत शीघ्र ही इस केन्द्र के प्रारम्भ होने की आशा है।

९—इस अध्याय के साथ लगी तालिका (१) से विभिन्न श्रेणियो के केन्द्रो में लगे कर्मचारियो का पता चलता है।

१०—खतौली (मुजफ्फरनगर), बलरामपुर (गोडा) और राजा का सहसपुर (मुरादाबाद) के श्रम कल्याण केन्द्र प्रति वर्ष गन्ना पेरने के दिनो मे अर्थात् नवम्बर से मार्च

तक काम करते है। ये केन्द्र चीनी के कारखानो मे काम करने वाले श्रमिको के लिए कमरे के अन्दर व बाहर के खेल तथा मनोविनोद के साधन, वाचनालय, रेडियो, हारमोनियम ओर तबला आदि का प्रबन्ध करते है। ये मौसमी केन्द्र बहुत सफल साबित हुए हैं और राज्य सरकार उन्हे पूरे वर्ष चलाने का विचार कर रही है। रामकोला (जिला देवरिया) का मौसमी केन्द्र सन् १९५५ मे स्थायी केन्द्र मे परिवर्तित कर दिया गया है।

११--श्रम हितकारी केन्द्रो के अतिरिक्त कानपुर मे, जहा क्षय का विस्तार सर्वाधिक है, राजकीय श्रम हितकारी राजयक्ष्मा चिकित्सालय खोला गया है। यहा पर केवल श्रमिको तथा उनके परिवार के लोगो को चिकित्सा सहायता मुफ्त दी जाती है। जिन श्रमिको का मासिक वेतन १०० रु० से अधिक है, उनसे एक्सरे तथा स्क्रीनिग का नाममात्र शुल्क लिया जाता है। इस चिकित्सालय मे १०० एम० ई० एक्सरे मशीन है तथा एक्सरे, स्क्रीनिग, ए० पी० और पी० पी० उपचार की समुचित व्यवस्था है। क्लिनिक मे दो पूर्ण कालिक पी० एम० एस०, द्वितीय श्रेणी के चिकित्सक, तीन हेल्थविजिटर्स, दो परिचारिकाये, दो कम्पाउण्डर, दो क्लर्क, दो अभिलेख रखने वाले, एक लेबोरेटरी असिस्टेन्ट, एक एक्स-रे टेक्नीशियन, एक अशकालिक पैथालाजिस्ट तथा अन्य छोटे कर्मचारी रहते है । सकट काल की आवश्यकताओ के लिए दो चारपाइयो का प्रबन्ध भी किया गया है। क्लिनिक मे रखे गये रोगियो को मुफ्त उपाहार भी दिया जाता है। सन् १९५५ मे इस चिकित्सालय में किये गये उपचार आदि का विवरण इस प्रकार है --

(१)	एक्सरे जाच .	१,४४०
(२)	स्क्रीनिग .	७,५११
(३)	उपचार किए गये रोगियो की सख्या .	३६,५३५
(४)	श्रमिक राज्य बीमा निगम, कानपुर द्वारा भेजे गये रोगियो की संख्या .	१,८७८
(५)	पैथोलाजिकल जाचो की संख्या ..	७,६९१

१२--श्रम कल्याण केन्द्रो की कार्यप्रणाली को पूरे तौर पर समझने के लिए एक केन्द्र के विभिन्न विभागो की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करना आवश्यक है। इन कार्यक्रमो का विवरण निम्नलिखित है:--

चिकित्सा सहायता

१३--इस समय श्रम कल्याण केन्द्रो के प्रत्येक एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखानो मे एक डाक्टर और उनकी सहायता के लिए दो कम्पाउण्डर रहते है। जब सन् १९३७ मे केवल चार केन्द्र खोले गये थे तब केवल एक अशंकालिक डाक्टर और एक कम्पाउण्डर रहता था किन्तु जब दवाखानो मे आने वाले रोगियो की सख्या बढने लगी तब पूर्णकालिक डाक्टर नियुक्त किए गये और कम्पाउन्डरो की सख्या भी बढा कर कर दी गई।

१४—सभी एलोपैथिक दवाखानो का निरीक्षण समय समय पर सबधित जिलो के सिविल सर्जन किया करते है और अधिक अच्छा प्रबन्ध करने के बारे मे उनका परामर्श श्रम विभाग को प्राप्त है। सन् १९५५ के पूर्व होम्योपैथिक दवाखानो के निरीक्षण के लिए कोई नियमित व्यवस्था न थी। इसलिए सन् १९५५ में एक मेडिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट (होम्योपैथिक) की भी नियुक्ति की गई। राज्य के ३४ केन्द्रो मे १४ एलोपैथिक, १४ होम्योपैथिक, ६ आयुर्वेदिक और कानपुर के कर्नलगज के केन्द्र मे एक यूनानी दवाखाना है, जैसा कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है:—

क्रमाक	केन्द्र का नाम	चिकित्सालय का प्रकार
१	२	३
१	ग्वालटोली, कानपुर	एलोपैथिक
२	गोविदनगर, कानपुर	'
३	चमनगंज, कानपुर	'
४	हरिहरनाथ शास्त्रीनगर, कानपुर	
५	जूही, कानपुर	''
६	सहारनपुर	'
७	मुरादाबाद	'
८	आगरा	''
९	बनारस	'
१०	गवर्नमेन्ट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ	'
११	इडस्ट्रियल हाउसिंग कालोनी, लखनऊ	
१२	निशातगज, लखनऊ .	
१३	रामपुर . .	''
१४	इलाहाबाद (गवर्नमेन्ट प्रेस)	"
१५	गोविन्दनगर "ब" कानपुर	होम्योपैथिक
१६	बाबूपुरवा, कानपुर	"

१	२	३
१७	दर्शनपुरवा, कानपुर	होम्योपैथिक
१८	डिप्टी का पडाव, कानपुर	,
१९	पुराना कानपुर	,
२०	फिरोजाबाद "ब"	
२१	हाथरस	,,
२२	अलीगढ	,,
२३	बरेली "स"	,,
२४	गवर्नमेन्ट ब्राच प्रेस, लखनऊ	,,
२५	झांसी	,,
२६	मिर्जापुर	,,
२७	गाजियाबाद ..	,
२८	हाथरस "स" अशकालिक	,,
२९	सहारनपुर "स"	आयुर्वेदिक
३०	फिरोजाबाद "स"	,
३१	अलीगढ "स"	,,
३२	रामनारायण बाजार "ब", कानपुर	,,
३३	मीरपुर, कानपुर	,,
३४	जाजमऊ, कानपुर	,,
३५	कर्नलगंज, कानपुर	यूनानी

१५--सन् १९५५ मे इन दवाखानो मे कुल १४,१४,९५९ रोगियों की चिकित्सा हुई। वर्ष में आपरेशनो की सख्या २,९०० और मरहम पट्टी की सख्या ४,६४,५३८ रही। मेडिकल अफसरो ने १,३२६ रोगियो को उनके घरो पर देखा।

१६--अभी तक देहरादून जिले के चाय बगीचो मे काम करने वाले मजदूरो को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाये प्राप्त न थी, परन्तु अब राज्य सरकार ने उनके लिए एक चल-चिकित्सालय चलाने के लिए धन की स्वीकृति दे दी है। एक एलोपैथिक डाक्टर व दो कपाउण्डर पूरे सामान सहित उस चल चिकित्सालय मे रहेगे।

महिला तथा शिशु विभाग

१७--श्रम कल्याण केन्द्रो का यह एक महत्त्वपूर्ण भाग है। प्रत्येक "अ" श्रेणी के केन्द्र मे दो मिडवाइफे, दो दाइयाँ और "ब" श्रेणी के केन्द्र मे एक मिडवाइफ तथा दो दाइयां केन्द्र मे आने वाली रुग्ण महिलाओ और बच्चो की देख-भाल के लिये है। "अ" और "ब" श्रेणी के केन्द्रो की दो दाइयो के अतिरिक्त इन केन्द्रो मे से प्रत्येक के लिये एक और दाई विशेष रूप से मिडवाइफ को, उसके काम मे सहायता करने के लिये सन् १९५५ मे नियुक्त की गई। वे केन्द्र मे आने वाले मजदूरो के बच्चो की मालिश करती और उन्हे नहलाती है। इसके अतिरिक्त वे सबेरे रोगियो, दूध पिलाने वाली व गर्भवती माताओ तथा बच्चो को दूध बाटती है। सन् १९५५ में इस प्रकार दूध पाने वालो की सख्या क्रमशः ३२,९९४, २९,४२१ तथा २,८०,५२८ थी। बाटे गए कुल दूध की मात्रा ८९,८३० सेर थी।

१८--इस वर्ष मक्खन निकाला दूध भी अनेक केन्द्रो मे श्रमिको को बाटा गया। शाम को ये मिडवाइफे बच्चो के खेल का प्रबन्ध करती और मजदूर बस्तियो में स्त्रियों को भोजन, रहन-सहन आदि के बारे में उचित परामर्श देने जाती है और गर्भवती तथा प्रसूतिकाओ को देखती है। वे श्रमिको के परिवार मे प्रसूति-काल मे मुफ्त सेवा करती हैं और आवश्यक दवाये तथा दूसरी चीजे उन्हे केन्द्रो के दवाखानो से दी जाती है। मिडवाइफो का कार्य सन् १९५५ मे निम्नलिखित रहा:--

१--प्रसव के पूर्व देखे गए मामले	३,५१२
२--प्रसवो की संख्या	३,०९५
३--प्रसवोपरान्त सेवा	३,१२९
४--घरो मे स्त्रियो को परामर्श दिए गए	१,१०,१९४
५--केन्द्रो मे जांच और परामर्श के लिये आने वाली स्त्रियो की संख्या	२,०३,५७९

१९--सन् १९५५ मे रोटरी क्लब, कानपुर में हरिहरनाथशास्त्री नगर, कानपुर के लिए खेल के मैदान का सामान उस केन्द्र मे आने वाली स्त्रियो और बच्चो के लिये दिया।

शिशु प्रदर्शिनी व बच्चों के मेले

२०--केन्द्र म विशेषकर बच्चो के लिये ही किए गए कामो का नियमित अग समय-समय पर शिशु-प्रदर्शिनी और शिशु-मेलो का आयोजन है। सन् १९५५ में ये कार्यक्रम और बडे पैमाने पर और अधिक बार किए गए।

नृत्य कक्षाएं

२१—श्रमिको के बच्चो मे सांस्कृतिक विकास का लक्ष्य लेकर कुछ केन्द्रो मे नृत्य-कक्षाये भी प्रारम्भ की गईं। सन् १९५५ मे ये कक्षाये बड़ी जनप्रिय हुईं और अब उनमे नियमित रूप से बडी सख्या में बच्चे आते है।

सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कक्षाये

२२—श्रमिको की स्त्रियो तथा लडकियो को सिलाई, बुनाई, कसीदा और कढ़ाई की कला सिखाने के लिये प्रत्येक "अ" तथा "ब" श्रेणी के केन्द्र मे सिलाई शिक्षिकाएं नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त दो सिलाई मशीने, कपडा, बुनाई के लिये, ऊनी धागे तथा सिलाई के डोरे आदि सरकार द्वारा इन कक्षाओ को दिए गए है। सिलाई-बुनाई की शिक्षा के अलावा अपना स्वय कपडा काटने और सीने की सुविधाये भी श्रमिको की स्त्रियो और लड़कियो को दी जाती है। जो स्त्रिया अपना कपडा या सिलाई का और सामान स्वय नही लाती है, उन्हे सरकार द्वारा कपडा तथा सिलाई का सामान दिया जाता है। सीखने वाली स्त्रियां, जो कपडा तैयार करती है, पहले उन्हे और यदि वे इनकार करती है तो लागत मूल्य पर दूसरो को बेच दिया जाता है। सिलाई, बुनाई आदि करने के लिये स्त्रियो को पारिश्रमिक भी दिया जाता है जो तैयार कपडे के मूल्य मे जोड दिया जाता है। इस प्रकार य सिलाई कक्षाये न केवल मजदूरो की स्त्रियो और लडकियो के खाली समय के सदुपयोग का अच्छा साधन है वरन् अतिरिक्त आय का भी साधन है। कुछ केन्द्रो के लिये, जहा सिलाई कक्षा मे जाने वालो की सख्या बढी, सिलाई की और मशीने खरीदी गई।

शिक्षणार्थिनियों के लिये पाठ्य-क्रम

२३—श्रम हितकरी केन्द्रो मे सिलाई, कढाई आदि की शिक्षा प्रणाली मे एक महत्वपूर्ण सुधार शिक्षण कक्षाओ की स्त्रियो तथा लडकियो के लिये एक नियमित शिक्षणक्रम का निर्धारण करना था।

२४—नीचे लिखे आकडो से इन कक्षाओ मे सन् १९५५ मे किए गए कार्य का पता चलता है :—

१—स्त्रियों और बच्चो की उपस्थिति	१,०७,०६२
(अ) शिक्षणार्थिनियो की सख्या	६३,८९१
(ब) वेतन भोगी ...	३०,७८४
(स) आकस्मिक शिक्षणार्थिनियो की सख्या	१२,३८७
२—तैयार कपडो की संख्या	३३,१४६
३—किए गए काम का अनुमानित मूल्य	९,७२७ रु० ४ आ० ३ पा०

मनोरंजन

२५—श्रम कल्याण केन्द्र श्रमिको, उनकी स्त्रियो तथा बच्चो के लिये कई प्रकार के मनोरजन के साधनो जैसे सिनेमाशो, रेडियो, सगीत कार्यक्रम, कीर्तन, लोकगीत व नृत्य तथा नाटकों का प्रबंध करते है।

२६—खुले मैदान में निःशुल्क दिखाये जाने वाले सिनेमा प्रदर्शन श्रमिको म बडे प्रिय है। इस काम के लिये श्रम हितकारी विभाग के पास एक ३५ एम० एम० तथा एक और १६ एम० एम० की टाकी सिनेमा मशीन है। इन मशीनो की सहायता से सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक शेक्षिक तथा सूचना-सबंधी चित्र मुफ्त दिखाये जाते है। यह विभाग केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी, नई दिल्ली का सदस्य भी है। मद्य-निषेध विभाग की सहायता से विभिन्न सरकारी श्रम हितकारी केन्द्रो में मद्यनिषेध सबधी स्लाइड भी दिखाये जाते है।

२७—रेडियो श्रमिको के मनोरजन का एक दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक केन्द्र मे एक रेडियो सेट है और श्रमिक नित्य सवेरे और शाम अखिल भारतीय आकाश-वाणी के विभिन्न केन्द्रो द्वारा प्रसारित समाचार तथा गीतो के कार्यक्रमो को सुनते है। आकाशवाणी के लखनऊ स्टेशन से प्रत्येक सोमवार को केन्द्रो से सबधित श्रम हितकारी समाचारो को भी सुनाया जाता है। इनके अतिरिक्त कानपुर के श्रमिको के गीत और अन्य कार्यक्रमो तथा श्रमिक सबधी समाचारो को प्रत्येक महीने के अतिम रविवार को आकाश-वाणी, लखनऊ से सुनाया जाता है। इस कार्यक्रम मे एकाकी नाटक, सगीत, वार्तालाप, बतकही तथा कीर्तन शामिल रहता ह।

२८—सगीत कार्यक्रम भी प्रत्येक केन्द्र मे लगभग हर महीने श्रमिको के मनोरजन के लिये संगठित किए जाते है। विभाग मे कई पूर्णकालिक तथा अशकालिक सगीतज्ञो को संगीत कार्यक्रमो का आयोजन करने के लिये नियुक्त किया गया है।

२९—१९५५ के वर्ष मे श्रम विभाग ने, इलाहाबाद के मलाका टोले मे स्थित सरकारी छापाखाने मे काम करने वाले श्रमिकों के मनोरंजन के लिये एक रेडियो, ढोलक व हारमोनियम दिया है। इसी प्रकार रिहान्द बांध (मिर्जापुर) में लगे श्रमिको के मनो-रंजन के लिये दो रेडियो व दो लाउडस्पीकर विभाग द्वारा दिए गए।

सामूहिक वाद्य (आर्केस्ट्रा)

३०—कानपुर के श्रम हितकारी केन्द्रो में सामूहिक वाद्य सगीत के लिये भी बाजों के साज रखे गए है। वहां श्रमिको को इसकी नियमित शिक्षा भी दी जाती है। समय समय पर तथा विशेष समारोहो के अवसर पर श्रम हितकारी केन्द्रो में सामूहिक वाद्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अपनी लोक प्रियता के कारण कई अवसरों पर इन कार्यक्रमो को आकाशवाणी, लखनऊ से प्रसारित भी किया गया है।

३१—नाटक खेलने के लिये रंगमंच, कपड़ों तथा दूसरी सामग्री का प्रबंध विभाग द्वारा किया जाता है। मनोरंजन के अतिरिक्त इन नाटकीय प्रदर्शनो से श्रमिको को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के भी अवसर मिलते है। सन् १९५५ में न केवल कानपुर म बल्कि कानपुर के बाहर भी कुछ नाटक खेले गए।

व्यायाम तथा कमरे के अन्दर तथा बाहर के खेल

३२—श्रमिकों के मनोरंजन के लिये कमरे के अन्दर के खेलो जैसे, कैरम, लूडो, पचीसी, शतरंज आदि की सुविधाये और उनके शारीरिक विकास के लिये

मैदानी खेल जैसे हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल और अखाडो का प्रबन्ध केन्द्रों में किया गया है। चना तथा तेल भी पहलवानो को मुफ्त दिया जाता है। कानपुर के १५ केन्द्रो में कमरे के अन्दर तथा बाहर के खेलो का संगठन करने के लिये एक खेल सुपरवाइजर है। कानपुर के बाहर के केन्द्रो में यह काम केन्द्रो के अधीक्षको तथा संगठनकर्त्ताओ द्वारा किया जाता है। सन् १९५५ मे कमरे के अन्दर तथा बाहर के खेलों के आंकडे निम्नलिखित है:—

१—कमरे के अन्दर और बाहर के खेलों मे उपस्थिति की सख्या .	४,८३,४१३
२—अखाडो मे उपस्थिति	१,१५,४६०

शैक्षिक सुविधाए

३३—श्रमिको के सास्कृतिक तथा ज्ञान विकास के लिये प्रत्येक केन्द्र मे एक पुस्तकालय तथा वाचनालय है। प्रत्येक पुस्तकालय में विभिन्न विषयो पर जैसे कविता, नाटक, जीवन चरित्र, कहानिया, उपन्यास आदि पर लगभग ३,५०० पुस्तके है। पुस्तके उन श्रमिको को दी जाती है जो पुस्तकालय के सदस्य है। सन् १९५५ मे श्रम-सबंधी पुस्तके, श्रम संबंधी-कानून, प्राविधिक तथा उद्योग-संबंधी विषयो पर खरीदी गईं। पत्रिकाए, विशेषकर बच्चो के काम की तथा स्वास्थ्य-सबंधी पत्रिकाएं भी खरीदी गई। वाचनालय के लिये और भी कई दैनिक और साप्ताहिक पत्र तथा मासिक पत्रिकाएं ली गईं। अनपढ़ श्रमिकों को समाचार पत्र केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा पढ़ कर भी सुनाये जाते है। सन् १९५५ में केन्द्रों की शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित आंकडे निम्नलिखित है:—

१—पुस्तकालय की सदस्यता .	३२,५६९
२—दी गई पुस्तके ..	५१,९८७
३—केन्द्र मे पढ़ी गई पुस्तके	२६,३९५
४—वाचनालय में उपस्थिति .	६,०४,६५४

३४—केन्द्रो के कार्यो का एक नियमित क्रम श्रमिको की ज्ञान-वृद्धि के लिये निम्न विषयों पर भाषणों का आयोजन है। श्रमिकों के साहित्यिक विकास और ज्ञान के लिये कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन भी होता है। वे बड़े जनप्रिय होते है और उनमें बड़ी संख्या मे श्रमिक उपस्थित होते है।

श्रमिक स्काउटिंग

३५—समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने के लिये श्रमिको तथा उनके बच्चों को श्रमिक स्काउट दलों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। ये दल कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, लखनऊ, गाजियाबाद, बनारस, सहारनपुर और इलाहाबाद में है। सन् १९५५ मे स्काउटो की कुल संख्या १,४१४ थी। सन् १९५४

से कानपुर मे गर्लगाइड्स का भी सगठन किया गया और सन् १९५५ मे दो ओर गर्ल्स गाइड्स का सगठन झासी और लखनऊ (ऐशबाग) मे किया गया। सन् १९५५ मे गाइड्स की सख्या २८८ थी।

३६—कैलाश मेला (आगरा), गोपालबगिया (झासी) का पचकुवा मेला, बिठूर (ब्रह्मावर्त) का कार्तिकी पूर्णिमा मेला, गगाघाट (उन्नाव), रानीघाट (पुराना कानपुर), सरसैयाघाट (कानपुर), भरतमिलाप मेला (बनारस), सिद्धनाथ मेला, जाजमऊ (कानपुर) और गाजियाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद मे रामलीला के अवसरो और बगाही (कानपुर) के चेहल्लुम मेले मे स्काउटो के सामाजिक शिविरो का सगठन किया गया।

स्काउट बैंड

३७—स्काउटिंग के कार्यो का एक अद्वितीय अंग एक पूरा स्काउट बैंड है, जिसको स्काउट ही बजाते है। इसके लिये उन्हे शिक्षा दी जाती है। इस बंड की सेवायें सर्व प्रथम विभाग द्वारा आयोजित सब समारोहो में विभाग को निःशुल्क मिलती हैं। श्रमिको को बैंड उनके निजी समारोहों पर रियायती दरो पर मिलता है और दूसरो को बाजार दर पर। बैंड के प्रयोग से प्राप्त धन का पचास प्रतिशत बैंड मे बाजो के बदलने, रक्षण या बढ़ाने के लिये व्यय किया जाता है और ५० प्रतिशत बैंड बजाने वालो को दिया जाता है।

३८—ये श्रम हितकारी स्काउट तथा गाइड दल भारत स्काउट्स तथा गाइड्स, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से संबंधित है।

३९—श्रमिक स्काउट दल ने जिला सेंटजान्स एम्बुलेंस, कानपुर की एम्बुलेंस प्रतियोगिता में भाग लिया और द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

श्रमहितकारी परामर्श समितिया

४०—श्रम हितकारी कार्य-संगठन के संबधों मे सरकार को समय समय पर परामर्श देने के लिये राज्य सरकार ने राज्य श्रम हितकारी परामर्श समिति, उत्तर प्रदेश का तथा १४ जिला श्रम हितकारी परामर्श समितियो का निर्माण सन् १९५१ में किया। इन समितियो मे श्रमिको, मालिकों तथा सामाजिक सस्थाओ के प्रतिनिधि सम्मिलित है।

४१—सन् १९५५ में इन समितियो के संगठन मे जनता के सब क्षेत्रो से सहयोग पाने की दृष्टि से, परिवर्तन किया गया। राज्य श्रम हितकारी परामर्श समितियो मे चार सामाजिक कार्यकर्त्ता बढ़ा दिए गए है और जिला श्रम हितकारी परामर्श समितियो का अध्यक्ष एक सरकारी अधिकारी होने के स्थान पर गैर सरकारी होगा। पुनस्संगठित राज्य श्रम हितकारी परामर्श समिति की बैठक नैनीताल मे ३ अक्तूबर, १९५५ को हुई, जिसमें कई प्रस्तावो पर विचार हुआ, जिनमे श्रमिको के लिये छुट्टी-केन्द्र खोलने, वर्तमान श्रम हितकारी केन्द्रो मे सुधार के सुझाव, कारखानो तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले हितकारी कार्यों मे सामञ्जस्य के लिये सुझाव और श्रमहितकारी टूर्नामेंटो के आयोजिन के प्रस्ताव शामिल थे। जिला श्रम हितकारी परामर्श समितियो का पुनस्सगठन किया जा रहा है।

श्रम हितकारी मंडल का निर्माण

४२——सरकार बहुत दिनों से एक श्रम हितकारी मंडल के निर्माण का विचार कर रही है, जिससे कि श्रम हितकारी कार्य को जनता तथा अन्य सामाजिक संस्थाओ के सहयोग से चलाया जा सके। इस दृष्टिकोण से सरकार ने एक विधेयक का प्रारूप श्रम हितकारी कोष विधेयक नाम से तैयार किया है और वह सरकार के विचाराधीन है।

श्रम हितकारी केन्द्र भवन

४३——श्रम हितकारी केन्द्रो के लिये उपयुक्त और बडे भवनो के प्रबंध की समस्या बहुत दिनो से कठिनाई उपस्थित करती रही है, क्योंकि घरो की कमी के कारण जैसा चाहिये वैसा स्थान श्रम हितकारी केन्द्रो के लिये नहीं मिलता। अधिकाश केन्द्र किराये के मकानों में चल रहे हैं, परन्तु श्रम विभाग जहां तक संभव हो, हितकारी केन्द्रो को विभागीय भवन का प्रबन्ध करने के लिये उत्सुक रहता है। इस समय ३ श्रम हितकारी केन्द्र तथा टी० बी० क्लीनिक विभाग की इमारतो में है। कानपुर मे श्रमिक बस्तियों की स्थापना होने पर अब विभाग भी इन बस्तियो में, जहा कि श्रमिक वर्ग के ही लोग रहते है और इसलिये जो कि श्रम हितकारी केन्द्रों के लिये सब से अधिक उपयुक्त स्थान हैं, वहा पर केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। अभी तक कानपुर मे ३ श्रमिक बस्तिया अर्थात् हरिहर नाथ शास्त्री नगर, गोविन्दनगर तथा बाबूपुरवा मे तथा ऐशबाग, लखनऊ में श्रमिक बस्ती मे श्रमहितकारी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

क्षय आरोग्य गृह (टी० बी०) सेनेटोरियम

४४——श्रमिको तथा उनके परिवारो के लिये कानपुर के आस पास कही टी० बी० सेनेटोरियम खोलने का प्रश्न भी सरकार के सामने सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

श्रम हितकारी कार्य के लिये स्थानीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता

पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी निम्नलिखित स्थानीय संस्थाओ तथा दूसरो से श्रम हितकारी कार्य संगठित करने के लिये सहायता मिली है:——

१——म्युनिसिपल बोर्ड, गनगोह, सहारनपुर		१०० रुपया
२——	,, आगरा	१०० रुपया
३——	,, कानपुर	२५० पौड पाउडर दूध
४——	,, अलीगढ	२५० रुपया
५——	,, मुरादाबाद	३०० रुपया
६——जिला नियोजन अधिकारी, लखनऊ		१५० रुपया
७——	,, आगरा	६० रुपया
८——	,, देवरिया	५०० रुपया
९——	,, झासी	१३९ रु० २ आ० ३ पाई

श्रम हितकारी कार्यों में लगे हुए संगठनों को आर्थिक सहायता

४६—श्रम हितकारी कार्यों मे लगे हुए सामाजिक सेवा सगठनो को भी विभाग से आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया। सन् १९५५ मे निम्नलिखित सगठनो को, जो श्रम हितकारी कार्य मे लगे थे, श्रम विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी गई:—

	रु०
१—भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स, कानपुर	१२५
२—सूर्यनगर एसोसियेशन, कानपुर	१२५
३—राष्ट्रीय व्यायाम शाला, दर्शनपुरवा, कानपुर	१००
४—मजदूर पुस्तकालय, झासी	१००
५—ग्राम सेवा समाज, सत्तीचौरा, कानपुर	१२५
६—श्रमिक स्काउट विद्यालय, गान्धीनगर, कानपुर ...	७५
७—सेवा सघ हरिजन विद्यालय, नवाबगंज, कानपुर..	१००
८—महेश विद्या मन्दिर, सत्तीचौरा, कानपुर	१००
९—आर्यनगर सेकेण्डरी स्कूल, कानपुर ...	७५
१०—कोहली राजपूत जूनियर हाई स्कूल, कानपुर	७५
११—हरिहरनाथ शास्त्री श्रम हितकारी केन्द्र, पीलीभीत	७५
१२—क्लर्क और बाजार कर्मचारी सघ, आगरा	२,०००
१३—मजदूर सभा, इलाहाबाद	४,०००
१४—राष्ट्रीय टेक्सटाइल मजदूर यूनियन, कानपुर	१२,०००
योग	१९,०७५

वार्षिक प्रतियोगिताएं और समारोह

४७—प्रतिवर्ष सितम्बर से फरवरी तक कानपुर के श्रम हितकारी खेल-कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन होता है। इनमे कबड्डी, रस्साकशी, वालीबाल, फुटबाल, तीन मील की दौड़, एक मील की दौड, ४४० गज की दौड़, तकिया युद्ध, लम्बी कूद, ऊची कूद, शटल रिले दौड़, बोरा दौड, आदि कार्यक्रम होते है। इस वर्ष ३५६ टीमो ने वालीबाल, हाकी, फुटबाल, कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी, कैरम, शतरन्ज और क्रिकेट मे भाग लिया और खेल कूदों में ६०० नाम लिखाये गए। कानपुर के बाहर विभिन्न केन्द्रो मे भी इन खेल कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न केन्द्रो में बहुत से विशेष कार्यक्रम होते हैं। अत केन्द्रीय खेल भी सगठित किये जाते है, जिनमे कानपुर के बाहर के श्रम हितकारी केन्द्र भी भाग लेते हैं।

४३—परिशिष्ट २ मे दिये गये विवरण से सरकारी श्रम हितकारी केन्द्रो के गत ५ वर्षो मे किये गये विभिन्न कार्यो का पता चलता है।

परिशिष्ट १

विभिन्न प्रकार के श्रम हितकारी केन्द्रों में सामान्यत निम्नलिखित कर्मचारी रखे जाते हैं :—

"अ" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र

	पदों की संख्या
डाक्टर (१२०–४–१६०–८–२०० रु०)	१
कम्पाउण्डर (४५–२–६५–३–८०–४–१०० रु०)	१
मिडवाइफ (४५–२–६५–३–८०–४–१०० रु०)	१
सिलाई शिक्षिका (३०–१½–३९–१½–४५–२–६५ रु०)	१
चपरासी एवं चौकीदार (२७–१/२–३२ रु०)	२
नौकरानी (२७–१/२–३२ रु०)	१
मेहतर (२७–१/२–३२ रु०)	१
हितकारी अधीक्षक (१२०–८–२००–१०–३०० रु०)	१
रेजीडेण्ट गाइड तथा क्लर्क (६०–३–९०–४–११० रु०)	१
दायी (२७–१/२–३२ रु०) ...	१
"ब" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	
सहायक हितकारी अधीक्षक (७५–५–१२०–८–२०० रु०)	१
डाक्टर (होमियोपैथिक) (७५–५–१२०–८–२०० रु०)	१
रेजीडेण्ट गाइड व क्लर्क (६०–३–९०–४–११० रु०)	१
कम्पाउण्डर (४५–२–६५–३–८०–४–१०० रु०)	२
मिडवाइफ (४५–२–६५–३–८०–४–१०० रु०)	१
सिलाई शिक्षिका (३०–१½–३९–१½–४५–२–६५ रु०)	१
गायक (२५ मासिक बधे हुए रु०)	२
नौकरानी (२७—३२ रु०)	१
चपरासी और चौकीदार (२७—३२ रु०)	२
मेहतर (२७–१/२–३२ रु०)	१
दायी (२७–१/२–३२ रु०)	१
"स" श्रेणी के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	
गाइड व क्लर्क (६०–३–९०–४–११० रु०)	१
आर्गनाइजर (३०–१½–४५–२–६५ रु०)	१
वैद्य (७५–५–१२०–८–२०० रु०)	१
कम्पाउण्डर (४५–२–६५–३–८०–४–१०० रु०)	१
चपरासी एवं चौकीदार (२७–१/२–३२ रु०)	२
मेहतर (२७–१/२–३२ रु०)	
मौसमी श्रम हितकारी केन्द्र	
आर्गनाइजर (६०–३–९०–४–१०० रु०)	१
चपरासी एव चौकीदार (२२–१/२–२७ रु०)	१

परिशिष्ट २

सन् १९५० से सन् १९५५ तक राजकीय श्रम हितकारी आंकड़े

		१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
१		२	३	४	५	६	७
स्वास्थ्य उपचार–सुविधा							
नये रोगी		३,५९,५४८	३,९४,६६०	४,२०,३३०	८,८४,३५२	४,५७,५८७	४,४३,७३८
पुराने रोगी		६,९४,०३०	७,२७,५३२	७,८२,९६७	९,१५,१८७	९,६५,१३९	९,७१,२२०
कुल सख्या		१०,५३,५७८	११,२२,१९२	१२,०३,२९७	१३,९९,५३९	१४,२२,७२६	१४,१४,९५९
आपरेशन	...	४,०१५	४,३०४	३,५८२	३,४८५	३,३०९	२,९००
मरहम–पट्टी आदि	...	२,१७,९६७	२,१४,३७०	२,२२,७९६	२,५०,४०४	३,३१,८०५	४,६४,५३८
कुल उपस्थिति	...	१२,७५,५६०	१३,४०,८६६	१४,२९,६७५	१६,५३,४२८	१७,५७,८४०	१८,८२,३९६
विजिट्स	...	२,१३५	१,३५६	१,२७०	१,४३७	१,७२८	१,३२६
इन्जेक्शन	—	—	—	—	—	—	१०,९१३

१	२	३	४	५	६	७
दुग्ध–वितरण						
रोगियो की सख्या	..	..	...	...		३२,९९४
प्रसूताएं और संभावित मातायें		.	..	.	.	२९,४२१
बच्चे .	..	..	...	...	.	२,८०,५२८
कुल संख्या			...		.	३,४२,९४३
अन्य दूसरे	..	...	...	..		८,१८९
दुग्ध वितरण की मात्रा (सेरो में)	.				.	८९,८३०
शारीरिक व्यायाम						
मैदान के खेल	२,९३,४१९	२,८१,२९४	३,४६,३५८	४,०९,१६९	३,९७,०७७	४,८३,४१९
व्यायाम .	१,०६,२१७	९८,५५५	१,२१,५७४	१,७२,४७४	२,४९,४५७	१,१५,४६०
वाचनालय						
सदस्यता	२४,४६१	२५,२६६	२५,५३४	२७,२४८	२७,०३७	३२,५६९
वितरित पुस्तके ..	३३,४५९	२५,६४३	२६,२६१	३६,५१४	३९,७४५	५१,९८७

१	२	३	४	५	६	७
केन्द्र में पठित	३०,६७६	२३,२९३	२५,६८४	२८,७८२	२१,५००	२६,३९५
उपस्थिति	५,५९,७५३	५,०३,७८५	५,२१,२१८	६,२९,०५३	६,००,५३७	६,०४,६५४
श्रोता	१,२३,५३६	८७,२७९	७६,७०५	१,०५,५८७	९२,९९८	९२,७८६
प्रौढ़ कक्षाएं						
कुल उपस्थिति	—	—	—	—	—	१०,३६६
मनोविनोद						
कमरे के अन्दर के खेल	५,३८,५८२	५,४०,९५१	८,६९,६२२	६,६६,०७०	६,२७,४४३	६,६१,९९३
संगीत कार्यक्रम	९८,७३४	७१,०६१	७३,०७३	१,३५,५९३	१,०२,५७०	१,१९,२४५
विशेष रेडियो कार्यक्रम	५,०२,९०४	५,७९,१३०	६,५१,१५७	८,१८,९०३	८,५६,२६९	१०,९४,५५५

१	२	३	४	५	६	७
कार्यक्रमो की सख्या	७४२	७६४	८६४	७७५	५९१	१,७६१
आकड़े	२,२१,१०५	१,५७,९१८	२,१७,४८८	२,९६,२३६	१,७३,४४५	५,५१,०४६
बच्चो का कल्याण						
स्नान और मालिश	१,४५,०८५	१,४४,३३१	१,५४,८२४	२,०४,२३३	२,२५,८०८	२,३९,३७०
कमरे के अन्दर के खेलो मे	१,९५,८९९	१,९०,१२३	१,९२,४२८	२,५२,४०९	२,९७१	३,११,३७७
मैदान के खेलो मे	१,३५,२९४	१,४५,०४६	१,४७,५५१	२,०३,३८८	२,२८,४३०	२,४७,५०७
मातृका कल्याण						
प्रसव के पूर्व के मामले	६,६३४	३,१९३	३,१९३	३-३४६	३,११९	३,५१२
प्रसव के मामले	२,०७७	१,९४६	१,८२०	२,४८२	२,५९५	३,०९५
प्रसव के बाद के मामले	१,९८५	१,९४९	१,८२३	२,५१९	२,६०५	३,१२९
घरो पर परामर्श	६८,०३१	५८,०९०	६०,५०४	९१,५३०	९९,०९७	१,१०,११
घर जाकर देखने की संख्या		१८,३००	१८,९०८	२५,०११	२३,८४०	२४,३३७

१	२	३	४	५	६	७
केन्द्रो मे परामर्श के लिये आने वाली स्त्रिया	१,४४,५१२	१,४५,२५४	१,६२,२२९	१,८७,४०२	२,११,२१५	२,०३,५७१
सिलाई की कक्षाए						
पजियो में लिखे नाम	३,९१७	३,८७५	४,९८१	४,६९५	५,०९९	३,८२८
स्त्रियों एव बच्चो की उपस्थिति	—	—	—	—	—	१,०७,०६२
आकस्मिक शिक्षणर्थिनियां	७६२	३,६१७	४,७२३	८,८७८	१०,५५९	१३,३८०
तैयार वस्तुए ..	१७,२८८	२०,०२८	२१,७३७	२४,६६६	२५,[illegible]५६	३३,१४६
किये गये कार्य का अनुमानित मूल्य	६,३३१ रु०	७,६९४ रु० २ आना ९ पाई	८,२५५ रु० १ आना	९,१६६ रु०	९,३२१ रु० १४ आना	९,७२७ रु० ४ आना ३ पाई

टिप्पणी—दुग्ध वितरण से सम्बन्धित आंकडे १९५५ के पूर्व भिन्न आधार पर संकलित किए गए थे, जिसके फलस्वरूप वह १९५५ के आकडो के साथ वस्तुतः तुलनीय नही है, अतएव उन्हें तुलनात्मक तालिका में नहीं दिखाया गया।

अध्याय ८

व्यावसायिक संघ

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने राज्य मे व्यावसायिक संघ आन्दोलन के स्वस्थ और समुचित विकास तथा भारतीय व्यावसायिक सघ अधिनियम, १९२६ के प्रशासन के लिये राज्य के श्रमायुक्त के कार्यालय मे सन् १९४७ मे एक व्यावसायिक संघ विभाग खोला। सन् १९४७ के पूर्व श्रमायुक्त स्वय ही व्यावसायिक सघो के रजिस्ट्रार थे किन्तु उनके कार्य और उत्तरदायित्व के बढने पर सरकार ने प्रति श्रमायुक्त को व्यावसायिक संघो का रजिस्ट्रार नियुक्त किया। अब राज्य का एक प्रति श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक संघों के रजिस्ट्रार का कार्य करते हैं। उनकी सहायता एक व्यावसायिक संघो के सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक सघ निरीक्षक, दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षक तथा कार्यालय के अन्य कर्मचारी करते हैं।

२--सन् १९५५ मे तत्कालीन प्रति श्रमायुक्त श्री उदयवीर सिह ने श्री महेश-चन्द पत के प्रशिक्षण के लिये अमेरिका चले जाने के कारण १५ फरवरी, सन् १९५५ तक व्यावसायिक सघो के रजिस्ट्रार का कार्य किया। अमेरिका से लौटने के बाद श्री पन्त ने उस पद को १६ फरवरी से सभाला और वर्ष के शेष भाग मे उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक संघो के रजिस्ट्रार पद पर काम किया। व्यावसायिक संघो के सहायक रजिस्ट्रार व्यावसायिक संघ विभाग के अधिकारी के रूप मे भारतीय व्यावसायिक सघ अधिनियम के प्रशासन से संबधित समस्त कार्य करते रहे। नियमित निरीक्षण तथा सभी प्रकार की शिकायतो और अनिय-मित कार्यो के सबंध मे जाच का कार्य व्यावसायिक सघ निरीक्षक तथा सहायक व्यावसायिक सघ निरीक्षको द्वारा होता रहा।

३--निम्नलिखित विवरण से राज्य मे व्यावसायिक सघ आन्दोलन की प्रगति का स्पष्ट चित्र ज्ञात हो जायगा।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक संघो की वृद्धि और विकास

४--आगे की तालिका सख्या १ द्वारा राज्य मे व्यावसायिक सघ आन्दोलन के उत्तरोत्तर विकास की प्रगित एक दृष्टि मे ही जानी जा सकती है। प्रमाणित व्यावसायिक संघो की संख्या, जो सन् १९४५-४६ के अन्त में केवल ८१ थी, बराबर बढ़ती जा रही है। सन् १९५३-५४ की समाप्ति पर उनकी सख्या ६३७ थी। ३१ दिसम्बर सन् १९५५ को राज्य में ७५१ प्रमाणित व्यावसायिक सघ थे, जिनमे मालिको के व्यावसायिक संघ भी सम्मिलित है। सन् १९५५ मे नये प्रमाणित और अप्रमाणित किए गए व्यावसायिक सघो की सूची इस समीक्षा के दूसरे भाग मे मिलेगी।

५—नीचे लिखे आकडो से सन् १९४५–४६ से आगे वार्षिक विवरण भेजने वाले प्रमाणित व्यावसायिक संघो के प्रमाणित किये जाने तथा उनकी सदस्यता की प्रगति का पता चलता है :—

तालिका १

आर्थिक वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर प्रमाणित व्यावसायिक सघो की सख्या	वार्षिक विवरण भेजने वाले व्यावसायिक संघो की संख्या	वार्षिक विवरणो के आधार पर वर्ष के अन्त में सदस्य संख्या
१	२	३	४
१९४५—४६	८१	५२	६०,०३१
१९४६—४७	२११	१२१*	१,३९,११५
१९४७—४८	२९५	२१८*	२,२७,५५३
१९४८—४९	४५८	३१४*	२,३५,१५५
१९४९—५०	५३०	३४६†	२,२३,४११
१९५०—५१	५७२	३८१†	१,९५,६९६
१९५१—५२	५४२	४१८†	२,०७,९२८
१९५२–५३	५८१	४३६†	२,३१,३९८
१९५३–५४	६३७	४७६	१,६४,०९७

* १ महासघ के अतिरिक्त

† २ महासघो के अतिरिक्त

६—सन् १९५३–५४ के अन्त मे व्यावसायिक सघो के कुल सदस्यो की संख्या सन् १९५२–५३ से कम है। सदस्यो की इस कमी का कारण यह है कि राज्य के तीन बड़े व्यावसायिक सघो ने सन् १९५३–५४ के अपने वार्षिक विवरण नही भेजे है। इसके अतिरिक्त कानपुर के ६ सूती व्यावसायिक सघो ने अपने को मिला कर एक नया संघ सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर के नाम से बना लिया है।

७—उपर्युक्त तालिका में सन् १९५४–५५ के आंकडे इसलिये नही दिए जा सके है कि उक्त वर्ष के वार्षिक विवरणो की अभी भी जांच हो रही है और कुछ वार्षिक विवरण अभी आ भी रहे ह ।

८—मार्च, १९५५ मे उत्तर प्रदेश में ७०१ प्रमाणित व्यावसायिक सघ थे । इन ७०१ सघों मे से ६१ का प्रमाणीकरण (रजिस्ट्रेशन) सन् १९५३–५४ मे वार्षिक विवरण न भेजने के कारण समाप्त कर दिया गया। एक सघ को सन् १९५४–५५ का विवरण न भेजने के कारण भी अप्रमाणित कर दिया गया है । कुछ संघो का प्रमाण–पत्र इसलिये रद्द कर दिया गया है कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था । चार सघों का नाम व्यावसायिक संघो के रजिस्टर से इसलिये निकाल दिया गया कि वे अन्य सघो में शामिल हो गए। इसलिये सन् १९५४–५५ का वार्षिक विवरण ६३१ (७०१–७०) संघो से प्राप्त करना था, जिनमें दो महासंघ भी शामिल है। इनमें से सघो के ५०१ के वार्षिक पत्र मिल गए है, जिनकी सदस्य सख्या ३१ मार्च, सन् १९५५ को कुल मिलाकर १,५७,१८२ थी। इसके अतिरिक्त २ बडे सघो ने जिनसे २२ व्यावसायिक संघ सबधित है, सन् १९५४–५५ के अपन वार्षिक विवरण–पत्र भेजे है। प्रमाणित व्यावसायिक संघो के पदाधिकारियो ने रिपोर्ट दी है कि वे सन् १९५४–५५ के अपने विवरण–पत्र कुछ ऐसे कारणो से भेजने मे असमर्थ है, जो उनके नियंत्रण के बाहर है। उनके प्रमाण–पत्र जांच के बाद आगे चलते रहे। कुछ विवरण–पत्रों की जांच अभी हो रही है। भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम, १९२६ की धारा १० (बी) के अन्तर्गत १२३ संघो को नोटिस दिए गए हैं।

९—नीचे की तालिका से, जो अन्य राज्यों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तुत की गयी है, भारत के अन्य राज्यो की तुलना में उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक सघ आन्दोलन के विकास का कुछ आभास मिल सकेगा:—

तालिका २

राज्य का नाम	३१ मार्च सन् १९५४ तक प्रमाणित व्यावसायिक सघो की सख्या		
	व्यावसायिक संघ	महासघ	कुल योग
१	२	३	४
१—पश्चिमी बंगाल ..	आंकडे प्राप्त नही		
२—बम्बई .	८०७	५	८१२
३—मद्रास ..	५६६	३	५६९
४—उत्तर प्रदेश .	६३५	२	६३७
५—त्रावणकोर–कोचीन .	६४३	२	६४५

१		२	३	४
६—बिहार	..	४३५	६	४४१
७—हैदराबाद		३११	२	३१३
८—पूर्वी पंजाब	.	अप्राप्य		
९—मध्य प्रदेश		१४३	२	१४५
१०—दिल्ली	.	अप्राप्य		
११—उड़ीसा	.	अप्राप्य		
१२—आसाम	.	११७	१	११८
१३—सौराष्ट्र		अप्राप्य		
१४—मध्यभारत		६२	२	६४
१५—राजस्थान	.	अप्राप्य		
१६—भोपाल	.	२१	.	२१
१७—पेप्सू		१०		१०
१८—विन्ध्यप्रदेश	..	१६	..	१६
१९—कुर्ग	..	४	..	४

नीचे दी गई तालिका सन् १९५२–५३ के अत में औद्योगिक वर्गीकरण तथा पुरुष एव स्त्री सदस्यो की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रमाणित व्यावसायिक संघो के वितरण का दिग्दर्शन कराती है। इस तालिका के आंकडे व्यावसायिक सघो द्वारा भेजे गए सन् १९५३–५४ के वार्षिक विवरण-पत्रो के आधार पर दिए गए हैः—

तालिका ३

उद्योग का वर्गीकरण	सन् १९५३–५४ का विवरण पत्र भजने वाले व्याव–सायिक सघो की सख्या	सन् १९५३–५४ मे सदस्यो की संख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग
१	२	३	४	५
१—कृषि एव संबधित कार्य				
(क) बगीचे ...	६	६९५	५०६	१,२०१
(ख) घानियां और कोल्हू		..	.	...
(ग) अन्य ..	९	१,००८	१	१,००९

१	२	३	४	५
२—खदान और खनन ..	–	–	–	–
३—कारखाने				
(क) खाद्य, पेय और तमाखू	११५	५१,८८४	१२५	५२,००९
(ख) वस्त्र	३४	२१,१५८	२१७	२१,३७५
(ग) तैयार कपड़े जूता आदि	१०	७,९७१	९	७,०८०
(घ) लकडी और काग	२	१५६	३७	१९३
(ङ) कागज और कागज की वस्तुएं	३	८५४	.	८५४
(च) छपाई, प्रकाशन तथा अन्य सबंधित व्यवसाय	२१	४,५९२	२	४,५९४
(छ) चमड़ा और चमड़े की वस्तुए	५	४,१२४	२२	४,१४६
(ज) रबड़ की वस्तुए	२	१६८		१६८
(झ) रासायनिक और उसकी वस्तुए	२१	४,०३७	२३	४,०६०
(ञ) अधातविक खनिज वस्तुए	१	८१२	..	८१२
(ट) मूल धातविक उद्योग	१२	२,२९१	.	२,२९१
(ठ) धातविक वस्तुए. .	११	७८६		७८६
(ड) मशीनरी ..	८	२,४७४	३	२,४७७
(ढ) परिवहन सामग्री	१	२२	.	२२
(ण) अन्य ...	२	४२०	३	४२३
४—निर्माण ...	२	३१३		३१३
५—बिजली, गैस तथा पानी स्वच्छता की सेवायें	४८	७,४१८	४८३	७,७०१
६—वाणिज्य				
(क) अ—थोक तथा फुटकर व्यापार	२३	३,०७४	९	३,०८३
(ख) ब—बैंक और बीमा	११	३,०७२	२	३,०७४
(ग) स—अन्य .	१०	१,०७०	८	१,०७८

१	२	३	४	५
७—परिवहन भंडार तथा यातायात				
(क) रेलवे	१२	२०,७२८	१३	२०,७४१
(ख) ट्रामवे ..		..	...	...
(ग) मोटर परिवहन	१८	२,८८५	८	२,८९३
(घ) जहाजी मल्लाह	.	.	...	
(ङ) बंदरगाह .	..	..	..	
(च) डाक एव तार	१	२,१७९		२,१७९
(छ) अन्य	७	१,५०३		१,५०३
८—सेवाएं	४३	१०,६७८	२००	१०,८७८
९—विविध	३८	५,९३४	४०	५,९७४
कुल योग	४७६	१,,६२,३८६	१,७११	१,६४,०९७

महासघ	सन् १९५३–५४ में संबधित व्यावसायिक संघों की संख्या
१	२
३—निर्माण	
(ज) खाद्य, पेय और तम्बाकू — १	१८
१	१८

११—सन् १९५३–५४ के लिये वार्षिक विवरण–पत्र भेजने वाले व्यावसायिक सघों की सदस्य सख्या की दृष्टि से वितरण नीचे की तालिका ४ मे दिया गया है। इस तालिका से पता चलता है कि पाँच सौ से कम सदस्य सख्या वाले छोटे सघो की अधिकता है। ५० से कम सदस्य सख्या वाले संघो का प्रतिशत सब से अधिक २४·६ है। केवल दो सघो की सदस्य सख्या १० हजार से ऊपर है :—

तालिका ४

क्रम संख्या	सदस्यो की सख्या	सघो की संख्या	सघो को कुल सख्या का प्रतिशत	कुल सदस्य सख्या	सब संघो की कुल सदस्य संख्या का प्रतिशत
१	५० से कम	११६	२४.६	३,८२४	२.४
२	५० और सौ से नीचे	७८	१६.६	५,४६८	३.३
३	१०० और १५० से नीचे	५१	१०.८	६,१४६	३.८
४	१५० और २०० से नीचे	४३	९.१	७,४६५	४.५
५	२०० और २५० से नीचे	३३	७.०	७,५९७	४.६
६	२५० और ३०० से नीचे	११	२.३	२,९७७	१.८
७	३०० और ३५० से नीचे	१६	३.४	५,३६०	३.३
८	३५० और ४०० से नीचे	१८	३.८	६,७४५	४.१
९	४०० और ४५० से नीचे	१२	२.६	५,२०२	३.२
१०	४५० और ५०० से नीचे	९	२.०	४,३४०	२.६
११	५०० और १,००० से नीचे	५४	११.५	३८,१३९	२३.२
१२	१,००० और २,५०० से नीचे	२५	५.३	३५,६००	२१.७
१३	२,५०० और ५,००० से नीचे	२	०.४	५,७१२	३.५
१४	५,००० और १०,००० से नीचे	१	०.२	८,४००	५.१
१५	१०,००० के अधिक	२	०.२	२१,१२२	१२.९
	योग .	४७१*	१००.०	१,६४,०९७	१००.०

*नोट :—५ सघो को छोड कर, जिन्होने अपने विवरण–पत्र भेजे है, परन्तु सदस्यों की सख्या सूचित नही की है।

१२—तालिका संख्या ५ में उत्तर प्रदेश में गत १० वर्षों में अर्थात् १९४४–४५ से लेकर १९५३–५४ तक की व्यावसायिक संघ आन्दोलन की प्रगति दिखलाई गई है :—

तालिका ५

वर्ष	नए प्रमाणित हुए व्यावसायिक सघो की संख्या	वर्ष के के अन्त में प्रमाणित संघो की संख्या	वार्षिक विवरण-पत्र भेजने वाले प्रमाणित संघो की कुल सख्या	वर्ष की समाप्ति पर विवरण–पत्र भेजने वाले सघो की सदस्य संख्या			प्रतिसघ औसत सदस्य सख्या	गत वर्ष की अपेक्षा सदस्य संख्या में वृद्धि (+) या कमी (–) का प्रतिशत
				पुरुष	स्त्री	योग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९४४–४५	११	४९	४३	५५,९७८	६७०	५६,६४८	१,३१७	(+) ५७.३
१९४५–४६	३८	८१	५२	५८,९६५	१,०६६	६०,०३१	१,१५४	(+) ६०
१९४६–४७	१४७	२११*	१२१*	१,३७,४५५	१,६६०	१,३९,११५	१,१५०	(+)१३१.७
१९४७–४८	१७२	२९५	२१८*	२,२५,९९६	१,५५७	२,२७,५५३	१,०४४	(+)६३.६
१९४८–४९	१८०	४५८	३१४*	२,३२,५४२	२,६१३	२,३५,१५५	७५३	(+)३.३
१९४९–५०	१४७	५३०	३४६†	२,२१,३६५	२,०४६	२,२३,४११	६४६	–५.०

१९५०–५१	१३२	५७२†	३८१†	१,९३,७९६	१,८९७	१,९५,६९६	५१८‡	(–)१२.४
१९५१–५२	९१	५४२	४१८†	२,०५,८२८	२,१००	२,०७,९२८	५००@	(+)६.२
१९५२–५३	१०८	५८१	४३६†	२,२९,१४८	२,२५०	२,३१,३९८	५३१	(+)११.३
१९५३–५४	१११	६३७	४७६§	१,६२,३८६	१,७११	१,६४,०९७	३४८	(–)२९.०८

टिप्पणी :—

* एक महासंघ के अतिरिक्त।

† रामपुर व्यावसायिक सब कानून, १९४२ के अन्तर्गत प्रमाणित ७ संघो को मिलाकर, २ महासंघों को छोड़ कर।

‡ १९५०–५१ में औसत सदस्य संख्या ३७८ संघों के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि तीन संघों की सदस्यता ज्ञात नहीं है।

@ सन् १९५१–५२ में सदस्य संख्या का औसत ४१६ संघो के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि २ सघो की सदस्य संख्या ज्ञात नहीं है।

§ औसत सदस्य संख्या ४७१ के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि ५ संघों को सदस्य सख्या निश्चित नहीं की जा सकी।

१३—पिछली तालिका से यह ज्ञात होगा कि वार्षिक विवरण-पत्र भेजने तथा सदस्यता में सन् १९४५-४६ के पश्चात् व्यावसायिक सघों को उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सन् १९४९-५० और १९५०-५१ की समाप्ति पर सदस्य सख्या में कमी का कारण यह है कि कुछ बड़े संघों ने अपने विवरण नहीं भेजे, कुछ सघ अपनी सदस्यता सख्या भेजने में असमर्थ रहे और विवरण भेजने वालों में अधिकता अपेक्षाकृत छोटे संघों की थी।

नीचे दी गयी तालिका ६ में राज्य के प्रमाणित व्यावसायिक सघो के सामान्य कोष, नकद तथा पूंजी (नकद के अतिरिक्त) के गत १० वर्षों के अर्थात् १९४४-४५ से १९५३-५४ तक के आकडे संघो द्वारा भेजे गए वार्षिक विवरण-पत्र के आधार पर दिखाए गए हैः—

तालिका ६

वर्ष	सामान्य कोष	नकद	नकद के अतिरिक्त पूंजी
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१९४४-४५	२६,४४४	१९,७०६	१८,४२८
१९४५-४६	४२,३४१*	१,०५,७६६	३०,८६३
१९४६-४७	९२,६८५*	१,२९,३४०	९८,७०९
१९४७-४८	२,१०,३३६*	१,८३,५९९	६१,१७०
१९४८-४९	२,७४,३३२	२,२७,८८६	७७,०९६
१९४९-५०	२,९४,१६१	२,२५,४२२	१,०२,५६१
१९५०-५१	३,५६,२११	२,५४,५७५	१,३०,०२२
१९५१-५२	४,०५,१२९	२,७९,३६६	१,७६,२९९
१९५२-५३	३,८३,७५९	२,६२,०४०	१,५९,७८९
१९५३-५४	४,४२,०५३	३,१७,८९४	१,६८,३१३

*सही किए गए आकड़े।

१४—उपरोक्त तालिका से ज्ञात होगा कि सामान्य कोष, नकद तथा नकद के अतिरिक्त अन्य पूंजी में पूर्व वर्ष की तुलना मे सन् १९५३-५४ में कुछ वृद्धि हुई है।

१५—सन् १९५५ में व्यावसायिक संघ निरीक्षको द्वारा किए गए निरीक्षणो और जांचों को सख्या निम्नलिखित रही :—

	निरीक्षणो की सख्या	जाचो की सख्या	कुल सख्या
१	२	३	४
१—व्यावसायिक संघ निरीक्षकों द्वारा	१२९	५०	१७९
२—दो सहायक व्यावसायिक संघ निरीक्षको द्वारा	२०१	२८	२२९
योग	३३०	७८	४०८

१६—नियमित निरीक्षणों में निरीक्षकों ने व्यावसायिक संघों के पदाधिकारियो एवं अन्य सक्रिय कार्यकर्त्ताओ को अभिलेखों के रखने और अपने कर्त्तव्यो के उचित रूप से करने के संबंध में परामर्श दिये। निरीक्षको द्वारा साधारणतः यह देखा गया कि (१) व्यावसायिक संघों के पदाधिकारी हिसाब-किताब को ठीक प्रकार से रखने की ओर पर्याप्त ध्यान नही देते, (२) व्यय की स्वीकृति के लिये नियमित पद्धति का पालन नही किया गया, (३) संघों के कोष को बैंक या डाकघर में सुरक्षित नही रक्खा गया, (४) सघों के रजिस्टर्ड सविधानो के उपबंधों का पालन नहीं हुआ, और (५) कुछ मामलो में व्यावसायिक सघ अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन भी देखा गया। निरीक्षणों के समय देखी गयी त्रुटियो के संबंध में संघों से पत्र-व्यवहार हुआ और अधिकांश मामलो में आदेश पालन हुआ। जांचो का संबंध अधिकांशतः सदस्यो द्वारा कोष के दुरुपयोग, चुनाव, विघटन, सघों के एकीकरण मे अनियमितताओं नए रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध शिकायतो आदि से था। कई मामलो में जहा चुनावो को अनियमित पाया गया, रजिस्ट्रार द्वारा सबधित पदाधिकारियो को निर्देश दिये गए कि चुनाव बिल्कुल रजिस्टर्ड संविधानों के अनुसार किए जायं। इन आदेशो की पूर्ति की गयी।

१७—यह अनुभव किया गया है कि निरीक्षण प्रणाली से व्यावसायिक सघ आन्दोलन के स्वस्थ पथ पर विकसित होने मे बडी सहायता मिली है।

१८—आलोच्य वर्ष में राज्य के २१ प्रमाणित व्यावसायिक संघो ने परामर्श के लिये प्रार्थना-पत्र दिए और कानूनी परामर्शदाता द्वारा दो श्रमिक सघों को सलाह दी गई।

अध्याय १०

औद्योगिक आवास

भोजन एव वस्त्र के बाद उपयुक्त आवास-स्थान की आवश्यकता का महत्व आता है। आवास तथा लोगो के स्वास्थ्य एव कल्याण का निकट सबध है। अच्छे मकानों का अर्थ है घरेलू जीवन की सभावना, प्रसन्नता तथा स्वास्थ्य जबकि बुरे मकानों से गंदी आदतें, शराबखोरी, बीमारी, अनैतिकता तथा अपराध की वृद्धि होती है। इस समय आवास की समस्या सरकार के समक्ष उपस्थित समस्याओ में से एक है। वास्तव में अनेक वर्षों तक मकानो की कमी लम्बे पैमाने पर बढती रही और हालत बहुत अधिक खराब होती गई। १९२१ के बाद जन-सख्या मे वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रो मे जन-सख्या के स्थानानन्तरण, अपेक्षाकृत अधिक अच्छे वेतन एव अन्य विभिन्न सुविधाओं से युक्त नगरो में व्यापार एवं उद्योग के विकास, देश के विभाजन के अनन्तर नगरी क्षेत्रो में बसने के लिये प्रयत्नरत विस्थापितों के आगमन के फलस्वरूप अस्तव्यस्त कस्बो एवं नगरो का विकास हुआ, जिनमें अधिकाशतया उपस्तर के मकान तथा भद्दी किस्म की बनी गन्दी, अधेरी, भीडदार एवं पानी व प्रकाश की अनिवार्य सुवि-धाओ से रहित कच्ची झोपडियां है। कानपुर के हातो द्वारा प्रस्तुत शोचनीय दृश्य इस सब का एक उदाहरण है। भूतकाल मे कई बार औद्योगिक आवास की समस्या को हल करने के प्रयत्न किए गए। किन्तु सदैव ही उसके समक्ष संतोषजनक हल कारगर सिद्ध नहीं हुआ।

२---उत्तर प्रदेशीय सरकार विगत अनेक वर्षों से औद्योगिक आवास की समस्या पर सक्रिय रूप से विचार करती रही है और इस समस्या को प्रभावपूर्ण ढग से हल करने के उपायों एव साधनो को ढूंढ निकालने के लिये प्रयत्नशील रही। किन्तु समस्या की दुरूहता तथा आर्थिक कठिनाइयो के सामने १९५२ के वर्ष तक उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। १९५२ के वर्ष मे फिर भी राज्य सरकार द्वारा श्रमिको के मकान बनाने संबंधी दो योजनायें हाथ में ली गयो। अतएव १९५२ का वर्ष राज्य के औद्योगिक आवास के इतिहास में अति-महत्वपूर्ण माना जायगा। मकान निर्माण सबधी प्रथम योजना राज्य के चीनी उद्योग में प्रारंभ की गई और मकान निर्माण सबंधी दूसरी योजना भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अपनायी गयी। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत मकानों के निर्माण में हुई प्रगति का अगले अनुच्छेदो से परिचय प्राप्त होगा।

राज्य के चीनी कारखानो में श्रमिक मकानों के निर्माण की प्रगति

३---सरकार द्वारा गृह निर्माण की योजना के श्रीगणेश के लिये सर्वप्रथम चीनी उद्योग को चुना गया। उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्य सार उद्योग श्रम कल्याण एवं विकास कोष नामक एक कोष ऐच्छिक समझौते द्वारा शीरे की बिक्री पर लगाए गए उपकर से तैयार किया गया। सरकार ने १९५१-५२ में इस कोष में ४१,४६,३०० रुपये जमा किये। इसमें से राज्य के चीनी कारखानो में नियोजित श्रमिकों के लिये मकान निर्माण के लिये ४०,६३,३७४ रु०

(कुल धन का ९८ प्रतिशत) रखे गए। शेष धन अन्य सामान्य कल्याण एव विकास कार्यों के लिए रक्षित कर दिया गया। इसके बाद १९५३–५४ के वर्ष में ४,९१,३०० रु० और जमा किए गए, जिनमें से ४,८१,४७४ रु० (कुल धन का ९८ प्रतिशत) और अधिक मकान बनाने के लिये और शेष धन अन्य सामान्य कल्याण एवं विकास कार्यों के लिये रखे गए।

४—उत्तर प्रदेशीय चीनी एव मद्यसार उद्योग श्रम कल्याण एव विकास कोष अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत कोष द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त योजनाओ को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये श्रम आयुक्त की अध्यक्षता मे आवास मडल की स्थापना की गई।

५—श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति भी बनाई गई। जिसका काम राज्य सरकार एवं आवास मडल को उन मामलो में परामर्श देना है जिनपर अधिनियम के अन्तर्गत वे समिति से परामर्श करने के लिये अधिकारी है, इसके अलावा अन्य विषयो पर भी जो अधिनियम के प्रशासन से सबधित हो।

६—स्वीकृत ढंग एव स्तर के मकानो के वास्तविक निर्माण की जिम्मेदारी नियोजकों की है। इसके लिये कुल कोष से राज्य सरकार द्वारा उन्हे धन दिया जाता है। राज्य के ६५ चीनी के कारखानो मे १,५०० मकान बनाने के लिये ४१,४६,३०० रु० का प्रारभिक धन दिया गया। इन ६५ चीनी के कारखानो मे से ४ कारखानो ने योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया फलस्वरूप इन कारखानो को पहले दी गयी १,६८,८५२ रु०की धनराशि को ४,८१,४७४ रु० की पूरक सहायता मे जोड दिया गया। ६,५०,३२६ रु० के इस अतिरिक्त धन से कुछ अतिरिक्त मकान बनाने का निश्चय किया गया। निर्माण कार्य पूर्ण संतोष-जनक रूप से गतिवान है। सरकार कारखानो को सभी प्रकार की सुविधाए, जैसे कच्चा माल, प्राविधिक पथ-निर्देशन तथा योजनाओ एवं नक्शों का बनाना आदि प्रदान करती है। एक एवं दो कमरे वाले मकानो के निर्माण का अनुमानित व्यय उत्तर प्रदेशीय सरकार के नगर एव गांव संयोजक द्वारा प्रति मकान क्रमश. २,०४० रु० व ३,८०५ रु० कूता गया। यह लागत मकानो को बनाने वाले कारखानो को उनके द्वारा की गयी प्रगति के अनुसार दिया जाता है और पूर्ण भुगतान निर्माण-कार्य पूरा हो जाने पर किया जाता है।

७—१९५५ के वर्ष में ६ और कारखानो ने निर्माण-कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार योजना में भाग लेने वाले कुल कारखानो की सख्या ५० हो गई। शेष में से १५ कारखानों मे से, जो निर्माण कार्य प्रारंभ नही कर सके, १० के पास भूमि नही है। भूमि प्राप्त करने की कार्यवाहिया प्रगति पर है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही भूमि प्राप्त हो जायगी। एक विशेष कारखाने के समक्ष इस समय कुछ आर्थिक कठिनाइयां है। चार कारखानो ने योजना में भाग लेने मे इन्कार कर दिया। इन ४ कारखानो के लिये निर्धारित धन रद्द कर दिया गया और उसे योजना में सम्मिलित अन्य कारखानो मे वितरित कर दिया गया। ३१ दिसम्बर, १९५५ तक राज्य के ५० चीनी के कारखानों द्वारा १,१०९

मकान बनाए जा रहे थे, ३१ दिसम्बर, १९५५ को निर्मा -कार्य की प्रगित का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

वह स्थिति, जहा तक निर्माण पूरा हो चुका	मकानों की सख्या
१	२
१—पूरी तरह से तैयार मकान	८९९
२—छत एव छत पड जाने की सतह तक	४८
३—छत की सतह तक किन्तु छतें नही पडी	७६
४—नीव की सतह तक	३२
५—नीव की सतह के नीचे	३
६—छत पड जाने तथा पलस्तर आदि लगाये जाने तक	५१

८—आलोच्य वर्ष में चीनी के कई कारखानों को उनके द्वारा पूरा किए गए कार्य के आंशिक भुगतान के रूप मे ४,९५,६०६ रु० १२ आने दिए गए। इस प्रकार अब तक कुल मिला कर २०,३०,८४९ रु० ७ आना दिए गए। कुछ कारखानो में मकानों का उद्-घाटन उत्सव भी सम्पन्न किया गया और इन मकानो में श्रमिक रहने भी लगे है।

भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तगत मकानों के निर्माण की प्रगति

९—इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो द्वारा अपनाई गई निर्माण योजनाओ के लिये निर्माण कार्य को वास्तविक लागत का ५० प्रतिशत तक सहायता और इतना ही ऋण देती है।

१९५२ के वर्ष में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार को कानपुर में २ २१६ तथा लखनऊ में ५६० मकान बनवाने के लिये ७५ लाख रु० की धनराशि दी। कानपुर में ३,७५० मकान बनाने के लिये १,०१,२५,००० रु० और दिए गए। १९५४ के वर्ष में भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में ७,४०० मकान बनवाने के लिये १,९०,८०,००० रु० दिए।

१०---३ वर्ष की अवधि में राज्य के विभिन्न स्थानों में १३,४२६ मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। विभिन्न चरणों के अन्तर्गत मकान निर्माण तथा उन्हें श्रमिकों को रहने के लिये देने की प्रगति निम्नांकित हैः---

प्रथम चरण

११---कानपुर में २२१६ और लखनऊ में ५६० मकान बनाये जाने को थे। यह सभी मकान बन कर तैयार हो चुके है और श्रमिकों को रहने के लिये दिये जा चुके है।

द्वितीय चरण

१२---कानपुर में ३,७५० मकान बनाए जाने को थे। सभी बनकर तैयार हो चुके हैं और २,१४६ श्रमिकों को रहने के लिये दिए जा चुके हैं। शेष मकानो का दिया जाना तथा उन पर श्रमिकों द्वारा अधिकार करने का कार्य पूरा किया जा रहा है।

तृतीय चरण

१३---विभिन्न स्थानो में बनाए जाने वाले मकानों की संख्या निम्नांकित है :---

स्थान	बनाए जाने वाले मकानों की संख्या	बनाए गए मकानो की सख्या	विभिन्न स्थितियों तक बने मकान		
			छत की सतह तक	नीव की सतह तक	नीव की सतह के नीचे तक
१	२	३	४	५	६
कानपुर ..	३,४००	३,३९०	८	२	
आगरा .	१,२९६	..	१,२७८		
फिरोजाबाद	१,०००	१,०००			
इलाहाबाद .	५०४	५०४	.	..	
बनारस	५००				..
मिर्जापुर ..	९६	७२	२४		.
सहारनपुर ..	६०४	.	६०४	..	

१४—बनारस में मकान नहीं बनाए जा सके क्योंकि वहां स्थान उपलब्ध नहीं हो सका। अब यह अलीगढ़ और कानपुर (जाजमऊ) में बनाए जा रहे हैं।

चतुर्थ चरण

१५—१९५५ के वर्ष में भारत सरकार ने इस चरण के अन्तर्गत ६,७९३ मकान बनवाने के लिये २,०९,४५,१६० रु० की और धनराशि की स्वीकृति दी। इस संख्या में परिवर्तन होने को है क्योंकि भूमि की लागत अधिक है। भूमि की लागत अधिक होने के फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत निर्धारित लागत-सीमा के अन्तर्गत स्थान के चुनाव में कठिनाई पैदा हो रही है। इस चरण के अन्तर्गत कुछ स्थानो में बनाने के लिये भूमि ले ली गयी हैं और काम प्रारम्भ हो चुका है। जबकि अन्य स्थानो में भूमि प्राप्त करने का काम चल रहा है। इस चरण के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में मकानों के निर्माण की प्रगति निम्नांकित है :--

स्थान	बनाए जाने वाले मकानो की संख्या	बनाए जा चुके मकानो की संख्या	विभिन्न स्थितियों तक बने मकान		
			छत की सतह तक	नींव की सतह तक	नींव की सतह के नीचे तक
१	२	३	४	५	६
कानपुर .	५,२४५		३९२	७४८	१०२
रामपुर ...	१०८	..	८	८४	१६
गाजियाबाद .	३००	.	...	...	..
नैनी .	२१६		...	...	
लखनऊ .	४९२			.	
गोरखपुर ..	१०८	.			
बरेली ..	१०८	..	..		.
हाथरस ..	२१६	...	..	..	..

१६—चतुर्थ चरण के अन्तर्गत अधिकांशतया हातो के स्थान पर या उनके निकट मकान बनाए जा रहे हैं। सभी हाते, जहां भूमि प्राप्त कर ली गई है, गिरा दिए गए हैं। और हातों में रहने वाले श्रमिकों को योजना के अन्तर्गत बने मकान दिये गए हैं। इस

चरण के अन्तर्गत मकान एक कमरे वाले दुमंजिला तथा दो कमरे वाले दुमंजिला बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने एक कमरे वाले मकानो के लिये २,७०० रु० तथा दो कमरे वाले मकानों के लिये ३,४९० रु० निर्धारित किए हैं।

१७—सभी मकानो में सीवर पानी के नल तथा बिजली की व्यवस्था की गई हैं। बस्तियो में पार्कों, हितकारी केन्द्रो एवं किराएदारो के हितार्थ औषधालयो, बच्चो की शिक्षा के लिये स्कूलों तथा रहने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिये बाजारो की व्यवस्था की गई है। इन बस्तियों की सफाई का प्रबन्ध नगरपालिकाओ के अधीन है। और वे उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करती है जिनकी व्यवस्था नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत अन्य स्थानों में की जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिये कानपुर की एक श्रमिक बस्ती में एक ट्यूबवेल बनाया जा रहा है।

१८—योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानो के प्रशासन, देने तथा रक्षण के लिये १९५५ मे राज्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास अधिनियम नामक एक अधिनियम स्वीकृत किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति भी दे दी है। आशा की जाती है कि यह शीघ्र ही लागू हो जायगा। जब तक यह लागू नहीं होता सरकार ने मकानो को देने, नियंत्रण करने तथा रक्षण आदि के कार्य को श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर को सपा है।

१९—१९५५ के वर्ष में कानपुर में २,९९८ मकान तथा लखनऊ में ४४ मकान श्रमिकों को रहने के लिये दिए गए। कुछ प्रशासकीय कारणों से मकान को लेने के समय जमानत के रूप में श्रमिको द्वारा जमा किये जाने वाले धन को १० रु० से बढ़ा कर १५ रु० कर दिया गया। आलोच्य वर्ष मे जमानत के रूप में ४३,०४५ रु० प्राप्त हुए। इन्हे मिलाकर कुल ६८,०६५ रु० जमानत के रूप में प्राप्त हो चुके है। मकानों को खाली करते समय एलाट करने की कुछ शर्तो के अनुसार जमा की गई जमानत श्रमिको को वापस कर दी जाती हैं।

२०—उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेशीय राजकीय स्थान (किराया प्राप्त तथा बेदखली) अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारी घोषित किए गए हैं और बकाया किराया अब अधिनियम की धारा ४ व ६ के अन्तर्गत वसूल किया जाता है।

२१—आलोच्य वर्ष में श्रमिक किराएदारो से किराया तथा बिजली के व्यय के रूप में २,९८,२८१ रु० ११ आना ३ पाई राजकीय राजस्व के रूप मे वसूल किए गए है।

२२—१९५५ के वर्ष में भारत सरकार ने सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत ६२० मकान बनवाने के लिये विभिन्न नियोजको एवं संस्थाओ को सहायता के रूप मे ४,२७,५३१ रु० तथा ऋण के रूप मे ८,६३,०७७ रु० दिए है। सरकार ने हिन्द लैम्प लिमिटेड, शिकोहाबाद को २४ मकान बनाने के लिये गत वर्ष स्वीकृत १३,५६० रु० की सहायता को वापस ले लिया है।

२३—नए मकानो के बनाने के साथ ही समान महत्वपूर्ण यथासंभव वर्तमान गंदे हातों का सुधार भी है, जिससे कि वे रहने योग्य बनाये जा सके। कानपुर के श्रमिक हातों की गंदी एवं हानिकारक दशाओं मे सुधार करने के लिये भी कदम उठाए जा रहे है। डेवलपमेंट बोर्ड गंदे हातो के स्थान पर योजना के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत नये मकान बनवा रहा है। निम्न तालिका मे उन स्थानो का उल्लेख है, जहा चतुर्थ चरण के अन्तर्गत मकानो का निर्माण चल रहा है, साथ ही प्रत्येक स्थान पर बनाये जाने वाले मकानो की भी संख्या दी गई है:—

क्रमांक	स्थान	एक कमरे वाले कई मंजिला मकान	दो कमरे वाले कई मंजिला मकान	योग
१	२	३	४	५
१	रुक्मिणी देवी का हाता .	१०८	७२	१८०
२	फोर्ड ऐण्ड मैक्डानेल्ड लिमिटेड के पीछे की भूमि	२५२	२५२	५०४
३	राम नारायण गर्ग का हाता	..	२६४	२६४
४	बेनाझाबर .	५६४	७२	६३६
	योग	९२४	६६०	१,५८४

उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक आवास अधिनियम

२४—जैसे ही १९५२ के वर्ष में भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत श्रमिको के मकानो का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ, वैसे ही इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानो के प्रशासन, रक्षण, मरम्मत एवं प्रबंध आदि के लिए एक उपयुक्त प्रशासकीय व्यवस्था की आवश्यकता को इस राज्य की सरकार ने अनुभव किया। अतएव उत्तर प्रदेशीय आवास विधेयक नामक विधेयक का प्रारूप १९५३ के वर्ष में तैयार किया गया। वास्तविक रूप में इस विधेयक को १९५४ के वर्ष में राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। १९५५ के वर्ष के अंत में इस राज्य में निर्मित श्रमिक मकानों की संख्या १३,४२६ तक पहुंच गई और इन मकानो के प्रशासन एवं प्रबंध के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था अति आवश्यक हो गई। यह विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और भारत के राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है और शीघ्र ही उसे लागू किया जायगा। इस अधिनियम में इस राज्य में बने मकानो के प्रशासन एवं प्रबंध के लिए एक आवास आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में ऐसे मामलों, जैसे देने एवं खाली कराने, किराया वसूली तथा मकानो के प्रशासन, रक्षण, मरम्मत एवं प्रबंध से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए व्यवस्था की गई है। मकानो के प्रशासन से सम्बन्धित ऐसे मामलों में परामर्श देने के लिए अधिनियम में एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जिन्हे आवास आयुक्त परामर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

———

अध्याय ११

चीनी उद्योग के श्रमिकों को दशा सुधारने के लिए कार्य

उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था मे चीनी उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने के कारण उसके श्रमिको की समस्याओ की ओर सरकार समुचित ध्यान देती रही है। और उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने समय-समय पर अनेक व्यवस्थाये की है। निम्नलिखित पक्तियों में सरकार द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण दिया जा रहा है :—

वेतन-वृद्धि

२—चीनी उद्योग मे सन् १९४६ तक मजदूरी कम थी राज्य सरकार ने सन् १९४६ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना श्रमिक (मजदूरी) जाच समिति की नियुक्ति उस समय प्रचलित मजदूरी की जांच के लिये की। और उसकी सिफारिश पर न्यूनतम सम्पूर्ण मजदूरी ३६ रुपया मासिक नियत कर दी गई। बाद मे सन् १९४७-४८ और १९४८-४९ में गन्ना पिराई के मौसम में और वेतन-वृद्धि की गई। और न्यूनतम सम्पूर्ण मजदूरी बढ़ाकर क्रमश. ४५ और ५५ रुपया प्रतिमास कर दी गई। न्यूनतम सम्पूर्ण मजदूरी ५५ रुपया महीना नियत करने के अतिरिक्त ऊचे वेतन पाने वालो की भी सन् ४५-४६ के मजदूरी के स्तरो के ऊपर निर्धारित दरों से वेतन-वृद्धि दी गई। सन् १९५४ तक इन वेतन-वृद्धियों को देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आदेश दिये जाते रहे। चीनी के कारखानो को सन् ४५-४६ के पिराई के मौसम में प्रचलित मजदूरी के ऊपर निम्न ढग से वेतन-वृद्धि देने के लिये आदेश दिये गये :—

सन् १९४५-४६ में मजदूरी स्तर		मजदूरी मे की गई वृद्धि
१—२२ रुपया ८ आना	...	३२ रुपया ८ आने की वृद्धि।
२—२३ रुपये से ३० रुपये	...	३२ रुपया ८ आने की वृद्धि
३—३१ रुपये से ४० रुपये	.	२८ रुपया १४ आने की वृद्धि
४—४१ रुपये से ५० रुपये	..	२६ रुपया ८ आने की वृद्धि
५—५१ रुपये से १०० रुपये	.	२४ रुपये की वृद्धि
६—१०१ रुपये से २०० रुपये		वेतन का २४ प्रतिशत
७—२०१ रुपये से ३०० रुपये	..	वेतन का १८ प्रतिशत

३—सन् ५५ में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत पृथक आदेश निकालने के स्थान पर, जैसा कि अभी तक होता रहा है, न्यूनतम वेतन निर्धारित करने तथा वेतन वृद्धि देने के सरकारी आदेशों को स्थायी आदेशों में शामिल कर दिया गया और उनका पुनर्मार्जन करके चीनी के कारखानों पर लागू कर दिया गया।

बोनस

४—चीनी के कारखानों में बोनस ने कम-बेस प्रतिवर्ष दिये जाने वाले भुगतान का रूप धारण कर लिया है। सरकार प्रतिवर्ष आदेश निकालती रही है कि किस हिसाब से प्रत्येक पिराई के मौसम के लिये चीनी के कारखाने बोनस देंगे। चीनी उद्योग में बोनस का सम्बन्ध साधारणतया चीनी के उत्पादन से है। चीनी उद्योग में बोनस के भुगतान का विस्तृत विवरण सन् १९५४ के वार्षिक समीक्षा में दिया गया है।

५—सन् १९५३-५४ के पिराई के मौसम से सम्बन्धित बोनस के भुगतान के बारे में सरकारी आदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) बोनस कारखाने के उन सभी कर्मचारियों को दिया जायगा, जिन्होंने पिराई के पूरे मौसम में वेतन और मजदूरी पाई है।

(२) बोनस प्रत्येक कर्मचारी की पिराई के मौसम की अर्जित आय के अनुपात से दिया जायगा।

(३) सन् १९५३-५४ में कारखानों में काम करने वाला यदि कोई कर्मचारी मर जाय तो उसके बोनस का हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को दिया जायगा।

(४) यदि बोनस की कोई रकम कारखाने के कर्मचारी को सरकारी आदेश से अधिक दे दी गई है तो कारखाना श्रमिकों को दी गई अतिरिक्त रकम को वापस न ले सकेगा।

६—सन् १९५४-५५ के पिराई के मौसम के बोनस का प्रश्न राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक न्यायाधिकरण को अभिनिर्णय के लिये सौंपा है। राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) की सिफारिश पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय न होने तक स्थायी सहायता के रूप में अन्तरिम बोनस देने के सम्बन्ध में सिफारिश करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और ६७ वैकुअम पैन चीनी के कारखानों को आदेश दिया गया कि वे अपने श्रमिकों को सन् १९५४-५५ के मौसम के लिये अन्तरिम बोनस के तौर पर ५४,३९,००० रुपया दें। इस आदेश की अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :—

(१) अंतरिम बोनस सन् १९५४-५५ के पेराई के पूरे मौसम में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया जायगा और उपरोक्त मौसम में उनकी आय के अनुपात से वितरित किया जायगा।

(२) अंतरिम बोनस के रूप में दी गई धनराशि को उस बोनस के हिसाब से निकाल दिया जायगा जो राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित की जायगी।

(३) जिन कारखानों ने सन् १९५४–५५ के पेराई के मौसम के लिये अग्रिम बोनस दिया है, वे अंतरिम बोनस में से उस रकम को काट सकते है।

(४) अंतरिम बोनस का भुगतान कारखाने तीन सप्ताह के अतर्गत कर देंगें।

(५) यदि कोई कारखाना उस अवधि में हानि का दावा करता है, जिसके लिये सरकारी आदेश के अनुसार उसे अंतरिम बोनस देना है तो राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण उस कारखाने के प्रार्थना-पत्र पर परिस्थितियों का विचार रखते हुए तथा पक्षो की सुविधाओ को ध्यान में रख कर उस कारखाने को अतरिम बोनस देने का आदेश दे सकता है।

रिटेंनिग भत्ता

७—रिटेंनिग भता एक प्रकार की क्षतिपूर्ति निष्क्रय ऋतु की अनेच्छित बेकारी के लिये है क्योंकि इस अवधि मे चीनी के कारखानो में काम नही होता। साधारणतया यह निष्क्रय ऋतु प्रति वर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक रहती है। सर्वप्रथम रिटेंनिग भत्ते का प्रश्न सन् १९४६ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना श्रमिक (मजदूरी) जांच समिति को विचारार्थ सौंपा गया था। इसके पहले यद्यपि रिटेंनिग भत्ता राज्य के कुछ चीनी के कारखानो द्वारा दिया जाता था किन्तु उसके बारे मे कोई एकरूपता न थी। रिटेंनिग भत्ते की शर्तें और दरें अलग अलग कारखानों में अलग अलग थी। समिति ने चीनी के कारखानो के कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल कर्मचारियो के लिये उनकी कुल मासिक मजदूरी के क्रमश. ५०, २५ और १० प्रतिशत रिटेंनिग भत्ते के रूप में देने की सिफारिश की। बाद में उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति ने भी इस प्रश्न की जांच की और सिफारिश की कि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को उसके बुनियादी वेतन का २५ प्रतिशत रिटेंनिग भत्ते के रूप में दिया जाय, परन्तु इन सिफारिशो को पूर्णतया लागू नही किया गया और सरकार ने सन् १९४२ मे एक आदेश निकाला, जिसमें राज्य के चीनी के समस्त कारखानो को आदेश दिया कि वे केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियो को ही वेतन का ५० प्रतिशत रिटेंनिग भत्ते के रूप में दे।

केमिस्ट, पैनमैन, आपरेटर, इन्जीनियरिंग विभाग के ट्रिपिल मैन, फिटर्स और इन्जन ड्राइवर

८—इस प्रश्न को सन् १९५० मे पुनः जांच न्यायालय (चीनी) को सौंपा गया। उसने सिफारिश की कि अकुशल श्रमिको को कोई वेतन न दिया जाय और सिफारिश की कि निम्नलिखित श्रेणी के भी कर्मचारियो को उनके वेतन का ५० प्रतिशत भत्ता दिया जाय:—

> "ब्वायलर इन्चार्ज, या ब्वायलर फोरमैन या ब्वायलर अटेण्डेण्ट, फिटर इन्चार्ज (फोरमैन), मिल हाउस इन्चार्ज और ब्वायलिंग हाउस इन्चार्ज, इलेक्ट्रीशियनायक और सहइन्जीनियर, ज्यूस फोरमैन, पी० एच० कन्ट्रोलर, विश्लेषक (एनालिस्ट), वेलडर, बढ़ई, टर्नर, फायरमैन, वेल्टमैन, स्वीचबोर्ड अटेण्डेण्ट, मेट और केन कैरियर मुशी।"

९—इस प्रश्न पर जून सन् १९५४ में होने वाले त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) में भी विचार किया गया और इस सम्मेलन की सिफारिश पर सरकार ने जुलाई, १९५४ में एक समिति नियुक्त की। समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :—

(१) चीनी के कारखानो द्वारा सन् १९५३–५४ की निष्क्रिय ऋतु में अपन श्रमिको को रिटेंनिग भत्ता दिये जाने तथा भविष्य मे देने की दर तथा उसे पाने के अधिकारी कर्मचारियो की श्रेणी के प्रश्न पर जाच करना और सरकार को रिपोर्ट देना, और

(२) राज्य के चीनी कारखानों के श्रमिको के लिये प्रावीडेण्ट फण्ड की योजना प्रारम्भ करने और विशेष कर योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिको की श्रेणियों का विस्तृत विवरण तैयार करना।

१०—यह समिति सौंपे गये मसलो पर सहमत न हो सकी।

११—सन् १९५४–५५ के पेराई के मौसम के लिये रिटेंनिग भत्ते के प्रश्न पर फिर भी राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी) में अगस्त सन् १९५५ में पुन. विचार-विनिमय हुआ परन्तु कुछ निर्णय न हो सका, इसलिये सरकार ने इस प्रश्न को राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निम्नलिखित प्रश्नो पर अभिनिर्णय करने के लिये भेज दिया :—

(१) उत्तर प्रदेश के वैकुम पैन चीनी के कारखानो को, जिनके नाम परशिष्ट में दिये गये है, अपने किस श्रेणी एवं वर्ग के कर्मचारियो को रिटेंनिग भत्ता देना चाहिये।

(२) विविध श्रेणी और वर्गों के कर्मचारियो को बेकारी भत्ता किन दरों पर दिया जाय।

(३) उपरोक्त पहले तथा दूसरे विषयो पर दिये गये निर्णय के प्रकाश में उन कारखानो को सन् १९५४–५५ में निष्क्रिय ऋतु के लिये किस श्रेणी और वर्ग के कर्मचारियो को तथा किन दरो पर रिटेंनिग भत्ता दिया जाय।

छुट्टियां तथा अवकाश

१२—छुट्टियां तथा त्योहार :—सन् १९४९ तक इसराज्य में कोई ऐसा उद्योग नहीं था, जहां पर छुट्टियां कानून द्वारा निर्धारित हो। चीनी कारखानो के श्रमिकों के लिये सवेतन छुट्टी का आदेश सन् १९५० में सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत निकाले और चीनी के सभी कारखानो को आज्ञा दी कि वे अपने श्रमिको को १७ त्योहारो को सवेतन छुट्टियां दें। बाद में जनवरी, १९५३ में सरकार ने त्योहारो की छुट्टियो की सख्या १७ से बढ़ाकर १८ कर दी और यह छुट्टियां औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत जनवरी, १९५४ में निकाले गये एक आदेश द्वारा चीनी के कारखानों में काम करने वाले श्रमिको को दिलाई गईं। इस आदेश में यह भी कहा गया कि :—

(१) यदि कोई कारखाना सन् १९४७ में इस आदेश द्वारा निर्धारित सख्या से अधिक दिनो को छुट्टी देता था तो वह संख्या घटाई नहीं जायगी, लेकिन शेष के सम्बन्ध में प्रत्येक पंचांगीय वर्ष के प्रारम्भ में कारखाने द्वारा उस क्षेत्र के प्रादेशिक संराधन अधिकारी के परामर्श से निर्धारित करेगा।

(२) यदि मोहर्रम और ईद की छुट्टिया पिराई के दिनो मे पड़ती है तो बंकुअम पैन चीनी के समस्त कारखाने इन छुट्टियो को केवल मुसलमानो के लिय धार्मिक छुट्टी मानेगे। जनवरी, १९५५ मे सरकार ने उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत पुनः आदेश निकाल कर चीनी के कारखानों को उतनी ही संख्या मे छुट्टिया देने की आज्ञा दी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लागू किये जाने वाले चीनी के कारखानो के नये स्थायी आदेशो मे १८ दिनो की सवेतन छुट्टी देने की वैसी ही व्यवस्था कर दी गई है।

स्थायी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी

१३—स्थायी कर्मचारियो को अनिवार्य छुट्टी :—चीनी के कारखानो के स्थायी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी देने का प्रश्न कभी कभी इसलिये उठता है कि किसी किसी कारखाने में पिराई का मौसम असाधारणतया छोटा होता है, जिसके कई कारण, जैसे गन्ने की कमी आदि होते हैं। ऐसी अवस्था में कारखाना समस्त स्थायी कर्मचारियो को पूरे खाली मौसम भर काम पर रखने का आर्थिक भार उठाने मे कठिनता का अनुभव कर सकता है, क्योकि पिराई का मौसम छोटा होने से लाभ कम होता है, और स्थायी कर्मचारियो को बनाए रखने से काम बढ़ता है। इसलिये समस्या यह उठ खडी होती है कि कुछ कारखानो के स्थायी कर्मचारियो को अनिवार्य छुट्टी पर भेज देना ठीक है या नही। इस समस्या की जाच सर्व प्रथम सन् १९४७ मे चीनी उद्योग सराधन मंडल द्वारा की गई। यह मंडल मालिको तथा श्रमिको के प्रतिनिधियो के बीच यह समझौता कराने मे सफल हुआ कि कुछ परिस्थितियो मे, जैसे कि जब पिराई का मौसम ९० दिन से कम का है, अनिवार्य छुट्टी देना न्यायोचित और आवश्यक भी हो सकता है और ऐसे मामलों में कर्मचारियों को २ महीने से अधिक की अनिवार्य छुट्टी दी जा सकती है। समझौते की शर्तें नीचे दी जाती है:—

(१) अनिवार्य छुट्टी पर भेजे गये कर्मचारियो को रहने के मकान खाली करने पड़ेंगे और कारखाने से निजी उपयोग के लिये दी गई सामग्री को लौटाना पडेगा। अनिवार्य छुट्टी के दिनो मे यदि कर्मचारी चाहे तो मकानो मे रह सकते हैं और यदि मकानो के बदले मे मकान किराया उन्हे नही दिया जाता है तो अनिवार्य छुट्टी के दिनो मे भी किराया लगता रहेगा।

(२) अनिवार्य छुट्टी पर भेजने के पहले एक सप्ताह की पूर्व सूचना दी जायगी, जिसमें अनिवार्य छुट्टी प्रारम्भ होने तथा समाप्त होने की तारीख दी रहेगी।

(३) नये कर्मचारियो को अनिवार्य छुट्टी पर पहले भेजा जायगा, परन्तु कुशलता के आधार पर इसके अपवाद हो सकते हैं।

(४) सभी कर्मचारियो को लिखित आश्वासन दिया जायगा कि अनिवार्य छुट्टी से वापस आने पर उन्हे काम पर ले लिया जायगा।

(५) यदि कोई व्यक्ति छुट्टी समाप्त होने के बाद काम पर जाने मे असमर्थ है तो वह उसकी सूचना कारखाने को देगा। उचित कारण दिखाने पर कारखाना इस प्रतिबन्ध को हटा भी सकता है।

(६) कोई भी कारखाना अनिवार्य छुट्टी के बाद पुन. काम प्रारम्भ होने पर एक सप्ताह व्यतीत होने से पहले किसी भी मामले में बरखास्तगी का आदेश नहीं निकालेगा।

(७) अनिवार्य छुट्टी के दिनो में सब कर्मचारी अपने सम्पूर्ण वेतन के ५० प्रतिशत के बराबर पाने के अधिकारी होगे।

(८) इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील की अधिक दूरी पर रहने वाला प्रत्येक कर्मचारी रेल से आने-जाने का किराया पाने का अधिकारी होगा।

१४—मार्च, १९५४ में सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम के अतर्गत एक आदेश निकालना आवश्यक समझा, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानों को पिराई का मौसम ९० दिन से कम का होने पर आवश्यक पडने पर खाली मौसम में स्थायी कर्मचारियों को दो मास से अधिक की अनिवार्य छुट्टी पर भेजने का अधिकार न होगा, इस सरकारी आदेश के महत्वपूर्ण उपबन्ध जो न्यूनाधिक सन् १९४७ में मालिकों और श्रमिको के बीच हुये समझौते के अनुकूल थे, निम्नलिखित थे :—

(१) कारखाने के नियन्त्रण के बाहर की परिस्थितियों में, जैसे कि मशीन का टूटना, गन्ना में रोग ओर गन्ने की कमी के कारण पिराई का मौसम असाधारण तौर पर छोटा होने की दशा में उपरोक्त अनिवार्य छुट्टी की अवधि उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त की स्पष्ट लिखित आज्ञा से कारखाने द्वारा अधिकतम ६ महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

(२) अनिवार्य छुट्टी के दिनो में कर्मचारियो से अपने मकान खाली करने अथवा निजी उपयोग के लिये दी गई सामग्री वापस करने को नहीं कहा जायेगा। ओर यदि मकान के बदले में किसी कर्मचारी को मकान किराया दिया जाता रहा है तो वह उसे मिलता रहेगा।

(३) अनिवार्य छुट्टी की अवधि में सम्बन्धित कर्मचारी अपने सम्पूर्ण वेतन का ५० प्रतिशत पाने के अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त कारखाने से १० मील से अधिक दूर रहने वाला प्रत्येक कर्मचारी कारखाने से अपने निवासस्थान तक का अनिवार्य छुट्टी पर जाते समय जाने का किराया और पुनः काम पर वापस आने का किराया पाने का अधिकारी होगा। किराया उस वर्ग के अनुसार दिया जायगा, जिससे कि कर्मचारी कारखाने के नियमो के अनुसार सम्बन्धित है।

१५—अनिवार्य छुट्टी-सम्बन्धी उपबन्धों को अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत चीनी कारखानो के सशोधित स्थायी आदेशो में भी शामिल कर लिया गया है। इन स्थायी आदेशो में उपरोक्त अनुच्छेद में दिये गये उपबन्धो के अतिरिक्त निम्न लिखित और भी उपबन्ध शामिल है :—

(१) अनिवार्य छुट्टी पर भेजने के पहले कम से कम १ सप्ताह की पूर्व सूचना कर्मचारी को देना आवश्यक होगा। उस सूचना पर अनिवार्य छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियो तथा छुट्टी के प्रारम्भ और समाप्त होने की तिथि का उल्लेख होगा।

(२) छुट्टी पर भेजने में सबसे नये कर्मचारियों को पहले भेजा जायगा। प्रबन्धक कुशलता के आधार पर इसके अपवाद कर सकते है, जिसके कारण लिखित रूप में रहेंगे।

(३) अनिवार्य छुट्टी पर भेजे जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को नोटिस में लिखकर यह गारण्टी दी जायगी कि छुट्टी समाप्त होने पर यदि वह लौटता है तो उसे काम पर पुनः लगा लिया जायगा। यदि अनिवार्य कारणों से वह निर्धारित तिथि पर अपने काम पर वापस आने में असमर्थ है तो वह इसकी पूर्व सूचना रजिस्ट्री पत्र या तार द्वारा कारखाने को देगा। किसी उचित कारण के दिखाने पर इस प्रकार की पूर्व सूचना भेजने की शर्त प्रबन्धकों द्वारा हटाई भी जा सकती है। अनिवार्य छुट्टी के बाद कम से कम १ सप्ताह व्यतीत न हो जाने के पूर्व किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को बरखास्त करने का आदेश नहीं निकाला जायगा।

स्पष्टीकरण :—पिराई का मौसम असाधारण तौर पर तब छोटा माना जायगा जब कि कारखाने में पिराई के दिन उन प्रमाणित दिनों से ८० प्रतिशत से कम होंगे जो पिराई प्रारम्भ होने के पूर्व सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा माने या घोषित किये जायेंगे।

१६—इसके अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित मामलो में छुट्टी का प्रश्न पंच निर्णय के लिये उत्तर प्रदेश के राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया है :—

(१) क्या उत्तर प्रदेश के वैकुअम पैन वाले चीनी कारखानो को अपने कर्मचारियो को एक समान अर्जित आकस्मिक तथा चिकित्सा छुट्टी देना चाहिये ?

(२) यदि ऐसा हो तो किन शर्तों पर और किन विवरणों के साथ वैकुअम पैन चीनी कारखानों को अपने कर्मचारियों को अर्जित, आकस्मिक तथा चिकित्सा छुट्टी देनी चाहिये।

मौसमी श्रमिकों के नियोजन का नियमन

१७—मौसमी श्रमिकों के नियोजन का नियमन :—चीनी के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में बहुत बड़ी संख्या मौसमी श्रमिकों की है। पहले मौसमी श्रमिको के नियमन के सम्बन्ध में कोई कानूनी आदेश नही थे और बहुत से विवाद पूर्ववर्ती मौसमों में काम करने वाले श्रमिकों के नियोजन के सम्बन्ध में बाद के मौसमो म बहुत से विवाद उठते रहते थे। यद्यपि अधिकांश कारखानो में व्यावहारिक नियम यही था कि पहले मौसम में काम करने वालो को बाद में भी काम पर ले लिया जाता था, परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में अनावश्यक विवादो को कम करने के लिये इस प्रकार के श्रमिको के नियोजन का नियमन आवश्यक समझा। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक मौसम में मौसमी श्रमिको को

नियोजन के नियमन के लिये सरकार द्वारा आदेश निकाले जाते थे, जिनकी निम्नलिखित मुख्य बातें होती थी :—

(१) जिस मौसमी श्रमिक ने एक कारखाने में पहले के पिराई के मौसम के पूरे उत्तरार्द्ध मे काम किया है अथवा बीमारी या किसी अनिवार्य कारण के न होने पर काम करता रहता, उसे कारखाना चालू पिराई के मौसम में काम देगा।

स्पष्टीकरण.—उक्त अवधि में उन श्रमिकों की अनुपस्थिति, जो स्थायी आदेशों के अन्तर्गत वैध ढंग से बरखास्त नही किये जा सकते अथवा जो प्रबन्धकों द्वारा फिर काम में लगा लिय गये हैं, प्रबन्धको द्वारा माफ की गई समझी जानी चाहिये।

(२) पिछले पेराई के मौसम में काम करने वाले सभी श्रमिको को, चाहे वे 'आर' पाली में हों या साधारण पालियो में, उनका पुराना काम दिया जायगा।

विशेष मामलों में यदि कोई कारखाना किसी कर्मचारी को एक काम से दूसरे काम पर या एक पाली से दूसरी पाली में, जिसमें 'आर' पाली भी शामिल हैं, भेजना आवश्यक समझता है, तो वह ऐसा अधिकतम कुल कर्मचारियो की संख्या के ५ प्रतिशत तक कर सकता है। ऐसा करने में सम्बन्धित कर्मचारयो के पद अथवा मजदूरी पर कोई प्रभाव नही पडना चाहिये।

(३) जब व्यापारिक कारणो से अथवा अन्य कारणो से प्रामाणिक बैठकी आवश्यक हो जाती है तो श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर अथवा उनके निर्देश पर प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णीत क्षतिपूर्ति का भुगतान करके और उनकी अथवा प्रति श्रमायुक्त की, जैसी भी स्थिति हो, आज्ञा लेकर कारखाना अपने कर्मचारियो को काम से अलग कर सकता है।

१८—चीनी के कारखानो के मौसमी कर्मचारियो को भुगतान का नियमन करने की यह व्यवस्था अब संशोधित स्थायी आदेशों में शामिल कर दी गई है।

चीनी के कारखानों के कर्मचारियों के लिये गृह-निर्माण

१९—चीनी करखानो के कर्मचारियो के लिये गृह-निर्माण:—चीनी उद्योग पहला उद्योग था, जिसमें उत्तर देशीय सरकार ने कर्मचारियो के लिये गृह-निर्माण योजना प्रारम्भ की। योजना को सन् १९५२ मे उत्तर प्रदेश चीनी एवं चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण एव विकास कोष अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत आरम्भ किया गया। राज्य के ६५ चीनी के कारखानो में बनाये जाने वाले मकानो की संख्या १,५०० है। सन् १९५५ के अत तक मकान निर्माण की प्रगति इस प्रकार रही:—

सन् १९५५ में ६ और कारखानो ने निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, जिससे इस प्रकार के कारखानो की सख्या ५० हो गई। इन कारखानो में १,१०९ मकानो का बनाया जाना

प्रारम्भ हो चुका है । ३१ दिसम्बर, १९५५ तक मकानो के बनाने की प्रगति इस प्रकार रही :—

सब प्रकार से पूर्ण बने मकान	८९९
नींव के नीचे तक	३
नीव तक	३२
छत तक, परन्तु बिना छत पड़े	७६
छत तक और पूरी छत पड़े हुये	४८
छत पड़े और पलस्तर किये हुये	५१
योग .	१,१०९

२०—सन् १९५५ में ४,९५,६०६ रुपये १२ आने का भुगतान चीनी के कई कारखानो को, उनके द्वारा पूरे किये गये निर्माण कार्य के लिये किया गया, जिससे सन् १९५५ की समाप्ति तक गृह–निर्माण के व्यय के लिये दी जाने वाली कुल भुगतान की हुई धनराशि २०,३०,८४९ रु० ७ आने हो गई ।

स्थायी आदेश

२१—स्थायी आदेशः—राज्य के चीनी के समस्त कारखाने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के प्रवर्तन से मुक्त थे, किन्तु सरकार ने राज्यादेश संख्या २१२४ (एस० टी०) (४) १८, दिनांक १ अक्टूबर, १९५१ के द्वारा सभी वैकुअम पैन चीनी के कारखानो के लिये स्थायी आदेश इनके कर्मचारियो के नियोजन तथा कार्य की शर्तों के सम्बन्ध में लागू कर दिये थे। ये स्थायी आदेश १२ नवम्बर, १९५५ तक लागू रहे, जबकि उनके स्थान पर संशोधित एवं विस्तृत स्थायी आदेश लागू किये गये।

२२—सन् १९५४ में उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग त्रिदलीय श्रम-सम्मेलन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन श्रम मन्त्री (अब मुख्य मन्त्री) डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता मे नैनीताल मे हुई। इस सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानो मे काम करने व ले कर्मचारियो की नौकरी की शर्तों से सम्बन्धित स्थायी आदेशो के प्रश्न पर विचार किया और सरकार से सिफारिश की कि एक समिति नियुक्त कीजाय, जो सरकार के १ अक्टूबर, १९५१ के राज्यादेश के अनुसार राज्य के वैकुअम पैन चीनी के कारखानो मे प्रचलित स्थायी आदेशो मे परिवर्तनो को, यदि वे आवश्यक हो, विवरण तैयार करे। इस सिफारिश के अनुसार सरकार ने एक समिति चीनी कारखानों मे प्रचलित तत्कालीन स्थायी आदेशो मे आवश्यक सशोधनो की जाच करने के लिये नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष श्रमायुक्त थे तथा उद्योग तथा श्रमिको मे से प्रत्येक के तीन–तीन प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने स्थायी आदेशो में सशोधन के सम्बन्ध मे अपनी सिफारिशें सरकार को दी, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया और नये संशोधित स्थायी आदे सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत १२ नवम्बर, १९५५के राज्यादेश संख्या ६५०७ (एस० टी०)/३६ (ए)—७३ (एस० टी०)–५४ के द्वारा लागू कर दिये गये।

चीनी उद्योग त्रिदलीय श्रम सम्मेलन

२३--चीनी उद्योग त्रिदलीय श्रम सम्मेलनः--उद्योगों पर प्रभाव डालने वाले महत्व-पूर्ण श्रम सम्बन्धी मामलो पर विचार करने के लिये बहुधा त्रिदलीय श्रम सम्मेलन बुलाना इस राज्य में एक नियमित बात सी हो गई है। चीनी उद्योग प्रथम उद्योग था, जिसमें सरकार ने एक त्रिदलीय संगठन की नियुक्ति 'चीनी उद्योग सराधन मंडल' के नाम से की थी, जिसके अध्यक्ष लखनऊ जिला जज होते थे और श्रमिको तथा मालिको का एक एक प्रतिनिधि सदस्य होता था। बाद में एक दूसरा सम्मेलन चीनी उद्योग त्रिदलीय सम्मेलन के नाम से सरकार ने नवम्बर, १९५२ में बुलाया। इस सम्मेलन में चीनी उद्योग से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया :--

(१) १९५१-५२ के मौसम के लिये बोनस का प्रश्न,

(२) चीनी उद्योग में त्योहारो की छुट्टियां,

(३) छुट्टी का उपयोग न करने पर कर्मचारियों को मजदूरी, और

(४) सरूपीकरण समिति (चीनी) की रिपोर्ट पर विचार।

कुछ और बातो पर भी, जिनका सम्बन्ध रिटेनिंग भत्ते 'बैठको' की अवधि के लिये क्षतिपूर्ति से था, इस सम्मेलन में विचार किया गया। चीनी उद्योग से सम्बन्धित त्रिदलीय सम्मेलन १९ अक्टूबर, १९५३ को फिर बुलाया गया, जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार हुआ:--

(१) वेतन वृद्धि,
(२) अभिनवीकरण,
(३) चीनी के कारखानों में प्रावीडेंट फण्ड योजना, तथा
(४) १९५२-५३ के पेराई के मौसम के लिये बोनस।

२४--राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) को भी पुनः जून, १९५४ में बुलाया गया, जिसमें निम्नलिखित बातो पर विचार हुआ :--

(१) सन् १९५३-५४ के लिये चीनी के कारखानों के श्रमिकों को दिया जाने वाला बोनस;

(२) सन् १९५० और उसके बाद के खाली मौसम के लिये चीनी के कारखानों द्वारा रिटेनिंग भत्ते का भुगतान;

(३) दोषी चीनी के कारखानों द्वारा सन् १९४७-४८ और उसके बाद के बोनस का भुगतान;

(४) चीनी कारखानों से सम्बन्धित स्थायी आदेशों का संशोधन;

(५) चीनी के कारखानों में कर्मचारियों की छुट्टी का प्रश्न; तथा

(६) प्रावीडेंट फण्ड योजना का चीनी के कारखानों में लागू करने का प्रश्न।

अगस्त, १९५५ में राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) उत्तर प्रदेश के श्रम एवं समाज कल्याण मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और उसमें निम्नलिखित मामलों पर विचार हुआ :—

(१) प्रावीडेण्ट फंड योजना को लागू करना,
(२) रिटेनिंग भत्ते का भुगतान,
(३) अर्जित, आकस्मिक तथा बीमारी की छुट्टी की स्वीकृति, तथा
(४) १९५४–५५ के पेराई के मौसम के लिये बोनस।

२५—इस सम्मेलन की सिफारिश पर १९५४–५५ के पेराई के मौसम के लिये बोनस के भुगतान के प्रश्न पर राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय न होने तक एक अस्थायी सहायता के रूप में राज्य के वैकुअम पैन चीनी के कारखानों के श्रमिकों को अन्तरिम बोनस देने के प्रश्न की जाच करके सरकार को रिपोर्ट देने के लिये एक समिति श्रमायुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त की गई।

चीनी उद्योगों में अभिनवीकरण का अध्ययन

२६—चीनी कारखानों में अभिनवीकरण का अध्ययन.—उद्योग में अभिनवीकरण प्रारम्भ करने का प्रश्न इधर बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति की गंभीरता का अनुभव किया और तदनुसार श्रमायुक्त के कार्यालय में एक विशेष विभाग (कार्य कुशलता विभाग) राज्य के दो महत्वपूर्ण उद्योगों अर्थात् वस्त्र तथा चीनी उद्योग में अभिनवीकरण की योजना की जांच के लिये स्थापित किया। श्रम कार्यालय के कार्य कुशलता विभाग ने चीनी के २५ कारखानों में पूछताछ की। सन् १९५५ में इस विभाग ने इन चीनी के कारखानों में जांच की और नामावली के स्पष्टीकरण, प्रमाणित श्रमिक शक्ति, भंडार (स्टोर्स) कार्यालय अधीक्षक, कर्मचारी, गन्ना विभाग और प्रबन्धक कर्मचारियों के सम्बन्ध में तथ्य संग्रह किये और कारखानों द्वारा दिये गये तथ्यों की मौके पर जांच का काम चल रहा है।

चीनी उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित करना

२७—चीनी उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित करना:—सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत चीनी उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया गया था। मूलतः दिये गये आदेशों की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और इस उद्योग का १९५५ के समूचे वर्ष में जनोपयोगी सेवा होना जारी रहा।

अध्याय १२

मजदूरी, महंगाई भत्ता और बोनस

श्रमिको की कुल आय में मूल मजदूरी, महगाई भत्ता और बोनस शामिल होता है। इस समय मजदूरी की नोति से उत्पन्न एव उससे सम्बंधित समस्याएं सभी सम्बंधित पक्षो अर्थात् श्रमिको, मालिको और सरकार के लिये महत्वपूर्ण हैं। श्रमिको के लिये इस कारण कि मूल्यो के उतार-चढाव से उनके जीवन-स्तर पर प्रभाव पडता है, मालिको के लिये इस कारण कि मजदूरी तथा अन्य सुविधाओ की वृद्धि की मांग से वित्तीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं और सरकार के लिये इस कारण कि उचित मजदूरी-नीति बनाना उसका उत्तरदायित्व है। इसलिये राज्य को मजदूरी, महगाई भत्ता और बोनस निश्चित करने मे महत्वपूर्ण भाग लेना पड़ता है। किन्तु मजदूरी का नियमन करने मे सरकारी नीति बरतने में बडी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योकि उद्योग में शान्ति और अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की वह कुजी है।

२--मजदूरी के नियमन मे राज्य का हस्तक्षेप भारत में अभी हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के समय में उत्पादन की गति बराबर चालू रखने के उद्देश्य से सरकार ने मजदूरी, बोनस आदि के प्रश्नो को अभिनिर्णय के लिये भेज कर हडताल तथा काम-बन्दी आदि को समाप्त करने के लिये कार्यवाही की। मजदूरी-सम्बन्धी कई विवादो को अभिनिर्णय के लिये भेजने के फलस्वरूप श्रमिको की मजदूरी में वृद्धि स्वीकृत की गई। किन्तु लोकप्रिय सरकार ने सन् १९४६ मे पद ग्रहण के पश्चात् तुरन्त ही उस समय के प्रचलित मजदूरी के स्तरो की जाच सम्बन्धी कदम उठाये, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वे पर्याप्त है या नही तथा विभिन्न उद्योगो के लिये न्यायोचित मजदूरी-स्तर निर्धारित किये जा सके। इस प्रयोजन से सरकार ने समय-समय पर कई जांच समितियां नियुक्त कीं जिनका काम राज्य में प्रचलित मजदूरी की दरो की पूरी-पूरी जाच करना और आवश्यक सिफारिशें करना था। सरकार द्वारा नियुक्त कुछ समितियो का उल्लेख नीचे किया जाता है:--

(१) स्थानीय निकायो में नियोजित मेहतरो की मजदूरी तथा काम की दशाओ की जाच करने वाली समिति सितम्बर, १९४६ में नियुक्त की गई।

(२) उत्तर प्रदेश एव बिहार चीनी कारखाना श्रम (मजदूरी) जांच समिति सन् १९४६ मे नियुक्त हुई, जिसने चीनी उद्योग में मजदूरी, महगाई भत्ता और बोनस के प्रश्न की जाच की।

(३) प्रिंटिन्ग प्रेसज् जाच समिति, जिसने उत्तर प्रदेश के बडे कस्बो के छापाखानो में मजदूरी और महगाई भत्ते के प्रश्न की जाच की। यह समिति फरवरी सन् १९४७ में नियुक्त की गई।

(४) उत्तर प्रदेशीय श्रम जांच समिति, जिसे मजदूरी, महंगाई और बोनस के साधारण प्रश्नों के साथ उत्तर प्रदेश के उद्योगों से सम्बन्धित अन्य प्रश्न भी सन् १९४६ में सौंपे गये।

(५) स्थानीय निकायो के कर्मचारियो के लिये उत्तर प्रदेशीय वेतन समिति, जो १९४८–४९ मे नियुक्त की गई।

(६) उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाहर के सूती कारखानो के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति।

(७) सन् १९५० में स्तरीकरण समिति (चीनी), चीनी उद्योग में मजदूरी के स्तरीकरण तथा वेतन-क्रम (ग्रेड) निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये नियुक्त की गई।

(८) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत खेती के मजदूरो की मजदूरी के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये समिति।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक औसत मजदूरी

३––उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगो के मजदूरो की सन् १९३९–४९ तक की वार्षिक औसत आय का विवरण इस अध्याय के साथ संलग्न अनुसूची मे दी गई है। यह अनुसूची वेतन भुगतान अधिनियम, १९३६ के परिपालन के सम्बन्ध में प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों के तथ्यों के आधार पर बनी है। इस अनुसूची से प्रकट होगा कि श्रमिकों की वार्षिक आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस अनुसूची मे सन् १९४९ के पूर्व औसत वार्षिक आय के तुलनात्मक आंकड़े देना संभव नही हुआ है, क्योकि सन् १९५० में पूरा औद्योगिक वर्गीकरण बदल कर उसके स्थान पर मजदूरी भुगतान अधिनियम तथा कारखाना कानून के प्रशासन पर विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से नया वर्गीकरण स्वीकार किया गया। किन्तु फिर भी नये औद्योगिक वर्गीकरण में भी सन् १९५१, १९५२ और १९५४ में तुलनात्मक वार्षिक आय दिखाने वाली तालिका आगे दी जा रही है :—

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी

क्रम-संख्या	उद्योग		प्रत्येक कर्मचारी की औसत वार्षिक आय		
		१९५१	१९५२	१९५३	१९५४
१	२	३	४	५	६
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१	सरकारी एवं स्थानीय कोष कारखाने ...	८५२-१२- ०	८९५-१३- १	१०४८- ६- ५	९७९- ७- ३
२	अन्य सब कारखानें :—				
	(१) कृषि से सम्बन्धित प्रक्रियायें ...	४४९- ८- १	४३८-१२- १	३७०-१२- ९	३७९- ७- २
	(२) पेयों को छोड़कर खाद्य ...	७७३-११-१०	७९०- ९- ८	७९४- ८- ३	८२७-१२- १
	(३) पेय ...	९९२-१३- ५	९९२- ५-१०	९६७- ७- ६	९९२- १- ५
	(४) तम्बाकू ...	१,१०९-८-१२	१,१४०- ८- ०	१,२६५-१४- ०	१,५७८-१२- ७
	(५) वस्त्र ...	१,०६५-१०- २	१,१०२-१३- ४	१,०८९-११- ५	१,०६०- ४- १
	(६) जूते, पहनने के वस्त्र तथा अन्य तैयार वस्त्र ..	१,०५८- ३- २	१,०९२-२ - ९	१,०६४- ८- १	१,०५९- १- २

१	२		३	४	५	६
	(७) लकड़ी और काग (फर्नीचर को छोड़कर)	...	७१६— ४— ८	१०४— ५— ०	८७१—१२— ४	७८२—१४— २
	(८) फर्नीचर और फिक्सचर्स	...	६४४— ०— ९	५१८— ८—११	८८७— ७— ३	९२४—१४— २
	(९) कागज और कागज की वस्तुयें	...	९९३— २— ७	१,४१४— २—२	१,३८०— ३— ९	९१४— ६— ४
	(१०) मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	...	९७५—१३— ९	९३६— ०— ८	८४६—११— ९	८०५— २— ०
	(११) चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें (जूतों को छोड़कर)		७५६—४— ६	७९२— १— ३	८४६— २—१०	७२९—१०— १
	(१२) रबड़ और रबड की वस्तुयें	...	६२६—१५— ९	५५३— ७— ०	५९२— ५— ८	७०५— ३—. ३
	(१३) रासायनिक और रासायनिक उत्पादन	...	९२९— ९— ४	८९६— ० —४	९०८—१२— ८	९१४— ५— २
	(१४) पेट्रोल और कोयले के उत्पादन	...	..	..	..	..
	(१५) अधा विक खनिज उत्पादन (पेट्रोल तथा कोयला छोड़कर)		७०३— ५— १	७२५—१३— ८	७९५—११— ९	८४०—१४ — ५
	(१६) मूल धातु उद्योग	...	७२२— ४— १	८४२—१५— १	७८१— ७— ६	७३९— ६— ६
	(१७) धातु की वस्तुओं का निर्माण (मशीनरी तथा परिवहन सामग्री को छोड़कर)		६७०— ७— १	६९६— ६— ९	४५६—१०— ९	७०७— १— ८

१	२	३	४	५	६
	(१८) मशीनो का निर्माण (बिजली मशीनो को छोड़कर)	७९३–१५– ९	८०७–१५– ६	८०३– ०– २	८००–०–७
	(१९) बिजली मशीनें, औजार और पूर्ति ...	६८१–३–८	..	.	४३८–१२–१०
	(२०) परिवहन और परिवहन सामग्री ...	८९०– २– ८	८५९– ७ –६	९०१– ३– १	७९३–११–५
	(२१) विविध उद्योग ...	७३९– ३–११	७२३– ७– ६	१,१४२–१–७	६८२–१०–७
	(२२) बिजली, गैस और भाप ...	१,३८८– ५– ३	१,२५७–२–११	१,४२३–१०–६	१,३२३–३–१०
	(२३) जल और स्वच्छता सेवायें ...	३१२–२– १०	१,२८५–७–१	७८५–११–८	८४६–२– ७
	(२४) मनोविनोद सेवायें ...	..	..	..	..
	(२५) निजी सेवायें ...	..	..	..	..
	(२६) मुद्रणालय ...	७३६–१०– ६	६२४–१०– ५	६६०–१४– ३	६४९– ५– ९
	सब उद्योगों के लिये औसत ..	९०२– ६–१०	९३५– ०– ६	९४४–१३– ६	९३२– ०–१०

टिप्पणी—उपर्युक्त तालिका में भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा नियन्त्रित उद्योगों से सम्बन्धित आंकड़ें शामिल नहीं हैं।

४—सन् १९५४ के वर्ष में पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रति मजदूर की वार्षिक औसत आय में कुछ कमी हुई है। इसका कारण कानपुर के श्रमिको के उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में कमी एवं अस्वेच्छित बेकारी के कारण हुई कार्य दिवसों की कमी है।

नाममात्र तथा वास्तविक मजदूरी सूचनांक

५—यद्यपि कुल मजदूरी निरंतर बढी हैं, परन्तु यह मानना ठीक न होगा कि औद्योगिक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी मे भी वैसी ही वृद्धि हुई है। श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के उतार-चढ़ाव का श्रमिक द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद पर सीधा ओर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। इस क्रयशक्ति से उसकी वास्तविक मजदूरी का निर्णय होता है। इस सम्बन्ध में नाममात्र मजदूरी सूचनांक और वास्तविक मजदूरी सूचनांक के अध्ययन से पता चलेगा कि कहां तक श्रमिको की आय उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के चढाव के साथ मेल खाती रही है। इस अध्ययन का एक सीधा सादा तरीका वास्तविक मजदूरी सूचनाक का अनुमान रुपये अथवा नाममात्र मजदूरी को उसी से सम्बन्धित उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के प्रतिशत के रूप में प्रकट करने का है। निम्नलिखित तालिका से इन सूचनांको का पता चलता है। नीचे दी गई तालिका से पता चलेगा कि सन् १९५४ के लिये नाममात्र मजदूरी का सूचनाक ५३१ ८ था जबकि वास्तविक मजदूरी सूचनाक केवल १३०.३४ ही था।

वर्ष	औसत वार्षिक आय	१९३९ के नाम-मात्र मजदूरी सूचनाक १०० के साथ	कानपुर के लिये औसत उप-भोक्ता मूल्य सूचनांक	वास्तविक मजदूरी सूच-नांक
१	२	३	४	५
	रु० आ० पा०			
१९३९	१७५-४-२	१००	१०५	...
१९४०	२२३-२-११	१२७.३	१११	११४.७
१९४१	२४१-१३-६	१३७.९	१२३	११२.१
१९४२	३०३-१-०	१७२.९	१८१	९५.५
१९४३	४११- ६- २	२३४.७	३०६	७६ २
१९४४	४५३- ४- ३	२५८.९	३१४	८२ ५
१९४५	४९३- १- २	२८१.३	३०८	९१ ३
१९४६	५१८- १-११	२९५.६	३२९	८९ ९
१९४७	५७०-१२- ०	३२५.८	३७८	८६.२

१	२	३	४	५
	रु० आ० पा०			
१९४८	७९८– ६– ९	४५५·५	४७१	९६·७
१९४९	९२६– ४– ९	५२८·५	४७८	११०·६
१९५०	८८०– ५– ७	५०२·३	४३४	११५·७
१९५१	९०२– ६–१०	५१४·९	४५१	११४·२
१९५२	९३५– ०– ५	५३३·५	४४१	१२०·९७
१९५३	९४४–१३– ०	५३९·१	४५३	११९·०३
१९५४	९३२– ०–१०	५३१·८	४०८	१३०·३४

टिप्पणी—सन् १९५१ से आगे भारत सरकार के प्रति–रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कारखानो के आंकडे शामिल नही है ।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ो के अध्ययन से ज्ञात होगा कि १९४० और १९४१ में वास्तविक मजदूरी का सूचनांक बढा, परन्तु १९४२ में वह गिरा और फिर १९४८ तक १०० से नीचे रहा। सन् १९४९ से १९५२ तक केवल १९५१ को छोडकर वह बढ़ता रहा, परन्तु सन् १९५३ में वह फिर कुछ गिर गया और सन् १९५४ में वह बढ़ कर १३०·३४ हो गया ।

महत्वपूर्ण उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी

६—चीनी उद्योग—पहला उद्योग, जिसमें सरकार ने कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की, चीनी–उद्योग एक समिति, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीनी कारखाना श्रम (मजदूरी) जाच–समिति के नाम से ज्ञात है, नियुक्त की गई थी, जिसकी सिफारिश पर चीनी–उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी सब मिला कर ३६ रु० मासिक निर्धारित की गई थी। इसे बढ़ा कर सन् १९४७–४८ मे ४५ रु० और फिर १९४८–४९ की पेराई के मौसम में ५५रु० मासिक कर दिया गया। यह न्यूनतम मजदूरी अब भी लागू है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अतिरिक्त सरकार ने ऊची मजदूरी वाले कर्मचारियों को भी सन् १९४५–४६ में प्रचलित मजदूरी स्तर के आधार पर निर्धारित दरों से मजदूरी में वृद्धि की।

सूती उद्योग तथा बिजली प्रतिष्ठान

७—अन्य उद्योग, जिनमें सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की, सूती तथा बिजली के उद्योग हैं। ६ दिसम्बर, १९४८ के सरकारी आदेश के अनुसार इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी निम्न प्रकार से थी :—

उद्योग	न्यूनतम मूल मजदूरी	
	औद्योगिक कर्मचारियों के लिए	क्लर्कों के लिए
१—सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग	कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस के लिए ३० रु० मासिक तथा अन्य स्थानों के लिए २८ रु० मासिक	सब स्थानों के लिए कम से कम मेट्रिक का अथवा उसके समान प्रमाण-पत्र वालों के लिए ५५ रु० मासिक तथा उससे कम शैक्षिक योग्यता के लिए ४० रु० मासिक
२—बिजली के काम ...	कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में ३० रु० मासिक और अन्य स्थानों के लिए २८ रु० मासिक	सब क्षेत्रों में कम से कम मैट्रिक का अथवा उसके समान प्रमाण-पत्र रखने वालों के लिए ५५ रु० प्रतिमास और उस से कम शैक्षिक योग्यता वालों के लिए ४० रु० प्रतिमास

पहले उपरोक्त मजदूरी की दरें सारे राज्य में लागू होने को थी परन्तु बाद में सूती उद्योग में उन्हें केवल कानपुर तक ही सीमित कर दिया गया।

८—कानपुर के इंजीनियरिंग के कारखाने :—कानपुर के कई इंजीनियरिंग कारखानों तथा उनके कर्मचारियों के बीच का विवाद सरकार द्वारा अभिनिर्णय के लिए सन् १९५२ में राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा गया और न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय से कानपुर के इंजीनियरिंग कारखानों के लिए काम के २६ दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी ३० रु० मासिक अथवा अकुशल कारीगरों के लिए १ रु० २ आना ६ पाई० प्रति दिन निम्नलिखित वृद्धि की दरों के साथ निर्धारित की :—

मासिक भुगतान वाले मामलों में ३०—१—४० रु०

प्रतिदिन भुगतान होने की दशा में १-२-६—०-०-७ १/२—१-८-७ १/२ रु०

६—सन् १६५५ में अभिनिर्णयों के द्वारा अन्य उद्योगों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

(१) मजदूरी निर्धारित या सशोधित करने के संबंध में कुछ मामले सन् १९५५ में राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण तथा अभिनिर्णायको द्वारा निर्णीत किए गये। देहरादून के चार चाय बगीचो के मामले मे राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण ने बैलडोर की मजदूरी १ रु० २ आ० और १ रु० ३ आ० प्रति दिन उन लोगो के लिए, जो ५ या उससे अधिक वर्षों तक काम कर चुके थे और १ रु० ४ आ० प्रति दिन उनके लिए जो १० वर्ष की नोकरी कर चुके थे, निर्धारित की। चारो बागीचो में Tindals की मजदूरी तीन साल तक नोकरी कर चुकने वालो के लिए ४० रु० प्रतिमास, तथा ३ वर्ष से अधिक नोकरी कर चुकने वालो के लिए ४५ रु० प्रतिमास निश्चित की गई। Tindals के समान समय को नोकरी कर चुकने वाले चोकीदारों के लिए यह मजदूरी क्रमश. ३७ रु० और ४० रु० निर्धारित की गई। पत्ती चुनने वाले कुलियो के लिए भी प्रचलित दर ६ पाई प्रति पोंड के स्थान पर ७ पाई प्रति पौंड मजदूरी निर्धारित की गई। राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण ने मोदी वनस्पति कम्पनी, मोदीनगर के लिए भी मशीन मैन, शोल्डरर और फायरमैन की श्रेणी के लिए ६०—७५ रु० की दर निर्धारितको।

(२) अभिनिर्णायक तथा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ ने जसवंत शुगर मिल्स, मेरठ के गन्ना क्लर्कों, जमादारो और फिटरों की मजदूरी क्रमशः ७५ रु०, ७० रु० और ७३ रु० प्रतिमास निर्धारित की।

(३) प्रेम स्पिनिंग ऐण्ड वोविंग मिल्स, उझानी (बदायूं) के विवाद मे राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण ने स्पिनिंग डिपार्टमेंट के जाबर और हेडजाबर को छोड कर और सब कर्मचारियो के लिए नवम्बर, १९४८ मे मिलने वाली मजदूरी पर १० प्रतिशत की वृद्धि का सामूहिक निर्णय दिया।

(४) अभिनिर्णायक तथा अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर ने रजा टेक्सटाइल्स के मामले मे 'कट प्राइस इक्जामिनर्स' की मजदूरी मे संशोधन करके उसे १५ आ० ३ पा० प्रति दिन से बढा कर १ रु० ४ आ० ३ पा० कर दिया। सो० के० केमीकल वर्क्स, अमरोहा के मामले मे २६ काम के दिनो के लिए मूल मजदूरी २६ रु० प्रतिमास या १ रु० प्रति दिन निर्धारित की गई।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १६४८ के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनो में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

१०—औद्योगिक नियोजनो मे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के परिपालन तथा उसके अतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने लिए राज्य सरकार ने सन् १९४९ में एक विशेषाधिकारी की नियुक्ति इन नियोजनो में प्रचलित मजदूरी की जाच-पड़ताल करने के लिए की। इसका उद्देश्य विस्तृत पूछताछ करना था, जिससे आकड़ो-संबधी

पर्याप्त सूचना प्राप्त हो जाय, जिस के आधार पर सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सके। इस अधिकारी ने सन् १९५० में अनुसूचित नियोजनों में प्रचलित मजदूरी-स्तर के संबंध मे विस्तृत रिपोर्ट दी और उस पर विचार करके सरकार ने निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी २६ दिनों के काम के लिए २६ रु० प्रतिमास तथा और मामलों में १ रु० प्रतिदिन निर्धारित की।* निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:--

(१) मूल मजदूरी, (२) रहन-सहन का व्यय या अन्न महंगाई भत्ता, (३) जहां पर इस की आज्ञा हो, वहा रियायती दरों पर दी गई वस्तुओ का नकद मूल्य निर्धारित दरें सब मामलों में १८ वर्ष से ऊपर प्रौढ़ कर्मचारियो के लिए है।

११--विभिन्न औद्योगिक नियोजन, जिनमे अभी तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, निम्न लिखित हैं--

(१) किसी भी चावल, आटा या दाल के कारखाने में;

(२) किसी भी तमाखू (जिसमें बीडी बनाना भी शामिल है) बनाने के कारखाने में नियोजन;

(३)किसी बगीचे में नियोजन अर्थात् कोई बगीचा, जो कि सिन्कोना, रबड़, चाय या कहवा की पैदावार के लिए रखा जाता हो (केवल देहरादून जिलें में);

(४) किसी तेल के कारखाने में नियोजन;

(५) सडक बनाने या इमारत बनाने के काम मे;

(६) पत्थर तोडने या पीसने का काम;

(७) लाख के किसी कारखाने मे काम;

(८) किसी स्थानीय निकाय में काम;

(९) सार्वजनिक मोटर परिवहन मे काम;

(१०) चमड़ा कमाने और बनाने के कारखानों में काम ; तथा

(११) उत्तर प्रदेश की पत्थर की खदानों में पत्थर तोडने या पीसने का काम।

१२--२६ रु० प्रतिमास या १ रु० प्रति दिन की मजदूरी सरकार ने गाव पंचायतो में नियोजन के लिए भी निर्धारित कर दी है।

१३--अभ्रक उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि उसमे काम करने वालो की संख्या राज्य भर मे १००० से कम है।

१४--स्थानीय निकायो मे काम करने वालो के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें आगे की तालिका के अनुसार निर्धारित कर दी गई है। इनमे मूल मजदूरी, रहन-सहन का व्यय या महगाई भत्ता और रियायतो का नकद मूल्य भी शामिल है। ये दरें १८ वर्ष से ऊपर आयु के प्रौढ़ कर्मचारियो के लिए हैं।

स्थानीय निकाय	नियोजन की श्रेणी	प्रति मास मजदूरी की न्यूनतम दरें		
		रु०	आ०	पा०
(१) म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर	पूर्णकालिक कर्मचारी अर्थात् वह कर्मचारी, जो प्रति सप्ताह अधिक से अधिक ४८ घंटे काम में प्रति दिन दो पालियों में ६ घंटे से अधिक कार्य करता है	३६	४	०
(२) स्थानीय निकाय प्रथम श्रेणी	" ...	३१	४	०
(३) स्थानीय निकाय द्वितीय श्रेणी	" ...	२५	०	०
(४) स्थानीय निकाय तृतीय श्रेणी	" ...	२२	८	०
(५) स्थानीय निकाय चतुर्थ श्रेणी	" ..	२०	०	०
(६) स्थानीय निकाय पंचम श्रेणी	" ...	१७	८	०
(७) म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर	तीन चौथाई समय काम करने वाला कर्मचारी अर्थात् वह कर्मचारी, जो प्रति सप्ताह अधिकतम ३६ घंटे के अंतर्गत प्रति दिन ४ घंटे से अधिक, किंतु ६ घंटे से कम दो पालियो में काम करता है	३०	०	०
(८) स्थानीय निकाय प्रथम श्रेणी	" ...	२५	०	०
(९) " द्वितीय "	" ..	२०	०	०
(१०) " तृतीय "	" ...	१७	८	०
(११) " चतुर्थ "	" ..	१५	०	०
(१२) " पंचम "	" ..	१३	१२	०
(१३) म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर	अर्द्धकालिक कर्मचारी अर्थात्, जो प्रति सप्ताह अधिकतम २४ घंटे काम के अंतर्गत केवल एक पाली में केवल ४ घंटे काम करता है	२२	८	०
(१४) स्थानीय निकाय प्रथम श्रेणी	" ...	१७	८	०
(१५) " द्वितीय "	" ...	१५	०	०
(१६) " तृतीय "	" ...	१३	१२	०
(१७) " चतुर्थ "	" ..	११	४	०
(१८) " पंचम "	" ..	१०	०	०
(१९) सभी जिला बोर्ड ...	कर्मचारी, जो ८ घंटे के पूरे साधारण कार्य दिवस भर काम करता है	३०	०	०

१५—कृषि में न्यूनतम मजदूरी—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ के पारित होने के बाद तुरंत ही भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र मे प्रचलित मजदूरी की दरो आदि के बारे में विस्तृत तथ्य एकत्रित करने के लिए पूरे भारत मे एक व्यापक कृषि श्रम की जांच कराने का निश्चय किया, क्योकि कृषि उन अनुसूचित नियोजनो मे से एक थी, जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी थी। इसके पहले खेती के क्षेत्र में कोई जांच नही हुई थी और खेती पर काम करने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी आदि के बारे मे कोई जानकारी प्राप्त नही थी। भारत सरकार की इस ोजना के लिए उत्तर प्रदेश के १२० गाय स्वच्छन्दता के आधार पर इतस्ततः चने गये, जहा जांच की गई। जांच दो वर्ष तक जारी रही और उससे खेतिहर श्रमिको से नबधित कई बातो, जैसे कि मजदूरी और पारिवारिक आय-व्यय के बारे मे काफी उपयोगी सूचना प्राप्त हुई। जाच से प्रकट हुआ कि राज्य के कुछ भागो मे प्रौढ व्यक्ति को ६ आने से १० आने तक और बच्चों को चार आने से ६ आने तक प्रति दिन मजदूरी दी जाती थी। इस प्रकार इस जांच से राज्य में कम मजदूरी के क्षेत्रों का पता चला। राज्य सरकार ने पहले इन कम मजदूरी वाले अचलो पर ध्यान केद्रित किया। इन अंचलो मे १२ जिले (बांदा, हमीरपुर, जालौन, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर) शामिल हैं। सरकार ने जनवरी, १९५१ मे एक समिति खेती में मजदूरी के प्रश्न की जाच करन और न्यनतम मजदूरी निर्धारित करने के बारे में सिफारिश करने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री ओंकारनाथ मिश्र की अध्यक्षता मे नियुक्त की। समिति में दो सरकारी सदस्य तथा मालिकों तथा श्रमिको में से प्रत्येक के सात-सात प्रतिनिधि शामिल थे।

१६—प्रारंभ मे ऊपर के अनुच्छेद मे उल्लिखित केवल १२ जिलो में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, जो केवल ५० एकड या उससे अधिक क्षेत्र के "फार्मों" पर ही लागू हुई। निर्धारित न्यनतम मजदूरी निम्न प्रकार हैं:—

(१) प्रौढ़ो के लिए १ रु० प्रति दिन की दर से अथवा २६ रु० प्रतिमास।

(२) बच्चो के लिए १० आना प्रति दिन अथवा १६ रु० प्रति मास।

१७—पूरे राज्य मे (अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और नैनीताल को छोड कर) तथा पहले के अनुच्छेदो मे उल्लिखित कम मजदूरी वाले राज्य के १२ जिलों मे भी ५० एकड़ या उससे अधिक खतो के लिए सरकार ने २८ दिसम्बर, १९५४ की अधिसूचना संख्या २८६०१ (एल-एल)/३६-बी—४३६ (एल-एल)-५२ के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी है।

महंगाई भत्ता

१८—भारत मे औद्योगिक कर्मचारियो की मजदूरी में महगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण अग है। अब वह कर्मचारियो की कुल मजदूरी का केवल महत्वपूर्ण अग ही नही वरन् पर्याप्त अश भी है। सन् १९३९ तक केवल मल मजदूरी ही दी जाती थी और महगाई भत्ते जैसी कोई चीज न थी। किंतु उस वर्ष के प्रारभ से श्रमिको की ओर से बराबर यह माग होने लगी कि लड़ाई के कारण रहन-सहन का मूल्य बढ़ जाने की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हे अतिरिक्त भत्ता दिया जाय। कई कारखानो ने महगाई भत्ते की दरे प्रारंभ की। बहुत से अन्य कारखानो के बारे में इस प्रकार के भत्ते की माग को अभिनिर्णय के लिए भेजा गया और भत्ता अभिनिर्णयों

द्वारा निर्धारित किया गया। उत्तरी भारत मिल मालिक संघ (एम्प्लायर्स एसोशियेसन आफ नार्दर्न इंडिया) ने विभिन्न उद्योगो के लिए महंगाई भत्ते की कुछ स्तर-दरें चलाईं। परन्तु इन दरों में एकरूपता नही थी। वास्तव मे पूरे राज्य के लिए एक आधार पर महगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित सिद्धात नहीं निकला और दरें एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, यहां तक एक ही उद्योग में इस इकाई से उस इकाई में अलग-अलग थीं। कुछ में महंगाई भत्ता मूल मजदूरी के किसी प्रतिशत के आधार पर स्थिर दर से दिया जाता है, दूसरो में क्रमवृद्धि या आय श्रेणियो के अनुसार, तो अन्यत्र प्रति दिन अथवा प्रति मास एक निश्चित धन दिया जाता है और किन्ही दूसरो में वह उपभोक्ता मूल्य सूचनांक से संबंधित है।

१६--उत्तर प्रदेश मे सरकार ने सर्व प्रथम अधिकृत रूप में वस्त्र तथा बिजली उद्योग के लिए महंगाई भत्ते की स्थिर दरें उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अतर्गत निकाले गये ६ दिसम्बर, १९४८ के सरकारी आदेश संख्या ३७५४ (एल-एल)/१८--८९४ (एल)-४८ के द्वारा निर्धारित की। महंगाई भत्ता की दरें निम्न लिखित रूप मे निर्धारित की गईं :—

प्रति अंक-वृद्धि पर महंगाई भत्ता (आनों में)

उपभोक्ता मूल्य-सूचनांक	कानपुर का वस्त्र-उद्योग	कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, मेरठ और बरेली में बिजली प्रतिष्ठान	अन्य स्थानो के बिजली प्रतिष्ठान	
			उपभोक्ता मूल्य-सूचनांक	प्रति अंक-वृद्धि पर अन्य महंगाई भत्ता
	(आनो में)	(आनो में)		(आनो में)
१०० से १२५ ...	...	...	१०० से १२५	...
१२६ से २०० ...	३˙०	२˙५	१२६ से ३००	२˙०
२०१ से ३०० ...	२˙८	२˙४	३०१ से ५००	१˙९
३०१ से ४०० .	२˙७	२˙३	५०१ से ७००	१˙८
४०१ से ५०० ..	२˙५	२˙२	...	..
५०१ से ६०० ...	२˙३	२˙०	...	..
६०१ से ७०० ...	२˙०	१˙८	..	...

बोनस

२०—बोनस भी कर्मचारियों को मिलने वाला एक अतिरिक्त भुगतान है। प्रारंभ में जब कि बोनस की मांगें अभिनिर्णय के लिए प्रस्तुत हुईं तो नियोजको ने यह तर्क किया कि यह एक कृपावश किया गया भुगतान है, इसलिए उसका देना या न देना उनकी इच्छा पर निर्भर है। परन्तु यह तर्क अब कोई नही मानता और बोनस को अब लाभ होने की दशा में एक वैध दावा माना जाता है। देश के सभी औद्योगिक न्यायाधिकरणो ने अतिरिक्त लाभ होने की दशा में बोनस के दावों को स्वीकार कर लिया है। परन्तु अभी तक सब मामलो मे लागू होने वाला बोनस की दरों का एक सिद्धान्त निश्चित नहीं हो पाया है। इसलिए बोनस की दरें प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर हैं। बोनस स्वीकार करते समय दृष्टि में रखने योग्य कुछ शर्तों के बारे में प्रथम बार कुछ एकरूपता अवश्य आई है जबकि भारत के श्रम-अपीली न्यायाधिकरण ने उद्योग के लाभो पर प्राथमिक व्ययो के सम्बन्ध में, जो श्रमिको के बोनस के दावों का विचार करने से पहले कुल लाभ से अवश्य निकाले जाने चाहिए, कुछ सिद्धांत निकाले।

२१—इस संबंध में चीनी उद्योग का उल्लेख आवश्यक है। सर्व प्रथम चीनी उद्योग के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् १९४६ में एक समिति को सौंपा और उस समिति की सिफारिश पर और मालिकों तथा श्रमिको के प्रतिनिधियो में समझौता होन के फलस्वरूप सरकार ने चीनी कारखानो को निर्धारित दर पर बोनस देने का आदेश दिया। उस वर्ष के बाद सरकार ने प्रति वर्ष चीनी कारखानो के कर्मचारियो को बोनस देने के संबंध में आदेश निकालती रही है। चीनी कारखानो के श्रमिको के मामले मे बोनस भुगतान का प्रश्न साधारणतया चीनी के उत्पादन से संबधित है, परन्तु उन कारखानो के मामलो में, जो घाटा प्रमाणित कर सकते हैं, अपवाद भी किए गये है। चीनी कारखानो के कार्मचारियो को दिए जान वाले बोनस का विस्तृत विवरण ११वें अध्याय में दिया गया है।

२२—कुछ कारखानो द्वारा बोनस की घोषणा स्वेच्छा से भी की जाती है। यदि कर्मचारी घोषित दर से संतुष्ट नहीं है तो कभी-कभी मामला औद्योगिक विवाद के रूप में किसी अभिनिर्णायक अधिकारी के सामने जाता है। सन् १९५५ में बोनस के संबध में कई मामले अभिनिर्णय के लिए दिए गये। इस अध्याय के साथ आगे लगी अनुसूची मे सन् १९५५ में बोनस देने वाले कुछ कारखानों के नाम और बोनस की दर तथा धनराशियां दी गई हैं।

अनुसूची

सन् १९५५ के लिये बोनस का विवरण

क्रम-संख्या	उद्योग	कारखान का नाम	बोनस की दर	अवधि	दशायें	विशेष
१	२	३	४	५	६	७
१	वस्त्रोद्योग	दि एलगिन मिल्स कं० लि०, कानपुर	कुल मूल वेतनपर ४ आ० प्रति रुपया	३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाला वर्ष		
२	"	लक्ष्मीरतन काटनमिल्स कं० लि०, कानपुर	कुल मूल मजदूरी का १/८	"		
३	"	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर	प्रत्येक कर्मचारी की गत वर्ष की आय का १२·८ वां भाग	१–४–५४ से ३१–३–५५	यूनियन के साथ हुये समझौते के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को	
४	"	मेसर्स जान्स मिल्स, आगरा	केवल सात दिन की मूल मजदूरी	१९५२–५३	सम्बन्धित वर्ष की कर्मचारी की आय के अनुपात से बोनस अभिनिर्णय के कानून द्वारा लागू होने से ३० दिन के अन्दर भुगतान होने के लिये।	
५	"	ए टैलरी एण्ड सन्स, भदोही	२१ दिन की मजदूरी	१९५३–५४	वर्ष की कुल आय के आधार पर अनुमानित	

६	वस्त्रोद्योग	ई० शोपन एण्ड क० लि०, मिर्जापुर	१ महीने की मूल मजदूरी	१९५२–५३ की कुल आय पर १·३८४ पाई प्रति रुपया की दर से	
७	,,	मेसर्स ई० हिल एण्ड क०, मिर्जापुर	१ महीने की मूल मजदूरी	३१–१२–१९५४ को समाप्त होने वाला वर्ष	
८	पेयो के अतिरिक्त खाद्य	कानपुर शुगर वर्क्स लि० डिस्टिलरी, कानपुर	कुल मूल आय पर ४ आ० प्रति रुपया	३१ अक्तूबर, १९५४ को समाप्त होने वाला वर्ष	
९	,,	कौलागढ़ टी इस्टेट देहरादून	सब कर्मचारियो के लिये जिन्होने १९५३–५४ मे काम किया है (अ) ९० दिन से १७९ दिन तक किये गये काम के लिये १५ दिन की मजदूरी (ब) १८० दिन से २६९ दिन तक के काम के लिये १ महीने की मजदूरी (स) २७० दिन या उससे अधिक दिन काम के लिये १/२ महीने की मजदरी	३ वर्ष १९५१–५२से १९५३–५४	कर्मचारी ने महीने में जितने दिन काम किया है, उसके अनुपात से

१	२	३	४	५	६	७
१०	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	ईस्टहोप टाउन इस्टेट देहरादून	(अ) एक महीने का वेतन उन कर्मचारियों के लिये जिन्होंने १८० दिन काम किया है (ब) पौन महीने का वेतन उन के लिये जिन्होंने ९० दिन या उससे अधिक, किन्तु १८० दिन से कम काम किया है (स) १/२ महीने का वेतन उनके लिये जिन्होंने ३० दिन या उससे अधिक, किन्तु ९० दिन से कम काम किया है	सन् १९५३		..
११	,,	हर्बर्टपुर टी इस्टेट, देहरादून	डेढ़ महीने का वेतन	सन् १९५४		
१२	,,	मर्केडिया टी इस्टेट, देहरादून	मार्च, १९५५ के समझौते का ज्ञापनपत्र	सन् १९५३		
१३	,,	निरञ्जनपुर टी इस्टेट, देहरादून	(अ) ११ महीने की उपस्थिति के लिये ३ सप्ताह का वेतन			

		(ब) ८ महीने की उपस्थिति के लिये २ सप्ताह का वेतन			
		(स) ५ महीने की उपस्थिति के लिये १/२ सप्ताह का वेतन			
		(द) ३ महीने की उपस्थिति के लिये १ सप्ताह का वेतन अतिरिक्त श्रमिकः—			
		(ई) २ महीने की उपस्थिति के लिये १ सप्ताह का वेतन			
		(फ) एक महीने की उपस्थिति के लिये ५ रुपये			
पयो के अतिरिक्त खाद्य	रामलक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीनपुर	(अ) पेराई के मौसम मे ६ महीने या अधिक के काम के लिये एक महीने का वेतन	१९५४–५५ के मौसम के लिये	एक महीने की गिनती के लिये दिनों की संख्या ३० ली जायगी। एक महीने का भाग या १५ दिन से कम तथा १५ दिन से अधिक को क्रमशः कोई महीना नहीं और एक महीना माना जायगा	अग्रिम दिया गया धन सरकार द्वारा १९५४–५५ के मौसम के लिये निश्चित बोनस के हिसाब में लगा लिया जायगा

१	२	३	४	५	६	७
			(ब) मौसम म ६ महीने से कम काम के लिये प्रति महीने पर ५ दिन का वेतन			
१५	पेयो के अतिरिक्त खाद्य	हिंदुस्तान वनस्पति मैनूफैक्चरिंग क० लि०, गाजियाबाद	महंगाई भत्ता और बोनस निकाल कर कर्मचारी की कुल मजदूरी का १/४	सन् १९५४		१—ऐसे अनाचरण के लिये बर्खास्त किये गये व्यक्तियो को, जिससे कम्पनी को आर्थिक हानि हुई है, उस हानि को काट कर भुगतान किया जायगा। २—उन व्यक्तियो को जो कृपारूप भुगतान के पाने के अधिकारी है परन्तु अब कम्पनी की नौकरी मे नही है, ४ महीने के अन्दर अपना दावा पेश करने पर एक महीने के अन्दर भुगतान किया जायगा
१६		मोदी कन्फेक्शनरी फंक्टरी, मोदीनगर	सब कर्मचारीयो को १६ दिन का वेतन	१९५४		
१७		मोदी बिस्कुट फैक्टरी, मोदीनगर	पूरे वर्ष नौकरी के लिये सब कर्मचारियो को १६ दिन का वेतन	१९५८		प्रबन्धको तथा मजदर सभा के बीच हुये समझौते के अनुसार

१८	पर्वों के अति-रिक्त लाभ	देहरादून टी० कं० लि०, (हरबंश वाला डिवीज़न), देहरादून	२ महीने का वेतन, वास्ते:—	१९५४
			(१) जिन्होंने पूरे ३० दिन काम नही किया अधिकारी नही है	
			(२) ९० दिन से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को ३० दिन की मजदूरी दी जायगी	
			(३) जिन्होने ८९$\frac{1}{2}$ दिन, किन्तु १८० दिन से कम काम किया है, उनके लिये ४५ दिन की मजदूरी	
			(४) जिन कर्मचारियो ने ११० दिन या अधिक काम किया है, वे ६० दिन की मजदूरी पायेंगे	
		अकडिया टी इस्टेट, देहरादून	२ महीने का वेतन	१९५४
			(१) ६० दिन की मजदूरी उन कर्मचारियों के लिये जिन्होने १८० दिन या अधिक काम किया है	

१	२	३	४	५	६	७
			(२) ४५ दिन की मजदूरी उनके लिये जिन्होने ८९½ दिन लेकिन १८० दिन से काम कम किया है (३) ३० दिन की मजदूरी उन कर्मचारियों के लिये जिन्होने २९½ दिन से अधिक किन्तु ९० दिन से कम काम किया है			
२०	पेयो के अतिरिक्त खाद्य	रायपुर टी इस्टेट, निरन्जनपुर, देहरादून	(अ) पुरुष— सन् १९५४ में जिन्होने वास्तव में २४० दिन काम किया है उन्हें मूल १ मास की मासिक मजदूरी का ड्योढ़ा (ब) स्त्रियां— सन् १९५४ में १९० दिन काम करने वाली को १ महीने की मूल मजदूरी	१९५४		
२१		मेसर्स दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ	साढ़े तीन महीने की कुल मजदूरी वेतन बोनस देना तय हुआ	१९५२–५३	इस मामले म दोनो पक्षो म समझौता हो गया । समझौते को अभिनिर्णय की भांति लागू करना था	

२२	पेयो के अति-रिक्त खाद्य	मोदी शुगर मिल्स, लि० मोदीनगर (मेरठ)	प्रति दिन भुगतान पाने वाले कर्मचारियों की कुल आय का १/६ बोनस दिया गया	१९५२–५३
२३	,,	मोदी नगर वनस्पति मैन्यू फैक्चरिंग कं०, मोदीनगर (मेरठ)	विवाद ग्रस्त वर्ष में आय के तिहाई की दर से बोनस स्वीकार हुआ	१९५२–५३
२४	,,	उन्नाव राइस ऐण्ड आयल मिल्स, उन्नाव	सन् १९५३ में नौकरी के समय के अनुपात से ३३ दिन की मजदूरी	१९५३
२५	,,	मेसर्स श्री श्याम नाथ मिल्स लि०, सीतापुर	कर्मचारियों की वार्षिक आय के अनुपात से १० दिन की मूल मजदूरी, कुल ३० दिन की मूल मजदूरी	१९५२–५३, १९५३–५४ तथा ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले अर्थिक वर्ष
२६	,,	मेसर्स विक्टर आइस फैक्टरी, लखनऊ	(अ) प्रत्येक कर्मचारी को, जिसने गत वर्ष काम किया है और अब भी कर रहा है ७–०–० रु०	१९५३–५४

१	२	३	४	५	६	७
			(ब) प्रत्येक कर्मचारी को जिसने गत वर्ष ३ महीने से अधिक काम किया और छंटनी में आ गया है रु० ५—०—०			
२७	पेयो के अति-रिक्त लाभ	हरियाना आयल मिल्स,लखनऊ	वर्ष में जिसने ४ महीने से अधिक काम किया है उस प्रत्येक कर्मचारी को रु० ५—०—०	१९५३—५४		
२८	,,	गुरु नानक आयल मिल्स ऐण्ड आइस फैक्टरी लि०, इलाहाबाद	एक महीने का वेतन	१९५४	प्रबन्धको के प्रतिनिष्ठान के पुरस्कार के रूप में	
२९	,,	लिप्टन लि०, इलाहाबाद	१ महीने का मूल वेतन या ५० रु० जो भी अधिक हो	१९५४	उन सब विद्यमान कर्मचारियो को प्राप्य जो ३१ दिसम्बर, १९५४ को कम्पनी के रजिस्टर में थे	
३०	,,	दि रिहाना शुगर मिल्स को० लि० (शाहगंज), जौनपुर	१ आना ९ पाई प्रति रुपया	१९५४—५५	अन्तरिम विवाद पर दिये गये निर्णय के अनुसार परिवर्तन के अधीन	

३१	पेयों के अति-रिक्त खाद्य	राज्य के चीनी कारखाने	सरकारी आदेश संख्या ७०९५ (एस-टी)/३६-ए--७१ (एस-टी)-५३, दिनांक १० जनवरी, १९५५ तथा १४५० (एस-टी)-३६-ए--७१ (एस-टी)/५४, दिनाक २५ मार्च, १९५५ के अनुसार विभिन्न दरों से	१९५३-५४	(१) कारखाने के उन सब कर्मचारियों को बोनस दिया जायगा, जिन्होंने १९५३-५४ के पेराई के मौसम में कारखाने से मजदूरी और वेतन पाया । (२) बोनस प्रत्येक कर्मचारी की १९५३-५४ के पेराई के मौसम की आय के अनुपात से दिया जायगा (३) यदि कारखाने का कोई कर्मचारी मर गया है तो उसके उत्तराधिकारी को बोनस मिलेगा (४) यदि किसी कर्मचारी को कोई बोनस दिया जा चुका है तो वह वापस नहीं लिया जा सकता
३२	चमडा और चमडा के सामान (जूतो को छोडकर)	दि यू० पी० टैनरी लि०, जाजमऊ, कानपुर	सन् १९५४ मे अर्जित कुल मूल मजदूरी पर २ आना ६ पा० प्रति रुपया	१९५४	
३३	,,	इडियन नेशनल टैनरी, कानपुर	कुल मूल मजदूरी पर २ आ० प्रति रुपया	१९५४-५५	
३४	,,	शिवान- टैनरी, कानपुर	कुल मूल मजदूरी पर सवा दो आना प्रति रुपया		

१	२	३	४	५	६	७
३५	चमड़ा और चमडा के सामान (जूतो को छोड़कर)	यूनियन माडल टैनरी, कानपुर	कुल मूल मजदूरी पर सवा दो आना प्रति रुपया	१९५४–५५		
३६	”	यूनिवर्सल टैनरी, कानपुर	”	”		
३७	”	पायोनियर टैनरी	”	”		
३८	”	लारी टैनरी	”	”		
३९	”	हिंदुस्तान टैनरी, कानपुर	”	”		
४०	”	जाजमऊ टैनरी, कानपुर	”	”		
४१	जूते, पहनने के वस्त्र और तैयार वस्त्र	इंडिया आर्मी ऐण्ड पुलिस इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर	६ पा० प्रति रुपया	१९५३–५४		
४२	”	जानकी सरन कैलाशचन्द्र धामपुर	प्रत्येक कर्मचारी को डेढ़ महीने की मजदूरी	१९५२–५३		यह बोनस मामला संख्या १७ (आर) ५४, दिनांक १७ जनवरी, १९५५ ई० के अभिनिर्णय में घोषित किया गया

४३ कागज और कागज की वस्तुयें	मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स, मेरठ	(अ) १ दिन की मजदूरी (ब) १ ३/४ दिन की मजदूरी (स) ४ दिन की मजदूरी (द) ३ दिन की मजदूरी	दिसम्बर, १९५४ जनवरी, १९५५ फरवरी, १९५५ मार्च, १९५५	महीने में कर्मचारियो के काम के दिनों की संख्या के अनुपात से
४४ ,,	अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स कं० लि०, लखनऊ	१ महीने की मजदूरी	१९५४	
४५ बिजली, गैस और भाप	सहारनपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं० लि०, सहारनपुर	(अ) स्थायी कर्मचारियो को जिन्होने १२ महीने की नौकरी पूरी कर ली हैं २ महीने का बोनस (ब) दूसरे कर्मचारियो को उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार उसी अनुपात से	१९५४–५५	
४६ ,,	दि मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, मिर्जापुर	२७ दिन की मूल मजदूरी के लगभग	१९५४	सब स्थायी कर्मचारियो को तथा स्थायी पदो पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को दिया गया

१	२	३	४	५	६	७
४७	बिजली गैस और भाप	पीलीभीत एलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, पीलीभीत	प्रत्येक कर्मचारी को ६ महीने की मजदूरी	१९५४–५५	बोनस उन कर्मचारियो को दिया जायगा जिन्होने वर्ष भर मे १२ महीने नौकरी की है और १२ महीने से कम करने वालो को उसी अनुपात से दिया जायगा	इस बोनस के लिये संराधन मंडल के मामले संख्या १० (बी)/ ५५ में समझौता हुआ
४८	बिजली की मशीनरी के अतिरिक्त अन्य मशीनो का निर्माण	डेल्टा इंजीनियरिंग कं० लि०, मेरठ	कुल लाभ का २२ प्रतिशत	१९५३–५४		
४९	,,	लायलपुर इंजीनियरिंग कं० गाजियाबाद, मेरठ	सन् १९५३–५४ की आय का १/२४ बोनस दिया गया। यह समझौता हुआ कि वर्तमान कर्मचारी जिनकी सीधी भरती कम्पनी की और जिन्होंने ३ महीने से अधिक कारखाने मे नौकरी कर ली है, बोनस के अधिकारी है।	१९५३–५४		इस मामले में पक्षों में समझौता हुआ। पक्षो में हुये समझौते को अभिनिर्णय की भांति लागू किया गया

५०	बिजली की मशीनरी के अतिरिक्त अन्य मशीनो का निर्माण	मशीन्स एन्ड स्पेयर्स (इडिया) लि०, सहीबाबाद (गाजियाबाद)	कारखाने मे काम करने वाले सब कर्मचारियों को १५ दिन की कुल मजदूरी के बराबर बोनस स्वीकृत हुआ			इस मामले में पक्षो में समझौता हुआ। पक्षो में हुए समझौते को अभिनिर्णय की भांति लागू किया गया
५१	,,	मेसर्स प्रिंटिंग मशीन्स मैन्यूफैक्चरिंग कं०, आगरा	२१ दिन का वेतन	१९५४–५५	बोनस उन सब कर्मचारियो को, जो ३१ मार्च, १९५५, को काम करते थे और आज भी काम कर रहे है, प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति के अनुपात से मिलेगा और दिवाली को बांटा जायगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियो द्वारा कठिन परिश्रम करने के आश्वासन का विचार कर के मालिकों ने लाभ हो चाहे घाटा सन् १९५८–५९ तक	

१	२	३	४	५	६	७
					प्रति वर्ष दिवाली पर १५ दिन का बोनस देना स्वीकार किया है और अधिक बोनस की मांग पर भी विचार किया जा सकता है, यदि वर्ष में भारी लाभ होता है	
५२	बिजली की मशीनरी के अतिरिक्त अन्य मशीनरी का निर्माण	एमलगमेटिड इजीनियरिंग, लखनऊ	एक दिन का वेतन	१९५३–५४	बोनस स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। २० रु० या उससे कम पाने वाले कर्मचारियों को भी २ रु० मिलेंगे	
५३	"	जनरल इजीनियरिंग वर्क्स, लखनऊ	(१) २ दिन की मजदूरी उनको जो ६० रु० या ६० रु० से कम प्रति मास पाते हैं (२) एक दिन की मजदूरी उनको जो ६० रु० से अधिक प्रति मास पाते हैं	"	बोनस उन लोगों को मिलेगा जो इस समय कारखाने में काम कर रहे हैं	

५४	,,	मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियरिंग ऐण्ड कंस्ट्रक्शन कं० लि०, लखनऊ	प्रत्येक कर्मचारी को ४ रु०	१९५३–५४	
५५	,,	इंपीरियल सर्जिकल कं०, लखनऊ	प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को ५ रु०	१९५२–५३	
५६	,,	इंपीरियल सर्जिकल क०, लखनऊ	,,	१९५३–५४	
५७	,,	लक्ष्मी इंजीनियरिंग कं०, इलाहाबाद	२०० रु० सब कर्मचारियो मे उनकी सन् १९५४ की आय के अनुपात से	१९५४	
५८	,,	साइंटिफिक इंस्ट्रूमेन्ट कं०, इलाहाबाद	डेढ महीने की मूल औसत मासिक आय	१९५३–५४	उनको जो दुराचरण के लिए नौकरी से नही हटाये गये है और ३० दिन काम किया है
५९	धातुओ की वस्तुओ का निर्माण	मेसर्स हिंद लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद	३२,००० रु०	१९५३ के लिए	जिन कर्मचारियो को ऐसे दुराचरण के लिए, जिससे कंपनी को आर्थिक हानि हुई हो, बर्खास्त किया गया होगा उनके बोनस मे से जितनी मात्रा मे हानि हुई होगी उतना काट लिया जायगा

१	२	३	४	५	६	७
६०	धातुओं की वस्तुओं का निर्माण	आगरा टिन मैन्यूफैक्चरिंग कं०, आगरा	एक महीने का वेतन	१९५४–५५		
६१	"	इंडिया केमिकल लेबरेटरीज ऐण्ड मेटल वर्क्स, बनारस	सब कर्मचारियों को १२ दिन की मजदूरी	१९५३		
६२	"	मेटल गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, बनारस	वार्षिक मजदूरी का १/१२	१९५४		
६३	बुनियादी धातु उद्योग	जे० के० आयरन ऐण्ड स्टील कं० लि०, कानपुर	कुल मूल आय पर ४ आना प्रति रुपया	३० अप्रैल, १९५५ पर समाप्त होने वाला वर्ष		
६४	"	"	"	३० अप्रैल १९५५ को समाप्त होने वाला वर्ष		
६५	"	ब्राम शीट मिल्स, मुरादाबाद	एक महीने की मजदूरी	१९५१		बोनस देना अभिनिर्णय मामला न० १४(आर)/५३ में ५ नवम्बर, १९५५ ई० को तय हुआ

६६	पेय	बि कोआपरेटिव कं० लि० डिस्टिलर्स, सहारनपुर	३ महीने का वेतन	१९५४–५५	
६७	,,	स्टैण्डर्ड रिफाइनरी ऐण्ड डिस्टिलरी, उन्नाव	१ महीने की मूल मजदूरी	१९५३	बोनस उन कर्मचारियों को जिन्होंने सन् १९५० में एक महीने से अधिक काम किया ह उनकी नौकरी के दिनों के अनुपात से मिलेगा। किसी भी कर्मचारी को २९ रु० से कम नही मिलेगा
६८	विविध	एल० पी० नागर ऐंड कं०, मथुरा	१½ महीने का वेतन	१९५४–५५	बोनस सब कर्मचारियो को डेढ़ महीने के अन्दर मिल जायगा। जिन कर्मचारियो ने १ वर्ष से कम काम किया है उसी अनु–पात से पायेंगे
६९	,,	,,	७,००० रु०	१९५३–५४	जैसा कि क्रम–सख्या ५९ के स्तंभ मे है
७०	,,	भारत इडस्ट्रियल वर्क, लखनऊ	नौकरी के समय के अनु-पात से सब को ५ दिन की मजदूरी	१९५३–५४	तीन मास से कम नौकरी वाले श्रमिको को बोनस नही मिलेगा

१	२	३	४	५	६	७
७१	विविध	दि लखनऊ गैरिज, लखनऊ	(अ) १० रु० प्रत्येक कर्मचारी को (ब) ५ रु० प्रत्येक वेतन न पाने वाले शिक्षणार्थी को	१९५३–५४		
७२	,,	उबराय लि०, लखनऊ	प्रत्येक कर्मचारी को ६० रु०	१९५३		
७३	,,	दि बनारस स्टेट बैंक लि०, बनारस	१ महीने की मूल मजदूरी	३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाला वर्ष		
७४	,,	इंडिया वुड प्रोडक्ट्स क० लि०, इज्जतनगर, बरेली	सन् १९५४ की मूल मजदूरी के योग का १/३	१९५४	बोनस कारखाने ने स्वेच्छा से घोषित किया और भुगतान किया। वह २६ अप्रैल, १९५५ को घोषित किया गया	
७५		बर्मा शेल आयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क० आफ इंडिया, नई दिल्ली	श्रमिकों की श्रेणी के लिए वर्ष में अर्जित मूल मजदूरी का १/३	१९५३–५४	बोनस उन क्लर्क तथा श्रमिक कर्मचारियों को दिया जायगा जिन्होंने १९५३–५४ में ६० दिन या इससे अधिक काम किया	इस बोनस पर संराधन मंडल मुकदमा सख्या २–ए० एल० सी० (ई-)/५५ में दिनांक १० सितम्बर, १९५५ को समझौता हुआ

७६	विविध	दि स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कं०, नई दिल्ली	केन्द्रों के लिये वर्ष में अर्जित मूल वेतन का ७/२४	...	बोनस का हिसाब मूल मजदूरी, जिसमे कि ओवर टाइम आदि भी शामिल हैं, के आधार पर लगाया जायगा और भुगतान किया जायगा
७७	"	कालटेक्स (इंडिया) लि० नई दिल्ली			कंपनी को आर्थिक हानि पहुंचाने वाले किसी दुराचरण के लिए नौकरी से हटाये जाने वाले कर्मचारियों को जिस वर्ष में उन्हे हटाया जायगा कोई बोनस नहीं मिलेगा
७८	"	इंडो बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०, कलकत्ता			कर्मचारी जो बोनस पाने के अधिकारी हैं किंतु अब काम नही कर रहे हैं दिनांक से ६ महीने के अन्दर प्रार्थना-पत्र देने पर अपना भाग पा सकते हैं

१	२	३	४	५	६	७
७९	विविध	श्री गोयनका मिल्स, शिवपुर, बनारस	४० दिन की मजदूरी	१९५३–५४	केवल उनको जिन्होने ६ महीने काम किया है	—
८०	परिवहन और परिवहन सामग्री	यू० पी० मोटर क०, लखनऊ	प्रत्येक कर्मचारी को १ दिन की मजदूरी	१९५२–५३		
८१	"	"	"	"		
८२	"	नरायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ	"	१९५२–५३		
८३	मुद्रण, प्रकाशन तथा सम्बन्धित	इलाहाबाद ला जनरल कं० लि०, इलाहाबाद	दिसम्बर १९५४ की मूल आय का १/४	१९५४	राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के सामने हुए समझौते के अनुसार	
८४	"	शांति प्रेस लि०, इलाहाबाद	१० दिन का वेतन	१९५४	राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण संदर्भ ८३/५५ में घोषित निर्णय के अनुसार वितरित	
८५	"	इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद	१ महीने का औसत वेतन	१९५४–५५	उनको जिन्होने ४ महीने काम किया है	

८६	,,	इलाहाबाद क्रिश्चियन प्रेस, इलाहाबाद	१ महीने की मूल मजदूरी	जुलाई, १९५४ से जून, १९५५	बोर्ड द्वारा स्वीकृत	
८७	रासायनिक तथा रासायनिक उत्पादन	वेस्टर्न इंडिया मैच क० लि०, क्लटरबकगंज, बरेली	सन् १९५५ की कुल आय का ३/८	१९५५	(अ) जिन कर्मचा-रियों ने १२ महीने से कम काम किया है आनुपातिक बोनस पायेंगे (ब) जिन कर्मचारियो ने ३१ दिसम्बर, १९५५ के पहले नौकरी छोड़ दी है उन्हें और बाते समान होने पर प्रबन्धकों की इच्छानुसार दिया जायगा (स) जो कर्मचारी दुराचरण के लिए नौकरी से हटाये गये हैं, बोनस पाने के अधिकारी नही ह	इस बोनस की घोषणा कारखाने ने २४ दिसम्बर, १९५५ को की

१	२	३	४	५	६	७
८८	,,	इंडिया टरपेण्टाइन रोजिन ऐण्ड बाविन कं० लि०, क्लटरबकगंज, बरेली	वर्ष में ३ महीने की मजदूरी	१९५४		बोनस स्वेच्छा से घोषित और भुगतान किया गया
८९	तम्बाकू और ताम्बकू के उत्पादन	एच० एम० मुस्तफा टुबैको कारखाना, गाजीपुर	सब कर्मचारियो ,को २,००० रुपया उनकी १९५४ की आय के अनुपात से	१९५४		
९०	,,	चीता फाइट बीडी फैक्टरी, इलाहाबाद	१,००० रु०	१९५३–५४	दो किश्तो मे बांटा गया	
९१	अधातविक खनिज उत्पादन	इंडियन ह्यूम पाइप कं० लि०, लखनऊ	कर्मचारी की आय के अनु–पात से १९५३–५४ की कुल मजदूरी का ८ सप्ताह का भाग	१९५३–५४		
९२	जल तथा स्वच्छता सेवायें	रिलाएबिल वाटर सप्लाई सर्विस आफ इंडिया लि०, लखनऊ	प्रत्येक कर्मचारी को १ दिन की मजदूरी	१९५२–५३		

अध्याय १३

त्रिदलीय विचार-विनिमय

वर्तमान युग में औद्योगिक रूप से विकसित विश्व के प्रायः सभी देशो मे अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि श्रमक्षेत्र में त्रिदलीय सम्मेलनो का होना महत्त्वपूर्ण है। किसी भी सरकार की औद्योगिक शांति और सद्भावना कायम रखने--सम्बन्धी श्रमनीति का स्वरूप निश्चित करने तथा श्रम कल्याण का स्तर निर्धारित करने में ऐसे विचार विनिमय का जो योग है वह सब को भलीभांति विदित है। 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनका स्वरूप भी इसी त्रिदलीय विचार-विनिमय के सिद्धात पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के प्रारंभिक एशियायी प्रादेशिक सम्मेलन की बैठक दिल्ली मे सन् १९४७ मे हुइ थी, उसमे यह प्रस्ताव हुआ था कि सरकारे अपने-अपने देशो मे त्रिदलीय सगठन कायम करने की बात पर विचार करे। इन संगठनों के साथ ही ऐसी समितियां भी होनी चाहिये जो विशेष समस्याओ को सुलझाने मे समर्थ हो। इन त्रिदलीय सघो मे सरकारी कारखाने के मालिको तथा श्रमिको के प्रतिनिधि होने चाहिये। सम्मेलन ने यह भी निश्चय किया था कि सरकारो को अपनी श्रम सम्बन्धी और आर्थिक नीति बनाने के मामलो मे, जिनमे कानून बनाना और उनका लागू करना भी सम्मिलित है, और अपने त्रिदलीय संगठनों से परामर्श करना चाहिए।

२--प्रारम्भिक एशियायी प्रादेशिक सम्मेलन के पहिले ही भारत ने त्रिदलीय विचार-विनिमय के सिद्धान्त को अपना लिया था। भारत मे द्वितीय विश्व युद्ध के समय मे ही ऐसे विचार-विनिमय की आवश्यकता को श्रमिको, मालिको और सरकार के प्रतिनिधियो ने अनुभव किया था। यह वह समय था जबकि युद्ध प्रयत्नो और सरकार की श्रमनीति के प्रति श्रमिकों अ र मिल मालिकों के हार्दिक सहयोग को बहुत ही आवश्यक समझा जाता था। प्रथम त्रिदलीय सम्मेलन अर्थात् चतुर्थ श्रम सम्मेलन सन् १९५२ के नवम्बर मे हुआ था। इसके पूर्व तीन और भी श्रम सम्मेलन हो चुके थे, किन्तु ये त्रिदलीय ढंग के नही थे। इस सम्मेलन का नाम बाद को बदलकर भारतीय श्रम सम्मेलन कर दिया गया जो अब श्रम-विषयक मामलो मे विचार-विनिमय का नियमित अखिल भारतीय रूप हो गया है। भारत के विभिन्न उद्योगो की विशिष्ट समस्याओ के समाधानार्थ विभिन्न औद्योगिक समितियां भी है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर श्रम सम्बन्धी प्रश्नो पर त्रिदलीय आधार पर विचार-विनिमय करने के लिये एक और भी सस्था है। इस संस्था का नाम है केन्द्रीय स्थायी श्रम समिति।

३--विदित होगा कि उपर्युक्त त्रिदलीय सम्मेलन और समितिया अखिल भारतीय सस्थाये है और उनमे श्रम-सम्बन्धी उन सभी प्रश्नो पर विचार किया जाता है, जिनका प्रभाव सारे देश पर पड़ सकता है।

अखिल भारतीय समस्याओ के अतिरिक्त राज्य सरकारो को भी अपने राज्य मे अपनी निजी श्रम समस्याओ का सामना करना पडता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे बहुत

पहिले ही अनुभव कर लिया था और एक त्रिदलीय श्रम सम्मेलन सर्वप्रथम कानपुर में सन् १९४७ में किया गया था। इस सम्मेलन के कार्य से उत्साहप्रद परिणाम प्रगट हुये इसलिये, इसी प्रकार का एक अन्य सम्मेलन अर्थात् उत्तर प्रदेशीय त्रिदलीय श्रम सम्मेलन जिसमें राज्य का समस्त क्षेत्र सम्मिलित था, मई सन् १९४८ में किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी त्रिदलीय श्रम सम्मेलनो तथा समितियो की सूची नीचे दी जा रही है :--

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा निर्मित :--

(१) उत्तर प्रदेशीय श्रम त्रिदलीय सम्मेलन ;

(२) आवास मण्डल :--जिसका निर्माण उत्तर प्रदेशीय चीनी एव मद्यसार उद्योग, श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

(३) परामर्शदात्री समिति :--इसका संगठन उत्तर प्रदेशीय चीनी एव मद्यसार उद्योग, श्रम कल्याण तथा विकास कोष अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।

(४) उद्योग त्रिदलीय समितियां :--इनका सगठन विभिन्न उद्योगो, जैसे चीनी, वस्त्र और चमड़े आदि के उद्योगो के लिये किया गया है।

(५) राज्य श्रम कल्याण परामर्शदात्री समिति।

(६) विभिन्न जिला श्रम परामर्शदात्री समितियां।

(७) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम् वेतन परामर्शदाता मण्डल।

(८) चीनी उद्योग के लिए बोनस समिति।

(९) चीनी उद्योग के लिए रिटेनिग भत्ता समिति।

उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित :--

१०--कर्मचारी प्राविडेड फंड योजना, उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक समिति।

११--कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक मण्डल।

१२--प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश।

१३--उप-प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समिति।

४--उत्तर प्रदेश की उन त्रिदलीय संस्थाओ के विधान, स्वरूप तथा कार्यविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :--

(१) उत्तर प्रदेशीय श्रम-त्रिदलीय सम्मेलन :--जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सम्मेलन सर्वप्रथम मई, १९४८ में हुआ। यह सम्मेलन अब एक नियमित सस्था है और श्रमिकों, नियोजको तथा सरकार के प्रतिनिधियों को अवसर प्रदान करती है कि वे राज्य के विभिन्न उद्योगो पर प्रभाव डालने वाली श्रम समस्याओ पर विचार-विमर्श करें। इस सम्मेलन में नियोजको, श्रमिकों और सरकार के प्रतिनिधि होते है, तथा सदस्यता अस्थायी आधार पर एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक ही रहती है।

(२) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग, श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधि-नियम के अंतर्गत निर्मित आवास मण्डल :--उत्तर प्रदेशीय चीनी, एवं मद्यसार उद्योग, श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधिनियम, १९५१ के अतर्गत आवासमण्डल की स्थापना अधिनियम के अंतर्गत राज्य मे औद्योगिक आवास की योजना को समुचित प्रशासन के लिए की गई थी। इस मंडल में सरकार, नियोजको तथा श्रमिकों के प्रति-निधि है और उत्तर प्रदेश के श्रम हितकारी कमिश्नर इसके अध्यक्ष हे। इस मंडल की बैठके सन् १९५५ मे दो बार हुई, जिनमें योजना के अंतर्गत गृह निर्माण-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयो पर विचार-विनिमय किया गया।

(३) उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग, श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत परामर्शदात्री समिति :--इस परामर्शदात्री समिति की स्थापना सरकार ने उत्तर प्रदेशीय चीनी एवं मद्यसार उद्योग, श्रम-कल्याण तथा विकास-कोष अधिनियम, १९५१ के अंतर्गत किया है। उत्तर प्रदेश के श्रम मत्री इस समिति के अध्यक्ष है और नियोजको, श्रमिको और सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य है। अधिनियम के अंतर्गत योजना को सुचारुरूप से संचालित करने के संबध में यह परामर्शदात्री समिति सरकार को सलाह दिया करती है। सन् १९५५ में इस समिति की बैठकें दो बार हुई है।

(४) विभिन्न औद्योगिक त्रिदलीय समितियां जो चीनी, सूती वस्त्र तथा चमडे आदि उद्योगो के लिये संगठित हुई है :--राज्य की श्रम-सम्बन्धी सामान्य समस्याओ के अति-रिक्त, जिन पर उत्तर प्रदेशीय त्रिदलीय सम्मेलन विचार करता है, कभी-कभी विशेष उद्योगों को प्रभावित करने वाली विचित्र समस्याये होती हैं। ऐसी समस्याये औद्योगिक समितियों में विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। इनकी सदस्यता भी अस्थायी आधार पर होती है। उत्तर प्रदेशीय चीनी उद्योग समिति और उत्तर प्रदेशीय सूती वस्त्र उद्योग समिति की बैठके भी भूतकाल मे हो चुकी हैं। किंतु सन् १९५५ मे इन समितियो की कोई बैठक नहीं हुई, क्योकि, कोई ऐसी विशेष महत्व की समस्यायें विचार के लिये सामने नहीं आई, जिनका प्रभाव उन उद्योगो पर पड़ता हो।

(५) राज्य श्रम हितकारी परामर्शदात्री समिति :--इस समिति के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री और उत्तर प्रदेश के श्रम कमिश्नर महोदय इस समिति के सचिव है। समिति के सदस्यों में नियोजको, श्रमिको, और सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस समिति का कार्य उत्तर प्रदेशीय सरकार के श्रम हितकारी कार्यो के सम्बन्ध मे आवश्यक परामर्श देना है। सन् १९५५ के अक्तूबर मास मे इस समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक मे जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार है :--

(१) विभिन्न श्रम हितकारी संस्थाओं के कार्यो का परस्पर सम्बन्ध, और

(२) राजकीय श्रमहितकारी केन्द्रो मे सम्पादित कल्याण-कार्य की प्रगति।

(६) विभिन्न जिला श्रम–कल्याण परामर्शदात्री समितिया :—उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, जहा पर सरकारी श्रम हितकारी केन्द्र है, वहा जिला श्रम हितकारी परामर्शदात्री समितियां है। कानपुर जिला समिति के अध्यक्ष श्रम कमिश्नर महोदय है। और श्रम हितकारी अधिकारी सचिव है। अन्य जिला समितियो के अध्यक्ष जिले के जिलाधीश तथा स्थानीय श्रमहितकारी केन्द्रो के प्रधान उनके सचिव हुआ करते थे, किंतु अब इन समितियो के विधान मे परिवर्तन कर दिया गया है। क्योकि, जिलाधीशो को इतना समय नही मिल पाता कि वे इस प्रकार के कार्यों की देखभाल कर सकें अतएव अब इन समितियो के अध्यक्ष गैर–सरकारी होगे। सन् १९५५ में इन समितियो की बैठके राज्य के सभी जिलों मे उन स्थानो पर हुई, जहा उनकी स्थापना की गई थी।

•(७) उत्तर प्रदेशीय न्यूनतम वेतन परामर्शदाता मडल :—इस मडल की स्थापना मार्च, १९५३ मे समितियो तथा उप–समितियो के कार्यो के समायोजनार्थ तथा वेतन की न्यूनतम दरो के निर्धारण एवं संशोधन के मामलो पर सरकार को आवश्यक परामर्श देने के लिए की गई थी।

५—उपर्युक्त समितियो और सम्मेलनो के अतिरिक्त, जिन्हे राज्य सरकार की ओर से संगठित किया गया है, अन्य त्रिदलीय सस्थायें भी है, जो राज्य में कार्य कर रही है। इन संस्थाओ का संगठन भारत सरकार एवं अन्य अर्द्ध सरकारी सगठनो द्वारा किया गया है। इन त्रिदलीय सस्थाओ का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(१) उत्तर प्रदेशीय कर्मचारी प्राविडेंट फंड योजना की प्रादेशिक समितिः—इस समिति मे दो सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत है और नियोजको और श्रमिको के तीन–तीन प्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव उसके अध्यक्ष, और प्रादेशिक प्राविडेंड फड कमिश्नर सचिव है। यह प्रादेशिक समिति केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश की कर्मचारी, प्राविडेट फंड योजना के संचालन-सम्बन्धी मामलो मे परामर्श देती है।

(२) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर का प्रादेशिक मडल —कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस प्रादेशिक मडल को राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा २५ के अतर्गत बनाया है। उत्तर प्रदेश के श्रम कमिश्नर श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस० इस मडल के अध्यक्ष एव कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक निर्देशक इसके सचिव है तथा नियोजको व श्रमिको के प्रतिनिधि इसके सदस्य है। तब इस मडल का कार्य केवल परामर्श देना था। इसके बाद उसे विस्तृत प्रशासकीय अधिकार भी दे दिये गये। इस पुनर्संगठित मंडल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री है। इसमे उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश सरकारो के प्रतिनिधि रहते है (क्योकि, ये तीनो राज्य कानपुर क्षेत्र मे है), इनके अतिरिक्त नियोजको और कर्मचारियो के प्रतिनिधि भी इस मंडल के सदस्य है।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम, कानपुर के निर्देशक इस सस्था के सचिव है। पुनस्सगठित मंडल की एक बैठक सितम्बर, १९५५ मे हुई, जिसमे कई आवश्यक प्रश्नो पर विचार

किया गया। इस बीमा योजना का विस्तार प्रदेश के अन्य स्थानों में बढ़ाने तथा अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियो को अधिकार प्रदान करने पर विचार किया गया।

(३) प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समिति, उत्तर प्रदेश :—इस समिति का निर्माण भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुनर्वास और नियोजन के प्रादेशिक निर्देशक को नियोजन संस्थाओ की कार्यविधि एव प्रशिक्षण योजनाओ के सम्बन्ध मे परामर्श देने के लिये किया है। इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पुनर्वास एवं नियोजन विभाग के निर्देशक हैं। सदस्यो मे उत्तर प्रदेशीय सरकार, नियोजकों और श्रमिको एवं अन्य हितो के प्रतिनिधि हैं।

(४) उत्तर प्रदेश के समस्त केन्द्रो मे, जहां नियोजन संस्थाएं है, परामर्श देने के लिये उप-प्रादेशिक नियोजन परामर्शदात्री समितियो :—इन समितियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा इसलिये किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश मे नियोजन संस्थाओ को परामर्श देने का कार्य करे। जिले के जिलाधीश, जहां नियोजन संस्था स्थित है, इस समिति के अध्यक्ष होते है और सम्बन्धित नियोजन संस्था के नियोजन अधिकारी उनके सचिव होते हैं। अन्य जिलो के ऐसे जिलाधीश, जिनका संबंध नियोजन संस्था से है, वे और नियोजकों और कर्म-चारियो के प्रतिनिधि इन समितियो के सदस्य होते हैं।

अध्याय १४

श्रम कानूनों का प्रशासन

राज्य सरकार ने श्रम कानूनो को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के हेतु समुचित व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता को सदैव ध्यान मे रखा है। और श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न श्रम कानूनो को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियो की संख्या बढ़ायी गयी। इस अध्याय मे, सन् १९५५ मे विभिन्न श्रम कानूनों के प्रशासन की प्रगति का विवरण दिया गया है।

२—निम्नलिखित तालिका मे उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रशासित विभिन्न कानूनो, सम्बन्धित प्रशासनीय अधिकारियों तथा उक्त कानूनो को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियो का विवरण दिया गया है :—

कानून और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम	प्रशासनीय अधिकारी	प्रशासन और कार्यान्वय के लिए अन्य कर्मचारी
१	२	३
(१) भारतीय कारखाना कानून, १९४८	कारखानों के प्रधान निरीक्षक	१ उप प्रधान निरीक्षक, तथा २० निरीक्षक जिनमें २ डाक्टर निरीक्षक भी शामिल है
(२) वेतन भुगतान कानून, १९३६	,, ..	,,
(३) उत्तर प्रदेश मातृ का हित लाभ कानन, १९३८	,, ...	,,
(४) बाल नियोजन कानून, १९३८	,, ...	,,
(५) भारतीय ब्वायलर कानून, १९२३	ब्वायलरो के प्रधान निरीक्षक	६ ब्वायलर निरीक्षक
(६) उत्तर प्रदेशीय दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७ (७) न्यूनतम वेतन कानून, १९४८	प्रति श्रमायुक्त, जो प्रधान दुकानो एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानो के प्रधान निरीक्षक भी है	दो सहायक श्रमायुक्त, एक उप प्रधान दुकान निरीक्षक, ५२ श्रम निरीक्षक तथा ३ सहायक श्रम निरीक्षक

१	२	३
(८) भारतीय ट्रेड यूनियन कानून, १९२६	ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार (जो एक उप श्रमायुक्त होते हैं)	एक सहायक रजिस्ट्रार, एक ट्रेड यूनियन निरीक्षक तथा दो सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक
(९) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, १९४६	स्थायी आदेशो के प्रमाणाधिकारी (इस कानून के अन्तर्गत श्रमायुक्त ही यह अधिकारी होते है)	ट्रेड यूनियनो के सहायक रजिस्ट्रार उक्त प्रमाणाधिकारी को इस [illegible] के अन्तर्गत सहायता देते हैं दो श्रम निरीक्षक इन स्थायी आदेशो की जांच करते है जो इसी कार्य के लिए नियुक्त किये जाते है
(१०) कर्मचारी राज्य बीमा कानून, १९४८	कर्मचारियो के राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक अधिकारी, कानपुर ।	
(११) कर्मचारी प्रावीडेट फंड कानून, १९५२	प्रादेशिक प्रावीडेण्ट फण्ड आयुक्त	

भारतीय व्यावसायिक सघ कानून, १९२६ का प्रशासन

३—आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश के प्रति श्रमायुक्तो में से एक निरन्तर व्यावसायिक संघो के रजिस्ट्रार का कार्य करते रहे । उनके कार्य मे एक सहायक रजिस्ट्रार, एक व्यावसायिक संघ निरीक्षक तथा दो सहायक व्यावसायिक निरीक्षक बराबर सहायता पहुंचाते रहे । दैनिक निरीक्षण और सभी प्रकार की शिकायतो और अनियमितताओ की जांच का कार्य व्यावसायिक सघ निरीक्षक और उनके सहायकों द्वारा देखा जाता है। सन् १९५५ मे इन निरीक्षणो और जांचों की संख्या आगे दी गई है —

व्यावसायिक संघ निरीक्षकों द्वारा जांच और निरीक्षण

क्रम-सख्या	निरीक्षण करने वाला	निरीक्षणो की सख्या	जाचो की सख्या	योग
१	एक ट्रेडयूनियन निरीक्षक	१२९	५०	१७९
२	दो सहायक ट्रेड यूनियन निरीक्षक	२०१	२८	२२९
	योग	३३०	७८	४०८

व्यावसायिक सघो का यह निरीक्षण कार्य व्यावसायिक सघ आन्दोलन के पुष्ट विकास मे बडा सहायक सिद्ध हुआ है।

४—उत्तर प्रदेश मे व्यावसायिक सघ कानून के प्रशासन का विस्तृत विवरण अध्याय ९ में दिया गया ह।

न्यूनतम वेतन कानून, दुकान कानून तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून को कार्यान्वित करने वाले निरीक्षक कार्यालयो का सामूहीकरण

सन् १९५५ तक इन कानूनो मे प्रत्येक का प्रशासन पृथक निरीक्षको द्वारा होता था। प्रत्येक कानून के अन्तर्गत पृथक निरीक्षण और पृथक्-पृथक् कार्यान्वय होता था। न्यूनतमवेतन कानून के निरीक्षक कानून के अतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन के पालन करने का दुकान, एव वाणिज्य प्रतिष्ठान निरीक्षक दुकान कानून के पालन कराने का तथा दो श्रम निरीक्षक प्रमाणित स्थायी आदेशो के पालन कराने का निरीक्षण करते थे। इनके अलावा बहुत से श्रम निरीक्षक समूचे राज्य मे औद्योगिक सम्बन्धो से सम्बन्धित कार्य को करते थे। बाद मे सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव विचाराधीन था कि इन सभी निरीक्षको के कार्यालयो का सामूहीकरण किया जाय, जिससे कि इन कानूनो के पालन अधिक सुन्दरढंग से हो और उनके प्रशासन मे भी दक्षता प्राप्त की जा सके। अन्ततः सरकार ने इन निरीक्षण कार्यालयो को एक मे मिलाने की योजना को स्वीकार कर लिया और १ जून, १९५५ म यह कार्यान्वित कर दिया गया।

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश कानून १९४६)

५—आलोच्य वर्ष मे औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, १९४६ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त सम्पूर्ण राज्य के लिए स्थायी आदेशो के प्रमाणाधिकारी का कार्य करते रहे। एक प्रति श्रम आयुक्त के पर्यवेक्षण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक सघो के सहायक रजिस्ट्रार इस कानून के प्रशासन के तात्कालिक अधिकारी बने रहे।

६—३१ मई, १९५५ तक स्थायी आदेशो के लिए नियुक्त दो निरीक्षक इस कानून के अन्तर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशो के पालन को देखते रहे, जाच करते रहे तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, १९४६ के अन्तर्गत चुनाव कराते रहे। १ जून सन् १९५५ से स्थायी आदेशो के पालन की देख-रेख भी समह योजना के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों मे नियुक्त ५२ श्रम निरीक्षको और ३ सहायक निरीक्षको द्वारा होने लगा। इन लोगो को उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद कानून, १९४७ के अन्तर्गत राज्य के सभी चीनी के कारखानो के लिए उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा लागू स्थायी आदेशो के पालन की देखरेख का काम भी सौप दिया गया।

७—१ जनवरी, सन् १९५५ को उन ओद्योगिक प्रतिष्ठानो की सख्या, जहा प्रमाणित स्थायी आदेश लागू थे, ५६६ थी। आलोच्य वर्ष मे कानून के अन्तर्गत ३५ नये औद्योगिक प्रतिष्ठानो के स्थायी आदेशो को स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार ३१ दिसम्बर, १९५५ को प्रमाणित स्थायी आदेशो वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानो की कुल सख्या ६०१ हो गयी।

आलोच्य वर्ष मे प्रमाणित स्थायी आदेशो वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानो की सूची इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ब) ३ मे दी गयी है।

८—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, १९४६ की धारा १० के अन्तगत अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानो ने अपने मूल आदेशो मे सशोधन करने के लिए आवेदन किया। सन् १९५५ मे इन संशोधनो को भी उक्त कानून के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया, जो निम्नलिखित थे :—

१—हल्द्वानी कम काठगोदाम एलेक्ट्रिसिटी ऐण्ड वाटर सप्लाई अण्डरटेकिग	८–१–५५
२—झासी एलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि०	१५–३–५५
३—झासी एलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि०, गोरखपुर	१८–२–५५
४—इडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद	२४–११–५५
५—मेसर्स नादिर अली कं०, मेरठ	६–१२–५५

९—उत्तर प्रदेश के सभी चीनी के कारखाने, जिनकी सख्या ६८ है, एकमात्र ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जिन पर औद्योगिक प्रतिष्ठान (स्थायी आदेश) कानून, १९४६ लागू नही है। इन कारखानो मे इस कानून के अन्तर्गत प्रमाणित स्थायी आदेशो के स्थान पर उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा तैयार किये गये उभय स्थायी आदेश सभी चीनी के कारखानो के लिए बना दिये गये है और औद्योगिक विवाद कानून, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत लागू कर दिये गये है। चीनी के कारखानो के लिए स्थायी आदेशो मे सुधार का सुझाव देने के हेतु

निर्मित एक समिति की अनुशंसा के अनुसार १ अक्तूबर, १९५१ से उक्त आदेश लागू किय गय। चीनी के कारखानो के लिए संशोधित स्थायी आदेशो को समस्त उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिसूचना संख्या ६५०७ (एस-डी)/१८-५४, दिनाक २१ नवम्बर, १९५५ से लागू किए गए है।

१०--आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत राज्य न्यायाधिकरण ने उन पुनरावेदनो पर अपना निर्णय दिया, जो श्री सन्त ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद, जनता ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद के मालिकों ने, कर्मचारियो के लिए प्रमाणाधिकारी द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेशो के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार तेज कुमार प्रेस, लखनऊ के लिए प्रमाणाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थायी आदेशो के विरुद्ध छापाखाना मजदूर सघ ने पुनरावेदन किया और न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया। मेसर्स जीवनमल ऐण्ड कम्पनी ने स्थायी आदेशो को अंतिम रूप से स्वीकृत करने वाले अपीली अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध उच्चन्यायालय में प्रस्तुत समादेश याचिका को हर्जा-खर्चा सहित अस्वीकार कर दिया गया। मेसर्स जीवनमल ऐण्ड कम्पनी ने सर्वोच्च न्यायालय मे पुनरावेदन करने के हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है।

११--यह कानून उन औद्योगिक प्रतिष्ठानो मे भी लागू रहा, जहां १०० से कम मजदूर काम करते थे, यथा--

(अ) उत्तर प्रदेश मिलमालिक संघ, कानपुर के सदस्यगण;

(ब) उत्तर प्रदेश तेल मिल मालिक संघ, कानपुर के सदस्यगण;

(स) बिजली प्रतिष्ठान;

(द) जलकल प्रतिष्ठान;

(य) काच के कारखाने, तथा

(फ) वे प्रतिष्ठान, जिनके मालिको ने स्थायी आदेशो के लिए प्रार्थना की।

१२--निरीक्षको ने कानून द्वारा लागू स्थायी आदेशो का पालन कराने के लिए आलोच्य वर्ष मे कुल १६५ औद्योगिक प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया, जिनमें चीनी के कारखाने भी शामिल है। उन्होंने उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, १९४६ के नियम ५ तथा ९ के अन्तर्गत निम्नलिखित जांचे की तथा नियम १० के अन्तर्गत श्रमिको के प्रतिनिधियो के चुनाव कराये :--

(१) परिशिष्ट १ तथा २ की जांच के लिए धारा ५ के अन्तर्गत जांचे ... १७

(२) सर्वाधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण संघो के निश्चयन के लिए धारा ९ के अन्तर्गत जांचे ... १३

(३) जिन श्रमिको के प्रमाणित संघ नही है, उनके प्रतिधियों के चुनाव कराना ... १७

१३--प्रमाणित स्थायी आदेशों की अवहेलना-सम्बन्धी सामान्य शिकायतो की ८७ जाचे इन निरीक्षको द्वारा की गयी। निरीक्षणो और जाचो के बीच जो भी उल्लघन दृष्टि में आया वह कारखानो के मालिको द्वारा दूर किया गया और जहां उन्होने देरी की, वहां उनसे स्पष्टीकरण लिया गया कि उनके विरुद्ध क्यों न अभियोग चलाया जाय। ये चेतावनियां प्रभावशालिनी सिद्ध हुईं और आलोच्य वर्ष में स्थायी आदेशो के उल्लघन के आरोप मे किसी भी कारखाने के मालिक के विरुद्ध अभियोग चलाने का अवसर नही आया।

भारतीय कारखाना कानून, १९४८, वेतन भुगतान कानून, १९३६, यू० पी० मातृ का हित लाभ कानून, १९३८ तथा बाल नियोजन, कानून १९३८

१४--उत्तर प्रदेश में कारखानों के प्रधान निरीक्षक उपर्युक्त कानूनो का पालन कराने वाले सर्वोच्च अधिकारी है। उनके सहायको मे एक प्रति प्रधान कारखाना निरीक्षक, २० निरीक्षक तथा २ डाक्टर इन्सपेक्टर शामिल हैं।

१५--आलोच्य वर्ष मे १२९३ कारखानो के लाइसेसो का नवीनीकरण किया गया तथा लाइसेंस प्राप्त कारखानो की सख्या मे २२ नये कारखानो की वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल १,३१५ कारखानो ने सन् १९५५ मे लाइसेस प्राप्त किया, जबकि १९५४ में १,२७३ ने प्राप्त किया था। ५१४ कारखानों ने और लाइसेस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया; किन्तु उन्हे अनेक विधि विधानो को पूरा न करने के कारण लाइसेंस नही दिये गये। इसके अतिरिक्त सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित ६८ कारखानो के मामले, जो कारखाना कानून के अन्तर्गत आते थे और लाइसेस के लिए आवेदन नही किया था, सरकार के पास भेज दिये गये और उनसे लाइसेन्स लेने के लिए बराबर कहा जा रहा है।

१६--लाइसेस फीस के रूप मे सन् १९५५ मे ४,७४,५८५ रुपया १२ आना प्राप्त हुए, जब कि सन् १९५४ मे ४,५५,०४३ रुपया प्राप्त हुए थे।

१७--आलोच्य वर्ष मे कारखाना कानून, १९४८ वेतन भुगतान कानून, १९३६ तथा मातृका हितलाभ कानून, १९३८ के अन्तर्गत कुल ८,५४२ निरीक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त बाल नियोजन कानून के अन्तर्गत भी ८२७ निरीक्षण किये गये।

१८--सन् १९५५ मे कारखानो के भवनों के ८९९ नक्शे, जिनमे परिवर्तन और परिवर्द्धन के नक्शे भी शामिल थे, कार्यालय के पास स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए। इनमें से ४२ नक्शे उपाहार गृह, विश्रामगृह, शिशु सदन तथा अन्य भवनो के लिए थे।

१९--आलोच्य वर्ष में कुल ६६८ शिकायते प्राप्त हुईं, जिनमें ३४७ कारखाना कानून के अन्तर्गत एवं २१४ वेतन भुगतान कानून के अन्तर्गत थी तथा १०३ विविध प्रकार की थीं। ४ शिकायतें ऐसी थीं, जिनका सम्बन्ध इस विभाग से नही था।

२०--कारखाना कानून, १९४८ तथा वेतन भुगतान कानून, १९३६ तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उल्लंघन में कारखानों पर ६१४ अभियोग चलाये गये। वेतन भुगतान कानून की धारा ५ के अन्तर्गत मजदूरों को वेतन न देने के सिलसिले मे कारखानो के विरुद्ध निर्देशन के ७५ मामले चलाये गये।

२१--आलोच्य वर्ष मे ६,३२२ दुर्घटनाओ की सूचना मिली, जिनमे २९ में मौतें हुईं तथा ६,२९३ में साधारण चोटें लगी। निम्नलिखित तालिका मे विभिन्न वर्षों की दुर्घटनाओ की सख्या दी गयी है :--

वर्ष	दुर्घटनाओ की सख्या		
	मौत वाली दुर्घटनाएं	असाघातिक दुर्घटनाएं	योग
१	२	३	४
१९४७	३३	५,३६२	५,३९५
१९४८	३६	६,२९०	६,३२६
१९४९	३२	६,७५०	६,७८२
१९५०	३४	७,०७९	७,११३
१९५१	२९	५,९७०	५,९९९
१९५२	३०	७,७३०	७,७६०
१९५३	२६	७,५३८	७,५६४
१९५४	१४	७,८७७	७,८९१
१९५५	२९	९,२९३	९,३२२

२२--कारखानो मे दुर्घटनाओ की सख्या को कम करने के लिए निरीक्षण कार्यालय उन कारखानो को जहां पर प्रथम सुरक्षा समितियां नही है, ऐसी समितियो के निर्माण के लिए राजी करता रहा। फल स्वरूप १३७ कारखानो ने यह सूचना दी कि उन्होने उक्त प्रकार की समितियो का संगठन कर लिया है।

कारखाना हितकारी अधिकारी नियम

२३--कारखाना हितकारी अधिकारियो के सम्बन्ध मे कारखाना कानून की धारा ४९ को १२८ कारखानो द्वारा पालन के योग्य समझा गया, जिनमे से ११४ कारखानो ने आलोच्य वर्ष में उपाधि प्राप्त हितकारी अधिकारियो को नियुक्त किया। शेष १४ कारखानो मे से २ बन्द रहे। ६ रेलवे कारखाने इस कानून से अपनी मुक्ति चाहते है, जिनके मामले पर सरकार विचार कर

रही है, ४ कारखानो मे इन अधिकारियो की नियुक्ति का यत्न किया जा रहा है तथा २ के विरुद्ध, उक्त अधिकारी नियुक्त न करने के कारण अभियोग चलाने का ही उपाय रह गया है। आलोच्य वर्ष मे ३ व्यक्तियो को उत्तर प्रदेशीय कारखाना हितकारी अधिकारी नियमावली, १९५५ के नियम ९ के अन्तर्गत एक या अधिक योग्यताओ से मुक्त किया गया।

२४--कर्मचारियो की राज्य बीमा कानून तथा कर्मचारी प्रावीडेण्ट फण्ड कानून के प्रशासन का विवरण अध्याय ३ तथा ४ मे क्रमश अलग दिया गया है।

उत्तर प्रदेशीय दुकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७
कानून का प्रभाव क्षेत्र

२५--सन १९५५ के आरम्भ होने पर उत्तर प्रदेश दुकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७ राज्य के ३४ नगरो मे लागू था तथा उत्तर प्रदेश के 'वंकुअम-पैन' चीनी के के उन मजदूरो पर भी लागू था, जो कारखाना कानून की धाराओ के अन्तर्गत नही आते थे। इनमे से निम्नलिखित २८ नगरो मे दुकान कानून की सब धाराए लागू थी :--

(१) आगरा
(२) इलाहाबाद
(३) बरेली
(४) कानपुर
(५) बनारस
(६) लखनऊ
(७) मेरठ
(८) अलीगढ
(९) मुरादाबाद
(१०) झासी
(११) गोरखपुर
(१२) फैजाबाद
(१३) रामपुर
(१४) हाथरस
(१५) सहारनपुर
(१६) गोण्डा
(१७) फीरोजाबाद
(१८) देहरादून
(१९) मसूरी
(२०) नैनीताल
(२१) मथुरा
(२२) तेहगढ
(२३) फतेहगढ़ एव फर्रुखाबाद

(२४) हापुड
(२५) मुजफ्फरनगर
(२६) कन्नौज
(२७) गाजियाबाद
(२८) कायमगंज

इस कानून को अंशत, (१) मिर्जापुर, (२) बुलन्दशहर, (३) सीतापुर, (४) बदायू (५) उन्नाव तथा (६) बाराबंकी मे भी लागू किया गया, जहा पर दुकान कानून की धारा १० व १२ के अन्तर्गत केवल साप्ताहिक बन्दी–सम्बन्धी तथा कर्मचारियो को साप्ताहिक छुट्टी देने की व्यवस्थाएं लागू थी।

२६—सन् १९५५ में सीतापुर तथा मिर्जापुर में पूर्ण रूपेण कानून लागू कर दिया गया

कानून के प्रभाव क्षेत्र मे वृद्धि--

२७--सन् १९५५ मे कानून की धारा १० तथा १२ को निम्नलिखित १५ नये नगरो में लागू किया गया :--

(१) बलिया
(२) बादा
(३) बिजनौर
(४) चन्दौसी
(५) देवरिया
(६) गाजीपुर
(७) हरदोई
(८) हरद्वार
(९) जौनपुर
(१०) खुर्जा
(११) लखीमपुर-खीरी
(१२) पीलीभीत
(१३) प्रतापगढ
(१४) रुडकी तथा
(१५) शाहजहांपुर

कार्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं--

२८--रसरा (बलिया), बस्ती, बहराइच, हल्द्वानी, तनकापुर, पडरौना, रायबरेली, नजीबाबाद, नगीना, पुरवा (उन्नाव), इटावा, वृन्दाबन, मैनपुरी, कासगंज, फतेहपुर, तथा सुल्तान पुरकानून की दुकानो तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानो के कर्मचारियों तथा मालिको ने भी अपने यहांइस को लागू करने के लिए प्रार्थनाएं की। आलोच्य वर्ष में इन सभी नगरो में इस कानून को लागू नहीं किया जा सका, किन्तु राज्य की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन सभी नगरो की प्रार्थनाओ को स्वीकार करने की आशा की जाती है। मुगलसराय, शिवपुर, भदोही, लका

तथा विद्यापीठ रोड मे भी इस कानून को लागू करने का सुझाव दिया गया है जिससे कि इन स्थानो के दुकानदारो को भी बनारस के दुकानदारो को, जो पहले ही से कानून के गन्तर्गत आते है, बराबरी में ले आया जाये। सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है।

निरीक्षण कर्मचारी--

२६--३१ मई, सन् १९५५ तक इस कानून को पालन कराने की व्यवस्था मे कोई परिवर्तन नही हुआ और १५ पूर्ण समय के लिए दुकान निरीक्षक, १२ सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, ५ स्थानीय श्रमाधिकारी तथा ६ नगरपालिकाओ के एक्जीक्यूटिव आफीसर इस कानून के पालन की देख-रेख करते रहे। किन्तु समस्त श्रम निरीक्षण कार्यालयो के समूहीकरण के पश्चात् सभी निरीक्षकों को, जैसे स्थानीय श्रम निरीक्षको, दुकान निरीक्षको, वेतन निरीक्षको तथा श्रम निरीक्षको को श्रम निरीक्षक कहा जाने लगा है। तीन छोटे वेतन निरीक्षको को भी समूहीकरण योजना के अन्तर्गत ले आया गया है। इन्हे सहायक श्रमनिरीक्षक की सज्ञा दी गयी है। इन सभी निरीक्षको को, जो विभिन्न कानूनो के अन्तर्गत अलग-अलग नियुक्त किया जाता था, अब न्यूनतम वेतन कानून १९४८, दुकान एव वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, १९४६ तथा उनके नियमो के अन्तर्गत सभी को श्रम निरीक्षक बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिश्रमायुक्तो, सहायक श्रमायुक्तो, प्रति प्रधान दुकान निरीक्षको, प्रादेशिक संराधन अधिकारियो, अतिरिक्त प्रादेशिक सराधन अधिकारियो, श्रमाधिकारियों तथा संराधन अधिकारियो को भी दुकान एव वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून के अन्तर्गत निरीक्षक बना दिया गया है।

३०--श्री जयनारायण तिवारी, आई० ए० एस०, प्रति श्रमायुक्त को दुकानो और वाणिज्य प्रतिष्ठानो का मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है। उन्हे समूहीकरण योजना का, जो १ जून, १९५५ से लागू हुई है, सामान्य चार्ज सौपा गया है।

निरीक्षण--

३१--समूह योजना लागू हो जाने के पहले आलोच्य वर्ष मे दुकान निरीक्षको द्वारा तथा उक्त योजना के लागू हो जाने के बाद श्रम निरीक्षणो और सहायक श्रमनिरीक्षको द्वारा किये गये निरीक्षणो की सख्या ४७,४२६ रही। इसके अतिरिक्त दुकानो के उपप्रधान निरीक्षक तथा सहायक श्रमायुक्तो ने क्रमशः ७०८ तथा ५२ निरीक्षण किये। इस प्रकार निरीक्षणो की कुल संख्या ४८,१८६ हो गयी, जब कि १९५४ मे यह सख्या ४६,६६७ थी। निम्नलिखित तालिका मे श्रम निरीक्षकों तथा सहायक श्रम निरीक्षको द्वारा राज्य के विभिन्न नगरो में किये गये निरीक्षणो का विवरण दिया गया है :--

क्रम--संख्या	नगर का नाम	निरीक्षको की सख्या	निरीक्षणो की संख्या
१	२	३	४
१	कानपुर .	७	६,५९१
२	फर्रुखाबाद (और कायमगज) ..	१	१,९४६
३	इलाहाबाद .. .	३	२,०९२

१	२	३	४
४	बादा	१	२०४
५	बनारस	३	१,८१५
६	मिर्जापुर	१	२४६
७	प्रतापगढ	१	२१६
८	गाजीपुर	१	२४२
९	लखनऊ (तथा बाराबंकी)	८	४,८७६
१०	उन्नाव	१	१,१८०
११	सीतापुर	१	२७८
१२	फैजाबाद	१	२,०३७
१३	आगरा	३	३,०२८
१४	अलीगढ़	१	१,९५१
१५	हाथरस	१	९९५
१६	फीरोजाबाद	७	१,४७०
१७	झासी	१	१,८५६
१८	मथुरा	१	७३०
१९	मेरठ	३	२,३७९
२०	देहरादून	१	९५६
२१	सहारनपुर	१	९९२
२२	मुजफ्फरनगर	१	८०३
२३	गाजियाबाद	१	१,२३०
२४	गोरखपुर	२	२,२१७

१	२	३	४
२५	पडरौना	१	२२
२६	गोडा	१	६९०
२७	देवरिया	१	२२७
२८	बरेली	३	३,२७३
२९	पीलीभीत	१	३६२
३०	मुरादाबाद	१	१,५५०
३१	रामपुर	१	९३८
३२	बिजनौर	१	३४
	योग ..	५३	४७,४२६

३२—समह योजना को लागू करने के पहले ३१ मई सन् १९५५ तक १५ पूर्णकालिक निरीक्षको द्वारा किये गये निरीक्षणो का विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है :—

क्रम-सख्या	स्थान	निरीक्षको की सलख्या	निरीक्षणो की सख्या
१	२	३	४
१	कानपुर	२	३,०६९
२	अलीगढ	१	१,०५०
३	इलाहाबाद	१	६६३
४	बनारस	१	७९३
५	बरेली	१	१,०२५
६	फैजाबाद	१	१,१२८
७	गोरखपुर	१	१,०३७

१	२	३	४
८	झांसी	१	१,०५२
९	लखनऊ	१	१,०९०
१०	मेरठ	१	१,०४०
११	मुरादाबाद ..	१	१,००२
१२	फर्रुखाबाद	१	९८५
१३	गाजियाबाद	१	१,०००
१४	आगरा	१	१,५७०
	योग ..	१५	१६,५०४

३३—विभिन्न वर्षों मे पूर्णकालिक निरीक्षकों द्वारा किये गये समस्त निरीक्षणो का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका मे दिया गया है :—

वर्ष	निरीक्षणो की पूर्ण सख्या
१९४८ ..	२५,४३२
१९४९ ..	३२,३४८
१९५० ..	३६,८७४
१९५१ ..	३९,५७१
१९५२	३९,६८५
१९५३	३८,६८५
१९५४ ..	४५,७७१
१९५५	४७,४२६

अभियोग--

३४--कानून का उल्लघन करने के आलोच्य वर्ष मे ९५५ अभियोग चलाये गये, जब कि पिछले वर्ष ९३३ अभियोग चलाये गए थे। अभियोगों की सख्या में इसीलिए वृद्धि हुई कि निरीक्षको ने कानून के पालन कराने का अधिक प्रयत्न किया। दुकानो के विरुद्ध मामला तभी चलाया गया जब लोग समझाने-बुझाने से नही माने और बार-बार कानून का उल्लंघन किया।

पिछले वर्ष के अनिर्णीत मामलो तथा सन् १९५५ मे चलाये गये अभियोगो का विवरण निम्नलिखित है :--

(१) १९५४ के अन्त मे अनिर्णीत मामले .	१६७
(२) १९५५ मे प्रस्तुत नये मामले	९५५
योग	१,१२२
(३) निर्णीत मामलो की सख्या	१०४०
(४) दण्डित मामलो की सख्या	१,००८
(५) मुक्त किये गये मामलो की सख्या	१५
(६) वापस लिये गये मामलो की सख्या ..	१
(७) जाब्ता दीवानी की धारा २४९ के अन्तर्गत दाखिल दफ्तर किये गये मामले ..	१६
(८) जुर्माने का धन	१७,२२२ रु०
(९) वर्ष के अन्त मे अनिर्णीत मामलो की संख्या .	८२

३५—न्यायालयों द्वारा १,००८ मामलों में १७,२२६ रु० जुर्माना किया गया, अर्थात् औसतन प्रति मामले में १७ रु० जुर्माना किया गया। कानून के लागू होने के पश्चात् विभिन्न वर्षों में चलाए गये अभियोगों की सख्या का विवरण निम्नलिखित है —

वर्ष	वर्ष के आरम्भ मे पिछले वर्ष के अनिर्णीत मामले	वर्ष मे चलाये गये मामले	योग	निर्णीत मामले	दण्डित मामले	मुक्तकिये गये मामले	वापस किए गये मामले	दाखिल दफ्तर मामले	जुर्माने का धन	वर्ष के अन्त मे अनिर्णीत मामले
									रु०	
१९४८		६६	६६	२३	२१	२			३४०	४३
१९४९	४३	३३४	३७७	२७२	२५२	११	७	२	४,०१२	१०५
१९५०	१०५	६२२	७७७	५६६	५२९	२५	५	७	७,३०७	१६१
१९५१	१६१	३८०	५४१	४४५	४३३	५	१	६	७,९३१	९६
१९५२	९६	६९३	७८९	५७३	५६२	८		३	८,५८९	२१६
१९५३	२१६	७६२	९७८	७६३	७३०	२३	१	९	१४,८३३	२१५
१९५४	२१५	९३३	१,१४८	९८१	९४७	१८		१६	२१,६३५	१६७
१९५५	१६७	९५५	१,१२२	१,०४०	१,००८	१५	१	१६	१७,२२६	८२

शिकायतें—

३६—आलोच्य वर्ष में निरीक्षकों के पास १,५०३ शिकायतें आइ जब कि पिछले वर्ष १,७४२ शिकायतें प्राप्त हुईं। १०२ शिकायतें पिछले वर्ष से आलोच्य वर्ष के लिए शेष रहीं। इस प्रकार इनकी कुल सख्या १,६०५ रह गयी। इनमें से १,४६० शिकायतों को निपटाया गया तथा १४५ पर वर्षान्त तक जाच होती रही।

कानून के लागू होने के समय से अब तक जो शिकायतें मिली, उनको निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	प्राप्त शिकायतें
१९४८	१,४२०
१९४९	१,८८६
१९५०	१,९३४
१९५१	१,६५७
१९५२	१,७३८
१९५३	१,८६९
१९५४	१,७४२
१९५५	१,५०३

मुक्ति—

३७—सरकार ने (१) धारा ५ तथा १३ से मेसर्स कालटेक्स इडिया लिमिटेड को, (२) धारा १० तथा ११ से मेसर्स नेशनल ग्लास सिण्डीकेट तथा केमिकल वर्क्स, आगरा को और (३) धारा ११ से बनारस और मथुरा की नगर पालिकाओ और टाउनी क्षेत्रो में स्थित दुकानो एव वाणिज्य प्रतिष्ठानो को दीवाली परिवा के अवसर के लिए स्थायी रूपसे मुक्त कर दिया। यह मुक्ति सरकार द्वारा लागू की गयी अनेक शर्तों के साथ प्रदान की गयी। दूकान मालिकों और साधारण जनता की कुछ वास्तविक कठिनाइयो को दूर करने के लिये सरकार ने दूकानो और प्रतिष्ठानो को २६ अस्थायी मुक्तियां प्रदान की।

३८—आलोच्य वर्ष मे कानून की धारा ६ तथा १० के पालन की जांच के लिय कानून के निरन्तर उल्लंघन करने वालो को तत्काल दण्ड देने के हेतु स्थानीय जिला एवं पुलिस अधिकारियों की सहायता से फरवरी और दिसम्बर मे बनारस की, जनवरी में इलाहाबाद की तथा मार्च, १९५५ मे बरेली की दूकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानो के आकस्मिक निरीक्षण किये गये। हाल के २१७ मामलो में तात्कालिक न्याय किया गया तथा कुल ३,६०३ रुपया जुर्माना किया गया, अर्थात प्रत्येक मामले मे औसतन १६·५९ रुपया जुर्माना किया गया। इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षणों का कानून की धारा ६ तथा १० के पालन मे यथेष्ठ प्रभाव पडा।

न्यूनतम वेतन कानून, १९४८

३९——न्यूनतम वेतन कानून, १९४८ की अनुसूची मे उन उद्योगो के प्रकारो का विवरण दिया गया है, जिनमे कानून के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये हैं। अनुसूची के प्रथम भाग में अनेक औद्योगिक नियोजनो का उल्लेख किया गया है तथा दूसरे भाग मे कृषि एवं उससे सम्बन्धित अन्य उद्योगो का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदो में, राज्य के औद्योगिक और कृषि नियोजनों मे न्यूनतम वेतन कानून के पालन का विवरण दिया गया है, जो कि आलोच्य वर्ष मे हुआ है :——

४०——राज्य सरकार ने निम्नलिखित अनुसूचित उद्योगो में २६ दिनो के महीनो के लिये २६ रु० अर्थात एक दिन के लिये १ रु० न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है :——

(१) किसी भी चावल, आटा या दाल मिल में,

(२) किसी भी तम्बाकू (जिसमे बीडी शामिल है) के कारखाने मे,

(३) केवल देहरादून जिले में, सिनकोना, रबर, चाय तथा कहवा उगाने वाले बागानो मे,

(४) किसी भी तेल मिल में,

(५) सडक अथवा भवन निर्माण में,

(६) पत्थर तोडने अथवा पत्थर पीसने मे,

(७) लाख के कारखाने में,

(८) सार्वजनिक मोटर परिवहन,

(९) किसी भी स्थानीय अधिकारी के अन्तर्गत, तथा

(१०) किसी भी चमडा कारखाने मे।

कृषि में नियोजन

४१——बादा, हमीरपुर, जालौन, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ, बलिया, गाजीपुर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ तथा रायबरेली जिलो के सभी प्रकार की फसलो के कृषि फार्मों में नियोजन तथा नैनीतल, अल्मोडा, गढ़वाल और टेहरी—गढवाल के जिलों को छोडकर शेष जिलो मे ५० या इससे अधिक एकड के फार्मो मे नियोजन।

४२——अल्मोड़ा तथा गढ़वाल जिलो में ऊनी दरी बनाने अथवा शाल बुनने के उद्योगो तथा बागानोंमे निम्नतम वेतन निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

४३——कानून लागू करने की व्यवस्था :——आलोच्य वर्ष के पूर्वार्द्ध में कानून का पालन कराने वाली व्यवस्थामें कोई परिवर्तन नही हुआ। १५ वेतन निक्षक ७ वेतन सहायको की सहायता से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कार्य करते रहे तथा ३ जूनियर वेतन निरीक्षक कृषि फार्मों में निरीक्षण कार्य करते रहे। किन्तु १ जून, १९५५ से जब से कि समूह योजना कार्यान्वित कीगयी, सभी श्रम निरीक्षक, सहायक श्रम निरीक्षक, प्रति श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, प्रति प्रधान दूकान निरीक्षक, प्रादेशिक संराधन अधिकारी, अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन

अधिकारी, श्रमाधिकारी तथा संराधन अधिकारी को न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत भी 'निरीक्षक' की संज्ञा दी गयी। विभिन्न सब-डिवीजनो में न्यूनतम वेतन से कम देने के फलस्वरूप उत्पन्न विवादों का फैसला देने का अधिकार जिलाधीशो और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों के हाथ मे ही रहा।

४४--निरीक्षण--आलोच्य अवधि में राज्य के विभिन्न नगरो और कस्बो मे नियुक्त श्रम निरीक्षकों ने अनुसूची के भाग १ और २ मे वर्णित अनुसूचित नियोजनों मे १०,९७९ निरीक्षण किये। ९३ निरीक्षण सहायक श्रमायुक्त द्वारा तथा ३८ प्रति मुख्य दूकान निरीक्षक द्वारा वर्ष भर मे किये गये। इन निरीक्षकों द्वारा उल्लंघनकर्त्ताओ को ५,७२२ निरीक्षण टिप्पणियां दी गयी। वेतन सहायकों ने भी आंकड़े लेने के लिये २,८९२ निरीक्षण किये।

४५--आलोच्य वर्ष मे अनुसूचित नियोजनो मे से निरीक्षको द्वारा निरीक्षित प्रतिष्ठानों की संख्या तथा उनमे नियोजित कर्मचारियों की संख्या अनुसूचित नियोजन के प्रत्येक वर्ग के अनुसार नीचे दी गई है:--

अनुसूचित नियोजन	निरीक्षित प्रतिष्ठानों की संख्या	कर्मचारियो की संख्या
चावल, आटा और दाल मिलों मे नियोजन .	१,४५७	३,१६५
तम्बाकू (बीड़ी बनाने सहित) मे नियोजन	२३५	३,७९७
देहरादून के चाय बागीचे	...	...
तेल मिलों मे नियोजन	१२५	२,८४६
सड़क और भवन निर्माण मे नियोजन ..	१४३	२,२००
पत्थर तोड़ने और पीसने मे नियोजन .	४२	४३०
लाख के कारखानो मे नियोजन .	१४	४४१
चमड़े कमाने और बनाने के कारखाने ..	४०१	२,२८९
स्थानीय अधिकारियो मे नियोजन .	७७	२४,९१५
सार्वजनिक मोटर परिवहन मे नियोजन .	१६९	२,२१५
कृषि मे नियोजन ..	१२४	१,४२८

४६--निरीक्षकों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन :--अधिनियम और आनियमो के विभिन्न उपबन्धो के उल्लघनों की सख्या, जिनका उल्लेख निरीक्षको ने किया, सम्बन्धित नियोजकों की वर्ष के अन्दर दी जाने वाली सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित है :--

	उल्लंघन
१--उ० प्र० न्यू० वे० आनियम के १९५२ के नियम २१ के साथ पठित धारा १२ के अन्तर्गत ..	४१३
२--उ० प्र० न्यू० वे० आनियम १९५२ के नियम, २३ के साथ पठित धारा १३ (बी) के अन्तर्गत ...	१,८०५
३--उ० प्र० न्यू० वे० आनियम, १९५२ के नियम २४ के साथ पठित धारा १३ (ए) के अन्तर्गत ..	६२०
४--उ० प्र० न्यू० वे० आनियम, १९५२ के नियम २६ के साथ पठित धारा १८ के अन्तर्गत	४,३७९

४७--शिकायतें:--आलोच्य वर्ष मे श्रम निरीक्षको के पास ३०६ शिकायते आईं। २८१ शिकायतो का अतिम रूप से निपटारा कर दिया गया और वर्ष के अन्त मे जांच और कार्यवाही के लिये २५ निरीक्षको के पास है।

४८--अभियोग :--सन् १९५४ के अन्त मे ६ अभियोग औद्योगिक नियोजनो के तथा ५ कृषि नियोजनो के न्यायालयो मे निर्णयो के लिये शेष है। औद्योगिक नियोजनों के उल्लंघन-कर्त्ताओ के विरुद्ध १७ अभियोग सन् १९५५ में चलाये गये। कृषि पक्ष में कोई मुकदमा नही चलाया गया।

४९--औद्योगिक नियोजनो के २१ अभियोगों पर वर्ष मे न्यायालयों मे निर्णय हुये, जिनमे १९ मे दंड दिया गया और एक छूट गया। एक मामला आलेखो मे डाल दिया गया, क्योकि नियोजक का पता नही चला। एक कृषि क्षेत्र (फार्म) के स्वामी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और न्यायालय द्वारा प्रथम अपराधी अधिनियम के अन्तर्गत उसे चेतावनी दी गयी। अन्य चार क्षेत्र स्वामियो को, जो सब सुल्तानपुर जिले के थे, कानूनी आधार पर छोड दिया गया। २ मामले अब भी शेष है। १७ मामलो मे १,१७५ रु० जुरमाने के रूप मे वसूल किये गये, जिसका औसत प्रति मामला ६५.६ रु० पड़ता है।

भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, १९२३

५०--इस अधिनियम के प्रशासन की देखभाल उत्तर प्रदेश के ब्वायलरो के मुख्य निरीक्षक, ६ ब्वायलर निरीक्षको की सहायता से करते रहे।

निरीक्षण:—विभिन्न प्रकार के ब्वायलर्स, लंकाशायर वाटर ट्यूब, वर्टीकल, क्रास्ट्यूब, कोर्निश, लोको टाइप, सिलिंड्रिकिल, मल्टी ट्यूबलर और मेरीन रिटर्न ट्यूबलर का निरीक्षण वर्ष में किया गया और १,६३,५८१ रु० निरीक्षण शुल्क (जिसमे रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल हैं) के वसूल किये गये ।

रजिस्ट्रेशन :—आलोच्य वर्ष में १९ ब्वायलरों का रजिस्ट्रेशन हुआ।

स्थानान्तरण :—विभिन्न प्रकार के २१ ब्वायलर इस राज्य के बाहर भेजे गये और १६ राज्य के अन्दर लाये गये।

अभियोग :—चार ब्वायलर स्वामियो पर भारत के ब्वायलर्स अधिनियम, १९२३ के नियमों के उल्लंघन करने के अभियोग चलाये गये। दो पर जुर्माने हुये और दो के निर्णयों की प्रतीक्षा है ।

अध्याय १५

नियोजन सेवायें तथा श्रमिकों की भर्ती

जनशक्ति का प्रभावशाली उपयोग राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, क्योंकि आवश्यक परिमाण में निपुण श्रम के लगातार प्रवाह पर उत्पादन निर्भर करता है। इसके लिये जनशक्ति के साधनों, सक्षम नियोजन सेवा के संगठन, आवश्यक निपुणता की विविध किस्मों के सही परिचय तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था की सूचना और प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता न केवल उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये वरन् प्राविधिक सेवाओं की विशिष्ट शाखाओं में अक्षमता को दूर करने के लिये भी आवश्यक है। जैसा कि आयोजना आयोग ने जोर डाला है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के करने में राष्ट्रीय नियोजन सेवा का महत्वपूर्ण योग है। देश में बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुये, जिसे देश के समूचे हित में संतोषजनक रूप से एवं अविलम्ब हल करने की आवश्यकता है, इस संगठन की आवश्यकता पर्याप्त रूप से बढ़ी है। भारत में नियोजन संस्थाओं ने नियोजित व्यक्तियों के लिये नियोजन के मार्ग खोज निकालने में भारी प्रयत्न किये हैं। किन्तु उद्योग के लिये आवश्यक प्राविधिक एवं योग्य व्यक्तियों की कमी के बीच वर्तमान बढ़ती हुई बेकारी में उन्हें प्रभावशाली योग देना है।

२—भारत में श्रम पर रायल कमीशन (१९२९–३०) तथा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बम्बई में तैनात अन्य श्रम समितियों ने सार्वजनिक नियोजन कार्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर डाला, जिससे कि बढ़ती हुई बेकारी की समस्या का समाधान किया जा सके। १९४३–४४ में युद्धकालीन उद्योगों में प्राविधिक व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिये देश में ९ नियोजन संस्थाओं की स्थापना की गई। इन संस्थाओं को राष्ट्रीय सेवा श्रम न्यायाधिकरण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में रखा गया और इस अवधि में संस्थाओं द्वारा सम्पन्न कार्य सीमित ढंग का था।

३—१९४५ में युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध कालीन उद्योगों के श्रमिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये नियोजन खोज निकालने की समस्या सरकार के समक्ष उपस्थित हुई। फलस्वरूप राष्ट्रीय नियोजन सेवा का कार्यक्षेत्र बढ़ा और अधिक नियोजन संस्थायें खोली गयीं।

४—भूतपूर्व सैनिकों के लिये नियोजन की व्यवस्था करने तथा उनके पुनर्वास से सम्बन्धित सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिये पुनर्वास एवं नियोजन के प्रधान निर्देशक का कार्यालय खोला गया तथा नियोजन के अनेक प्रादेशिक निर्देशकों के कार्यालय खोले गये। देश ९ प्रदेशों—उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली एवं अजमेर–मेरवाड़, पंजाब तथा आसाम में विभक्त किया गया। प्रत्येक प्रदेश में एक प्रादेशिक नियोजन संस्था तथा अनेक उप-प्रादेशिक नियोजन संस्थायें व कुछ जिला नियोजन संस्थायें थीं। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक नियोजन निर्देशक का कार्यालय, लखनऊ में अवस्थित है, प्रादेशिक नियोजन संस्था, कानपुर में, उप–प्रादेशिक नियोजन संस्थायें आगरा, अल्मोड़ा,

इलाहाबाद, गोरखपुर, झासी, लैन्सडाउन, लखनऊ, मेरठ व बरेली मे तथा जिला नियोजन संस्थायें अलीगढ, बलिया, बनारस, देहरादून, फैजाबाद, गोडा, मुरादाबाद, नैनीताल, रामपुर, सहारनपुर व शाहजहांपुर मे हैं।

५—१९५५ की महेत्वपूर्ण घटना नियोजन संस्थाओ के प्रशासन को राज्यो को स्थानांतरित करना है। भारत सरकार ने १९५४ मे एक उच्च अधिकार समिति प्रशिक्षण एव नियोजन सेवा संगठन समिति (जो शिवराव समिति के नाम से प्रसिद्ध है) की नियुक्ति इस उद्देश्य से की कि वह नियोजन संस्था संगठन के कार्यों की जाच करे और उसके पुनर्संगठन की सिफारिशें करे। नियोजन संस्थाओं के प्रशासन को स्थानांतरित करने का निर्णय इस समिति की सिफारिशो के अनुसार, जिन्हे भारत सरकार ने स्वीकार किया, स्थानातरण के प्रश्न पर श्रम मन्त्रियो के सम्मेलन मे विचार किया गया ओर प्रशासन को अन्तिम रूप से राज्यों को स्थानांतरित करने का निर्णय नवम्बर, १९५५ मे हैदराबाद मे हुये श्रम मन्त्रियो के सम्मेलन मे किया गया। नियोजन सेवा सगठन के कुल व्यय का ६० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा शेष ४० प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि शिवराव समिति ने सिफारिश की है, वहन करने को है।

१९५५ मे उत्तर प्रदेश मे नियोजनओ सस्था के कार्य

६—सामान्यतया नियोजन स्थिति का निर्णय इस बात से पता लगता है कि कितने उम्मेदवार नियोजन सस्थाओ की सहायता के लिये आते हे। जैसा कि नियोजन संस्थाओ में रिक्त स्थानों की सूचना दी गयी, उससे विदित होता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना मे आलोच्य वर्ष मे नियोजन के अवसरों मे कुछ गिराव रहा। १९५५ के वर्ष मे नियोजन खोजने वालो का मासिक औसत १९५५ की अपेक्षा कुछ अधिक रहा जबकि सूचित रिक्त स्थानो मे कुछ गिराव आया। निम्नांकित तालिका मे १९५४ तथा १९५५ के वर्षो के नामाकनो के आकडे दिये गये हं —

नामाकनों के तुलनात्मक आंकड़े

मास	१९५४	१९५५
जनवरी .	२७,५७४	२६,३२४
फरवरी	२२,४९२	२३,७९३
मार्च	२२,०५८	२३,७६६
अप्रैल	२६,५३३	२६,७८९
मई .	२३,८६२	२२,८४१
जून ..	२७,३४९	२४,२११
जुलाई .	३५,६४५	३३,४६८
अगस्त	२८,१४९	३१,८४३
सितम्बर .	२८,९१७	३१,४९९
अक्टूबर .	१८,६७०	२२,९७३
नवम्बर .	२८,०३०	२४,४६७
दिसम्बर .	२९,९५०	२९,८५६
योग .	३,१९,२२९	३,२१,८३०

७--संस्थाओं में नामांकनो के पिछले आंकड़ो से विदित होता है कि आलोच्य वर्ष में संस्थाओ मे नियोजन चाहने वालों को संख्या में परिवर्तन लगभग वही रहा। संस्थाओं की चालू पंजिकाओं में उम्मेदवारों की संख्या १,०६,६३४ (३१-१२-१९५४ को) से बढ़कर ३१-१२-१९५५ को १,१०,६८२ हो गई। कुल मिलाकर १९५५ के वर्ष में ३,२१,८३० व्यक्तियो के नामाकन किये गये जबकि १९५४ मे यह संख्या ३,१९,२२९ थी। १९५४ तथा १९५५ में आवेदनकर्त्ताओ को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत करके निम्न तालिका मे दिखलाया गया है :--

वर्गीकरण		१९५४	१९५५
(१) औद्योगिक पर्यवेक्षण	..	४०१	२७७
(२) निपुण एव अर्द्ध निपुण	..	११,२७०	१२,३९८
(३) लिपिक	.	२८,९८९	३३,२०७
(४) शैक्षिक	.	१,७५३	२,०३३
(५) घरेलू सेवाये	..	५,८९०	७,१६५
(६) अनिपुण	.	५१,७३७	४९,२१७
(७) अन्य	..	६,५९४	६,३८५
योग	..	१,०६,६३४	१,१०,६८२

८--१९५५ के वर्ष में नियोजन संस्थाओं द्वारा उपयोग मे लाये गये नियोजन के अवसरो को देखने से विदित होता है कि इस प्रदेश मे उनमे ४५,६९९ रिक्त स्थानो की सूचना दी गई जबकि १९५४ मे यह संख्या ४९,६५१ थी। नियोजकों के प्रकार के अनुसार दोनो वर्षों का वर्गीकरण नीचे की तालिका में दिया जा रहा है :--

नियोजन का प्रकार		१९५४	१९५५
केन्द्रीय	...	१५,३६२	१४,१९७
राज्य	...	१३,५५७	१४,७२६
निजी	...	२०,७३२	१६,७७६
योग	...	४९,६५१	४५,६९९

९--इस प्रकार विदित होगा कि निजी नियोजकों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित रिक्त स्थानो मे कमी रही है। राज्य सरकार के रक्त स्थानों में वृद्धि रही। आंकड़ो की जांच से यह विदित होता है कि दोनो वर्षो मे परिवर्तन बहुत कुछ वही रहा। सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकार नियोजको की ओर से अधिकाधिक सहयोग की मनोवृत्ति परिलक्षित होती है ।

१०—आलोच्य वर्ष में प्रदेश की नियोजन संस्थाओं द्वारा २९,३८९ आवेदन कर्त्ताओं को काम दिलाया गया जबकि पूर्ववर्ती वर्ष मे यह संख्या ३५,४६० थी। निम्नांकित तालिका में उत्तर प्रदेश तथा भारत मे १९५३, १९५४ तथा १९५५ मे नामांकनों, सूचित रिक्त स्थानो तथा काम से लगाये गये आवदन कर्त्ताओं के तुलनात्मक आंकड़े दिये गये है :—

वर्ष	उत्तर प्रदेश			सम्पूर्ण भारत		
	नामांकन	सूचित रिक्त स्थान	काम मे लगाये गये	नामांकन	सूचित रिक्त स्थान	काम मे लगाये गये
१९५३ ..	३,०६,८२२	६१,४३६	४५,८२९	१४,०८,८००	२,५६,७०३	१,८५,४४३
१९५४ ...	३,१९,२२९	४९,६५१	३५,४६०	१४,६५,४९७	२,३९,८७५	१,५२,४५१
१९५५ ..	३,२१,८३०	४५,६९९	२९,३८९	*१४,३६,०२८	२,५५,००९	१,५२,११८

*आंकड़े १९५५ मे केवल जनवरी से नवम्बर तक सम्बन्धित ।

विशिष्ट प्रकार के आवेदनकर्त्ताओं से संबंधित नियोजन की स्थिति

विस्थापित व्यक्ति

११—१९५५ में ४,५३७ व्यक्तियों का नामांकन किया गया और ७२३ को काम दिलाया गया जब कि १९५४ मे यह संख्या क्रमशः ६,५३८ तथा ८३५ थी। १९५५ के अन्त मे फिर भी, इस राज्य की विभिन्न नियोजन संस्थाओ की चालू पंजिकाओं में १,६३३ विस्थापित व्यक्ति ऐसे रहे, जिन्हे काम पर नही लगाया जा सका था, जब कि १९५४ मे यह संख्या २,३८५ थी।

भूतपूर्व सैनिक

१२—१९५५ मे १२,९६६ भूतपूर्व सैनिको का नामाकन किया गया और २,२६९ को काम दिलाया गया जब कि १९५४ मे यह संख्या क्रमश १२,८७७ तथा २,११७ थी। जब कि उक्त संख्याओं मे उतार–चढ़ाव बहुत थोडा है, दोनो वर्षो के अन्त में काम दिलाने मे सहायतार्थ संस्थाओ मे नामांकित भूतपूर्व सैनिको की सख्या से विदित होता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा १९५५ मे ५२७ कम रहे। ये आकडे ३,८४९ तथा ४,३७८ रहे।

परिगणित जातीय आवेदनकर्त्ता

१३—१९५५ मे नौकरी दिलाने मे सहायतार्थ ३५,२४९ परिगणित जातीय उम्मीदवार नियोजन संस्थाओ में आए और इन संस्थाओ द्वारा ४,६५० ऐसे उम्मीदवार नौकरी पाने में सफल रहे जब कि पूर्ववर्ती वर्ष मे यह संख्या क्रमशः ३५,३९२ तथा ६,२२६ रही। वर्ष के अन्त में सस्थाओ मे १२,०६० उम्मीदवार उपलब्ध रहे जब कि १९५४ के अन्त मे यह संख्या ११,३०५ थी।

अतिरिक्त तथा पदमुक्त सरकारी कर्मचारी

१४—आलोच्य वर्ष मे २,१४० पदमुक्त सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय) तथा २,१०२ पदमुक्त सरकारी कर्मचारी (राज्य) संस्थाओ मे नामांकित किए गए जब कि १९५४ मे यह संख्या क्रमशः २२,५२४ तथा ३,२६० रही। ६८७ पदमुक्त सरकारी कर्मचारियो (केन्द्रीय) तथा ९१० पदमुक्त सरकारी कर्मचारियों (राज्य) को काम दिलाया गया जब कि १९५४ मे यह संख्या क्रमशः १,०६६ तथा १,०५६ थी। काम मे रखे गए पदमुक्त सरकारी कर्मचारियों (केन्द्रीय) की दोनो वर्षो की संख्याओं में कमी उल्लेखनीय रही। ७८९ पदक्मुत सरकारी कर्मचारी (केन्द्रीय) तथा ७५३ पदमुक्त सरकारी कर्मचारी (राज्य) नियोजन संस्थाओं मे काम पर लगाये जाने को शेष रहे। उक्त आंकड़ों से विदित होगा कि पदमुक्त सरकारी कर्मचारियो की समस्या पूर्ववर्ती वर्ष जैसी जटिल नही रही।

स्त्रियों का नियोजन

१५—आलोच्य वर्ष मे ४,६०५ स्त्रियो का नामाकन किया गया जब कि पूर्ववर्त्ती वर्ष मे यह सख्या ५,५२५ थी और ६२२ को काम दिलाया गया जब कि पूर्ववर्त्ती वर्ष मे यह संख्या ८३० थी। चालू पंजिका मे १,३९६ स्त्रिया अवशेष रही जब कि १९५४ मे १,४१८ शेष रही थी।

बेकारी की समस्या के समाधान के लिये योजनाएं

१६—शिवराव समिति की सिफारिशो के अनुसार भारत सरकार ने बेकारी की समस्याओ को हल करने के लिये अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आंशिक रुप मे निम्न-लिखित ६ योजनाओ को अपनाकर राज्य मे नियोजन सस्था सेवा के क्षेत्र मे विस्तार करने का निर्णय किया है —

(१) नियोजन सेवा के कार्यक्षेत्र मे विस्तार करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले मे द्वितीय पंच वर्षीय योजना मे एक नियोजन सस्था होगी।

(२) नियोजन सूचना का सकलन।

(३) युवक नियोजन सेवा की स्थापना।

(४) नियोजन संस्थाओ मे नियोजन का परामर्श।

(५) व्यावसायिक अन्वेषण तथा विश्लेषण।

(६) नियोजन संस्थाओं मे व्यावसायिक परीक्षण।

१७—उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य मे बेकारी मे कमी करने के साधन के रूप में न केवल भारत सरकार की उक्त योजनाओ को स्वीकार किया है वरन् इन योजनाओं को और अधिक बढ़ाया है। इस वर्ष के अन्त मे राज्य सरकार के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन थे।

उत्तर प्रदेश राज्य में श्रम की भर्ती की विधि

१८—जहां तक सरकारी विभागो का संबध है, राज्य और केन्द्रीय दोनो ही सरकारो ने समय-समय पर विभिन्न सरकारी आदेश निकाले है, जिनके अन्तर्गत सभी भर्ती नियोजन संस्थाओं के माध्यम से होने को है। किसी भी सरकारी विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्र, जाच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबधित नियोजन सस्थाओ के पास भेजे जाते है। तत्संबंधी राज्य सरकार के आदेश अभी हाल "मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स" के अध्याय ६ मे संग्रहीत किए गए है। आशा की जाती है कि नियोजन संस्था सगठन को राज्य को स्थानान्तरित करने के बाद राज्य सरकार के विभागो का सहयोग और अधिक बढ़ेगा और पूर्व विद्यमान नियम तथा आनियम और अधिक तीव्रता से लागू किए जायेंगे। यह भी आशा की जाती है कि नियोजन संस्था सेवा मे प्रसार होने के साथ ही निजी क्षेत्र को उसका उपयोग और अधिक सुविधाजनक सिद्ध होगा।

कानपुर में श्रमिकों का आकस्मिकता निवारण

१९--१९४८ मे लखनऊ मे हुए त्रिदलीय सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि सूती मिलों तथा चमडे के कारखानो के समूह से आकस्मिक श्रमिको की भर्ती के लिये नियोजन सेवा संगठन का उपयोग किया गया। इस निर्णय को १९५० मे कार्यान्वित किया गया और कानपुर मे प्रादेशिक नियोजन संस्था, कानपुर के अन्तर्गत काल्पी रोड, ग्वालटोली, जूही तथा कूपरगज मे चार उप-कार्यालय खोले गए। समूह और आकस्मिकता निवारण की कार्यपद्धति मे १९५४ मे परिवर्तन किया गया और यह तय पाया गया कि १९५५ मे योजना केवल रूप मे जारी रहनी चाहिये । निम्नलिखित तालिका मे समूह और आकस्मिकता निवारण योजना के अन्तर्गत उसके प्रारम्भ मे लेकर कार्य के आंकड़े दिए गए है :--

अवधि	समूह तथा आकस्मिकता निवारण योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्य			
	नामाकन	काम मे रखे गए	सूचित रिक्त स्थान	भरे गए स्थान
१	२	३	४	५
१९५० (अप्रैल-दिसम्बर) .	१२,०४४	५,०५५	६,४४०	५,५०५
१९५१	२३,११९	१३,२७५	१४,९६४	१३,७५३
१९५२	२८,१५१	१४,९७०	१७,५१८	१६,३०३
१९५३	२०,४६१	९७,३३	१३,६२०	११,४६१
१९५४ .	१८,०५४	८,२१३	११,७८७	९,६७६
१९५५ .	१२,११९	४,८३४	७,७०९	५,८१३

प्रशिक्षण योजनाएं

२०--प्रौढ़ नागरिक प्रशिक्षण योजना अधिकृतरूप से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के पुनर्वास एवं नियोजन के महानिर्देशक द्वारा १९५० के वर्ष मे देश में बढ़ती हुई प्राविधिक जन-शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये प्रारम्भ की गयी थी । १९५३ के वर्ष मे उसे प्रशिक्षण के व्यावहारिक पक्ष पर अपेक्षाकृत अधिक बल देकर

"क्रैफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम" के नाम से पुनर्संगठित किया गया। प्रशिक्षण भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित निश्चित स्तर के अनुसार किया जाता है। प्राविधिक व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण अवधि २ वर्ष की है और vocational व्यवसायों के लिये एक वर्ष की है।

२१---उत्तर प्रदेश मे ८ प्रशिक्षण संस्थायें/केन्द्र है, जिनमे देहरादून मे अवस्थित एकमात्र स्त्रियो का प्रशिक्षण केन्द्र भी सम्मिलित है। सभी सस्थाओ/केन्द्रो की स्थान क्षमता २,१५० की है, जिनमे से ३५० स्थान प्राविधिक व्यावसायो मे विस्थापितो के प्रशिक्षण के लिये रक्षित है। नागरिको के लिये कुल स्थानो का साढ़े बारह प्रतिशत परिगणित जातीय उम्मीदवारो के लिये रक्षित है। कुल १२,१२५ युवक व्यक्ति १९४५ वर्ष से विभिन्न व्यापारो एव व्यवसायो का प्रशिक्षण पा चुके हैं।

२२---उपर्युक्त के अतिरिक्त ऐसे व्यापारो एव व्यवसायो मे, जहा नियोजन के अवसर निश्चित रूप से है, विस्थापितो के परीक्षण प्रशिक्षण के लिये भारत सरकार न ४०० और स्थानो की स्वीकृति दी है।

२३---१९५४-५५ के वर्ष मे vocational व्यवसायो मे ५,९२२ व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया गया और १९५५ के जुलाई मास मे "क्रैफ्ट्समैन ट्रेनिग स्कीम" के अन्तर्गत उनकी परीक्षा ली गई। ५४६ प्रशिक्षार्थी सफल घोषित किए गए।

प्रशिक्षार्थियों को सुविधाएं

२४---आलोच्य अवधि मे ३१३ विस्थापितो को, जिनमे उद्योगो में परीक्षणार्थी (अप्रेन्टिस) की हैसियत से काम करने वाले भी सम्मिलित है, भारत सरकार द्वारा ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति दी गई। तीन भूतपूर्व सैनिको को भी सुरक्षा मंत्रालय की ओर से २५ रु० मासिक छात्रवृत्ति दी गई।

राज्य सरकार की योजना

२५---पश्चिमी पाकिस्तान की महिलाओ के लिये बापू वोकेशनल ट्रेनिग इस्टीट्यूट, देहरादून में चालू है। आलोच्य वर्ष मे इस इंस्टीट्यूट मे १८६ विस्थापित स्त्रिया प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इनमे से १६८ प्रशिक्षणार्थिनियां जुलाई, १९५५ मे सफल घोषित की गई।

अभिरुचि विशेष (हाबी) केन्द्र, इलाहाबाद

२६---१९५४ के वर्ष मे इलाहाबाद के विद्यार्थियो मे शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का प्रादुर्भाव करने तथा भावी व्यवसाय के रूप मे प्राविधिक कार्यो को अपनाने की दिशा मे नवयुवको को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलाहाबाद मे एक अभिरुचि विशेष (हाबी) केन्द्र खोला गया था। आलोच्य अवधि के अन्त मे इस अभिरुचि विशेष (हाबी) केन्द्र मे ७४ प्रशिक्षणार्थी रहे।

अध्याय १६

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक सबंधो की समस्या बड़े उद्योगो के विस्तार के साथ-साथ चली है, क्योंकि जहा कही उद्योग है, वहा औद्योगिक सबंधो की समस्या सबसे आगे है। आगे के अनुच्छेदों मे उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक संबधो का विकास और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओ तथा उन समस्यो को निबटाने के लिये सरकार के तरीको और साधनों का विवरण दिया गया है।

२—भारत मे औद्योगिक विवादो के संबंध मे सबसे पहला कानून नियोजक तथा श्रमिक (विवाद) अधिनियम, १८६० था, जिसमे नहरो, रेलो तथा दूसरे सार्वजिनक निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियो की मजदूरी से संबंधित झगडो को तुरन्त न्यायप्रणाली से मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णय करने की व्यवस्था थी। बाद मे इसे सन् १९२२ मे समाप्त कर दिया गया। सन् १९२९ मे व्यावसायिक विवाद अधिनियम पहले केवल पांच वर्ष के लिये पारित हुआ। इसमे विवादो की जांच-पड़ताल करने और उनका निर्णय करने के लिये जांच न्यायालय और सराधन मडल स्थापित करने की व्यवस्था थी। सार्वजनिक उपयोगी लोक सेवाओ मे हड़ताल और तालाबन्दी को रोकने के लिये अधिनियम ने बिना १४ दिन का नोटिस दिए हुए हड़ताल और तालाबन्दी करना अपराध बना दिया। अधिनियम को सन् १९३८ मे सशोधित किया गया, जिससे व्यावसायिक विवादो मे संराधन अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता करने तथा समझौता करने मे सहायता देने की व्यवस्था की गई।

३—व्यावसायिक विवाद अधिनियम, १९२९ का उपयोग लगभग नही के बराबर हुआ क्योकि विवादो को रोकने और निपटाने के लिये कोई व्यवस्था नही की गई। सन् १९३७ मे लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने पर ही सारे दृष्टिकोण मे परिवर्तन हुआ। औद्योगिक संबंधों की समस्या ने महत्वपूर्ण रूप धारण किया और फलस्वरूप एक छोटा सा श्रम कार्यालय स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य मालिको और श्रमिकों मे अच्छे औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिये औद्योगिक विवादो को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का था।

४—व्यावसायिक विवाद अधिनियम, १९२९ की द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न विशेष स्थिति के निपटाने मे असमर्थता प्रकट हुई और युद्धोत्पादन मे लगे कारखानो मे विवादों को रोकने और तुरन्त सुलझाने की आवश्यकता का तीव्र अनुभव हुआ। परिस्थिति को संभालने के लिये भारत सुरक्षा नियम, १९४२ का उपयोग किया गया जिसने सरकार को औद्योगिक विवादों को अभिनिर्णय के लिये भेजने तथा निर्णय को पालन कराने का तथा हडताले और तालाबन्दी रोकने का भी अधिकार दिया। युद्धकाल में भारत सुरक्षा नियम का उपयोग इस राज्य मे भी श्रमसंबंधी विवादों को निपटाने के

लिए अभिनिर्णायकों की नियुक्ति करने मे हुआ। विवादो का अभिनिर्णय द्वारा निपटान के इस कानूनी तरीके के अतिरिक्त एक ओर से सरकार और दूसरे ओर से एम्प्लायर्स एसोसियेशन आफ नार्दर्न इंडिया के बीच जिसमे कानपुर के लगभग सभी बड़े नियोजकों का प्रतिनिधत्व है, एक समझौता हुआ, जिसमें संशोधन कार्यवाही के अंतर्गत संराधन अधिकारी के सामने चलने वाले औद्योगिक विवादों को गैर सरकारी आधार पर निपटाने की व्यवस्था हुई। औद्योगिक विवादो को बचाने और निपटाने का यह तरीका पूरे युद्ध-काल मे सन् १९४५-४६ तक चलता रहा।

५---भारत सुरक्षा नियम, जो एक युद्धकालीन कार्यवाही के रूप मे था, अप्रैल, १९४६ मे समाप्त हो गया। इसलिये सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये पहले उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अध्यादेश, १९४७ एक अंतरिम कार्यवाही के रूप मे निकाला, जिसके स्थान पर बाद मे उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ बनाया गया। अधिनियम पहली फरवरी, १९४८ से लागू हुआ। इसी बीच भारत सरकार ने भी एक दूसरा कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ बनाया जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९२९ के स्थान पर था।

६---उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ से हड़ताल और तालाबन्दी का निषेध करने, मालिको और श्रमिको से नियोजन की विशेष शर्तों को पालन कराने, औद्योगिक विवादो को संराधन और अभिनिर्णय के लिये भेजने, औद्योगिक न्यायालय की स्थापना करने, किसी सार्वजनिक उपयोगी सेवा या उसमे सहायक प्रतिष्ठान को बन्द न करने अथवा बन्द रखने और काम जारी रखने का आदेश देने, किसी सार्वजनिक उपयोगी सेवा या उसमे सहायक प्रतिष्ठान का अधिग्रहण और संचालन करने और किन्ही संबंधित या पूरक मामलों पर, जो सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हैं, कोई आदेश देने के अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं।

७---सरकार ने औद्योगिक विवादो के एक साथ बचाने और निपटाने की व्यवस्था को सबल बनाने के लिये भी कार्यवाही की। १९४६ के पहले केवल एक संराधन अधिकारी सारे राज्य के लिये था, किन्तु १९४६ मे उनकी संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गयी। राज्य मे औद्योगिक संबधो के बढ़ते हुए महत्व और बढ़ते हुए काम को देखते हुए संराधन अधिकारियों की संख्या भी बढ़ती रही और इस समय राज्य मे २२ संराधन अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण में कुछ अन्य पदाधिकारियो को भी उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र के अधिनियमो के अन्तर्गत सराधन अधिकारियो का कार्य करने के लिये अधिसूचित किया गया है।

८---सन् १९४८ मे औद्योगिक विवादो को बचाने और निपटाने का प्रबन्ध पूर्णरूप से पुनस्संगठित किया गया। पुनस्संगठित प्रबधो ने निम्नलिखित सम्मिलित थे :---

(अ) वेकुअम-पैन चीनी कारखानो तथा २०० या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सब कारखानों मे कार्य समितियां।

(ब) वस्त्र, चीनी, चमडा और कांच, बिजली और इंजीनियरिंग उद्योगो के लिये प्रान्तीय तथा प्रादेशिक संराधन मंडल और उपरोक्त उद्योगों के लिये।

(स) औद्योगिक न्यायालय, जिनमे प्रान्तीय तथा प्रादेशिक सराधन मंडलो मे अपील हो सकती थी।

९—बाद मे अनुभव से प्रकट हुआ कि कार्य समितियां ठीक प्रकार से नही चल रही हैं इसलिये इन समितियो को समाप्त कर दिया गया और औद्योगिक विवादों को बचाव और निपटाने की व्यवस्था सन् १९५१ मे पुन सगठित की गई। औद्योगिक विवादो को निपटाने की सारी व्यवस्था को पुनस्संगठित करने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का पारित करना तथा उसके परिणामस्वरूप पूरे देश के लिये श्रम अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना करना था।

१०—इसलिये औद्योगिक विवादो को निपटाने के लिये सरकार ने इस राज्य में एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत १५ मार्च, १९५१ को एक आदेश निकाल कर की। इस आदेश के निकलने से सन् १९४८ में स्थापित किए गए प्रादेशिक सराधन मंडल तथा औद्योगिक न्यायालय के स्थान पर सराधन मंडल तथा पूरे राज्य के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इस आदेश के बाद लागू होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है :—

(१) पहले महत्वपूर्ण उद्योगो जैसे वस्त्र, होजरी, चीनी, कांच और बिजली तथा इंजीनियरिंग के लिये कई प्रादेशिक संराधन मंडल स्थापित किए गए थे। नए आदेश के अन्तर्गत प्रादेशिक संराधन मंडल समाप्त कर दिए गए और नए आदेश मे यह उपबन्ध किया गया कि शिकायत आने पर क्षेत्र का सराधन अधिकारी मालिको तथा श्रमिको का एक-एक प्रतिनिधि लेकर संराधन मंडल बनायेगा। और पहले सराधन मंडल केवल कुछ उद्योगो के लिये स्थापित किए गए थे परन्तु नये आदेश मे बिना अपवाद के सब उद्योगो के लिये संराधन मंडलो के निर्माण की व्यवस्था की गई।

(२) इसके पूर्व यह भी प्रथा थी कि एक बडी संख्या मे ऐसे मामले संराधन कार्यवाही के लिये भेज दिये जाते थे, जिनका कोई कानूनी आधार न था। परन्तु नई कार्यपद्धति के फलस्वरूप औद्योगिक विवादो को गैर कानूनी ढंग से निपटाने का क्षेत्र सीमित हो गया क्योकि नयी प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत सभी मामले संराधन मंडल के सामने उपस्थित किये जाने को थे।

(३) सन् १९४८ के सरकारी आदेश तथा सन् १९५१ में निकाले गये नये सरकारी आदेश के अन्तर्गत सराधन मडल सगठन तथा अधिकार में एक महत्व-पूर्ण अन्तर है। पुराने आदेश के अन्तर्गत एक प्रादेशिक संराधन मंडल एक न्यायायिक संगठन था, जिसे किसी मामले मे विस्तृत जांच-पड़ताल करने तथा यदि सम्बन्धित पक्षो में समझौता कराने मे उसके प्रयत्न विफल होते

नो निर्णय देने का अधिकार था किन्तु सन् १९५१ के आदेश के अन्तर्गत बनये ग संराधन मंडलो का केवल किसी विवाद को समझौते से निपटाने तथा समझौते की संभावनाओ का खोजना था। उन्हे स्वय कोई निर्णय देने का अधिकार नही था वरन् आगे की उपयुक्त कार्यवाही के लिये जैसे मामले को अभिनिर्णय मे भेजने के लिये श्रमायुक्त तथा सरकार के पास रिपोर्ट भेज देना था।

(४) पुराने और नये संराधन मंडलो म एक और अन्तर पक्षो के प्रतिनिधियो की मंडल में नियुक्ति की पद्धति से है। पहले प्रतिनिधि सरकार द्वारा अधिसूचित कई प्रतिनिधियों मे से चुने जाते थे। यह मंडल का सभापति अपने विवेक निर्णय से करता था। परन्तु अब मडल के सदस्य सबन्धित पक्षो द्वारा ही मनोनीत किये जाते हैं। पुराने आदेश के अन्तर्गत सराधन मंडल की कोई भी बैठक बिना तीनो सदस्यों की उपस्थिति के नही हो सकती थी परन्तु इस प्रतिबन्ध को १९५१ के आदेश के द्वारा हटा दिया गया।

(५) सन् १९४८ मे स्थापित प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालय स्थापित किये गये, जिनमें प्रादेशिक संराधन मडलों से अपील की जा सकती थी। परन्तु नई व्यवस्था मे अपील का यह अधिकार-क्षेत्र हटा लिया गया है क्योंकि भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत श्रम अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी। अब औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा अभिनिर्णायको के निर्णयो की उक्त अधिनियम मे निर्धारित कुछ मामलो मे अपीले इस अपीली न्यायाधिकरण द्वारा सुनी जाती है।

(६) सन् १९५१ के आदेश के अन्तर्गत की जाने वाली व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण बात पूरे राज्य के लिये एक औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना था, जिसका अध्यक्ष एक अवकाश प्राप्त भारतीय प्रशासन लोक सेवा (आई० ए० एस०) पदाधिकारी तथा दो अवकाश-प्राप्त जिला न्यायाधीश सदस्य है। न्यायाधिकरण का मूल अधिकार क्षेत्र सब प्रकार के औद्योगक विवादो पर है।

११—फरवरी सन् १९५३ मे १५ मार्च सन् १९५१ के आदेश मे फिर संशोधन किया गया, क्योकि अनुभव से यह देखा गया कि ४० दिन के अन्दर अभिनिर्णायको और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरणो को निर्णय देने के लिये जो समय रखा गया था, वह अपेक्षाकृत कम था। इसलिये निर्णय देने की अवधि को मूल आदेश के ४० दिन के स्थान पर बढ़ाकर संदर्भ की तिथि से १८० दिन कर दिया गया।

१२—दिनाक १५ मार्च, १९५१ के सरकारी आदेश का संशोधन पुन. दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के आदेश सख्या यू-४६४ (एल-एल)/३६बी—२५७ (एल-एल)-५४ से किया गया। संराधन व्यवस्था मे आगे लिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये जो १५ मार्च, १९५१ के आदेश मे नही थे।

(अ) संराधन अधिकारी को अब यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी विवाद के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र, प्रार्थना-पत्र के दिन से ६ महीने पूर्व का है या वह किसी अधिकारी के सामने कार्यवाही के लिये जा चुका है तो वह प्रार्थनापत्र को लेना अस्वीकार कर दे। इसकी अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में प्रार्थी के पास भेज दिये जाने को है। यह अधिकार पुराने आदेश के अन्तर्गत नहीं थे और सब प्रार्थनापत्रों को, वे चाहे जैसे हों, आवश्यक रूप से संराधन मंडल को भेजना पड़ता था।

(ब) किन्तु प्रार्थी को यह अधिकार दिया गया है कि प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने के संराधन अधिकारी के आदेश मिलने के एक महीने के अन्तर्गत मामले को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के सामने रखे, जिनका निर्णय अन्तिम माना जायगा।

(स) न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायक का निर्णय एक वर्ष या उससे कम उस समय के लिये, जो न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायक निर्धारित करे, लागू रहेगा। राज्य सरकार उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व उसे जैसा उचित समझे एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिये वहां तक बढ़ा सकती है जहां तक कि किसी निर्णय के लागू होने की तिथि से उसके प्रतिपालन की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो।

(द) लिखा-पढ़ी या गणित-सम्बन्धी गलतियों को सुधारने का अधिकार भी अभिनिर्णायकों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण को दिया गया है।

वर्तमान व्यवस्था का वर्णन

१३--१४ जुलाई, १९५४ के सरकारी आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत विवादों को रोकने और निपटाने के लिये स्थापित वर्तमान व्यवस्था में (अ) संराधन मंडल, (ब) राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और (स) समय-समय पर नियुक्त किये गये अभिनिर्णायक सम्मिलित है। इन अधिकारियों के कार्य तथा उनकी कार्य-प्रणाली निम्नलिखित प्रकार से हैं:--

संराधन मंडल

१४--सरकारी आदेश सं० यू-४६४ (एल एल)/३६-बी २५७ (एल-एल) ५४-दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के द्वारा संराधन अधिकारी को किसी औद्योगिक विवाद को निपटाने की सहायता के लिये, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, एक संराधन मंडल बनाने का अधिकार दिया गया है। मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :--

(१) संराधन अधिकारी जो मंडल का सभापति होगा।

(२) दो सदस्य विवाद के प्रत्येक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक-एक सदस्य जिसकी नियुक्ति संराधन अधिकारी सम्बन्धित पक्ष की सिफारिश पर करेंगे।

१५--यदि कोई पक्ष संराधन अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में अपनी ओर से प्रतिनिधि के नाम की सिफारिश नहीं कर पाता है या किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य मंडल की बैठक या कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता है तो सभापति को ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति में भी काम को संचालित करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त यदि विवाद पूरे उद्योग को या राज्य के सबसे अधिक प्रदेश को प्रभावित करता है तो श्रमायुक्त को यह निर्णय करने का अधिकार है कि प्रदेश में कौन सा संराधन मंडल विवाद को निपटायेगा।

१६—संराधन मंडल में बरती गई कार्य प्रणाली यह है कि मंडल निर्धारित प्रपत्र पर किसी कर्मचारी या नियोजक या रजिस्टर्ड संगठन या नियोजकों के व्यावसायिक संघ या कर्मचारियों के रजिस्टर्ड व्यावसायिक संघ या इस प्रकार के संगठनों या व्यावसायिक संघों के संघ या जहां किसी कारखाने या उद्योग में कर्मचारियों का कोई रजिस्टर्ड व्यावसायिक संघ नहीं है वहां पर उस कारखाने या उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा उसी उद्देश्य के लिये बुलाई गई बैठक में बहुमत द्वारा चुने गये पांच से अधिक प्रतिनिधियों से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर मामले पर ध्यान देता है। पिछले अनुभव से यह देखा गया कि काफी बड़ी संख्या में निरर्थक और पिछले विवाद भेजे गये। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये एक प्रपत्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थी का अपने मामले का पूरा विवरण तथा उसके द्वारा या उसके व्यावसायिक संघ द्वारा शिकायत को दूर करने के लिये विरोधी पक्ष के साथ हुई कार्यवाही का विवरण भरना पड़ता है। सरकारी आदेश दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के अन्तर्गत संराधन अधिकारी को किसी प्रार्थनापत्र को लेने से इन्कार करने का अधिकार दे दिया गया है, यदि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से विवाद को उत्पन्न हुये ६ महीने से अधिक हो गये हो या मामला किसी अधिकारी के सामने कार्यवाही के लिये जा चुका हो।

१७—राज्य सरकार किसी भी समय स्वतः या प्रार्थना-पत्र पाने पर किसी औद्योगिक विवाद या मामले को लिखित आज्ञा द्वारा एवं संराधन मंडल से दूसरे क्षेत्र के संराधन मंडल को भेज सकती है।

१८—संराधन मंडल अपने पास भेजे गये मसलों पर समझौते से निपटारा कराने का प्रयास करता है। यदि संराधन मंडल दोनों पक्षों में ऐसा निपटारा कराने में सफल होता है तो वह समझौते की शर्तों का उल्लेख करते हुये एक ज्ञापन-पत्र नियमित रूप से सभापति तथा विवादी पक्षों के हस्ताक्षर सहित ३० दिन के अन्तर्गत (छुट्टियों को मिलाकर परन्तु उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों की वार्षिक छुट्टी को न छोड़कर) तैयार करता है तथा उसकी प्रतिलिपियों को विवादी पक्षों, सरकार तथा श्रमायुक्त के पास भेजता है।

१९—जहां पर किसी एक या अधिक मसले पर समझौते से निपटारा नहीं हो पाता है वहां सभापति कार्यवाही समाप्त होने के सात दिन के अन्दर (छुट्टियों को छोड़कर परन्तु उच्च न्यायालय के आधीन न्यायालयों की वार्षिक छुट्टी न छोड़कर) पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार और श्रमायुक्त के पास आगे की कार्यवाही के लिये भेजता है, जिसमें मंडल द्वारा विवाद से सम्बन्धित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ज्ञात करने तथा समझौते से निपटारा कराने के लिये प्रयासों का उल्लेख रहता है।

अभिनिर्णायक और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण

२०—मामलों को अभिनिर्णायक के लिये भेजने की स्थिति, जो दिनांक १५ मार्च, १९५१ के सरकारी आदेश के अन्तर्गत थी, वह १४ जुलाई, १९५४ के आदेश के अन्तर्गत अपरिवर्तित रही। ठीक-ठीक स्थिति यह है कि संराधन मंडल की रिपोर्ट आने पर (यदि संराधन कार्यवाही में समझौता नहीं हुआ है) और सरकार को सन्तोष है और ऐसा करना उचित समझती है तो मामला अभिनिर्णय के लिये

एक अधिकारी के पास अथवा राज्य औद्योगिक न्यायालय, इलाहबाद के पास भेजा जाता है। सरकार को अधिकार है कि वह औद्योगक विवादो को स्वतः अभिनिणय के लिये भेज दे चाहे विवादों को मडल के सामने सराधन कार्यवाही के लिये ले जाया गया हो या नहीं। सामान्यतः अधिक महत्वपूर्ण मामले या पूरे राज्य से सम्बन्धित उद्योगो के मामले राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के पास भेजे जाते हैं। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानो को अभिनिर्णय की कार्यवाही के लिये शामिल कर ले, जहां वह स्वतः अथवा इस सम्बन्ध मे प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र से यह समझती है कि विवाद इस प्रकार का है कि उसी प्रकार के प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानो की उस विवाद मे दिलचस्पी है या उन पर उस विवाद का प्रभाव पड सकता है। सरकारी आदेश राज्य सरकार को यह भी अधिकार देता है कि वह न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के यहा, जहां विवाद चल रहा है और भी अतिरिक्त बातो को निर्णयार्थ भेज सके। राज्य सरकार, चाहे वह विवाद में कोई पक्ष हो या न हो, न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के सामने चलने वाली कार्यवाही मे उपस्थित हो सकती है और उसे अपनी बात कहने का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो वह इन कार्यवाहियो से सम्बन्धित एक पक्ष है। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह संराधन मडल, न्यायाधिकरण अथवा अभिनिर्णायक के पास भेजे गये विवाद को लिखित कारण देकर एक आदेश से वापस ले ले।

२१—इलाहाबाद का राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण एक स्थायी संस्था है और उसमे एक अध्यक्ष है, जो एक ज्येष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी है और दो सदस्य हैं जो अवकाश-प्राप्त जिला एव सेशस न्यायाधीश हैं। अभिनिर्णायक एक-एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत संराधन अधिकारी और अन्य अधिकारी जो औद्योगिक विवादो मे अभिनिर्णय देने या समझौता कराने का दो वर्ष से अधिक का व्यावहारिक अनुभव रखते हैं या जो दो वर्ष अधिक की अवधि तक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट रहे हैं या है, अभिनिर्णायक नियुक्त किये जाते हैं। अभिनिर्णायक अपने पास भेजे गये मामले के अभिनिर्णयार्थ कानून के अन्तर्गत एक तदर्थ अधिकारी हैं। अभिनिर्णायको की अपील औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम के अन्तर्गत श्रम अपीली न्यायाधिकरण मे की जा सकती है।

भारत का श्रम अपीली न्यायाधिकरण

२२—औद्योगिक न्यायाधिकरणो, अभिनिर्णायको, न्यायालयो, मडलो या औद्योगिक विवाद अधिनियम या किसी अन्य राज्य अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी भी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील मानने के लिये औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त यह अधिकारनिष्ठ है इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं जिनमे से सभी व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो या किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के कम से कम दो वर्ष तक सदस्य रहे हो। भारत के श्रम अपीली न्यायाधिकरण की चार बेंचें कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ और मद्रास में हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ 'बेंच' के अधिकार-क्षेत्र में है। केवल निम्न-

लिखित मामलो मे ही औद्योगिक न्यायाधिकरणों, अभिनिर्णायको आदि के निर्णय के विरुद्ध श्रम अपीली न्यायाधिकरण मे अपील की जा सकती है :—

(१) जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विवादग्रस्त हो ।
(२) मजदूरी ।
(३) बोनस या यात्रा-भत्ता ।
(४) पेंशन, फंड या प्राविडेण्ट फंड मे नियोजको के देय धन ।
(५) नियोजन के विशेष प्रकार के कारण विशेष व्ययों के लिये श्रमिको को दिये गये या देय भत्ते ।
(६) कार्यमुक्ति के समय दिये गये आनुतोषिक ।
(७) श्रेणियो के अनुसार वर्गीकरण ।
(८) श्रमिको की छटनी ।
(९) अन्य कोई मामला, जो निर्दिष्ट किया जाय ।

२३—पक्षों की स्वीकृति से दिये गये औद्योगिक न्यायाधिकरण या अभिनिर्णायको के निर्णयों या पक्षो के बीच किये गये समझोते के विरुद्ध कोई अपील श्रम अपीली न्यायाधिकरण मे नही ली जाती । उन मामलो के अतिरिक्त, जिनमे अपीली न्यायाधिकरण को यह सन्तोष हो जाय कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील करने मे असमर्थ रहा, नीचे के अधिकारी के निर्णय देने के ३० दिन के भीतर श्रम अपीली न्यायाधिकरण मे अपील की जाती है ।

विवाद चलते समय श्रमिकों की सुरक्षा

२४—सराधन मंडल, अभिनिर्णायक, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण और भारतीय श्रम अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही होते समय हड़ताल या तालाबन्दी करना निषिद्ध है । इसके सिवा नियोजक के लिये सम्बन्धित प्रदेश के प्रादेशिक संराधन अधिकारी से, यदि मामला किसी संराधन मडल, अभिनिर्णायक या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष है या श्रम अपीलो न्यायाधिकरण से, यदि मामला उसके सामने प्रस्तुत है, अनुमति लिये बिना सम्बन्धित श्रमिको की नोकरी की शर्तो को बदलना या ऐसे विवाद से सम्बन्धित श्रमिक को कार्यच्युत, कार्यमुक्त या दण्डित करना निषिद्ध है ।

अभिनिर्णय के लिये भेजे जाने वाले मामलों में अधिकार-प्रदान

२५—सराधन अधिकारी द्वारा जिन ओद्योगिक विवादो को हस्तक्षेप योग्य माना गया हो, उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिये राज्यपाल ने दिनांक २४ सितम्बर, १९५२ की अधिसूचना सख्या यू-६६४ (एल-एल)/१८ (एल-बी) को रद्द करके २१ अक्तूबर, १९५४ के सरकारी आदेश संख्या २२२८ (एल-एल)/३६(बी) के अनुसार उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेशीय अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ अथवा इस समय लागू किसी अन्य कानून के आगे के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश

के श्रमायुक्त और एक प्रति श्रमायुक्त को श्रम विभाग मे उत्तर प्रदेश की सरकार क्रमशः पदेन संयुक्त सचिव तथा प्रतिसचिव नियुक्त किया, जिनके प्रधान कार्यालय, कानपुर मे ही है :—

(१) औद्योगिक विवादों को अभिनिर्णय के लिये भेजना ।

(२) सराधन समितियो के निर्णय, प्रतिवेदन या उनके द्वारा कराये जाने वाले समझौते की अवधि मे वृद्धि ।

(३) उक्त निर्णय के लिये भेजे जाने वाले मामलो की वापसी ।

(४) उक्त (१) और (२) मे निर्दिष्ट मामलो से सम्बन्धित कोई अन्य मामले ।

प्रशासकीय व्यवस्था

२६—प्रशासकीय सुविधा के लिये पूरे राज्य को औद्योगिक सम्बन्धो के प्रशासन तथा विवादों को निपटाने के लिये सात प्रदेशो मे बाट दिया गया है जो निम्नलिखित है :—

क्रम–सख्या	प्रदेश	अधिकार–क्षेत्र
१	२	३
१	प्रादेशिक सराधन कार्यालय, कानपुर, जिसमे ११८ पूर्ण–कालिक संराधन अधिकारी और अन्य अधिकारी है, जो अपने अन्य सामान्य कार्य के अतिरिक्त अभि–निर्णायकों का कार्य भी करते है	कानपुर प्रदेश, जिसमे कानपुर नगर, झांसी लाइन पर झांसी तक, परन्तु झासी मुख्य को छोडकर, पडने वाले सभी स्टेशनो का ग्राम्य क्षेत्र तथा जालौन, हमीरपुर और फर्रुखाबाद के जिले सम्मिलित है ।
२	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, इलाहाबाद (दो संराधन अधिकारियो के साथ)	इलाहाबाद प्रदेश, जिसमें इलाहाबाद, बादा, बना–रस, मिर्जापुर, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, जौनपुर. गाजियाबाद, बलिया और फतेहपुर के जिले सम्मिलित है ।

१	२	३
३	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, गोरखपुर (दो संराधन अधिकारियो के साथ)	गोरखपुर प्रदेश, जिसमें बहराइच, गोंडा, आजमगढ, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया के जिले सम्मिलित है।
४	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, लखनऊ (दो संराधन अधिकारियो के साथ)	लखनऊ प्रदेश, जिसमें लखनऊ, सीतापुर, खैरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और फैजाबाद के जिले सम्मिलित है।
५	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, आगरा (दो सराधन अधिकारियों के साथ)	आगरा प्रदेश, जिसमे आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी मुख्य और मथुरा के जिले सम्मिलित है।
६	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, बरेली (दो सराधन अधिकारी, जिनमें एक बरेली और दूसरा रामपुर मे नियुक्त है)	बरेली प्रदेश, जिसमे बरेली, शाहजहापुर, नैनीताल, गढवाल, रामपुर, मुरादाबाद, बदायू, पीलीभीत, बिजनौर, अल्मोडा और टेहरी-गढ़वाल के जिले सम्मिलिन है।
७	प्रादेशिक संराधन कार्यालय, मेरठ (दो सराधन अधिकारियो के साथ)	मेरठ प्रदेश, जिसमे देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलन्दशहर के जिले सम्मिलित है।

श्रमिकों तथा नियोजकों से प्राप्त शिकायते

२७--सन् १९५५ में ४,८२५ शिकायतें आईं, जिनमे से ४,६३५ श्रमिको की तथा १९० नियोजकों की थी। आगे की तालिका मे इन शिकायतो का विवरण प्रादेशिक आधार पर दिया गया है :--

क्रम-संख्या	प्रदेश	साधारण शिकायतें			हडताल के नोटिस के रूप में कर्मचारियो से प्राप्त शिकायतें		अन्य शिकायते (जैसे कि भारत सरकार के प्रादेशिक श्रमायुक्त से जाच तथा निपटारे के लिए)	शिकायतों की कुल सख्या
		सीधी श्रमिको से	संघो द्वारा	नियोजको की शिकायते	श्रमिकों से सीधे	संघों द्वारा		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	इलाहाबाद ..	१७८	२५६	१४	.	२	...	४५०
२	आगरा .	१२२	२१०	१	..	१	१७	३५१
३	गोरखपुर	१३२	२७३	३	२	१२	१५	४४२
४	कानपुर .	३१९	१,२७७	६३	.	.	८३	१,७४२
५	लखनऊ ..	१७१	४६५	३९	...	१	३५	७११
६	बरेली	३९२	३४८	२	१	५	१०	७५८
७	मेरठ .	९९	२०१	६३	१	..	७	३७१
१९५५ के लिये योग ...		१,४१३	३,०३०	१९०	४	२१	१६७	४,८२५
१९५४ के लिये योग ..		१,१८६	३,४७३	३३९	७	३७	८२	५,१२४
१९५३ के लिये योग ...		१,१८७	४,७७५	६०३	३	३३	८८	६,६८९

टिप्पणी—उपरोक्त तालिका मे उन विवादों को नही सम्मिलित किया गया है, जिनमे हडताल की सूचना मजदूरो द्वारा दी जाती है, परन्तु जिनमें मजदूरो द्वारा सरकार की स्थापित संराधन व्यवस्था के अनुसार अपनी माग की पूर्ति का उपाय नही किया जाता है ।

पिछले वर्ष अर्थात् सन् १९५४ में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या ५,१२४ थी, जिसमें से ४७८५ श्रमिको की ओर से और ३३९ नियोजको की ओर से थी ।

२८—सन् १९५५ में प्राप्त शिकायतों की मांगों के आधार पर वर्गीकरण आग की तालिका में दिया गया है :—

मांगो के अनुसार वर्गीकरण

क्रमांक	प्रदेश	मजदूरी	महंगाई का भत्ता	बोनस	छुट्टी और अवकाश	पुनर्नियुक्ति और पदच्युति	काम के घंटे	चेतावनी और कार्यच्युति	अन्य सुविधायें	संघों की मान्यता	अन्तरिम एवं प्राविडेंट फंड	राज्य देशों के पालन के सम्बन्ध में	निर्णयों का पालन	विविध	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	कानपुर	३८६	१५	३०	१०	७६५	३८	१४०	.	१	३७	.	.	३२०	१,७४२
२	लखनऊ	२२२	२	११३	१०	२३९		२७	१२			१		८५	७११
३	आगरा	४२		२८	१	२२८	१	२	४		२	२	१	४०	३५१
४	इलाहाबाद	९८	.	१९	३	२८०	१	८	११		३	२	.	२५	४५०
५	बरेली	२२१		२०	४१	१९९	११	२२			४		१	२३९	७५८
६	गोरखपुर	८५		९	१५	१३९		५	१५		१	३		१७०	४४२
७	मेरठ	४३	१	३५	१३	१२७	१	३९	४८		१	२	.	६१	३७१
	योग १९५५	१,०९७	१८	२५४	९३	१,९७७	५२	२४३	९०	१	४८	१०	२	९४०	४,८२५
	योग १९५४	१,२२६	७४	२६२	१२१	१,७५८	४१	५७९	११०	१	२१	२८	१२	८९१	५,१२४
	योग १९५३	१,८८७	३१	५१३	११५	२,३१५	४०	५३२	७९		५३	४५	१२४	१,३५५	६,६८९

पीछे की तालिका से सपष्ट है कि पदच्युति और पुर्ननियुक्ति से सबंधित सबसे अधिक शिकायते आई अर्थात् १,९७७ जो कुल योग की ४०.९ प्रतिशत है। महत्व के अनुसार दूसरे क्रम पर मजदूरी-संबधी मागे है, जिनका योग १,०९७ अर्थात् कुल शिकायतो का २२.७ प्रतिशत

२९—निम्नलिखित तालिका मे शिकायतो को उद्योगवार एव प्रदेशवार दिखलाया गया है :—

सन् १९५५ में शिकायतों की संख्या का उद्योग तथा प्रदेश के अनुसार वर्गीकरण

क्रमांक	प्रदेश	वस्त्र	चीनी	बिजली	इञ्जीनियरिंग	चमडा	काच	तेल	विविध कारखाने	कारखानो के अतिरिक्त	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	कानपुर	१,०७८		४	१३५	१३९	१	११०	२०४	७१	१,७४२
२	लखनऊ	२	४८	७	१८४	४	१	२५	२२४	२१६	७११
३	आगरा	१२	६	१८	९०	८	२६	४५	१३३	१३	३५१
४	इलाहाबाद	८	८	१४	३२		२	१८	२०५	१६३	४५०
५	बरेली	८६	३०४	३८	८०		१२	१	१४४	९३	७५८
६	गोरखपुर	५	३३३	५			.		७४	२५	४४२
७	मेरठ	१३	१५४	३	४६	.	.	..	१४२	१३	७७१
	योग १९५५	१,२०४	८५३	८९	५६७	१५१	४२	१९९	१,१२६	५९४	४,८२५
	योग १९५४	१,१०७	८७२	१३३	६१२	२५५	१३५	३४१	१,२५७	४१२	५,१२४
	योग १९५३	२,०४९	९३३	१०६	८९२	३६७	२१७	३७५	१,४८८	२६२	६,६८९

पीछे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि १,२०४ शिकायतें अर्थात् कुल की २४.९ प्रतिशत वस्त्र उद्योग से संबधित थी। विविध कारखानों तथा चीनी कारखानों से संबंधित क्रमशः १,१२६ और ८५३ थी, जो क्रमानुसार कुल शिकायतों का २३.३ और १७.७ प्रतिशत होता है।

संराधन मंडल

३०—निम्नलिखित तालिका मे सन् १९५५ मे सराधन मंडल में आये एवं निपटाये गये मामलो की संख्या दिखलाई गई है :—

सन् १९५५ में संराधन मंडलों को भेजे गये एवं निर्णीत मामले

क्रम-संख्या	प्रदेश	पिछले वर्ष से आये	वर्ष मे प्रेषित	निर्णयार्थ कुल संख्या	निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष मामले
१	२	३	४	५	६	७
१	कानपुर	११६*	१,२७५	१,३९१	१,२०२	१८९
२	बरेली	२०	३२१	३४१	३००	४१
३	गोरखपुर	१६	२५१	२६७	२४४	२३
४	मेरठ	५०	३४४	३९४	३५८	३६
५	लखनऊ	४०	४३३	४७३	४३०	४३
६	आगरा	२४	२८४	३०८	२८७	२१
७	इलाहाबाद	१२	३३८	३५०	३५०	
	योग १९५५	२७८	३,२४६	३,५२४	३,१७१	३५३

* संशोधित आकड़े ।

३१—सन् १६५३, १९५४, १९५५ में संराधन मंडलों में आये और निपटाये गये मामलो का तुलनात्मक विवरण :—

वर्ष	पिछले वर्ष से आये	प्रेषित मामले	योग	निपटाये गये मामले	शेष
१९५३	३४८	५,३०७	५,६५५	५,४१६	२३९
१९५४ ..	२३९	३,६३४	३,८७३	३,५६१	३२२
१९५५ ...	२७८*	*३,२४६	३,५२४	३,१७१	३५३

*संशोधित

३२—इससे यह ज्ञात होगा कि सन् १९५५ में संराधन मंडलो को भेजे गये कुल मामलों की सख्या ३,२४६ थी, जबकि वह सन् १९५४ मे ३,६३४ और सन् १९५३ में ५,३०७ थी। सन् १९५५ मे निपटाये गये मामलो की सख्या ३,१७१ थी, जबकि सन् १९५४ में ३,५६१ और सन् १९५३ मे ५,४१६ थी।

३३—मंडल द्वारा लिए जाने वाले ३,५२४ मामलो में से ८४७ मामलो में समझौते हो गये। सन् १९५५ में संराधन मंडलोके समक्ष आये और समझौता हुए मामलो की संख्या का विवरण नीचे प्रदेशवार दिया गया है:—

क्रम संख्या	प्रदेश	सराधन मंडल के समक्ष आये मामलों की कुल संख्या	समझौतो की संख्या
१	२	३	४
१	कानपुर ...	१,३९१	३८७
२	बरेली ..	३४१	१२८
३	गोरखपुर .	२६७	४९
४	मेरठ	३९४	७४
५	लखनऊ ..	४७३	९८
६	आगरा ...	३०८	३८
७	इलाहाबाद ..	३५०	७३
	योग १९५५ .	३,५२४	८४७
	योग १९५४ ..	३,८७३	१,००८

३४--निम्नलिखित तालिका से विभिन्न प्रदेशों में संराधन मंडलों द्वारा प्रत्येक मामले में लिए गये औसत समय का पता चलता है :--

क्रम	प्रदेश	विवाद को प्रस्तुत करने की तिथि से प्रथम सुनवाई के बीच के दिनो की औसत संख्या	विवादो को निपटाने में लगाये दिनो की औसत संख्या	
			विवाद को प्रस्तुत करने की तिथि से	विवाद की प्रथम सुनवाई की तिथि से
१	आगरा .	१३	२९	१६
२	इलाहाबाद	२७	५३	२६
३	बरेली	१०	२०	१०
४	गोरखपुर .	२७	३२	५
५	लखनऊ	१७	३५	१८
६	मेरठ .	१५	३७	२२
७	कानपुर .	१०	३५	२५

अभिनिर्णय

३५--सरकार ने औद्योगिक विवाद, अभिनिर्णय के लिए राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद और औद्योगिक विवादो को उठने से रोकने व उनके समाधान में लगे विभिन्न पूर्ण-कालिक संराधन अधिकारियो तथा श्रमायुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत कई अन्य अधिकारियों के पास भेजा, जिन्होने अपने सरकारी कार्य के अतिरिक्त अभिनिर्णायको की भांति काम किया।

३६—निम्न तालिका मे अभिनिर्णायको और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के द्वारा अभिनिर्णयार्थ लिए गये मामलो का विवरण दिया गया है :—

सन १९५५ में अभिनिर्णायको तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजे गये नर्णीत मामलों की सख्या

क्रम-संख्या	क्षेत्र	पिछले वर्ष के मामले	वर्ष म आये मामले	योग	वर्ष म ।९५५—टाये गये मामले	वर्ष के अत में शेष
१	२	३	४	५	६	७
१	बरेली ...	११	३८	४९	३९	१०
२	गोरखपुर .	९	६०	६९	५४	१५
३	मेरठ .	२१	७६	९७	७८	१९
४	लखनऊ	३६	८७	१२३	८३	४०
५	आगरा ...	२४	७६	१००	७८	२२
६	इलाहाबाद	२४	४९	७३	६४	९
७	कानपुर ..	८१	१६६	२४७	१८५	६२
	कुल योग	२०६*	५५२	७५८	५८१	१७७

*सशोधित

अभिनिर्णयो के निपटाने में औसत समय

३७—उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत सराधन तथा अभिनिर्णय व्यवस्था-सम्बन्धी १४ जुलाई, १९५४ के सरकारी आदेश के अनुसार अभिनिर्णयो के घोषित करने की अवधि की सीमा १८० दिन की रक्खी गई है। इसके अतिरिक्त अभिनिर्णयो को जल्दी से जल्दी निपटाने का भी प्रयास किया जाता है। १९५५ मे अभिनिर्णयो के निपटाने मे १२६ दिन का ओसत समय लगा जबकि निपटाने की अवधि-सीमा सरकारी आदेशानुसार १८० दिन की है।

राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण

३८—निम्नलिखित तालिका मे १९५५ के के वर्ष मे राज्य औद्योगिक न्याया-धिकरण द्वारा निर्णीत मामलो का विवरण दिया गया है :—

विगत १९५४ के वर्ष से आये	१९५५ मे भेजे गये	योग	१९५५ में निर्णीत मामले	१९५५ के अंत म अवशेष
३६	१०८	१४४	१०४	४०

३९—१९५५ के वर्ष भर मे राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने आने वाले मामलो की कुल सख्या १४४ थी जबकि पिछले वर्ष वह ११४ थी। निपटाये गये कुल मामलो की सख्या १०४ थी, जबकि सन् १९५४ मे वह ७८ थी।

४०--राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ ही, जो औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अंतर्गत अपील सुनने के लिए भी अधिकार निष्ठ है, सरकार ने यह आवश्यक समझा कि न्यायाधिकरण के सामने प्रस्तुत सभी मामलो मे उसका प्रतिनिधित्व उसके किसी एक अधिकारी के द्वारा होना चाहिए, जिससे पहले तो वह न्यायाधिकरण के सामने सरकार का दृष्टिकोण उपस्थित कर सके, दूसरे मामले की कार्यवाही के समय वह सबधित सूचना न्यायाधिकरण को दे सके। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रादेशिक सराधन अधिकारी इलाहाबाद करते है।

श्रम अपीली न्यायाधिकरण

४१--निम्नलिखित तालिका मे सन् १९५५ में भारत के श्रम अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत उत्तर प्रदेश की अपीलो के विवरण दिए गए है --

सन् १९५५ के प्रारभ मे विचारार्थ अपील	सन् १९५५मे प्रस्तुत अपीलें	अपीलो की कुल संख्या	सन् १९५५मे निर्णीत अपीलो की संख्या	सन् १९५५ के अत मे अव-शेष अपीले
१	२	३	४	५
४४३	२२६	६६९	५०४	१६५

निर्णयों का प्रतिपालन

४२--औद्योगिक शांति रखने मे राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य अभिनिर्णायकों और राज्य औद्योगिक न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित कराना है। सामान्यतः ऐसे मामलो में, जहां निर्णय नियोजक के पक्ष मे घोषित किया जाता है, उसे कार्यान्वित कराने का प्रश्न नही उठता। यदि निर्णय नियोजक के पक्ष मे दिया जाता है तो वह प्रतिष्ठान के मामलो के और उसके प्रबन्ध के सचालक होने के नाते सदैव ही इस स्थिति मे रहता है कि निर्णय को कार्यान्वित कर ले। परन्तु निर्णय को लागू करने की समस्या उन मामलो मे उत्पन्न होती है, जिनमें निर्णय नियोजको के विरुद्ध और श्रमिको के पक्ष मे होता है। अधिकाश मामलो मे नियोजकों द्वारा निर्णय लागू किया जाता है। परन्तु जहा उसके पालन मे विलंब होता है या नियोजको द्वारा टालमटूल की जाती है, वहा सरकार को हस्तक्षेप करना पडता है और उसे पालन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी पडती है। निर्णय का प्रतिपालन न करने वालो को समझाया-बुझाया जाता है, किन्तु यदि समझाने-बुझाने के प्रयत्न असफल हो जाते है तो कानून मे दी गई कड़ी कार्यवाही करनी पडती है। दोषियो को यह कारण बताने का नोटिस दिया जाता है कि निर्णय का प्रतिपालन न करने के लिए उन पर मुकद्दमा क्यो न चलाया जाय ?

४३--निम्नलिखित तालिका में १९५५ के वर्ष मे निर्णयो के प्रतिपालन की स्थिति, जैसी कि वह ३१ दिसम्बर, १९५५ को थी, दिखाई गई है :--

क्रमांक	प्रदेश	प्रतिपालन कराने के लिए निर्णयो की संख्या	निर्णयो की संख्या जिनके प्रतिपालन का समय अभी नहीं आया	उन निर्णयो की संख्या जिनका प्रतिपालन स्थगित कर दिया गया ह	प्रतिपालन के समय वाले निर्णय	प्रतिपालित निर्णयो की सख्या	अभी तक कार्यान्वित न होने वाले प्रतिपालन योग्य निर्णयों की संख्या	प्रति-पालित निर्णयों का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	बरेली	३०	४	११	२५	११	१४	४४
२	मेरठ	६४	२	४	५८	४२	१६	७२
३	इलाहाबाद	५५	१६	२	३७	२७	१०	७३
४	गोरखपुर	३७	१८	२	१७	१४	३	८२
५	आगरा	४५	२	६	३७	२७	१०	७३
६	लखनऊ	६८	२	..	६६	५१	१५	७७
७	कानपुर	१४३	८	१३	१२२	८६	३६	७१
	योग	४२२	५२	२८	३६२	२५८	१०४	७१

४४--सन् १९५५ मे कुल ३६२ निर्णयो का प्रतिपालन करना था। इनमें से २५८ निर्णयों का ३१ दिसम्बर तक प्रतिपालन हो गया, जो कुल निर्णयो का ७१ प्रतिशत है।

४५--अप्रतिपालित निर्णयो की सख्या ३१ दिसम्बर, १९५५ तक १०४ रही, जो पूर्ण प्रतिपालित होने वाली सख्या का २९ प्रतिशत है। विभाग द्वारा अप्रतिपालित निर्णयों के प्रतिपालन सम्बन्धी उचित प्रशासकीय कार्यवाही होती रही, और १० फरवरी, १९५६ तक अभिनिर्णयों के अप्रतिपालन की स्थिति निम्न प्रकार से रही :--

	संख्या
(१) १० फरवरी, १९५६ तक प्रतिपालित अभिनिर्णय .	३१
(२) वे अप्रतिपालित निर्णय, जिनको उचित न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया ..	१०
(३) वे निर्णय, जो १० फरवरी, १९५६ ई० तक अप्रतिपालित रहे ...	६३
योग ..	१०४

४६—कुल ६३ अप्रतिपालित निर्णयों में से ११ का आंशिक प्रतिपालन किया गया। शेष ५२ निर्णयों का प्रतिपालन निम्नलिखित कारणों से न हो सका :—

निर्णयो के अप्रतिपालन के कारण		निर्णयों की सख्या
१—प्रबन्धको द्वारा अपील प्रस्तुतायन	...	८
२—श्रमिको द्वारा अपील प्रस्तुतायन	...	१
३—श्रमिको का भुगतान हेतु न आना		१
४—निर्णय की व्याख्या के सम्बन्ध मे मतभेद	...	१
५—प्रबन्धकों द्वारा निर्णयों का प्रतिपालन स्वीकार न करना	..	७
६—प्रबन्धकों द्वारा प्रतिपालन सूचना प्राप्त, परन्तु श्रमिक संघ संस्तुति अपेक्षित		२
७—प्रबन्धकों के पास धनाभाव		३
८—प्रतिष्ठानो का बन्द होना	...	१
९—प्रादेशिक संराधन अधिकारी के विचाराधीन विवाद	..	२८

४७—अप्रतिपालित निर्णयो के प्रतिपालन की वैधानिक अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। पांच निर्णयो पर औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) १९५० की धारा २० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

निर्णयों के अन्तर्गत वसूल किए जाने वाले धन को शेष राजस्व के रूप में वसूल करने सम्बन्धी प्रशासकीय कार्यवाही

४८—औद्योगिक विवाद (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा २० के अतर्गत यह व्यवस्था है कि अभिनिर्णय के अन्तर्गत निर्देशित धनराशि को प्रबन्धकों से, भुगतान न होने पर, शेष भू-राजस्व रूप में वसूल किया जावे। आगे की तालिका में इस प्रकार

के विवादो का विवरण निहित है, जिनमे इस धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उचित आदेश, १९५५ मे देय धनराशि की वसूली के लिए दिया गया है —

प्रदेश	विवाद सख्या	प्राप्य धनराशि			श्रमिको की संख्या जो धनराशि के अधिकारी है
	२	३			४
		रु०	आ०	पा०	
कानपुर	३	१२,४७३	१२	०	७५
लखनऊ	३	६१७	१०	०	३
आगरा	३	४,९३९	१५	९	७
मेरठ	२	२०,१५७	०	६	१५
बरेली	.				.
इलाहाबाद	१३	११,८८६	३	३	३५
गोरखपुर	२	४,०९९	३	३	९३
योग ...	२६	५४,१७३	१३	०	२२८

४९—यह पहिले ही बताया जा चुका है कि अधिकाश मामलो मे निर्णयो के अनुसार श्रमिको को सुविधा दिलाने के लिए निर्णय को पालन कराने का कार्य समझाबुझा कर औद्योगिक विवाद, (अपीली न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा २० के अन्तंगत कार्यवाही सम्पादित कर, किया जाता है। परन्तु कुछ मामले ऐसे भी होते है, जिनमें यह दोनो प्रणालिया उद्देश्य प्राप्त करने में असफल होती है और उल्लंघन कर्त्ताओ के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है।

५०—आगे की तालिका मे ऐसे मामलो का विवरण दिया है, जिनमे उल्लंघनकर्ता नियोजको के विरुद्ध प्राभियोग चलाए गए है :—

उन मामलो का विवरण, जिनमे सन् १९५५ मे निर्णयो को पालन न करने के कारण नियोजको के विरुद्ध अभियोग चलाए गए :

क्रम–सख्या	प्रदेश	विगत वर्ष के विचाराधीन अभियोग	आलोच्य वर्ष मे प्रति–पालन हेतु चलाए गए अभियोग	१९५५ के कुल अभियोगों की संख्या	आलोच्य वर्ष में निर्णीत अभियोग	वर्ष के अन्त में विचारा–धीन अभि–योग
१	२	३	४	५	६	७
१	लखनऊ	४	४	८	१	७
२	कानपुर	५	१	६	३	३
३	मेरठ	३	४	७	५	२
४	गोरखपुर	४	१	५	४	१
५	बरेली	२	३	५	१	४
६	आगरा	५	३	८	२	६
७	इलाहाबाद	४	४	८	४	४
	योग .	२७	२०	४७	२०	२७

५१—सन् १९५५ मे कुल ४७ अभियोगों में से २० पर निर्णय दिये गये। इन २० निर्णीत अभियोगो मे से ६ को निर्दोष घोषित किया गया, दो जमा कर दिए गए, एक को वापस ले लिया गया तथा ११ अभियोगो मे दड दिया गया, इन ११ अभियोगो पर निम्न–लिखित प्रकार से अर्थ दड दिया गया :—

क्रम–सख्या	अर्थ दड की राशि	विवाद सख्या
	रु०	
१	५०	१
२	७५	२
३	१००	२
४	१५०	१
५	३००	१
६	५००	३
७	१,०००	१

सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश मे श्रमस्थित

५२--निम्नलिखित तालिका में सन् १९४७ से १९५५ तक हड़तालों की संख्या, प्रभावित श्रमिकों तथा हानि हुए काम के दिनो की संख्या दी गई है :--

उत्तर प्रदेश में सन् १९४७-१९५५ में औद्योगिक विवादो का विवरण

वर्ष	हड़ताल और ताला-बदी की संख्या	वर्ष में हानि हुए काम के दिनो की संख्या	श्रमिको की औसत दैनिक संख्या	प्रति दिन औसत १,००० श्रमिको के पीछे हानि हुए काम के दिनो की संख्या
१	२	३	४	५
१९४७	१२५	१०,६०,५६५	२,४०,३९६	४,४१२
१९४८	१००	३,१२,५८४	२,४२,०८३	१,२९१
१९४९	५४	४,०३,८८८	२,३३,८३७	१,७२७
१९५०	६०	२,२९,१४९	२,३२,६९५	९८५
१९५१	१०५	३,०५,७९२	२,०२,५१४	१,५१०
१९५२	१२०	१,६६,७०९	२,०६,८३२	८०६
१९५३	९३	१,४६,९३१	२,०६,७४०	७११
१९५४	७२	१,६१,४६२	२,०५,२९४	७८६
१९५५	९५	२०,६०,१८४	२,०७,०६०	९,९५०

टिप्पणी --सन् १९५५ में हजार पीछे हानि हुए काम के दिनो की संख्या ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष के नियोजन आकड़ो के आधार पर सम्मिलित की गई है।

५३--सन् १९५४ की तुलना मे सन् १९५५ मे काम के दिनो की हानि संख्या मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सर्वप्रथम यह वृद्धि १२ कारखानो मे मई, जून और जुलाई में चलने वाली लम्बी हड़ताल के कारण है। केवल इसके ही कारण १६,९३,७४७ काम के दिनो की हानि हुई। दूसरे एक जूट मिल में सात महीने की लम्बी तालाबदी के कारण, जिसमे १७०,४२३ काम के दिनों की हानि हुई, तीसरे एक दियासलाई के कारखाने मे काम बन्द होने से, जिससे ६२,७४५ काम के

दिनो की हानि हुई। यह ज्ञात होगा कि यदि ये हडताले न होती तो राज्य की कुल मिला कर हडताल स्थिति मे सुधार हुआ, क्योकि यदि उपरोक्त काम बंदियो मे हानि हुये काम के दिनों को निकाल दिया जाय तो सन् १९५५ मे काम के हानि के दिनों की संख्या १,३३,२६९ होगी, जो सन् १९५४ में काम की हानि के दिनों की अपेक्षा बहुत कम है।

५४--निम्नलिखित तालिका मे सन् १९५५ मे उत्तर प्रदेश मे हड़तालो और तालाबंदियो का विवरण उद्योगो के अनुसार दिया गया है:--

१९५५ की हड़तालों और तालबंदियों का विवरण (उद्योगो के अनुसार)

क्रमांक	उद्योग का नाम	संख्या		
		हडताले और ताला-बंदिया	प्रभावित श्रमिकों संख्या	काम के दिनों की हानि
१	२	३	४	५
१	सूती कारखाने	२५	३५,६६४	१४,१६,५५२
२	ऊनी कारखाने	१	१,९१०	१,२६,०६०
३	जूट कारखाने	४	४,४२३	३,६०,८२७
४	बीड़ी उद्योग	२	३७	५८
५	सीमेंट	१	६६४	३,४६७
६	दियासलाई	२	२,५७८	६३,०५५
७	रेशम के कारखाने	१	३००	१,०५४
८	चीनी के कारखाने	८ (१)	६,३४९ (६०४)	२४,६२८ (६०४)
९	भारी रासायनिक	१	२०	७०
१०	बनस्पति उद्योग	१	१०५	५३
११	अन्य वस्तु निर्माण	३१ (१)	११,४१७ (१६)	४०,५९१ (१४४)
१२	वाणिज्य--अन्य	६	२४५	७,९५३

क्रमांक	उद्योग का नाम	संख्या		
		हड़तालें और तालाबंदिया	प्रभाविय श्रमिको की सख्या	कार्य के दिनों की हानि
१	२	३	४	५
१३	वाणिज्य--बैंकिग और बीमा	१	८८	८८
१४	कृषि और सम्बन्धित काम बगीचे	२	२३१	४०७
१५	परिवहन, गोदाम, यातायात--रेलवे	६	४,५००	११,३५६
१६	सेवाये	२	३३०	२,९०३
१७	लोहा और इस्पात	१	१५७	३१४
	योग	९५	६९,०१६	२०,५९,४३६
		(२)	(६२०)	(७४८)

टिप्पणी--(१) कोष्ठकों के अन्दर दिए गए आकडे, पिछले साल से जारी मामलो के है।

(२) ये आंकडे अस्थायी है और बाद मे संशोधन सभाव्य है, जब कि कुछ मामलो के बारे मे, जिनकी जांच हो रही है, सूचना मिल जाय।

(३) १० श्रमिको से कम और अथवा १०० काम दिवसो से कम हानि वाली हडतालें उपर्युक्त तालिका में शामिल नही है।

५५--उपर्युक्त तालिका की क्रम सख्या १२ (वाणिज्य--अन्य) मे दो हडतालें सम्मिलित है, जिनमे हडताल वास्तव मे एक साथ कई मुद्रणालयो मे एक ही कारण से हुई। पहले मामले मे हडताल १८ छापाखानो मे हुई और दूसरे मे १४ मे, लेकिन कारण और हड़ताल का समय लगभग एक ही था। इसलिए इन मामलो को प्रत्येक कारखाने मे पृथक् हडतालो के रूप मे नही माना गया वरन् प्रतिबार एक ही हडताल माना गया है। इसी प्रकार कई बैंको में होने वाली हडताल को भी एक हड़ताल ही माना गया है।

५६--आगे की तालिका मे हडताल, तालाबदी काम के दिनो की हानि और प्रति हजार श्रमिको पर काम के दिनो की हानि के उत्तर प्रदेश के तथा भारत के अन्य राज्यो अर्थात् पश्चिमी बगाल, बबई और मदरास के तुलनात्मक आंकडे दिए गए है.--

उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बम्बई और मद्रास में १९४७ से १९५३ तक होने वाले औद्योगिक विवादों का विवरण

वर्ष	उत्तर प्रदेश			पश्चिमी बंगाल			बम्बई			मद्रास		
	हडताल और तालाबंदी की संख्या	काम के दिनो की हानि	हजार श्रमिको पीछे काम के दिनो की हानि	हडताल और तालाबदी की संख्या	काम के दिनों की हानि	हजार श्रमिको पीछे काम के दिनो की हानि	हड़ताल और तालाबंदी की संख्या	कामके दिनो की हानि	हजार श्रमिकों पीछे काम के दिनो की हानि	हड़ताल और तालाबदी की सख्या	काम के दिनो की हानि	हजार श्रमिको के पीछे काम के दिनो की हानि
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१९४७	१२५	१०,६०,५६५	४,४१२	३७६	५८,८३,७६२	८,८१३	६५०	४१,४९,४६८	५,९०७	२९०	३२,३०,८८७	११,६८१
१९४८	१००	३,१२,५८४	१,२९१	१९७	२३,१९,७८२	३,३७३	५३६	१८,१०,७९३	२,४५५	१६१	२३,६६,१२४	८,१९५
१९४९	५४	४,०३,८८८	१,७२७	१७२	२६,८१,४११	४,०३२	३७६	१६,४१,९५२	२,०८०	११४	४,३६,६४२	१,३४८
१९५०	६०	२,२९,१४९	९८५	१३८	११,५३,४१९	१,७९७	२७१	१,०२,४९,५५०	१३,९७६	१०५	३,५७,६२७	९१४
१९५१	१०५	३,०५,७९२	१,५१०	२७९	८,१२,७७४	१,२४१	३९७	११,२९,९९६	१,४७२	२२३	४,२७,२७८	१,०२३
१९५२	१२०	१,६६,७०९	८०६	२११	१३,३५,९१५	२,१६६	३०१	१३,४९,३१५	१,९०२	२११	४,४९,०६२	१,२१३
१९५३	९३	१,४६,९३१	७११	२०९	१७,१६,५०७	२,८७५	१७२	६,०८,३२१	८७२	१०८	२,५१,०२४	८४२
१९५४	७२	१,६१,४६२	७८६	१६४	२१,८८,७४५	३,६६६	२०१	३,९६,२८७	५१५	२६६	२,१६,२२९	६७५

सन् १९५५ में संराधन व्यवस्था के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हड़तालों के रुकने या वापस लेने के मामलों का विवरण

५७--विभिन्न स्थितियों में औद्योगिक विवादों को रोकने तथा उनके समाधान से सम्बन्धित व्यवस्था को विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में पहले ही दिया जा चुका है। ये कार्यवाहियां अधिकांशतः विवाद के प्रारंभ हो चुकने के बाद ही की गई हैं। किंतु यहां पर इस बात पर जोर देना अनुपयुक्त न होगा कि यह व्यवस्था केवल उसी समय काम नहीं करती, जब कि विवाद प्रारंभ हो जाता है, वरन् उस समय भी जब वह प्रारम्भ होने को होता है। समझौते से निपटारा कराने के प्रयत्न संकट को टालने के लिए पहले से ही किए जाते हैं। नीचे दिए हुए विवरण में सन् १९५५ के उन मामलों को दिखाया गया है, जिनमें अनियमित रूप से समझाने के उपायों द्वारा हड़तालों को, रोका गया था वापस लिया गया :--

सन् १९५५ में श्रम विभाग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप हड़तालों के रोकने व वापस लिए जाने वाले मामलों का विवरण

क्रम संख्या	प्रदेश		हड़तालों की संख्या	संभावित हड़तालों की संख्या	योग
१	२		३	४	५
१	कानपुर	..	१३	..	१३
२	मेरठ	...	१	४	५
३	गोरखपुर	...	३	२	५
४	बरेली	...	२*	४	६
५	आगरा	...	२	१	३
६	इलाहाबाद	.	१०	१०	२०*
७	लखनऊ	..	१	..	१
	योग--१९५५	..	३२	२१	५३
	योग--१९५४	...	३४	४८	८२

*एक तालाबंदी भी सम्मिलित है।

५८—हड़तालें तथा तालाबंदियां ऐसी विषम स्थितियां हैं, जिनका प्रभाव, श्रमिकों के नियोजन तथा मजदूरी और औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ता है तथा वे औद्योगिक अशांति से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध औद्योगिक अशांति से नहीं है, वरन् उनका सम्बन्ध सामान्य व्यावसायिक दबाओं से रहता है और इनका भी प्रभाव श्रमिकों के नियोजन व मजदूरी तथा औद्योगिक उत्पादन पर भी पर्याप्त रूप से पड़ता है। ये हैं बैठकी, कारखानों की बन्दी, श्रमिकों की छटनी, जो व्यापारिक कारणों, तथा अन्य ऐसे कारणों से होती हैं, जिनका सम्बन्ध औद्योगिक अशांति से नहीं रहता। गत कुछ वर्षों में इस प्रकार की घटनायें सामान्य रूप से व्यापारिक मन्दी के कारण हुईं और बहुत से मामलों में उनके कारण औद्योगिक विवाद भी हुए। इनका भी काफी प्रभाव अततः औद्योगिक सम्बन्धों पर पड़ता है। इसलिए औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील सरकार के लिए नितान्त आवश्यक हो जाता है कि विवाद पैदा करने वाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी दृष्टि रखे जैसे बैठकी, तालाबंदी के अतिरिक्त अन्य कारणों से कारखाने की बन्दी, श्रमिकों की छटनी आदि। सन् १९५५ में बैठकी, बन्दी और छटनी से सम्बन्धित विवरण की तीन तालिकायें इस प्रकार हैं :—

सन् १९५५ में बैठकियों का विवरण

क्रम संख्या	उद्योग	बैठकों की संख्या	प्रभावित श्रमिक	हानि हुए काम के दिन
१	२	३	४	५
१	खाद्य पेय के अतिरिक्त .	१८९	५,१४७	४३,७४८
२	पेय	२	११०	११५
३	तम्बाकू	२०	९३	३५०
४	वस्त्र .	३५०	५८,२८७	६,३४,६०६
५	जूते तथा अन्य पहनावे और बने वस्त्र	१००	३,७०५	२४,९६९.५
६	फर्नीचर तथा फिक्सचर .	४	१५	३०४
७	कागज और कागज की वस्तुये	३	४५०	४,०७६
८	मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग .	५	६६	१,२०१

१	२	३	४	५
९	रबड और रबड की वस्तुये ...	१५	८९८	४८३०
१०	रासायनिक और रासायनिक उत्पादन .	२५	४५७	५,५४२
११	अधातविक खनिज उत्पादन, पेट्रोल और कोयला छोडकर ..	१९१	१४,८९३	३,३८,१६५
१२	मशीन और परिवहन सामग्री के अतिरिक्त धातु निर्माण	१५	३८६	१,१३६
१३	बिजली के यत्रो के अतिरिक्त अन्य निर्माण यंत्र ..	१७१	२,०६५	२४,११६
१४	विविध उद्योग .	१७	२४१	१,९०५
१५	जल तथा स्वच्छता सेवाये .	५	१९३	१९३
१६	मनोविनोद सेवाये ...	१	१५	१,८३०
	योग १९५५ ..	१,११३	८७,०२१	१०,८७,८८६५
	योग १९५४ ...	१२३०	८१,८६०	१०,१५,००१

आलोच्य वर्ष मे व्यापरिक कारणों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हुई बंदियां ओर उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या घटी।

कुल बंदिया ५८ हुई और उनसे ३,४८९ श्रमिक प्रभावित हुए जब कि गत वर्ष बंदियो की संख्या १२६ और उनसे प्रभावित श्रमिकों को संख्या १८००२ थी।

सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में काम बन्दी तथा

प्रदेश	पेय के अतिरिक्त खाद्य		अधातविक खनिज उत्पादन		तम्बाकू		विविध		इंजीनियरिंग		पेट्रोल और कोयले के उत्पादन	
	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१--कानपुर .	२	३१	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
२--इलाहाबाद .	५	५३	३	३००	५	८९	–	–	१	६	–	–
३--आगरा	७	१८२	७	४२४	–	–	३	४०	–	–	–	–
४--बरेली ...	१	४४	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
५--मेरठ .	३	५८	२	१८९	–	–	१	४४	३	२४	–	–
६--गोरखपुर	४	८१	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
७--लखनऊ .	–	–	–	–	–	–	१	५०	–	–	–	–
योग	२२	४४९	१२	९१३	५	८९	५	१३४	४	३०	–	–

इनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या का विवरण

वस्त्र		कारखाने और धातु के उत्पादन		परिवहन		रासायनिक और रंग		मुद्रण एवं प्रकाशन		जूते		योग	
संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	संख्या कामबंदी	संख्या प्रभावित श्रमिक	बंदी की संख्या	प्रभावित श्रमिक
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७
–	–	–	–	–	–	१	४४	–	–	१	६२	४	१३७
१	९	१	८४	१	४०	–	–	–	–	–	–	१७	५८१
२	१,५६३	१	१४	–	–	–	–	–	–	–	–	२०	२,२२३
–	–	१	३५	–	–	–	–	–	–	–	–	२	७९
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	९	३१५
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	४	८१
–	–	–	–	–	–	–	–	१	२३	–	–	२	७३
३	१,५७२	३	१३३	१	४०	१	४४	१	२३	१	६२	५८	३,४८९

सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में छंटनी एवं उससे प्रभावित श्रमिकों का विवरण

क्रम-संख्या	उद्योग का नाम	छटनी किये गये श्रमिकों की संख्या
१	सरकारी एवं स्थानीय कोष . .	—
२	सूती वस्त्रोद्योग .. .	४७
३	इंजीनियरिंग	२६२
४	खनिज एवं धातुये .. .	२०
५	खाद्य पेय और तम्बाकू	४४४
६	रसायन एव रग	१३
७	कागज तथा मुद्रण	१
८	लकड़ी पत्थर और काच . ..	६१७
९	खाल तथा चमडा	३
१०	रुई ओटाई और गांठ बधाई	—
११	विविध .	४५४
	योग १९५५ .	१,८६१
	योग १९५४ ..	२,२४८

५६—व्यापारिक कारणो आदि से कारखानों की बन्दी से बेकार हुए श्रमिको की सख्या उक्त तालिका मे सम्मिलित नही है क्योकि ये श्रमिक सामान्यतया उस समय नौकरी मे पुनः ले लिए जाते है जब कि वे खुलते है। आलोच्य वर्ष मे विभिन्न उद्योगो मे १,८६१ कर्मचारियो की छटनी हुई जबकि पिछले वर्ष मे २,२४८ की छटनी हुई थी।

श्रम विभाग के हस्तक्षेप से सन् १९५५ मे मिलो और कारखानों मे टले संकट

६०——यद्यपि उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत संराधन समितियो तथा अभिनिर्णय मे औद्योगिक विवादो को निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक नियमित व्यवस्था कर दी गई है। फिर भी ऐसे बहुत से मामले है, जिनमे विवाद उठते ही उन्हे श्रम-विभाग के अधिकारियो द्वारा दोनो पक्षो को बुलाकर उनके प्रतिनिधियो के साथ विचार विनिमय करके समझौते का आधार निकाला जाता है। सन् १९५५ मे ऐसे बहुत से मामले श्रम विभाग के अधिकारियो के हस्तक्षेप से निपटाये गये। इस प्रकार विवादो मे समझौता होने से दोनो पक्षो, नियोजकों एवं श्रमिको के बीच अच्छे और सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धो का सृजन होता है। सन् १९५५ मे इस प्रकार तय किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण विवाद इस प्रकार हैं:——

(१) प्रादेशिक सराधन अधिकारी की अध्यस्थता के फलस्वरूप रतन शुगर मिल्स मे होने वाली हडताल नही हुई।

(२) कुदन शुगर मिल्स, अमरोहा मे भूख हडताल का एक नोटिस अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, बरेली के हस्तक्षेप से वापस ले लिया गया।

(३) एल० एच० शुगर फैक्टरी, काशीपुर के श्रमिको द्वारा भूख हड-ताल का नोटिस प्रादेशिक सराधन अधिकारी, बरेली के हस्तक्षेप से वापस लिया गया।

(४) बनारसी शाह चरन सिह में भूख हडताल प्रादेशिक सराधन अधिकारी, मेरठ के हस्तक्षेप से २४ घंटे बाद त्याग दी गई।

(५) प्रादेशिक सराधन अधिकारी, बरेली की मध्यस्थता से कैरू एण्ड कं०, लि०, रोजा, सहारनपुर मे हडताल का नोटिस स्थगित कर दिया गया।

(६) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ, की मध्यस्थता से लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर मे हडताल २ दिनो के बाद समाप्त हो गई।

(७) विशंभरी सिल्क मिल्स, बनारस मे श्रम निरीक्षक के प्रयत्नों से हडताल वापस ली गई।

(८) मुहम्मद जहूर टोबैको फैक्टरी, गाजियाबाद मे श्रम निरीक्षक, गाजी-पुर के प्रयत्नों से हड़ताल वापस ली गई।

(९) लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर में एक बड़ी हड़ताल अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ के प्रयत्नो से समाप्त हुई।

(१०) बनारस सोशलिस्ट मजदूर सभा के मंत्री की हड़ताल विभागीय पदाधिकारियों के हस्तक्षेप के फलस्वरूप त्यागी गई।

(११) भास्कर प्रेस लि०, देवरिया के एक कर्मचारी ने विभागीय पदाधिकारियो के समझाने-बुझाने पर अपनी भूख हडताल विसर्जित की।

(१२) गोडा प्रिंटिंग वर्क्स, गोडा के कर्मचारियो की हडताल विभागीय पदाधिकारियो के हस्तक्षेप के फलस्वरूप दोनो पक्षो मे समझौता होने से बच गई।

(१३) इस विभाग के हस्तक्षेप से चाय बागान मजदूर सघ की एक सांकेतिक हडताल होने से बच गई।

(१४) बनारस इंजीनियरिंग एेण्ड मेटल मजदूर सघ द्वारा दी गयी हडताल का नोटिस प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद के हस्तक्षेप से वापस ले लिया गया।

(१५) श्री गौरी शंकर राम गोपाल ग्लास वर्क्स की हडताल श्रम निरीक्षक, फिरोजाबाद के हस्तक्षेप से समाप्त हुई और श्रमिको तथा प्रबंधको मे समझौता हो गया।

(१६) प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर के परामर्श के फलस्वरूप सक्सेरिया शुगर मिल्स लि० मे श्री फौजदार सिह ने भूख हडताल त्याग दी।

(१७) कपड़ा कमेटी, कानपुर के एक कर्मचारी ने अपनी भूख हडताल प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर के हस्तक्षेप से त्यागी।

(१८) देवरिया शुगर मिल्स लि० के ६ श्रमिको द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल अतिरिक्त संराधन अधिकारी, गोरखपुर के हस्तक्षेप से तोडी गई और समझौता हो गया।

(१९) श्री श्याम लाल ध्रुव कुमार बीड़ी स्टोर, मुगलसराय के कर्मचारियों की हडताल श्रमनिरीक्षक, बनारस के प्रयत्नो से रुकी।

(२०) आंग बोट बीड़ी फैक्टरी, बालपुर, इलाहाबाद के कर्मचारियों की भूख हडताल का नोटिस प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद के हस्तक्षेप से वापस लिया गया।

(२१) इंपीरियल टोबैको क०, सहारनपुर की हड़ताल विभागीय हस्तक्षेप से समाप्त हुई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियोजको द्वारा भेजे गये निषेधार्थ आवेदन पत्र

६१--इधर कुछ समय से नियोजको मे भारत सविधान के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवादो को अभिनिर्णयार्थ भेजे जाने, सरकारी आदेशो अथवा सरकारी कार्यवाहियों के औचित्य को चुनौती देने के संबंध मे निषेधार्थ निवेदन पत्र भेजने की प्रवृत्ति देखी गई है। आगे की तालिका मे सन् १९५५ के अन्त मे उच्च न्यायालय में औद्योगिक विवादो के संबन्ध में भेजे गए निषेधार्थ आवेदन पत्रो की वह संख्या, जिसमें

कुछ मामलो में निर्णय दिए गए हैं और जो विचारार्थ शेष है, दिखाई गई है :—

स्थान	१९५५ के प्रारम्भ मे विचार के लिए आवेदन पत्रो की सख्या	सन् १९५५ मे जो नए आवेदन पत्र आये, उनकी सख्या	सन् १९५५ मे उच्च न्यायालय द्वारा जिन आवेदन पत्रो पर निर्णय दिया गया, उनकी संख्या	सन् १९५५-के अन्त में जिन आवेदन पत्रो पर विचार होना शेष है, उनकी संख्या
१	२	३	४	५
इलाहाबाद मे .	८८	६४	७५	७७
लखनऊ 'बेंच' मे ..		२	.	२
योग .	८८	६६	७५	७९
योग, १९५४	९६	३०	३८	८८

६२—यह ज्ञात होगा कि आलोच्य वर्ष मे ६६ आवेदन पत्र दिए गए जबकि गत वर्ष उनकी संख्या ३० थी। निषेधार्थ आवेदन पत्र पर होने वाले निर्णयो की संख्या सन १९५५ मे ७५ थी, जो जबकि सन् १९५४ मे ३८ थी।

अध्याय १७

श्रम विभाग की द्वितीय पचवर्षीय योजना

श्रमिको के काम और रहन-सहन की दशाओ के सुधार के लिये सरकार द्वारा किए गए कार्यो का विवरण पूर्ववर्ती अध्यायो मे दिया जा चुका है। जिस प्रकार का कल्याण-कार्य इस विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसका क्षेत्र, विशेष कर विकास-कार्य योजनाओ के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय मे संभावित वृद्धि को दृष्टि मे रख कर तेजी से विस्तृत हो रहा है। इस अध्याय मे श्रम विभाग के नये-नये कार्यों या पुराने कार्यो के विस्तार एवं सुधार का एक संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे इन नई योजनाओं या पुरानी योजनाओ के विस्तार को सम्मिलित करने का विचार किया जा रहा है। अंतिम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण-कार्य अभी पूरा न हो पाने के कारण यह संकेत है कि इस अध्याय मे दी गई योजनाओं मे आवश्यक होने पर कुछ परिवर्तन हो जाय।

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित नई योजना, जो अधिकांश मे विद्यमान कार्यो के विस्तार, पुनर्संगठन या सुधार के रूप मे है, प्रस्तावित की गई है:—

१—श्रम-हितकारी कार्यो का विस्तार

(१) अतिरिक्त श्रम-हितकारी केन्द्र खोलना।
(२) एक अतिरिक्त यक्ष्मा चिकित्सालय की स्थापना।
(३) कानपुर में यक्ष्मा आरोग्याश्रम और औषधालय की स्थापना।
(४) राजकीय श्रम-हितकारी केन्द्रो मे शिशु-गृहो का खोलना।
(५) वर्तमान 'सी' श्रेणी के श्रम-हितकारी केन्द्रो का पुन-र्संगठन।
(६) श्रम-हितकारी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण।
(७) मुख्य कार्यालय मे श्रम-हितकारी कार्य के लिये अतिरिक्त प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारी।
(८) राजकीय श्रम-हितकारी केन्द्रों के लिये भवन-निर्माण।

२—संराधन-व्यवस्था का विस्तार।

३—कारखाना निरीक्षकालय का विस्तार एवं पुनर्संगठन।

४—उद्योगो में अभिनवीकरण संबंधी अध्ययन।

५—वाष्प-ब्वायलरों में वाष्पोत्पादन में ईधन की किफायत।

६—अनुसंधान, चार और संख्या विभाग।

७—उत्तर प्रदेश मे व्यावसायिक संघो के विकास की योजना।

८—श्रम विभाग के कर्मचारियो का प्रशिक्षण।

९—स्थायी आदेशो के उत्तमतर प्रतिपालन की योजना।

१०—बाग श्रमिक कानून, १९५१ को लागू करना।

११—न्यनतम मजदूरी कानून, १८४८ एव उत्तर प्रदेशीय दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७ का प्रशासन स्थायी आदेश और औद्योगिक सबंध।

१२—नियोजन संस्था सेवा सगठन का विस्तार।

१३—सामान्य प्रशासन के लिये कर्मचारी और कोष।

१—श्रम-हितकारी कार्य का विस्तार

(१) अतिरिक्त श्रम-हितकारी केन्द्र खोलना:—इस समय राज्य में ४४ श्रम-हितकारी केन्द्र है, जिनमे १५ 'अ' श्रेणी, १४ 'ब' श्रेणी और १५ 'स' श्रेणी के है। यह विचार है कि उपयुक्त जगहो मे सभी तीनो प्रकार के अनेक श्रम-हितकारी केन्द्र खोले जाय।

(२) अतिरिक्त यक्ष्मा चिकित्सालय की स्थापना—इस समय कानपुर मे श्रमिको के लिये विभाग द्वारा सचालित एक राज यक्ष्मा चिकित्सालय है, परन्तु अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि यह एक चिकित्सालय उस कानपुर नगर की वृहत् श्रमिक-आबादी को प्रभावपूर्ण सेवा कर सकने के लिये अपर्याप्त है, जहां देश मे सबसे अधिक क्षयरोगी रहने के कारण एकमेव स्थान प्राप्त कर चुका है। अतएव यह सुझाव है कि द्वितीय पच वर्षीय योजना की अवधि मे कानपुर मे श्रमिको के लिये एक और यक्ष्मा चिकित्सालय खोला जाय।

(३) कानपुर मे यक्ष्मा आरोग्याश्रम और औषधालय की स्थापना—यक्ष्मा चिकित्सालय मे क्षेय-रोगियो का केवल निदान और प्रारभिक उपचार भर होता है। कानपुर जैसे नगर मे जहा देश भर से अधिक क्षयरोगी है, यक्ष्मा चिकित्सालय की इन प्रारंभिक ढंग की सुविधाओ द्वारा पीडित श्रमिक-वर्ग को सहायता नही दी जा सकती। अतएव यह प्रस्ताव रखा गया है कि कानपुर मे श्रमिको के लिये एक सर्वाङ्गपूर्ण राज-यक्ष्मा आरोग्याश्रम और औषधायल की स्थापना की जाय। यह आरोग्याश्रम नगर के बाहरी भाग मे बनेगा। इस योजना में स्वभावत अधिक खर्च होगा और द्वितीय पच-वर्षीय योजना की अवधि मे उसका केवल एक भाग ही पूरा हो सकेगा और शेष भाग तृतीय योजना-काल मे बन सकेगा।

(४) राजकीय श्रम-हितकारी केन्द्रो मे शिशु-गृह खोलना:—काम के समय श्रमिक-महिलाओ के बच्चो की देख-भाल के लिये श्रम-हितकारी केन्द्रोमे कुछ शिशु-गृह खोलने का विचार किया जा रहा है। इसमे कोई सदेह नही कि ५० या अधिक स्त्रियो को काम पर रखने वाले कारखानो में शिशु-गृह खोलने का दायित्व कारखाना कानून, १९४८ के अन्तर्गत उन्ही का है, परन्तु इस प्रकार के कारखानो के शिशु-गृह श्रमिको के निवास-स्थान

से बहुत दूर हो सकते हैं। श्रमिकों के निवास-स्थान के निकट शिशु-गृह खोलने की योजना का प्रयोग यह देखने के लिये किया जा रहा है कि क्या इससे श्रमिक-स्त्रियों को अधिक लाभ हो सकेगा।

(५) वर्तमान 'स' श्रेणी के श्रम-हितकारी केन्द्रो का पुनर्संगठनः—जहां तक चिकित्सा-संबंधी सहायता, कमरे के बाहर के खेलो आदि की सुविधाओ का प्रश्न है 'अ' और 'ब' श्रेणी के केन्द्रो के मुकाबले वर्तमान 'स' श्रेणी के श्रम-हितकारी केन्द्रो में कुछ कमी है। यह प्रस्ताव है कि वर्तमान 'स' श्रेणी के कुछ केन्द्रों मे कार्यक्रम बढ़ा दिए जाये और उन्हें 'अ' और 'ब' श्रेणी के केंद्रों के मुकाबले ले आया जाय।

(६) श्रम-हितकारी प्रशासन का विकेन्द्रीकरण—अभी तक ४४ श्रम-हितकारी केन्द्रो के श्रम-हितकारी कार्य का संपूर्ण प्रशासन और पर्यवेक्षण-कार्य कानपुर से ही होता है। इस बात की पहले से ही यह आवश्यकता है कि प्रशासन-कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाय और द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में श्रम-हितकारी कार्य की नई योजनायें चालू होने एवं नए श्रम-हितकारी केन्द्रो के स्थापित होने पर इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जायगी। अतएव यह प्रस्ताव है कि राज्य में उचित संख्या में प्रादेशिक श्रम-हितकारी कार्यालय खोल कर श्रम-हितकारी कार्य के प्रशासन को विकेन्द्रित कर दिया जाय।

(७) मुख्य कार्यालय में श्रम-हितकारी कार्य के लिये अतिरिक्त प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारीः—श्रम-हितकारी कार्यों के सर्वतोमुखी विस्तार को दृष्टि में रख कर यह प्रस्ताव है कि द्वितीय योजना की अवधि में मुख्य कार्यालय में श्रम-हितकारी कार्य के लिये अतिरिक्त प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारी रखे जायं।

(८) राजकीय श्रम-हितकारी केन्द्रो के लिये भवन-निर्माणः—इस समय बहुत से श्रम-हितकारी केन्द्र किराये की इमारतो में है, जो अधिकांश में काम के लायक नहीं है। इससे किराये की इमारतें अन्ततः अलाभकर होती है। इसलिये यह प्रस्ताव रखा गया है कि द्वितीय योजना-काल में उपयुक्त स्थानों में श्रम-हितकारी केन्द्रो के लिये अनेक भवन बनाये जाय।

२—संराधन व्यवस्था का विस्तार

संराधन व्यवस्था में विस्तार का विवरण पूर्ववर्ती अध्याय में दिया जा चुका है। द्वितीय-योजना में सम्मिलित करने के लिये वर्तमान व्यवस्था के प्रस्तावित विस्तार की योजना इस प्रकार है:—

(क) नए उप-प्रादेशिक संराधन कार्यालय खोलना।

(ख) संराधन अधिकारियो की संख्या में वृद्धि।

(ग) ब्रिटेन के नमूने पर प्रयोग के लिये कर्मचारी-मंत्रणा सेवा की स्थापना।

(घ) औद्योगिक निर्णयों का अधिक प्रभावशाली एवं तीव्रगति से पालन की व्यवस्था।

(ङ) सामान्यतः संराधन-व्यवस्था के संगठन को सुदृढ़ करना।

३—कारखाना निरीक्षकालय का विस्तार और पुनर्संगठन

इस योजना मे औद्योगिक अजायबघर की स्थापना के अलावा कारखाना, निरीक्षकालय के प्रशासन को विकेन्द्रीकृत कर तथा इंजीनियरिंग रासायिनिक एवं चिकित्साकीय निरीक्षकों का कार्यालय खोल कर कारखाना निरीक्षकालय का पुनर्संगठन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत प्रयोग के लिये उपयुक्त रसायनशाला भी खोली जायगी।

४—उद्योगों मे अभिनवीकरण सबंधी अध्ययन

बडे पैमाने पर बेकारी फैलाए बिना उत्पादन के समस्त बरबादी बढाने वाले तरीको को समाप्त कर उत्पादन की लागत मे कमी लाने के लिये उद्योग में अभिनवीकरण (rationalization) के सिद्वात को सभी लोगो ने आवश्यक मान लिया है। अभिनवीकरण से बेकारी न फैले, इसके लिये यह आवश्यक है कि संपूर्ण समस्या का अध्ययन किया जाय और पहले से योजना बनाई जाय। इसी अभिप्राय के लिये श्रम विभाग ने राज्य के महत्वपूर्ण उद्योगो मे अधिनवीकरण-सबंधी अध्ययन करने का विचार किया है। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे सम्मिलित करने के लिये इसी दृष्टि से एक व्यापक योजना प्रस्ता- वित की गई है।

५—वाष्प ब्वायलरों मे वाष्पोत्पादन मे ईधन की किफायत

इस योजना का प्रस्ताव इस दृष्टि से किया गया है कि देश के सीमित ईंधन का मितव्ययता, कुशलता और अधिकतम से उपयोग किया जा सके।

६—अनुसधान, संख्या और प्रचार

आंकडो और अनुसंधान को अब सयोजन के लिये अनिवार्य समझा जाने लगा है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र मे किए गए सरकारी कार्यो का प्रचार भी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था मे उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुसधान, प्रचार और संख्या विभागो के निस्तार की योजना इस प्रकार है:—

(क) वैभागिक पुस्तकालय का विस्तार।
(ख) विशिष्ट श्रम-समस्याओ का अध्ययन।
(ग) पत्रिकाओ, सचित्र पुस्तिकाओ और प्रचार-पुस्तिकाओ द्वारा श्रम विभाग के कार्यो का प्रचार।
(घ) तथ्यमूलक एवं अधिकृत सूचना का प्रसारण।
(ङ) श्रव्य-दृष्य साधनो द्वारा क्षैत्रिक प्रचार।
(च) विविध श्रम-समस्याओ पर आकडो का सग्रह।

७—उत्तर प्रदेश मे व्यावसायिक संघो के विकास की योजना

औद्योगिक प्रजातत्र मे व्यावसायिक सघो के महत्व को बताने की आवश्यकता नही है। इस योजना का उद्देश्य निम्नाकित द्वारा व्यावसायिक सघो की वृद्धि और विकास करना है:—

(क) व्यावसायिक सघ निरीक्षण और परामर्शदात्री सेवा की स्था- पना।

(ख) व्यावसायिक संघ कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण।

(ग) व्यावसायिक संघों द्वारा संचालित कल्याणकारी संस्थाओ तथा पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि को अनुदान।

(घ) विभाग के व्यावसायिक संघ उप-विभाग के संगठन में वृद्धि।

८—श्रम विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

श्रम-समस्याओं का प्रशासन एक विशिष्ट और कुछ प्राविधिक ढग का भी काम है, अतः उसके लिये अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यवाहियो की आवश्यकता है। इस योजना में श्रम विभाग के कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

९—स्थायी आदेशों के उत्तमतर पालन की योजना

प्रतिष्ठान मे काम की शर्तो की व्याख्या करने वाले स्थायी आदेशों का औद्योगिक सबधों के क्षत्र मे बड़ा महत्व है।औद्यगिक प्रतिष्ठानों के लिये स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण और उनके उचित पालन कराने की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त वर्णन एक पूर्ववर्ती अध्याय में पहले ही किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य जिन प्रतिष्ठानो पर स्थायी आदेश नही लागू है उन पर लागू करना और उनका पालन कराना है।

१०—श्रमिक कानून का प्रतिपालन

बाग श्रमिक, कानून, १९५१ एक नया कानून है और उसका लक्ष्य है—बागो के श्रमिको के काम की दशाओं और काम की शर्तो का नियमन करना इस समय इस कानून का पालन कराने की कोई पृथक व्यवस्था नही है। अब इसके प्रशासन के लिये द्वितीय योजना-काल में पृथक व्यवस्था करने का विचार है ।

११—न्यूनतम मजदूरी कानून, १९४८ तथा उत्तर प्रदेशीय दुकान एव वाणिज्य प्रतिष्ठान कानून, १९४७ आदि का पालन

विविध श्रम-कानूनो के प्रशासन की चर्चा एक पृथक अध्याय में की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य इन कानूनो के कार्य-क्षेत्र का विस्तार और उनके पालन के स्तर को ऊंचा उठाना है।

१२—राज्य मे नियोजन सस्था और प्रशिक्षण संगठन का विस्तार

राष्ट्रीय नियोजन सेवा और प्रशिक्षण संगठन के प्रशासन का भार अभी तक केन्द्रीय सरकार पर था। अब यह निश्चय किया गया है कि इस संघ का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप दिया जाय। राज्य में काम करने वाली वर्तमान नियोजन सस्था और प्रशिक्षण सगठन के अलावा यह भी विचार है कि द्वितीय योजना काल में इस सेवा का आगे भी विस्तार किया जाय।

१३—सामान्य प्रशासन के लिये कर्मचारी और कोष

विभाग के कार्यो में सर्वतोमुखी वृद्धि और उसके फलस्वरूप हुई प्रशासकीय कार्य में वृद्धि होने के साथ यहप्रस्ताव है कि विभाग के मुख्य कार्यालय में सामान्य प्रशासन के लिये उसी अनुपात में अतिरिक्त कर्मचारियो की नियुक्ति की जाय। इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि अतिरिक्त प्रशासकीय कर्मचारियो के बैठने के लिये कानपुर मे श्रमायुक्त के कार्यालय के मुख्य भवन के साथ एक संयोजक भवन (annexie) बनाया जाय।

भाग २

परिशिष्ट अ (१)

उत्तर प्रदेश के उन प्रमाणित कारखानों की सूची, जिनमें १०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं

क्रमांक	जिलों के नाम	कारखानों के नाम	प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या
१	२	३	४
१	अलीगढ़	यू० पी० गवर्नमेंट सेण्ट्रल डेरी फार्म ..	१११
२	,,	गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया फार्म प्रेस, सिविल लाइन्स	१,२८१
३	,,	गवर्नमेण्ट स्टीम पावर स्टेशन, काशीपुर	१८६
४	,,	टीकाराम ऐण्ड सन्स, आयल मिल्स, अलीगढ़ ..	११३
५	,,	मटरूमल दन्नामल आयल मिल्स, आइरन ऐण्ड ब्रास फाउण्डरी, सस्नीगेट, हाथरस ...	१३८
६	,,	बसन्तलाल हीरालाल आयल ऐण्ड दाल मिल्स, सादाबाद गेट, हाथरस ...	१३६
७	,,	बिजली काटन मिल्स, मेण्डू रोड, हाथरस ...	१,२७७
८	,,	भारत प्रिंटिग प्रेस, बिष्णुपुरी (गंगासरन ऐण्ड सन्स लिमिटेड) ...	१२६
९	,,	खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स, मेण्डू, हाथरस, पो० आ० सस्नी ...	४३७
१०	,,	दि इण्डियन इम्प्लीमेण्ट्स, अकराबाद रोड .	२९४
११	,,	रामनरायन गोपाल प्रसाद आयल मिल्स ऐण्ड गिनिंग फैक्टरी, मुरसान गेट, हाथरस .	११६
१२	,,	प्रयाग आइस ऐण्ड आयल मिल्स, राम घाट रोड	२४२

टिप्पणी :—(१) इस सूची में भारत सरकार के सुरक्षा मन्त्रालय के अधीन कारखाने सम्मिलित नहीं हैं।

(२) यह सूची १९५४ में कारखाना कानून के अंतर्गत आगे विवरण पर आधारित है।

१	२	३	४
१३	आगरा ...	वाटर वर्क्स, आगरा ...	१२८
१४	,, ..	बन्सीधर प्रेमसुखदास आयल मिल्स, मैथान ..	४३२
१५	,, ...	महालक्ष्मी आयल मिल्स, जेवनी मण्डी ...	१४४
१६	,, ...	इन्द्रा स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स ...	४०३
१७	,, ...	जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स नं० ३ ..	३४८
१८	,, .	जान्स प्रिन्स आफ वेल्स स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स, जेवनी मण्डी नं० ४ ...	६६१
१९	,, ...	आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस, आगरा ...	१११
२०	,, ...	दि जैन ग्लास वर्क्स, हरनगंज, फिरोजाबाद	५१९
२१	,, ..	विमल ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद...	२९७
२२	,, ..	प्रकाश इंजीनियरिंग कम्पनी रोलिंग मिल्स, फ्रीगंज	२३०
२३	,, ..	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जेनरेटिंग स्टेशन	२३२
२४	,, ..	ईस्ट इंडिया कारपेट कम्पनी, बेलनगंज ...	११९
२५	,, ...	चितरमल रामदयाल आयल मिल्स, ९ होवट पार्क रोड	१९३
२६	,, ..	गौरीशंकर रामगोपाल ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१६१
२७	,, ...	दि मिर्जा ग्लास वर्क्स, चौक गेट, फिरोजाबाद...	१६०
२८	,, ...	श्री नानक ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१७८
२९	,, ...	श्री सावित्री ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ...	१६९
३०	,, ...	मदनलाल रामस्वरूप ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१५९
३१	,, ..	भारत ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ...	१५६
३२	,, .	श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स, कटरा सोनाराम, फिरोजा-बाद	१५१
३३	,, .	श्री गोविन्द ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१३०
३४	, ..	मुन्शीलाल बेनीराम जैन ग्लास वर्क्स, मैनपुरी गेट, फिरोजाबाद ...	१७२

१	२	३	४
३५	आगरा	... रामा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद ...	१५२
३६	,,	.. आदर्श ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ...	१९६
३७	,,	... भूरे खां बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद ..	११६
३८	,,	... मदीना ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ...	११०
३९	,,	.. श्री गंगा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१४५
४०	,,	... रामलाल हरप्रसाद चौबे ग्लास वर्क्स, नई बस्ती, फिरोजाबाद ...	१३४
४१	,,	... श्री राधा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१३२
४२	,,	.. कर्माशियल ग्लास वर्क्स, न० १, हाजीपुरा, फिरोजा-बाद ...	१३९
४३	,,	.. श्री कृष्णा ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१९२
४४	,,	... गोपाल ग्लास वर्क्स, नं० २, फिरोजाबाद ...	१४३
४५	,,	... श्री प्रेम ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद	१९७
४६	,,	... स्टार ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद ...	१३०
४७	,,	... भवानी बैंगिल कटिंग इण्डस्ट्रीज, मो० कोटा, रेलवे रोड, फिरोजाबाद ...	१२६
४८	,,	... सच्चा सौदा बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, माता का थाना, फिरोजाबाद ...	१६३
४९	,,	.. जै हिन्द बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, हनुमानगंज, फिरोजाबाद ...	११७
५०	,,	.. नारंग ग्लास बैंगिल कटिंग ऐण्ड फ्लावर मिल्स, नई बस्ती, फिरोजाबाद ...	१५१

१	२	३	४
५१	आगरा ..	इकबाल ग्लास वर्क्स, मैनपुरी गेट, फिरोजाबाद	१४१
५२	,, .	शारदा ग्लास वर्क्स, मैनपुरी गेट, फिरोजाबाद	१२४
५३	,, ...	श्री सत्यनारायण ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद ...	१०५
५४	,, ..	दि सेन्ट्रल साबिरी ग्लास वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद ..	१२५
५५	इलाहाबाद .	भारत ग्लास वर्क्स, नैनी ...	१२०
५६	,, .	दि नैनी ग्लास वर्क्स, १३७–बहादुरगज, नैनी	१६३
५७	,, .	गवर्नमेण्ट सेन्ट्रल प्रेस, १२–सरोजिनी नायडू मार्ग	१,२३६
५८	,, .	सिविल ऐविएशन ट्रेनिंग सेण्टर, बमरोली .	२४१
५९	,,	उमाशंकर आयल मिल्स, ६०३, मुट्ठीगज ..	१५०
६०	,,	लिप्टंस लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद ..	१३५
६१	,, .	इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, नैनी .	२९१
६२	,, .	दि ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रोप्लेटिंग कम्पनी, २८ साउथ रोड, इलाहाबाद ..	१४८
६३	,, .	दि यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि०, १–ए सिटी रोड ..	१८१
६४	,,	इण्डियन प्रेस लि०, ३६–पन्नालाल रोड .	१७८
६५	,, .	लीडर प्रेस, लीडर रोड ..	१९९
६६	,,	अमृत बाजार पत्रिका प्रेस, १५–एलगिन रोड .	२०१
६७	,,	गवर्नमेण्ट कारपेण्टरी स्कूल, ७–कटरा रोड .	२२६

१	२	३	४
६८	इलाहाबाद	इलाहाबाद मिलिंग कं० लि०, लूकरगंज ..	१०६
६९	बरेली .	गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, सिविल लाइन्स .	१७०
७०	,, .	गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल ट्रैक्टर इम्प्लीमेण्ट वर्कशाप .	२५१
७१	,, .	यू० पी० गवर्नमेण्ट रोडवेज, ५३४ सिविल लाइन्स, बरेली रीजन	१५७
७२	,, ...	दि केशर शुगर वर्क्स लि०, बहेरी	१,७५२
७३	,, .	एच० आर० शुगर फैक्टरी लि०, नेकपुर	४९९
७४	,, ...	दि इण्डियन टर्पेण्टाइन रोजिन फैक्टरी, क्लटर-बकगंज	३६३
७५	,, ...	वेस्टर्न इण्डिया मैच कं०, क्लटरबकगंज	१,४१६
७६	,, ..	दि इण्डियन वुड प्रोडक्ट्स, इज्जतनगर	२५४
७७	,, ...	बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, ३, सिविल लाइन्स	१२३
७८	,, .	डी० सी० धिम्मन ऐण्ड सन्स लि०, इज्जतनगर	१००
७९	बनारस .	एन० आर० इन्जीनियरिंग प्लाण्ट डिपो, मुगल-सराय	५३८
८०	,, .	ओबीटी लि०, ओब्रीटीगंज, गोपीगंज, गोपीपुर	१२३
८१	,, ..	ज्ञानमण्डल यन्त्रणालय लि०, कबीरचौरा .	११७
८२	,, .	विभूति ग्लास वर्क्स, पो० आ०, रामनगर	६९३
८३	,,	बेको इन्जीनियरिंग वर्क्स आफ बनारस कालेज, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ..	१२९

१	२	३	४
८४	बनारस ..	दि मेटल गुड्स मैनुफैक्चरिंग क० लि०, विद्या-पीठ रोड . ..	२८७
८५	" .	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कं० लि०, भेलूपुरा	२०९
८६	" .	ए० टेलरी ऐण्ड सन्स लि०, भदोही ...	१९४
८७	" .	कृष्णा हाइड्रोलिक प्रेस लि० ..	१००
८८	" .	भार्गव भूषन प्रेस, त्रिलोचन ...	१२३
८९	" .	काशी आइरन फाउण्ड्री, गुडशेड के पास ...	१००
९०	" .	वाटर वर्क्स, भेलूपुरा ..	१४०
९१	बदायूं .	प्रेम स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स, उझानी .	४४६
९२	बहराइच .	आर० बी० लछमनदास शुगर ऐण्ड जेनरल मिल्स, पो० आ० जरवल रोड, ओ० टी० आर०	४०५
९३	बाराबंकी .	रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर फैक्टरी ...	४६४
९४	" .	बुढ़वल शुगर मिल्स लि०, पो० आ० रामनगर, बाराबंकी ...	४३३
९५	बिजनौर ...	अपर गैंजेज शुगर मिल्स, शिवहारा (सेल्स कार-पोरेशन लि०) ...	५६५
९६	" .	दि धामपुर शुगर मिल्स लि० धामपुर ..	४९८
९७	" .	शिवप्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स ...	६९९
९८	" ..	गंगा ग्लास वर्क्स लि०, बालावली ...	५४३
९९	बस्ती ..	बस्ती शुगर मिल्स लि०, बस्ती ...	५९४

१	२	३	४
१००	बस्ती	.. दि माधो कन्हैया महेश गौरी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० मुडेरवा .	३३६
१०१	"	... बस्ती शुगर मिल्स क० लि०, वाल्टरगंज ...	५०८
१०२	"	... श्री आनन्द शुगर मिल्स लि०, खलीलाबाद .	२२५
१०३	देहरादून	. ए (लेटर प्रेस सेक्शन) ऐण्ड बी (वर्कशाप) १७ ई० सी० रोड, सर्वे आफ इण्डिया	१०२
१०४	"	. हाथी बरकला लीथो आफिस सर्वे आफ इन्डिया (मैप पब्लिकेशन), हाथी बरकला ..	३०५
१०५	"	. फोटो जिंक आफिस सर्वे आफ इण्डिया, मैप पब्लिकेशन आफिस .	११२
१०६	"	.. यू० पी० गवर्नमेण्ट रोडवेज वर्कशाप, मेरठ रीजन ..	१२१
१०७	"	.. जानकी शुगर मिल्स लि०, दोइवाला, ई० आई० आर० ..	२७५
१०८	"	.. ईस्ट होप टाउन इस्टेट, पो० बा० नं० ९	१५९
१०९	"	... हरबन्सवाला टी इस्टेट, पो० बा० नं० ७	१६४
११०	"	. आर्केडिया टी इस्टेट, पो० बा० नं० १५ .	११२
१११	"	. गुडरिच टी इस्टेट, चोहारपुर .	११९
११२	"	... कोवलगढ़ टी इस्टेट, पो० बा० न० १२ ...	१९२
११३	देवरिया	.. दि पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स, पो० आ० पडरौना	६२६
११४	"	. दि प्रतापपुर शुगर फैक्टरी, मैरवा ...	८२५

१	२	३	४
११५	देवरिया	यू० पी० शुगर फैक्टरी, शिवराही, पो० आ० देवरिया ...	१,०७७
११६	"	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, पो० आ० लक्ष्मीगंज ..	६६४
११७	"	कानपुर शुगर वर्क्स (गौरी फैक्टरी), पो० आ० गौरी बाजार ...	४०८
११८	"	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला ..	४६९
११९	"	दि रामकोला शुगर मिल्स लि०, रामकोला ...	६३०
१२०	"	विष्णुप्रताप शुगर मिल्स क० लि०, राजा बाजार, खड्डा, देवरिया ...	३७७
१२१	"	जगदीश शुगर मिल्स लि०, कठकुइया, पडरौना	२,२१८
१२२	"	दि शंकर शुगर मिल्स लि०, कैप्टनगंज	४८४
१२३	"	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि०, छितौनी .	७१८
१२४	"	देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया .	८२९
१२५	"	श्री सीताराम शुगर क० लि०, बैतालपुर .	२८०
१२६	"	शंकर डिस्टिलरी ऐण्ड केमिकल वर्क्स, पो० आ० कैप्टनगंज ..	१९४
१२७	एटा	दि नेवली शुगर फैक्टरी, पो० आ० नेवली	४२६
१२८	फैजाबाद	कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, पो० आ० मोतीनगर, मसोधा रेलवे स्टेशन .	२९५
१२९	गोरखपुर	एन० ई० रेलवे प्रिंटिंग प्रेस ..	२७६
१३०	"	गवर्नमेण्ट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, जाटपुर ..	१८५

१	२	३	४
१३१	गोरखपुर .	सरैय्या शुगर फैक्टरी, पो० आ० सरदारनगर	१,०४६
१३२	,, .	दि पंजाब शुगर मिल्स लि०, पो० आ० घुघली	५८८
१३३	,, .	दि गनेश शुगर मिल्स क० लि०, पो० आ० आनन्दनगर ..	४०४
१३४	,, ..	डायमण्ड शुगर मिल्स क० लि०, पिपरायच	५३६
१३५	,, .	महाबीर शुगर मिल्स लि०, पो० आ० सिसवा बाजार ...	४००
१३६	,,	सरैय्या डिस्टिलरी, पो० आ० सरदारनगर	१७४
१३७	,, ..	महाबीर जूट मिल्स लि० ऐण्ड दि महाबीर आयल मिल्स, पो० आ० सहजनवा ..	१,२०३
१३८	,, ..	गीता प्रेस	३१२
१३९	,, ...	एन० ई० आर० कैरिज ऐण्ड वैगन्स वर्कशाप	५,५९५
१४०	गाजीपुर ..	गवर्नमेण्ट ओपियम फैक्टरी .	५८८
१४१	गोंडा ...	दि सक्सेरिया शुगर मिल्स लि०, बभनान ...	३२३
१४२	,, ...	दि नवाबगंज शुगर मिल्स लि०, नवाबगंज .	४२२
१४३	,, .	दि बलराम शुगर मिल्स लि०, बलरामपुर ..	२८८
१४४	,,	दि बलराम शुगर मिल्स लि०, तुलसीपुर ..	३२५
१४५	हरदोई	लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आयल मिल्स, हरदोई ..	६८२
१४६	झांसी .	सेन्ट्रल रेलवे मेकेनिकल कैरिज ऐण्ड वैगन वर्कशाप	२,९४२
१४७	जौनपुर ..	रत्ना शुगर मिल्स लि०, शाहगंज ...	३९२
१४८	कानपुर	यू० पी० रोडवेज सेण्ट्रल वर्कशाप .	८२७

१	२	३	४
१४९	कानपुर ..	रिवर साइड पावर हाउस सिविल, लाइन्स ...	६५७
१५०	" ...	वाटर वर्क्स, कानपुर ...	१६९
१५१	" ..	गैंजेज फ्लावर ऐण्ड आयल मिल्स ऐण्ड गैंजेज् टिन वर्क्स	१३६
१५२	" ...	श्री राम महादेवप्रसाद राइस मिल्स रोलर फ्लोवर मिल्स ऐण्ड आयल मिल्स, हरीशगंज..	२२३
१५३	" ...	न्यू कानपुर फ्लोवर मिल्स, कूपरगज, कानपुर..	२४७
१५४	" ...	हेल्थ वेज् फूड प्राडक्टस् केयर आफ शक्कर बिस्कुट कम्पनी, फैक्टरी एरिया, फजलगज	११०
१५५	" .	जे० के० आयल मिल्स ऐण्ड कमला आइस फैक्टरी, कमला स्ट्रीट, कूपरगंज .	२०१
१५६	" ..	मातादीन भगवानदास आयल मिल्स ऐण्ड आइरन ब्रास फाउण्ड्री, बासमडी ..	१४२
१५७	" ..	राजेन्द्रप्रसाद आयल मिल्स, जूही ..	३०४
१५८	" ...	दुल्लीचन्द उमरावलाल आयल मिल्स, फजलगंज	१३०
१५९	" ...	कमलापत मोतीलाल आयल मिल्स, गुटैया ..	१५७
१६०	" .	गनेश फ्लावर मिल्स कं० लि०, पो० बा० नं० ३२	४२९
१६१	" .	कानपुर शुगर वर्क्स लि० ऐण्ड डिस्टिलरी, कूपर-गंज ..	१६५
१६२	" ...	म्योर मिल्स कं० लि०, पो० बा० न० ३३ .	७,०५७
१६३	" .	दि न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, पो० बा० ४६ . .	४,७३३

१	२	३	४
१६४	कानपुर	एल्गिन मिल्स क० लि०	५,४५५
१६५	,,	कानपुर काटन मिल्स, कूपरगज .	४,०५४
१६६	,, .	स्वदेशी काटन मिल्स क०, जूही	९,६१६
१६७	,,	जे० के० स्पिनिग ऐंड वीविग मिल्स क० लि० ..	३,२३२
१६८	,,	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०, चुगीघर, पो० बा० न० ६८ .	२,०६२
१६९	,, ..	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स क० लि०	२,३९३
१७०	,,	जे० के० काटन मैन्युफैक्चरिंग क० लि० कमलापत रोड .	१,०२३
१७१	,,	एथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी, अनवरगज ..	२,६९२
१७२	.	जे० के० जूट मिल्स क० लि०, कालपी रोड	३,७५७
१७३	,, .	दि महेश्वरी देवी जूट मिल्स कं० लि०, हरीश-गंज ..	१,३४५
१७४	,, .	मिश्रा होजरी मिल्स, फैक्टरी एरिया .	११८
१७५	,,	इंडिया आर्मी ऐण्ड पुलिस इक्विपमेंट फैक्टरी, परेड ..	१०४
१७६	,,	कूपर एलेन ऐण्ड क०, ब्राच आफ ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन, सिविल लाइन्स ..	२,४५५
१७७	,,	रूबी इण्डस्ट्रीज, १७/८९ नवाबुद्दौला कम्पाउण्ड	१४०
१७८	,,	कानपुर टैनरी, कालपी रोड, भन्नानापुरवा	६७१
१७९	,, .	इंडियन नेशनल टैनरी, जाजमऊ .	२६७

१	२	३	४
१८०	कानपुर	यू० पी० टैनरी क० लि०, जाजमऊ	३६०
१८१	,,	.. हिन्दुस्तान टैनरीज, जाजमऊ .	१८५
१८२	,,	. दि यूनियन माडल टैनरी, जाजमऊ	१६१
१८३	,,	कानपुर केमिकल वर्क्स क०, अनवरगंज .	४७६
१८४	,,	हिन्द केमिकल्स लि०, एम-३३६, रेल बाजार	११५
१८५	,,	नागरथ पेण्ट्स वर्क्स, फजलगंज	११८
१८६	,,	. कानपुर ऊलेन मिल्स, पो० बा० न० ५	२,२५०
१८७	,,	. कानपुर रोलिंग मिल्स, हरीशगंज	२००
१८८	,,	. जे० के० आइरन ऐण्ड स्टील क० लि०, फैक्टरी एरिया, कालपी रोड	६२७
१८९	,,	... कानपुर प्लेट मिल्स, रेलवे रोड, हरीशगंज, रेल बाजार ...	१३२
१९०	,,	.. सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, जी०टी० रोड, अनवरगंज	२८५
१९१	,,	... स्टैन्डर्ड ऐंड कं०, जूही रोड ..	१४८
१९२	,,	.. दि कानपुर ओम्नीनबस सर्विस लि०, कर्नलगंज	१२९
१९३	,,	.. कोहली इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, २० फैक्टरी एरिया, फजलगंज ...	११२
१९४	,,	.. इंडिया रिकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, प्लाट नं० ५३-फैक्टरी एरिया ...	१०३
१९५	,,	.. गवर्नमेंट क्रिमिनल ट्राइब्स सेटेलमेंट कल्याणपुर, पो० बा० नं० २७३ ...	१७०
१९६	,,	... एल्गिन मिल्स टेण्ट ऐण्ड दरी फैक्टरी ...	१००

१	२	३	४
१९७	कानपुर	.. वर्क शाप टेस्ट रूम ऐण्ड माल रोड सब-स्टेशन फैक्टरी, एम० जी० रोड ...	१४६
१९८	,,	.. मेसर्स दुर्गा प्रसाद ऐण्ड कं०, जिनिंग आयल ऐण्ड राइस मिल्स, बांसमंडी .	१९०
१९९	,,	. कानपुर डाइंग ऐण्ड क्लाथ प्रिंटिंग क० लि०, होजरी फैक्टरी, पो० बा० नं० ७३ .	११५
२००	,,	.. शिवान टेनरी, जाजमऊ .	१२१
२०१	,,	. दि यू० पी० रोलिंग मिल्स क० लि०, कूपर-गंज .	१६४
२०२	,,	. ब्रशवेयर लि०, दि माल	१०८
२०३	उन्नाव	... मेसर्स रेली इंडिया लि०, मगरवारा बोन मिल्स, मगरवारा .	३७१
२०४	खीरी	.. गोविन्द शुगर मिल्स, पो० आ० एरा इस्टेट .	२७६
२०५	,,	. हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोलागोकरननाथ .	१,२६६
२०६	लखनऊ	... गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग ..	६३१
२०७	,,	... एन० आर० लोको मोटिव वर्कशाप, चारबाग	४,२१३
२०८	,,	.. एन० आर० कैरिज ऐण्ड वैगन वर्कशाप, आलमबाग ..	३,७८
२०९	,,	... गवर्नमेंट प्रेसिजन टइंस्ट्रूमेंट फैक्टरी ..	२०४
२१०	,,	.. एन० रेलवे स्टोर्स डिपो, आलमबाग ..	५१०
२११	,,	... नार्दर्न रेलवे सेण्ट्रल पावर हाउस, मुनवरबाग	१०५
२१२	,,	.. भगवान इंडस्ट्रीज, ऐशबाग रोड .	१९१

१	२	३	४
२१३	लखनऊ	मीकिन ब्रैवरीज लि०, लखनऊ डिस्टिलरी, साहजी–का–बाग, हुसेनगंज .	२३७
२१४	,,	अपर इण्डियन कूपर पेपर मिल्स, लि०	५१५
२१५	,,	नेशनल हेराल्ड प्रेस (एसोसियेटेड जर्नल्स लि०)	३०४
२१६	,,	. दि पायनियर प्रेस लि०, एल्बर्ट रोड	२१६
२१७	,,	. राजा श्री राम कुमार प्रेस, नवलकिशोर रोड, हजरतगंज	१४७
२१८	,,	रिलाएबिल वाटर सप्लाई सर्विस आफ इंडिया लि०, आलमबाग	३०१
२१९	,,	. जेनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग रोड	१११
२२०	,,	नार्दर्न इंडिया आइरन प्रेस वर्क्स, इंडस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग	१६८
२२१	,,	. इम्पीरियल सर्जिकल कं०, आउटरम रोड	१५२
२२२	,,	. यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं०, ऐशबाग रोड	१७१
२२३	,,	. अहमद हुसेन दिलदार हुसेन लि०, अब्दुल अजीज रोड .	१०७
२२४	,,	.. मास प्रोडक्ट (इंडिया) लि०, ऐशबाग रोड	११३
२२५	,,	.. गोपाल मेटल वर्क्स, ऐशबाग ...	१०६
२२६	,,	. यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, ओल्ड कानपुर रोड ..	१०२
२२७	,,	.. वाटर वर्क्स, ऐशबाग	१०१
२२८	मेरठ	.. मोदी बिस्कुट फैक्टरी, बेगमाबाद ..	२११

१	२	३	४
२२९	मेरठ	. जसवंत शुगर क० लि०, मलयाना, पो० आ० बक्सर .	१,०१०
२३०		. सम्भोली शुगर मिल्स क० लि०, सम्भोली	६१५
२३१	,,	. श्री दीवान शुगर ऐण्ड जेनरल मिल्स, पो० आ० सखौती टांडा .	७०२
	,,	.. रामलक्ष्मण शुगर मिल्स लि०, मोहिउद्दीनपुर	९३०
२३३	,,	. दौराला शुगर वर्क्स, दौराला	९८८
२३४	,,	. दि मोदी शुगर मिल्स लि०, मोदीनगर बेगमा-बाद .	९७९
२३५	,,	. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना .	८१५
२३६	,,	. दि मोदी आयल मिल्स, मोदीनगर, पो० आ० बेगमाबाद ..	३७७
२३७	,,	मोदी वनस्पति मेन्युफैक्चरिंग क०, बेगमा-बाद .	३६०
२३८	,,	. अमृत वनस्पति लि० (अमृत पर्फ्यूमर) गाजियाबाद	२३६
२३९	,,	हिन्दुस्तान वनस्पति मैन्युफेक्चरिंग, क० लि०	१९८
२४०	,,	. मोदी स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लि०, मोदी-नगर	२,६९३
२४१	,,	. दि वेबिंग ऐंड बेल्टिन्ग फैक्टरी, जी० टी० रोड, गाजियाबाद	३४२
२४२	,,	मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स लि०	४२७
२४३	,,	.. दि इंटरनेशनल रबर मिल्स, गनपत रोड पो० बा० नं० ५६	१४०

१	२	३	४
२४४	मेरठ	मोदी सोप वर्क्स, मोदीनगर ..	१४८
२४५	,,	दि देहली ग्लास वर्क्स लि० नखानपुर, गाजिया-बाद	१८५
२४६	,,	देहली आइरन ऐंड स्टील क० लि०, जी० टी० रोड, गाजियाबाद ..	१७८
२४७	,,	दि मोदी हरीकेन लैण्टर्न फैक्टरी, मोदीनगर ..	३८६
२४८	,,	पजाब आयल एक्सपेलर कं०, मेरठ रोड, गाजियाबाद	१३३
२४९	,,	नादिर अली ऐंड क० १०७, कोठी एरिया, मेरठ सिटी	१३५
२५०	,,	जोनल एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर वर्कशाप, मथुरा रोड	१०२
२५१	,,	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस्टीट्यूट	२१९
२५२	मथुरा	सुख सचारक क० लि०	१०८
२५३	,,	दी० मिडलैंड फ्रूट्स ऐंड वेजीटेबल प्रोडक्ट्स	११६
२५४	मुरादाबाद ...	गवर्नमेंट स्टीम पावर स्टेशन, चदौसी .	२२५
२५५	,,	कुदन शुगर मिल्स, अमरोहा .	१,००२
२५६	,,	दि अयोध्या शुगर मिल्स, पो० आ० राजा का सहसपुर ..	६२१
२५७	,,	यू० पी० ग्लास वर्क्स लि०, बहजोई .	३६२
२५८	मुरादाबाद	केदार इंजीनियरिंग वर्क्स	११२
२५९	मुजफ्फरनगर ...	अपर दुआब शुगर मिल्स, शामली .	७३०

१	२	३	४
२६०	मुजफ्फरनगर ..	सर शादीलाल शुगर ऐंड जनरल मिल्स, मंसूरपुर	१,३५९
२६१	,, ..	अपर इंडिया शुगर मिल्स लि०, खतौली	८१३
२६२	,, ..	अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि०, रोहनकलां .	८२०
२६३	मैनपुरी	बशीधर राधावल्लभ, शिकोहाबाद ..	१५७
२६४	,, ..	पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद .	३५३
२६५	,, .	दि महाबीर ग्लास वर्क्स, माखनपुर, शिकोहाबाद .	२२६
२६६	,, ..	हिन्द लैम्प्स वर्क्स ऐण्ड आलसो इलेक्ट्रिक लैम्प्स, शिकोहाबाद .	५७९
२६७	मिर्जापुर ...	ई० सेफ्टन ऐण्ड क० लि०, जबलपुर रोड .	२५६
२६८	,,	ई० हिल ऐण्ड क०, खेनराइच	४४२
२६९	नैनीताल .	एल० एच० शुगर फैक्टरी ऐंड आयल मिल्स, काशीपुर .	४१३
२७०	पीलीभीत .	एल० एस० शुगर फैक्टरी ऐंड आयल मिल्स .	२,०२२
२७१	रामपुर .	ज्वाला फैब्रिक्स लि०, ज्वालानगर .	१४७
२७२	,, .	रजा शुगर क० लि०, राही रजा .	५५०
२७३	,, .	दि बुलद शुगर क० लि०, राही रजा	४४८
२७४	,, .	रामपुर डिस्टिलरी ऐण्ड केमिकल्स क० लि०	१३३
२७५	,,	रजा टैक्सटाइल, पो० आ० ज्वालानगर .	२,१८६
२७६	,, ..	रामपुर इजीनियरिग क० लि० .	१५८

१	२	३	४
२७७	सहारनपुर	यू० पी० गवर्नमेंट वर्क्सशाप, रुडकी	२३१
२७८	,,	गगा शुगर कारपोरेशन लि०, देवबंध	१,०५३
२७९	,,	दि स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग क० लि०, (गट्टा मिल्स) अम्बाला रोड	१८६
२८०	,,	लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स क० लि०, नकूर रोड	१,२८२
२८१	,,	दि इपीरियल टुबैको इडिया लि०	२,०८८
२८२	,,	दि लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल्स मिल्स	१,०४२
२८३	,,	स्टार पेपर मिल्स क० लि०	७१८
२८४	,,	एस० स्लाइट रेलवे शाप, सहारनपुर	१०९
२८५	,,	बनारसी शाह सरन सिंह, रुडकी	१४०
२८६	,,	आर० बी० नारायण सिह शुगर मिल्स, लश्कर	१,२०८
२८७	शाहजहापुर	रोजा शुगर फैक्ट्री ऐंड डिस्टिलरी, रोजा	७२४
२८८	सीतापुर	अवध शुगर मिल्स क० लि०, हरगाव आयल प्रोडक्ट्स	१,२६१
२८९	,,	सेक्सरिया बिसवा शुगर फैक्टरी, लि० पो० आ० बिसवा	३७३
२९०	,,	लक्ष्मी शुगर मिल्स कं० लि०, महोली	७६०
२९१	,,	प्लाईवुड प्रोडक्टस्, सीतापुर	३३७
२९२	,,	श्री श्याम नाथ मिल्स लि०	१५८

परिशिष्ट अ (२)

उत्तर प्रदेश में सन् १९५३ व १९५४ मे प्रत्येक उद्योग में नियोजन (पुरुष, महिला, किशोर एवं बाल श्रमिक) की संख्या तथा चालू कारखाने

क्रमाक	उद्योग	नियोजित श्रमिको की औसत दैनिक सख्या								योग	
		पुरुष		मलिहाये		किशोर		बालक			
		१९५३	१९५४	१९५३	१९५४	१९५३	१९५४	१९५३	१९५४	१९५३	१९५४
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	(अ) सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने ..	२९,७५७	२९,२६६	१४९	१५१	२२४	२७८	.	.	३०,१३०/११५	२९,६९५/१२७
	(ब) अन्य समस्त कारखाने										
२	कृषि–सम्बन्धी कार्य	६०२	८२०	५७	१२४	.	.	.		६५९/१८	९४४/२०
३	पेयो के अतिरिक्त खाद्य	५९,०५८	५८,१५९	१,१०५	१,२२४	४५	४	३	२	६०,२११/३७३	५९,३८९/३९५
४	पेय ...	१,५२०	१,५८२	४	१	...	...	..	..	१,५२४/१५	१,५८३/१६
५	तम्बाकू ..	२,४५२	२,३८५	६६	५३	३१	१५	.	..	२,५४९/१६	२,४५३/१०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
६	सूती कारखाने	६५,६२१	६२,६६०	६३९	५३९	६०	३९	१८	१०	६६,३३८/९३	६३,२४८/८७
७	जूते, अन्य पहनावे और सूती वस्तुये . .	३,६३३	३,३६५	. .	...	४	२	३	५	३,६४०/२४	३,३७२/२६
८	लकडी के कार्य (फर्नी-चर के अतिरिक्त)	१,०५४	७९७	. .	. .	.	१	...	...	१,०९४/२०	७९८/१८
९	फर्नीचर और फिक्स्चर	४३	३०	...	...	१	...	..	...	४४/३	३०/३.
१०	कागज और कागज की वस्तुये . .	१,९५९	१,९२६	.	..	२	१	...	..	१,९६१/७	१,९२७/७
११	मुद्रण प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	५,०२९	५,१४७	...	२	११	१	५	३	५,०४५/१६३	५,१५३/१५९
१२	चमडा और चमडे की वस्तुयें .	२,५३२	२,७१२	१२	१२	.	...	...	...	२,५४४/२६	२,७२४/३०
१३	रबर और रबर की वस्तुये .	१४५	१३७	...	...	१४	३		.	१५९/१	१४०/१
१४	रसायन और रासायनिक वस्तुयें .	३,९३३	४,१११	२१२	१४९	. .	...	.	. .	४,१४५/५४	४,२६०/५३

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१५	पेट्रोल और कोयले की वस्तुयें		...	.	..		...	..	.	..	..
१६	अधातु खनिज वस्तुयें (पेट्रोल कोयले को छोड़कर) .	९,७४६	१०,६९७	३७८	३८६	६४	१०६	. .	. .	१०,१८८/१४२	११,१८९/१३८
१७	मूल धातु उद्योग ..	३,२४३	३,७०५	१९	१८	१५	१२	...	...	३,३७७/९४	३,७३५/८७
१८	मशीनो और आवागमन साधनो को छोड़कर धातु की बनी वस्तुयें	२,२३१	३,३६३	४	१	११	१५	६	१	२,२५२/६७	२,३८०/६५
१९	विद्युत् मशीनों के अतिरिक्त मशीनो का निर्माण ...	४,१२०	४,६७६	२	५	९	८	३	५	४,१३४/१३१	४,६९४/१३०
२०	विद्युत् मशीन, एपरेट्स एप्लायस और सप्लाई ..	.	४३	..	...	.	२			/१	४५/३
२१	परिवहन और परिवहन सामग्री .	१,४०३	१,४९४	...	...	२१	८	१	१	१,४२५/५३	१,७०३/५४

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०,	११	१२
२२	विभिन्न उद्योग	३,६७६	४,०१५	१३५	१५८	२	१	.	.	३,८१३/११५	४,१७४/११८
२३	विद्युत्, गैस और वाष्प ...	१,५५६	१,६१५	१२	१२	.	...	. . .		१,५६८/२४	१,६२७/२३
२४	जल और सफाई सेवाये ..	२४	१८	१	१	...	.		..	२५/१	१९/१
२५	मनोरंजन सेवाये ..	.	..	..	..	.	.	.			
२६	व्यक्तिगत सेवाये ...	१५	१२		..		.	.		१५/१	१२/१
	योग .	२,०३,३९२	२,०१,९३५	२,७९५	२,८३६	५१४	४९६	३९	२७	२,०६,७४०/१५५७	२,०५,२९४/१५७२

टिप्पणी--स्तम्भ ११ व १२ में चालू कारखानो की सख्या आड़ी लाइन के बाद मे दिए हैं।

परिशिष्ट अ (३)

प्रत्येक जिले में चालू कारखानो की सख्या तथा उनमें नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या

क्रमांक	जिला	चालू कारखानो की संख्या			नियोजित श्रमिको की औसत दैनिक संख्या		
		१९५२	१९५३	१९५४	१९५२	१९५३	१९५४
१	२	३	४	५	६	७	८
१	आगरा ...	२२४	२३३	२२७	१२,०८८/५४	१२,०६४/५२	१२,६०१/५६
२	अलीगढ़ ..	५४	६०	६५	५,७९४/१०७	४,७८४/८०	५,७५७/८९
३	इलाहाबाद ...	८१	९०	९३	४,७५९/९९	५,०५०/५६	५,५६४/६०
४	अलमोडा ...	२	२	२	२६/१३	..	३७/१९
५	आजमगढ़ ...	५	४	५	४६/९	५६/१४	५४/१०
६	बहराइच ...	१९	२०	२०	१,०८६/५७	१,०७२/५४	९६३/४८
७	बलिया ...	१	...	१	८/८	...	१३/१३
८	बांदा ...		५	४	४२/११	११४/२३	३७/९

१	२		३	४	५	६	७	८
९	बाराबंकी	...	५	४	५	१,२०९/२४२	१,१५१/२८८	९२७/१८५
१०	बरेली	...	४४	५०	५६	६,४५६/१४७	७,०८८/१४२	५,७५३/१०३
११	बस्ती	...	४	५	४	१,६२४/४०६	१,९३८/३८८	१,६६३/४१६
१२	बनारस	...	१०७	१०६	८८	६,२३५/५८	५,९८९/५७	४,६३६/५३
१३	बिजनौर	...	१५	१६	१६	३,०५८/२०४	२,९८५/१८७	८,५९१/१६२
१४	बदायूं	...	४	४	४	५०१/१२५	४८०/१२०	४८८/१२२
१५	बुलन्दशहर	...	११	१३	१६	३३८/३१	२४४/२६	५०५/३२
१६	देहरादून	...	३९	३६	३६	२,२७६/५८	२,३५३/६५	२,२८७/६४
१७	देवरिया	...	१७	१७	१६	७,९०९/४६५	८,८०९/५१८	९,८४४/६१५
१८	एटा	...	१	३	३	५८१/५८१	५७२/१९१	४७९/१६०
१९	इटावा	...	१४	१३	१७	१९३/१४	२५६/२०	२६२/१५
२०	फर्रुखाबाद	...	१२	१४	१४	५१६/५३	५५१/३९	४९४/३५

१	२		३	४	५	६	७	८
२१	फतेहपुर	...	२	३	२	११७/५९	११०/३७	५८/२९
२२	फैजाबाद	...	१६	१५	१२	७६३/४९	५६९/३८	४७०/३९
२३	गढ़वाल	...	...	...	२	.	.	४२/२१
२४	गाजीपुर	...	१	१	१	६२९/६२९	६५४/६५४	५८८/५८८
२५	गोंडा	...	२०	२०	२१	२,४०९/१२०	२,६०५/१३०	१७,७७३/८४
२६	गोरखपुर	...	३९	३५	३५	११,४२०/३९३	१२,६०२/३६०	११,३२८/३२४
२७	हमीरपुर	...	...	१	१	. .	.	. .
२८	हरदोई	...	३	३	३	७६०/२५३	७०५/२३५	७०८/३३६
२९	जालौन	...	१	२	२	८/८	८/४	९/५
३०	जौनपुर	...	६	६	६	५६४/९४	७८४/१३१	५०१/८४
३१	झांसी	...	२५	२४	२७	३,२६६/१३१	३,१८०/१३३	३,६३५/१३५
३२	खेरी	...	९	९	११	१,४३६/१६०	१,६६१/१८५	१,६१६/१४७

१	२		३	४	५	६	७	८
३३	कानपुर	...	२६७	२७१	२७४	६८,५६६/२६१	६८,६१९/२५३	६७,६४८/२४७
३४	लखनऊ	...	१०१	११४	१०९	१५,३२४/१५२	१५,७९१/१३९	१४,९१०/१३१
३५	मैनपुरी	...	११	१०	१४	१,१४२/१०४	१,३७२/१३७	१,६०५/११५
३६	मेरठ	...	११७	१२६	१३८	१५,२०२/१३०	१४,६७७/११६	१५,५५१/११३
३७	मिर्जापुर	...	२७	२२	१८	१,३८१/५१	१,३५३/६२	१,२७२/७१
३८	मुरादाबाद	...	३८	५०	५६	३,२१८/८५	३,४८८/७०	३,५९६/६४
३९	मथुरा	...	२१	२३	२२	८४७/४०	६२२/२७	७३१/३३
४०	मुजफ्फरनगर	.	१८	१६	२०	४,२३३/२३५	३,९२९/२४६	४,०३१/२०२
४१	नैनीताल	...	९	१५	१४	१,६२७/१८१	७८२/५२	७१९/५१
४२	प्रतापगढ़	..	...	१	...	.	९/९	...
४३	पीलीभीत	...	२	४	५	२,०७६/३८	१,९२८/४८२	२,०९२/४१८
४४	रायबरेली	...	२	२	२	११/६	२४/१२	३५/१८

१	२		३	४	५	६	७	८
४५	रामपुर	...	१७	१३	१२	४,८८१/२८७	४,००४/३०८	३,७०३/३०९
४६	सहारनपुर	...	३६	३९	३८	७,२८८/२०२	७,०२७/१८०	९,०३२/२३८
४७	शाहजहांपुर	...	१२	१५	१७	१,०२३/८५	९८०/६५	९९८/५८
४८	सीतापुर	...	११	१०	१०	३,३४४/३०४	३,०७७/३०८	६,०४६/३०५
४९	सुलतानपुर		२	२	२	१२/६	१६/८	१०/५
५०	टेहरी-गढ़वाल		.				.	..
५१	उन्नाव	..	४	५	६	५४०/१३५	५०८/१०२	६२७/१०५
	योग		१,४८०	१,५५७	१,५७२	२,०६,८३२	२,०६,७४०	२,०५,२९४

टिप्पणी—कोष्ठ में दी हुई सख्याये उस वर्ष मे प्रति कारखाना श्रमिको की सख्या बतलाती है।

परिशिष्ट अ (४)

१६५४ में घातक तथा साधारण दुर्घटनाओं की संख्या, साधारण दुर्घटना के पश्चात् कार्य पर लौटने वाले श्रमिकों की संख्या तथा साधारण दुर्घटनाओं के कारण कार्य-दिवसों की हानि

क्रमांक	उद्योग	घातक	साधारण दुर्घटना		
		दुर्घटना	संख्या	उन-श्रमिको की संख्या जो काम पर लौटे	कार्य दिवसो की हानि
१	२	३	४	५	६
	[१] सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने				
	[२] अन्य समस्त कारखाने				
१	कृषि-सम्बन्धी कार्य .	...	.	...	
२	पेयों के अतिरिक्त खाद्य .	६	१,८०२	१,४३६	१५,७७२
३	पेय	१	१९	१९	२७१
४	तम्बाकू .	..	१७७	१७७	२,०३१
५	सूती कारखाने ..	२	२,६५१	२,६२५	२४,९४४
६	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुयें ..	...	११४	११३	१,३७२
७	लकडी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त) ..	...	२१	१५	२९६
८	फर्नीचर और फिक्स्चर .	...	...	..	..
९	कागज और कागज की वस्तुये ..	१	१२२	११९	१,०३४
१०	मुद्रण, प्रकाशन और सबधित उद्योग	...	३०	२९	४०९
११	चमडा और चमडे की वस्तुये ..	...	१८	१६	१७४

१	२	३	४	५	६
१२	रबर और रबर की वस्तुयें .	...	१	१	८१
१३	रसायन और रासायनिक वस्तुये	२	२७०	२५३	४,३५३
१४	पेट्रोल और कोयले की वस्तुये	.	.		. .
१५	अधातु खनिज वस्तुये (पेट्रोल और कोयले को छोडकर) ..	१	१०	१०	८८२
१६	मूल धातु उद्योग .	.	१२	९१	२,३९९
१७	मशीनो और आवागमन साधनो को छोड़कर धातु की बनी वस्तुये	.	१७९	११४	६३०
१८	विद्युत् मशीनो के अतिरिक्त मशीनो का निर्माण ..	.	२५	२४	५५७
१९	विद्युत् मशीन, एपरेटस, एप्लायंस और सप्लाई .	...	. .	.	
२०	परिवहन और परिवहन–सामग्री .	. .	१,१११	१,०९९	१७,७१८
२१	विभिन्न उद्योग . .	१	१०२	८०	६३०
२२	विद्युत्, गॅस और वाष्प ...	...	१०७	८७	७२३
२३	जल और सफाई सेवाये .	. .	४७	४७	१५४
२४	मनोरजन सेवाये .	...		.	.
२५	व्यक्तिगत सेवायें ...	...	.	..	..
	योग ...	१४	६,८९८	६,३५०	७४,४३०

परिशिष्ट अ (५)

प्रत्येक उद्योग में कार्य-दिवसों की तालिका

क्रमांक	उद्योग	१९५३	१९५४
१	२	३	४
[१]	(अ) सरकारी और स्थानीय कोष कारखाने	८५,९४,४७४	८५,४६,३८२
	(ब) अन्य समस्त कारखाने ...	...	...
२	कृषि सम्बन्धी कार्य .	१,२०,७४१	१,६३,६२४
३	पेयो के अतिरिक्त खाद्य .	१,५९,४९,३९६	१,४६,३१,२००
४	पेय ...	४,४३,८६९	४,६२,१५६
५	तम्बाकू ...	६,३४,६४६	६,४४,७१९
७	सूती कारखाने ...	१,९४,९९,६०२	१,८६,९३,५८६
७	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुये	१०,६२,६७३	९,७४,९२७
८	लकडी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	३,११,२४८	२,३६,३२९
९	फर्नीचर और फिक्स्चर ..	१३,४४५	९,०६०
१०	कागज और कागज की वस्तुये .	६,७१,६३६	६,१२,४४४
११	मुद्रण, प्रकाशन और सम्बन्धित उद्योग	१५,३२,२४८	१५,७१,९५२
१२	चमडा और चमड़े की वस्तुये	७,२४,११२	७,९०,२४६
१३	रबर और रबर की वस्तुये .	४९,४४९	४३,८२०
१४	रसायन और रासायनिक वस्तुये	११,९१,०४५	१२,२१,४७५
१५	पेट्रोल और कोयले की वस्तुये ..		

१	२	३	४
१६	अधातु खनिज वस्तुये (पेट्रोल और कोयले को छोड़कर) ...	२५,२०,६९५	३०,६१,१५३
१७	मूल धातु उद्योग ...	९,५५,८९९	१०,८५,६०३
१८	मशीनो और आवागमन साधनो को छोड-कर धातु की बनी वस्तुये ...	५,७४,१५९	६,९१,६६९
१९	विद्युत् मशीनो के अतिरिक्त मशीनो का निर्माण ...	१२,१४,५१३	१३,८८,६७६
२०	विद्युत् मशीन, एपरेटस, एप्लायस और सप्लाईज ...	...	११,९३०
२१	परिवहन और परिवहन-सामग्री .	४,०६,४५७	४ ९४ ०२३
२२	विभिन्न उद्योग ...	१०,३२,९०७	११,१६,५११
२३	विद्युत्, गैस और वाष्प ...	५,४०,४८०	५,६२,३३४
२४	जल और सफाई सेवायें ...	९,१२५	६,९३५
२५	मनोरजन सेवाये ...	...	.
२६	व्यक्तिगत सेवाये ..	४,५७५	३,५७६
	योग	५,८०,७६,३९४	५,७०,२४,३३०

परिशिष्ट अ (६)

श्रमिकों की संख्या के अनुसार कारखानों का विभाजन

क्रमांक	उद्योग	नियोजित करने वाले कारखाने							योग
		१० से १९ तक	२० से ४९ तक	५० से ९९ तक	१०० से ४९९ तक	५०० से ९९९ तक	१,००० से ४,९९९ तक	५,००० से अधिक	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	[१] सरकारी और राजकीय कोष कारखाने								
	[२] अन्य समस्त कारखाने								
१	कृषि-संबंधी कार्य	४	४	९	१		..	...	१८
२	पेयों के अतिरिक्त खाद्य	१२०	११६	२७	६२	२६	१३		३६४
३	पेय	१	२	८	५				१६
४	तम्बाकू		२	३	१		१	..	७
५	सूती कारखाने	१५	२२	८	१३	१	१५	३	७७

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
६	जूते, अन्य पहनावे और तैयार सूती वस्तुए –	६	१२	४	३		१		२६
७	लकड़ी के कार्य (फर्नीचर के अतिरिक्त)	७	७	२	३				१९
८	फर्नीचर और फिक्स्चर ..	३	.		.		...	.	३
९	कागज और कागज की वस्तुए .	१	३	.	२	२	...	..	८
१०	मुद्रण, प्रकाशन और संबंधित उद्योग ..	६४	५२	१२	१६	१	२	.	१४७
११	चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं .	४	९	८	५	१	...	.	२७
१२	रबर और रबर की वस्तुए			..	१	...			१
१३	रसायन और रासायनिक वस्तुएं	८	२९	८	५	१	१	..	५२
१४	पेट्रोल और कोयले की वस्तुएं			.	.	..		..	.
१५	अधातु खनिज वस्तुए (पेट्रोल और कोयले को छोड कर)	४६	१५	२१	४०	३		.	१२६
१६	मूल धातु उद्योग	३४	३१	१०	६	१	...	.	८२
१७	मशीनो और आवागमन साधनों को छोड़कर धातु की बनी वस्तुएं	२५	२३	९	३	...	..	.	६०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१८	विद्युत् मशीनो के अतिरिक्त मशीनो का निर्माण	४८	४६	२०	१४				१२८
१९	विद्युत् मशीन, एपरेटस, एप्लायस और सप्लाई		२						२
२०	परिवहन और परिवहन सामग्री	२६	२६	१३	७	२	३	१	७८
२१	विभिन्न उद्योग	५२	४०	११	११	१			११५
२२	विद्युत्, गैस और वाष्प	११	१५	५	१०	१			४२
२३	जल और सफाई सेवाए	३	३	१	४				११
२४	मनोरजन सेवाए	.							
२५	व्यक्तिगत सेवाएं .	१	.	..	.			..	२
	कुल .	४७१	४५१	१७९	२१२	४०	३६	४	१,४०१

परिशिष्ट अ (७)

१९४० से उत्तर प्रदेश के कारखानों में नियोजित पुरुष, स्त्री किशोर एव बाल श्रमिकों की संख्या

वर्ष	प्रदेश मे श्रमिको की संख्या					कुल श्रमिको की संख्या मे महिलाओ का प्रतिशत
	पुरुष	महिलायें	किशोर	बाल	कुल	
१९४०	१,७४,३०२	४,२७६	१,१७०	८८६	१,८०,६३४	२ ४
१९४१	२,१७,०८७	४,९५०	१,०८६	१,१९३	२,२४,३१६	२ २
१९४२	२,२५,३३९	४,७००	१,११७	१,३६८	२,३२,५२४	२ ०
१९४३	२,४७,५८६	४,४५४	९३२	१,८६७	२,५४,८३९	१ ८
१९४४	२,७०,६३१	४,६६७	२,०३१	९०९	२,७८ २३८	१.७
१९४५	२,७०,१०८	४,१४९	१,२००	१,०११	२,७६,४६८	१.५
१९४६	२,५१,९२७	३,१६४	१,१८२	८६७	२,५७,१४०	१ २
१९४७	२,३५,८७४	२,६८९	९७७	८५६	२,४०,३९६	१ १
१९४८	२,३८,०४६	२,६८९	८३४	५१४	२,४२,०८३	१.१
१९४९	२,३०,२९८	२,३९४	७८६	३५९	२,३३,८३७	१ ०
१९५०	२,२९,३६२	२,३९७	६५५	२८१	२,३२,६९५	१ ०
१९५१	१,९९,३८१	२,४०६	५०३	२२४	२,०२,५१४	१.२
१९५२	२,०३,५३१	२,७०७	४६२	१३२	२,०६,८३२	१ ३
१९५३	२,०३,३९२	२,७९५	५१४	३९	२,०६,७४०	१ ४
१९५४	२,०१,९३५	२,८३६	४९६	२७	२,०५,२९४	१ ४

परिशिष्ट ब (१)

सन् १९५५ में अप्रमाणित होने वाले व्यावसायिक संघों का विवरण

क्रम संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
१	यज्ञो पवीत व्यापारी समिति, कानपुर	३२/४, मंदिर शाह जी, चौक, कानपुर	वाणिज्य (व्यापार)	१७-१-१९५५
२	रजा शुगर कम्पनी वर्कर्स यूनियन, रामपुर	सिविल लाइन्स, रामपुर	उत्पादन (खाद्य)	४-२-१९५५
३	रजा चीनी मिल इम्प्लाइज यूनियन, रामपुर	३४, रजा शुगर फैक्टरी, कम्पाउण्ड, रामपुर	,, ..	४-२-१९५५
४	मोदी आयल ऐण्ड पेण्ट मिल्स, मजदूर यूनियन मोदी नगर, मेरठ	मोदीनगर, मेरठ	उत्पादन (रसायन वस्तुयें)	७-२-१९५५
५	डाइमण्ड इम्प्लाईज यूनियन, पिपराइच, गोरखपुर	डाइमण्ड शुगर मिल्स लि०, पिपराइच, गोरखपुर	उत्पादन (खाद्य)	१-३-१९५५
६	डाइमण्ड शुगर मिल्स मजदूर यूनियन, पिपराइच, गोरखपुर	पिपराइच, गोरखपुर ...	,,	१-३-१९५५
७	श्री राधे रोलिंग मिल्स मजदूर, यूनियन, मुरादाबाद	मुहल्ला असालतपुरा, हाजी के कुवा के पास, मुरादाबाद	उत्पादन (धातु वस्तुयें)	४-३-१९५५

क्रम संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
८	पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश, कानपुर	१०५/२३४, चमनगज, कानपुर	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	१५-३-१९५५
९	कानपुर ट्रान्सपोर्ट यूनियन, कानपुर	४०/११६, परेड, अस्पताल, कानपुर	परिवहन (मोटर)	१६-४-१९५५
१०	मेहतर मजदूर सघ, मिर्जापुर	रानी बाग, मिर्जापुर	सैनिटरी सेवाये	१६-४-१९५५
११	मथुरा इम्प्लाईज़ यूनियन	मार्फत विजय रसायन शाला, स्वामीघाट, मथुरा	वाणिज्य (दूसरे) ...	१६-४-१९५५
१२	कानपुर माली सघ, कानपुर	२२/१०४, फीलखाना, कानपुर	कृषि (दूसरे) ..	१६-४-१९५५
१३	राष्ट्रीय पल्लेदार सघ, कानपुर	महात्मा गाधी विद्यालय, ७०, कौशलपुरी, कानपुर	परिवहन (दूसरे)	१६-४-१९५५
१४	राष्ट्रीय मेहतर मजदूर यूनियन, कानपुर	तिलकहाल, कानपुर	सैनिटरी सेवाये	१६-४-१९५५
१५	इन्जीनियरिग वर्कर्स यूनियन, कानपुर	गाधीनगर लक्ष्मीपार्क, कानपुर	उत्पादन (मशीनरी)	१६-४-१९५५
१६	कानपुर ठेला कर्मचारी यूनियन, कानपुर	६१/१९३, हलागंज, कानपुर	परिवहन (दूसरे)	१६-४-१९५५
१७	थाली छिलाई मजदूर यूनियन, मुरादाबाद	मुहल्ला बबरियान, मुरादाबाद	उत्पादन (धातु वस्तुये)	१६-४-१९५५
१८	रेलवे पोर्टर्स ऐण्ड कुलीज़, यूनियन	४८, कानवाली रोड, देहरादून	परिवहन (रेलवे)	१६-४-१९५५
१९	विमको कर्मचारी यूनियन, बरेली	क्लक्टरबकगज, बरेली	उत्पादन (रसायन वस्तुये)	१६-४-१९५५

क्रम संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
२०	नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन	३३३, अलीनगर, गोरखपुर	परिवहन (रेलवे)	१६–४–१९५५
२१	सेठ रामगोपाल ऐण्ड पार्टनर्स एलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज इम्प्लायर्स यूनियन, एटा, यू० पी०	एटा, यू० पी०	बिजली	१६–४–१९५५
२२	बुनकर ट्रेड यूनियन, टाडा, फैजाबाद .	टाडा, फैजाबाद	उत्पादन (वस्त्र)	२०–४–१९५५
२३	सुपरवाइजरी स्टाफ ऐसोसियेशन आर्डनेन्स फैक्टरी और इंस्पेक्टरेट, कानपुर .	यफ/१–१९३, अरमापुर इस्टेट, कानपुर	सेवायें	२०–४–१९५५
२४	जिला चमड़ा कारीगर सभा, गोरखपुर	मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरख-पुर	उत्पादन (चमडा वस्तुएं)	२०–४–१९५५
२५	चीनी मिल मजदूर संघ, देवरिया .	मार्फत ठाकुर मन्नालाल, मिन्धी मिल (देवरिया सदर)	उत्पादन (खाद्य)	२०–४–१९५५
२६	म्यूनिसिपल कर्मचारी यूनियन, कानपुर	२४/१६३, रामनरायन बाजार, कानपुर	सेवायें	२०–४–१९५५
२७	अथर्टन वेस्ट मिल्स क्लर्क ऐण्ड जनरल स्टाफ यूनियन, कानपुर	१०९/२२३, जवाहरनगर, कानपुर	उत्पादन (वस्त्र)	२०–४–१९५५
२८	राष्ट्रीय लोहा मजदूर कांग्रेस, कानपुर .	८७/५, हीरागंज, कानपुर	उत्पादन (धातु वस्तुएं)	२०–४–१९५५
२९	आगरा यूनिवर्सिटी नान टीचिंग स्टाफ यूनियन, आगरा	आगरा	सेवायें ..	२२–४–१९५५

क्रम संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
३०	जिला करघा यूनियन मगहर, बस्ती	मगहर, जिला बस्ती	उत्पादन (वस्त्र)	२४-४-१९५५
३१	प्रेस कर्मचारी संघ, आगरा	सूरजभान का फाटक, बेलनगंज, आगरा	उत्पादन (छपाई)	२५-४-१९५५
३२	बलरामपुर राज इर्रीगेशन वर्कर्स यूनियन, बलरामपुर	मुहल्ला पुरनिया तालाब, बलरामपुर, अवध	बिजली तथा जल सेवायें	२५-४-१९५५
३३	मजदूर यूनियन, नवाबगंज	पो० आ० नवाबगंज, गोंडा	उत्पादन (खाद्य)	"
३४	राष्ट्रीय मजदूर यूनियन, मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, मेरठ	पो० आ० मोदीनगर, क्वार्टर न० डी/२०, मदनपुरा, मोदीनगर, मेरठ	"	"
३५	म्यूनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन, धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर	फ्री स्कूल, धामपुर, जिला बिजनौर	सेवायें	"
३६	वर्कर्स यूनियन स्टैंडर्ड रिफायनरी एण्ड डिस्टिलरी लिमिटेड, उन्नाव	कमला मैदान, उन्नाव	उत्पादन (पेय)	"
३७	बीड़ी वर्कर्स यूनियन, रामपुर	बाजार सफदरगंज, रामपुर	उत्पादन (तम्बाकू)	"
३८	बिजिनेस मेन यूनियन दयालबाग रोड, दयाल बाग	अशोक रेस्टोरेण्ट दयालबाग रोड, दयाल बाग, आगरा	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	"
३९	बास गाँव तहसील हैण्डलूम वर्कर्स यूनियन, गोरखपुर	बदिउज्जमा का मकान, बरहलगंज, गोरखपुर	उत्पादन (वस्त्र)	३०-४-१९५५

क्रम-संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
४०	लखनऊ एलेक्ट्रिक व सैनिटरी मजदूर सभा	टी० के० प्रेस नवलकिशोर रोड, लखनऊ	बिजली	३०-४-१९५५
४१	अस्पताल कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर	मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर	सेवायें	,,
४२	इण्डस्ट्रियल आयल मिल वर्कर्स यूनियन, आगरा	एतमादपुर, आगरा	उत्पादन (खाद्य)	,,
४३	जिला भंगी यूनियन, गोरखपुर	मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर	सैनिटरी सेवायें	,,
४४	प्लाईवुड कर्मचारी यूनियन, सीतापुर	प्लाईवुड कालोनी होसिनगंज, सीतापुर	उत्पादन लकड़ी तथा कार्क	,,
४५	मेहतर भिस्ती यूनियन, लखनऊ	२७, गिन्नी रोड, लखनऊ	सैनिटरी सेवायें	,,
४६	लखनऊ मोटर ड्राइवर्स यूनियन	चारबाग, लखनऊ	परिवहन (मोटर)	,,
४७	उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी वर्कर्स फेडरेशन	शाहन्शाह मंजिल, गोलागंज, लखनऊ	उत्पादन (पेय)	४-५-१९५५
४८	स्पिनिंग मिल्स वर्कर्स यूनियन, आगरा	जोन्स मिल्स आफिस, जटनी का बाग, आगरा	उत्पादन (वस्त्र)	,,
४९	मजदूर सभा, आगरा	नियर जीवनी मंडी, आगरा	,,	,,
५०	ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, शाहजहांपुर	खिरनी बाग, शाहजहांपुर	परिवहन (दूसरे)	,,

क्रम-संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
५१	एलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, हल्द्वानी	तिकोनिया रोड, पो० आ० हल्द्वानी, जिला नैनीताल	बिजली ..	४-५-१९५५
५२	लखनऊ नेशनल प्रेस बुक डिपो व कार्टन फैक्टरी वर्कर्स यूनियन	नवल किशोर प्रेस मार्फत टी० के० प्रेस, लखनऊ	उत्पादन (छपाई व प्रकाशन)	,,
५३	अपर इंडिया कूपर पेपर मिल मजदूर संघ, लखनऊ	झंडा वाला पार्क, निशातगंज, लखनऊ	उत्पादन (कागज) .	,,
५४	सिनेमा कर्मचारी संघ	पक्की सराय, अलीगढ	विविध	९-५-१९५५
५५	स्टील ट्रंक वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद	लीडर रोड, इलाहाबाद	उत्पादन (धातु वस्तुये)	१२-५-१९५५
५६	नेशनल प्रेस मजदूर यूनियन, इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्पादन (छपाई व प्रकाशन)	१४-५-१९५५
५७	म्युनिसिपल इम्प्लाइज एसोसियेशन	लीडर रोड, इलाहाबाद ...	सेवाये	१९-५-१९५५
५८	म्युनिसिपल शिक्षा कर्मचारी एसोसियेशन ...	बख्तावर लाल प्राइमरी स्कूल, बीसलपुर, पीलीभीत	,,	,,
५९	बीडी मजदूर, यूनियन .	भदोही जिला, बनारस	उत्पादन (तम्बाकू)	,,
६०	सिनेमा इम्प्लाईज, यूनियन .	गली सेठान सराय, लालदास, मेरठ	विविध	,
६१	तार जाली मजदूर, यूनियन .	डी ५/२० काजीपुरा कलां, बनारस .	उत्पादन (बेसिक धातु वस्तुये)	
६२	ओ० टी० रेलवे कोयला मजदूर यूनियन, गोरखपुर	गोरखपुर	परिवहन (रेलवे) ...	,,

क्रम-संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
६३	ए० आई० आर० आर्टिस्ट यूनियन, लखनऊ	लखनऊ	सेवाये	१९-५-१९५५
६४	वानगार्ड प्रेस कर्मचारी सघ, इलाहाबाद	१ लीडर रोड, इलाहाबाद	उत्पादन (छपाई व प्रकाशन)	७-६-१९५५
६५	स्टील बक्स वर्कर्स यूनियन, बनारस	रिजवी कुवा, चौक, बनारस	उत्पादन (धातु वस्तुयें)	९-६-१९५५
६६	मिनिस्टिरियल स्टाफ एसोसियेशन टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, कानपुर	४७१, फेथफुलगंज, कानपुर	सेवायें	"
६७	लेबर यूनियर टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट्स, कानपुर	टी० डी० ई० एस० पोस्ट बाक्स नं० १७२, कानपुर	"	"
६८	इलाहाबाद वाटर वर्क्स लेबर, यूनियन	खुसरू बाग, इलाहाबाद	जल सेवाये	१४-६-१९५५
६९	बाजार कर्मचारी यूनियन, गोरखपुर	सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर	वाणिज्य (थोक व फुटकर व्यापार)	१९-७-१९५५
७०	मेरठ बुलन्दशहर मोटर एसोसियेशन, मेरठ	सोहराब गेट, हापुर रोड, मेरठ	परिवहन (मोटर)	२७-६-१९५५
७१	फारेस्ट मजदूर यूनियन कोटद्वारा, गढ़वाल	कोटद्वारा, गढ़वाल	सेवायें	२७-६-१९५५
७२	म्युनिसिपल शिक्षा विभाग कर्मचारी यूनियन, मुरादाबाद	गज बाजार स्ट्रीट, मुरादाबाद	"	४-८-१९५५
७३	लखनऊ मोटर वर्कर्स यूनियन, लखनऊ	बिरहाना, लखनऊ	परिवहन (मोटर)	२७-८-१९५५

क्रम-संख्या	संघ का नाम	पता	वर्ग	अप्रमाणित होने की तिथि
७४	चमड़ा मजदूर यूनियन, कानपुर ...	११/३६५ सूटरगंज, कानपुर	उत्पादन (क्लोदिंग फूटवियर)	१५-९-१९५५
७५	कानपुर चमड़ा मिल्स कर्मचारी यूनियन, कानपुर	८७/५ हीरागंज, जरीब की चौकी, कानपुर	"	"
७६	ब्रास शीट मिल वर्कर्स ट्रेड यूनियन, मुरादाबाद	अपरस्टोरी, ब्रिज रतन लाइब्रेरी, मुरादाबाद	उत्पादन (बेसिक धातु वस्तुयें)	२०-१०-१९५५
७७	एन० ई० रेलवे मेन्स यूनियन, गोरखपुर	गोलघर, गोरखपुर	परिवहन (रेलवे)	२९-१०-१९५५
७८	आयल ऐंड केमिकल मजदूर यूनियन, कानपुर	१०८/१ अजगर सिंह का हाता, जरीब की चौकी, कानपुर	उत्पादन (रसायन वस्तुयें)	१-११-१९५५
७९	आल इंडिया एसोसियेशन आफ नान गजटेड आफिसर्स आफ दी आर्डिनेन्स ऐण्ड क्लोदिंग फैक्टरीज ऐंड इंस्पेक्टरेट अरमापुर इस्टेट, कानपुर	ई/१/१ अरमापुर इस्टेट, पो० आ० अरमापुर, जिला कानपुर	उत्पादन (क्लोदिंग ऐंड फूट वियर)	१२-१२-१९५५ यूनियन का कार्यालय पश्चिमी बंगाल में चला गया

परिशिष्ट ब (२)

सन् १९५५ में प्रमाणित किये गये व्यावसायिक संघों की सूची

क्रम-संख्या	व्यावसायिक संघ का नाम	पता	वर्ग	प्रमाणित होने की तिथि
१	२	३	४	५
१	डेरी फार्म मजदूर यूनियन, देहरादून ...	१४, न्यूकैंट रोड, देहरादून ..	उत्पादन (खाद्य) ...	५-१-१९५५
२	शुगर मिल्स लेबर यूनियन, नकपुर, बरेली	क्वार्टर न० ७६ आफ एच० आर० शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बरेली	उत्पादन खाद्य (चीनी) ...	५-१-१९५५
३	रेलवे लाइसेंस्ड पोर्टर्स कांग्रेस, लखनऊ ...	सिटी कान्ग्रेस मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद, लखनऊ	परिवहन (रेलवे) ...	६-१-१९५५
४	मित्तल रोलिंग मिल्स वर्कर्स यूनियन, मुरादाबाद	मोहल्ला काठघर नीयर ऋषिकुल, मुरादाबाद	उत्पादन (बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज)	६-१-१९५५
५	रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन, बनारस ...	५०/२० काजीपुरा कला, बनारस ...	परिवहन (मोटर) ...	८-१-१९५५
६	रेलवे कुली ऐण्ड पोर्टर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश, कानपुर	७१/१०४, शुतुरखाना, कानपुर ...	परिवहन (रेलवे) ...	१०-१-१९५५
७	हिन्दस इम्प्लाइज एसोसियेशन, कानपुर ...	७०/२९, मथुरी मोहाल, कानपुर .	उत्पादन (रसायन और रसायन उपज)	१७-१-१९५५
८	मेहतर सुधार यूनियन, बदायूं ...	मोहल्ला लोटनपुर, बदायूं ..	सैनिटरी सर्विसेज ...	१७-१-१९५५

१	२	३	४	५
९	स्पोर्ट्स मजदूर यूनियन, मेरठ ...	१३५, बेगम बाग, मेरठ ...	विविध ...	१८–१–१९५५
१०	डेल्टा मजदूर सभा, मेरठ सिटी ..	अहाता मिस्त्री अब्दुल लतीफ, देहली रोड, मेरठ	उत्पादन (मशीनरी)- ...	१९–१–१९५५
११	ग्लास वर्कर्स काग्रेस, बहजोई (मुरादाबाद)	मोहल्ला पुराना बाजार, पो० आ० बहजोई, जिला मुरादाबाद	उत्पादन (नान मेटलिक मिनरल प्रोडक्ट्स)	२१–१–१९५५
१२	गोरखपुर रोडवेज कर्मचारी सघ ...	मोहल्ला जटाशकर, गोरखपुर ...	परिवहन (मोटर) ...	२२–१–१९५५
१३	दी इलेक्ट्रिक ऐण्ड इजीनियरिग वर्कर्स यूनियन, इलाहाबाद	४१, सब्जीमंडी, इलाहाबाद ..	इलेक्ट्रिसिटी ..	२३–१–१९५५
१४	दी ५०९ आर्मी वर्कशाप, ई० एम० ई० वर्कर्स यूनियन, आगरा	३४०, बालूगज, आगरा ..	उत्पादन (विविध) ...	२३–१–१९५५
१५	सिनेमा वर्कर्स यूनियन, मथुरा	घिया मडी, मथुरा ..	विविध ...	२३–१–१९५५
१६	जूट आयल मिल मजदूर सघ, सहजनवा, गोरखपुर	पो० आ० सहजनवा, जिला गोरखपुर	उत्पादन (टेक्सटाइल जूट)	२७–१–१९५५
१७	देहाती दूध विक्रेता सघ, कानपुर .	गुटय्या धर्मशाला, रावतपुर, कानपुर ..	वाणिज्य (होल सेल और रिटेल ट्रेड)	३१–१–१९५५
१८	जसवत शुगर ऐण्ड गट्टा मिल स्टाफ एसोसियेशन, मेरठ	१६ देवपुरी, मेरठ, मेरठ सिटी .	उत्पादन खाद्य (चीनी)	४–२–१९५५

१	२	३	४	५
१९	रजा शुगर कं० वर्कर्स यूनियन, रामपुर ..	सिविल लाइन्स, रामपुर	उत्पादन (खाद्य)	४–२–१९५५
२०	पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसियेशन, लखनऊ	फाटक जियालाल चौपतिया, लखनऊ	वाणिज्य (वाइंडिंग)	४–२–१९५५
२१	रेलवे कुली यूनियन, मथुरा ...	मार्फत लक्ष्मन साहिब पुस्तकालय, होली गेट, मथुरा कैंट	परिवहन (रेलवे) ...	६–२–१९५५
२२	सूती मिल मजदूर यूनियन, उझानी, बदायूं	उझानी, बदायू ...	उत्पादन (टेक्सटाइल काटन)	८–२–१९५५
२३	म्युनिसिपल मजदूर यूनियन, वृन्दावन, मथुरा	किशोरपुरा, वृन्दावन, मथुरा ..	सेवायें ...	८–२–१९५५
२४	पूर्वोत्तर रेलवे बेण्डर्स एसोसियेशन, गोरखपुर	मार्फत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर	परिवहन (रेलवे) ...	१०–२–१९५५
२५	जिला मोटर मजदूर संघ, मथुरा ...	आर्य समाज रोड, मथुरा ..	परिवहन (मोटर) ...	११–२–१९५५
२६	दी गाजियाबाद मनुफेक्चरर्स एसोसियेशन, गाजियाबाद	गाजियाबाद ...	उत्पादन (मशीनरी) ...	१२–२–१९५५
२७	वायदा व्यापार कर्मचारी संघ, कानपुर ...	७४/२११, धनकुट्टी, कानपुर ...	वाणिज्य विविध ..	१२–२–१९५५

१	२	३	४	५
२८	आल इंडिया एअर फोर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऐसोसियेशन, कानपुर	हरिजेन्द्रनगर मेलरोड, लालबाग, पो० आ० चकेरी, कानपुर	उत्पादन (ट्रान्सपोर्ट इक्वीप-- मेंट)	१६--२--१९५५
२९	दी ठेकेदार मजदूर कांग्रेस, मुगल सराय (बनारस)	पो० आ० मुगल सराय, जिला बनारस ..	परिवहन (मोटर)	१७--२--१९५५
३०	राजकीय प्रेस मजदूर सघ, गर्वनमेंट आफ इडिया प्रेस, अलीगढ़	गवर्नमेंट आफ इडिया प्रेस, अलीगढ .	उत्पादन (छपाई, प्रकाशन तथा इससे सम्बन्धित उद्योग)	२१--२--१९५५
३१	चीनी मिल मजदूर संघ, लक्सर ..	मार्फत श्री राधे श्याम वेल्डर, क्वार्टर शुगर मिल, लक्सर, जिला सहारनपुर	उत्पादन (खाद्य--चीनी)	२३--२--१९५५
३२	आल इडिया पिरियाडिकल पब्लिशर्स एसो-सियेशन, इलाहाबाद	१७५, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद .	उत्पादन (छपाई, प्रकाशन और उससे सम्बन्धित उद्योग)	२८--२--१९५५
३३	डायमंड शुगर मिल मजदूर यूनियन, पिप-राइच, गोरखपुर		उत्पादन (खाद्य--चीनी)	१--३--१९५५
३४	पिपराइच इम्प्लाइज़ यूनियन, पिपराइच, जिला गोरखपुर		,, ...	१--३--१९५५
३५	रिलायबुल वाटर सप्लाई सर्विसेज आफ इंडियन कर्मचारी संघ, साहूभवन, राम मंदिर लेन, हुसेनगंज, लखनऊ		सेवायें	५--३--१९५५

१	२	३	४	५
३६	म्युनिसिपल कर्मचारी यूनियन, पुरानी बस्ती जिला बस्ती	आर० एस० पी० आफिस	सेवायें	५–३–१९५५
३७	सेन्ट्रल आफिस वर्कर्स यूनियन (रजा एंण्ड बुलन्द), सुल्तान होटल, सिविल लाइन्स, रामपुर		उत्पादन (खाद्य चीनी)	१७–३–१९९५
३८	रेलवे मजदूर कांग्रेस, गज बाजार स्ट्रीट, मुरादाबाद		परिवहन (रेलवे)	१७–३–१९५५
३९	डेल्टा इजीनियरिंग वर्कस यूनियन, चारयार मंजिल, सहवासा बाजार	भ० न० ३, मेरठ सिटी	उत्पादन (मशीनरी) ..	१७–३–१९५५
४०	सिमेंट फैक्टरी मजदूर यूनियन, झन झनवाला, पो० आ० राबर्ट् गंज	मार्फत लखनलाल, मिर्जापुर	उत्पादन, नान मेटलिक मिनरल प्रोडक्ट्स	१९–३–१९५५
४१	उत्तर प्रदेश विद्युत् विभाग कर्मचारी सघ, ऐशबाग, लखनऊ		इलेक्ट्रिसिटी	१९–३–१९५५
४२	दी फेडरेशन आफ इंम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ऐण्ड एसोसियेशन कम्पनीज इण्ला-इज यूनियन, इलाहाबाद		उत्पादन (रसायन और रसायन उत्पादन)	२४–३–१९५५
४३	मुगल सराय रिक्शा-इक्का यूनियन (जि० बनारस)	गाधी आश्रम, मुगल सराय ..	परिवहन (दूसरे)	२४–३–१९५५

१	२	३	४	५
४४	इस्पायर आफ इंडिया इम्प्लाइज़ यूनियन, कानपुर ब्रांच, कानपुर	५४/१७, शतरंजी मोहाल, कानपुर ...	बैंकिंग (इन्श्योरेन्स) ...	२४–३–१९५५
४५	इलाहाबाद जिला बीडी वर्कर्स यूनियन .	४, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद .	उत्पादन (तम्बाकू) .	२९–३–१९५५
४६	पूर्वोत्तर रेलवे ठेकेदार कर्मचारी संघ	मार्फत सोशलिस्ट पार्टी आफिस, गोरखपुर	यातायात (रेलवे) ...	२९–३–१९५५
४७	चुंगी कर्मचारी संघ ...	पलटन बाजार, राम मार्केट के सामने, देहरादून	विविध ..	७–४–१९५५
४८	रिक्शा मालिकान संघ ...	शर्मा फर्नीचर मार्ट, विजय रोड, गोरखपुर	यातायात .	७–४–१९५५
४९	कानपुर बाजार कर्मचारी फेडरेशन ..	आदर्श औषधालय, राजा का फाटक, काहू कोठी, कानपुर	वाणिज्य होल सेल, रिटेल	७–४–१९५५
५०	गीता प्रेस मजदूर यूनियन ...	अधियारी बाग, गोरखपुर .	उत्पादन (छपाई तथा प्रकाशन तथा सम्बधित उद्योग)	७–४–१९५५
५१	कैरूज़ डिस्टिलरी ऐण्ड डिस्टिलरी वर्कर्स यूनियन	रोजा, सहारनपुर	उत्पादन (खाद्य) .	११–४–१९५५
५२	चुर्क इम्प्लाइज़ यूनियन ..	गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क, पो० आ० चुर्क, जिला मिर्जापुर	माइनिंग ऐंड क्वेरी .	१५–४–१९५५
५३	म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन	राजघाट, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, कनखल, हरद्वार	सेवायें .	१५–४–१९५५
५४	तारा आयल मिल मजदूर पंचायत .	ग्राम सदाकीपुर, पो० आ० हापुड़, जिला मेरठ	उत्पादन (खाद्य)	१६–४–१९५५

१	२	३	४	५
५५	कालीन बुनकर संघ, ई० हिल० एन्ड कम्पनी	मार्फत बृजनाथ शुक्ला, ई० हिल ऐंड कम्पनी, खमरिया, मिर्जापुर	उत्पादन (टेक्स्टाइल)	२०–४–१९५५
५६	जीप वर्कर्स यूनियन	२८, साउथ रोड, इलाहाबाद	उत्पादन (मशीन)	२१–४–१९५५
५७	दाल तथा तेल मिल कर्मचारी संघ	सासनी गेट, हाथरस, जिला अलीगढ	खाद्य पेय, तम्बाकू	२१–४–१९५५
५८	अन्जुमन जर्दोजान	कप्तान का कुवा, चौक लखनऊ	विविध	३०–४–१९५५
५९	दि आल इंडिया एसोसिएशन आफ स्टोर–कीपर्स ऐंड स्टोरमैन आफ दि० ए० ओ० सी०, आगरा	७/९ मालवीयकुंज, आगरा	सेवायें	३०–४–१९५५
६०	ठला गाड़ी कर्मचारी संघ	रेलवे रोड, कलक्टरगंज, कानपुर	यातायात	३०–४–१९५५
६१	मुद्रक संघ	चूड़ीवाली गली, मथुरा	प्रिंटिंग, प्रकाशन तथा एलाइड इण्डस्ट्रीज	४–५–१९५५
६२	राम लक्षमण चीनी मिल्स स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियन	मोहीउद्दीन पुर, सरक्षक श्री श्रीकृष्ण बिहारी श्रीवास्तव, राम लक्ष्मण चीनी मिल के क्वार्टर्स, ग्राम तथा पोस्ट मोहीउद्दीनपुर, मेरठ	उत्पादन खाद्य (चीनी)	९–५–१९५५
६३	मिलेट्री पेट्रोल डिपो वर्कर्स यूनियन	८/सी कृष्णनगर, मथुरा	सेवा	९–५–१९५५

१	२	३		४	५
६४	आल इंडिया रेलवे टिकट चेकिंग एम्पलाइज यूनियन	१२७, मिण्टो पार्क रोड, इलहाबाद	.	परिवहन (रेलवे)	१४–५–१९५५
६५	अंजुमन कारखानादारान जरदोजी	कप्तान का कुआं, चौक, लखनऊ	...	उत्पादन (टेक्सटाइल)	१९–५–१९५५
६६	गवर्नमेंट प्रेस वर्कर्स यूनियन	नं० ३०, कूंचा श्याम दास, इलहाबाद	...	प्रिंटिंग, पब्लिशिंग तथा एलाइड इण्डस्ट्रीज	१९–५–१९५५
६७	अस्पताल कर्मचारी संघ	अस्पताल धर्मशाला के पीछे, मर्दनपुर स्टेशन रोड, जौनपुर	...	सेवा	१९–५–१९५५
६८	पी० सी० एफ० इम्पलाइज यूनियन	अयोध्या हाउस, वाल्मीकी मार्ग, लखनऊ	..	सेवा	१९–५–१९५५
६९	रिक्शा वर्कर्स यूनियन	शाप नं०१८, प्रताप मार्केट, चकराता रोड, सहारनपुर	...	परिवहन (दूसरे)	२३–५–१९५५
७०	एम्पायर आफ इंडिया लाइफ एश्योरेन्स क० (लखनऊ ब्रांच) इम्पलाइज यूनियन	कल्लू खा का लाल मकान, कुतुबपुर, हसनगंज (पार्क), लखनऊ	..	कामर्स, बैंकिंग, इन्श्योरेन्स	३०–५– ९५५
७१	भारत इत्तेहाद जारदोजान	सी० के० ४३/१८८, पुरानी मुसफी, दालमण्डी, बनारस	...	विविध	४–६–१९५५
७२	कानपुर छावनी रिक्शा एसोसिएशन	१०३, खपरामोहाल, कानपुर	...	परिवहन (दूसरे)	७–६–१९५५
७३	रजा शुगर मिल मजदूर यूनियन	रजा शुगर वर्क्स, रामपुर	...	उत्पादन (खाद्य चीनी)	९–६–१९५५
७४	बिसवा नगरपालिका कर्मचारी सघ	बिसवां, सीतापुर	.	सेवा	९–६–१९५५
७५	कानपुर किराना व्यावसायिक समिति	५३/९, नयागंज, कानपुर	...	कामर्स, होलसेल तथा रिटेल ट्रेड	९–६–१९५५

१	२	३	४	५
७६	लेबर यूनियन टेक्नीकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट	४२१, फेथफुलगंज, कानपुर	विविध	९–६–१९५५
७७	श्री गिर्मी परात [illegible]थुइया सभा	तुले बाबा की गली. मिर्जापुर	विविध	९–६–१९५५
७८	कैण्टण्मेण्ट बोर्ड इम्पलाइज यूनियन	३८३, सदर बाजार, बरेली कैण्ट	इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर ऐण्ड सेनेटरी सर्विस	११–६–१९५५
७९	यू० पी० सयुक्त मजदूर यूनियन	३, विजयनगर कालोनी,आगरा ..	विविध	१३–६–१९५५
८०	ईस्टर्न कमाण्ड इंजीनियर ट्रेनिंग कैम्प कर्मचारी संघ	१४६/ए, साउथ मलाका, इलहाबाद ...	सेवाये	१४–६–१९५५
८१	गन्ना मिल वर्कर्स यूनियन	२४–डी जसवन्त मिल्स कालोनी, मेरठ सिटी ...	पेपर ऐण्ड पेपर प्रोडक्ट	२७–६–१९५५
८२	कारखाना कर्मचारी यूनियन	कांग्रेस मजदूर कार्यालय, अमीनाबाद लखनऊ	मैन्युफैक्चरिंग (विविध)	२७–६–१९५५
८३	अमृत मजदूर सभा	जी० टी० रोड, गाजियाबाद, मेरठ ...	खाद्य ऐण्ड पेय, तम्बाकू (हाईड्रोजनेरेटेड आयल) उपत्पादन	२७–६–१९५५
८४	राजकीय प्रेस वर्कर्स यूनियन	सिटी कांग्रेस कमेटी का कार्यालय, लखनऊ ..	प्रिटिंग, पब्लिशिंग ऐण्ड एलाइड ट्रेड)	२७–६–१९५५
८५	केन्द्रीय शिक्षा विभाग कर्मचारी संघ	१४, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून .	(सेवायें)	४–७–१९५५

१	२	३	४	५
८६	रेमण्ड डिपो वर्कर्स यूनियन	ट्रेड यूनियन आफिस, रेलवे रोड, सहारनपुर	उत्पादन (ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूवमेंट)	४–७–१९५५
८७	म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन	ट्रेड यूनियन आफिस, रेलवे रोड, सहारनपुर	सेवायें	९–७–१९५५
८८	गवर्नमेंट वर्कशाप मजदूर यूनियन	सहानपुर रेलवे रोड, गनेशगज, रुडकी, सहारनपुर	यातायात (इम्प्रूवमेंट)	९–७–१९५५
८९	डिफेन्स मेडिकल स्टोर्स इम्पलाइज यूनियन	१०५५, सदरबाजार, लखनऊ	सेवायें	१४–७–१९५५
९०	एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन	सी० जी० एस० आफिस, एन० ई० रेलवे, गोरखपुर	परिवहन (रेलवे)	१४–७–१९५५
९१	गाधी आदर्श चीनी मिल मजदूर यूनियन रोहाना चीनी मिल, मुजफ्फरनगर	रोहना कला, मुजफ्फरनगर	उत्पादन (खाद्य चीनी)	१५–७–१९५५
९२	तागा ड्राइवर्स यूनियन	ललितपुर, झांसी	परिवहन (दूसरे)	२०–७–१९५५
९३	शिक्षक सघ, नगरपालिका	मानिक चौक, झांसी	सेवायें	२०–७–१९५५
९४	नगरपालिका निम्नवर्गीय कर्मचारी संघ	मानिक चौक झांसी	सेवायें	२०–७–१९५५
९५	घुरमा भारकुण्डी क्वैरीज इम्पलाइज यूनियन	पोस्ट राबर्ट्सगज, मिर्जापुर	माइनिंग एण्ड क्वैरीज (दूसरे)	२०–७–१९५५
९६	सप्लाई डिपो कर्मचारी सघ	मानिक चौक, झांसी	सेवायें	२०–७–१९५५
९७	डेरीफार्म कर्मचारी संघ	मानिक चौक, झांसी	उत्पादन (खाद्य पेय,तम्बाकू)	२०–७–१९५५
९८	कैन्टूनमेंट मजदूर यूनियन	रानीखेत, अल्मोड़ा	सेवायें	२६–७–१९५५

१	२	३	४	५
९९	श्रीकृष्ण मोटर यूनियन,	कटरा, शिकोहाबाद, मैनपुरी	परिवहन (मोटर)	२९–७–१९५५
१००	खेतिहर मजदूर सघ, दौराला शुगर वर्क्स	मार्फत चीनी मिल मजदूर सघ, दौराला, मेरठ	खेती	२–८–१९५५
१०१	नेशनल डिफेन्स एकाडेमी मजदूर सभा	१४, न्यू कैण्ट, देहरादून	सेवाये	६–८–१९५५
१०२	इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन	१४, न्यू कैन्ट, देहरादून	इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनेटरी सर्विसेज	६–८–१९५५
१०३	मेरठ मवाना, बनसूमा, हस्तिनापुर, ललितपुर, बिजनौर मोटर यूनियन	कचहरी रोड, मेरठ,	परिवहन (मोटर)	९–८–१९५५
१०४	जंग आर्ट वर्कर्स यूनियन	पुरानी मण्डी, चौक, लखनऊ	विविध	१२–८–१९५५
१०५	उत्तर प्रदेशीय सहयोगी सुपरवाईजर एसोसियेशन	रहस भवन, लखनऊ	सेवाये	१३–८–१९५५
१०६	बाम्बे म्यचुअल लाईफ इन्श्योरेन्श सोसाइटी लि०, लखनऊ ब्राच इम्पलाइज यूनियन	शाहनजफ रोड, प्रीमियर मोटर वर्कशाप के पीछे, लखनऊ	शाह कामर्स (बैंकिग तथा इन्श्योरेंश)	१८–८–१९५५
१०७	आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस वर्कर्स यूनियन,	बगीचा दीवान साहब, दयालबाग, आगरा	प्रिटिन्ग तथा पब्लिशिग	१९–८–१९५५
१०८	मानसिक अस्पताल कर्मचारी यूनियन, उ० प्र०, आगरा	१०५२ लेन, गौशाला, बेलनगंज, आगरा	सेवाये	२२–८–१९५५

१	२	३	४	५
१०९	एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट डेवलपमेंट फैक्ट्री कर्मचारी संघ, (नैनी)	३५०, के०एल० कीडगंज, इलहाबाद .	इंजीनियरिंग	२३-८-१९५५
११०	यू० पी० एरिया मिलेट्री फार्म इम्पलाइज यूनियन	नं० १ कर्बलारोड, इलहाबाद ...	विविध	२३-८-१९५५
१११	मेकेनीकल तथा टेक्नीकल वर्कर्स यूनियन, आगरा	३९५३, पीपल मण्डी, आगरा ..	इंजीनियरिंग	२६-७-१९५५
११२	राष्ट्रीय मजदूर संघ	चुर्क, मिर्जापुर ..	माईनिंग तथा क्वैरी	२७-८-१९५५
११३	आल इंडिया एयर फोर्स चतुर्थ श्रेणी सिवि-लियन्स एसोसियेशन	लालबगला, मेनरोड, हरजेन्द्रनगर, चकेरी, कानपुर	सेवायें	३०-८-१९५५
११४	ब्रश वेयर कर्मचारी यूनियन	११०/१२९, रामकृष्ण नगर, कानपुर . .	मैन्यूफैक्चरिंग (विविध)	३१-८-१९५५
११५	रेलवे मालगोदाम मजदूर सभा	२५९ शाहगंज, इलहाबाद . .	परिवहन (रेलवे)	३१-८-१९५५
११६	मिल्स कर्मचारी यूनियन, पंचपुरी, हरिद्वार	बाबू भाई दयाल का घर, राजघाट,कनखल, हरिद्वार, सहारनपुर	विविध	३१-८-१९५५
११७	दी शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट इम्पलाइज एसो-सियेशन, इलाहाबाद	४२/ए सोवतिया बाग, पो० आ० दारागंज, इलाहाबाद	सेवायें	५-९-१९५५
११८	महालक्ष्मी शुगर मिल्स कर्मचारी यूनियन	इकबालपुर, जिला सहारनपुर	फूड विवरेज तथा टुबैको	६-९-१९५५
११९	इलाहाबाद सिनेमा आपरेटर एसोसियेशन, इलाहाबाद	म० नं० ५०, शाहगंज, इलाहाबाद	विविध	७-९-१९५५
१२०	सिनेमा लेबर यूनियन	२६, गौतम बुद्धमार्ग, लखनऊ	विविध	१४-९-१९५५

१	२	३	४	५
१२१	सोप, आयल ऐण्ड ट्वायलेट केमिकल वर्कर्स यूनियन	८/सी कृष्णनगर,मथुरा	मैन्युफैक्चरिंग कमिकल एंण्ड के।मकल प्रोडक्ट्स	१५-९-१९५५
१२२	कानपुर चमड़ा मिल्स कर्मचारी यूनियन, (कानपुर)	१४/८९-बी चुन्नीगज, कानपुर	मैन्युफैक्चरिंग लेदर ऐंड लेदर प्रोडक्ट्स	१५-९-१९५५
१२३	सेन्ट्रल डिस्टिलरी मजदूर यूनियन	बादाम मण्डी, कंकरखेरा बाजार, मेरठ, कैन्ट	खाद्य,पेय, तम्बाकू	१७-९-१९५५
१२४	दी रिज़र्व बैंक 'डी' क्लास इम्पलाईज यूनियन, कानपुर	कानपुर	बैंकिग ऐण्ड इन्श्योरेन्स	२३-९-१९५५
१२५	कानपुर रिक्शा ड्राइवर यूनियन,कानपुर	५२/४१, कलक्टरगंज, कानपुर	परिवहन (दूसरे)	२३-९-१९५५
१२६	डिफेन्स सिविलियन हाईजीन वर्कर्स यूनियन, कानपुर	आनन्द मोहाल लालबंगला चकेरी, कानपुर	सेवायें	२७-९-१९५५
१२७	अथर्टन वेस्ट मिल्स ऐण्ड जेनरल स्टाफ यूनियन, कानपुर	८७/१७१ जी० टी० रोड, हीरागज,कानपुर	उत्पादन सूती टैक्सटाइल	२७-९-१९५५
१२८	इंजीनियरिंग मजदूर सहायता यूनियन, रुड़की, सहारनपुर	गनेशपुर बलिराम पुरवा, रुड़की	इंजीनियरिंग	१०-१०-१९५५

१	२	३	४	५
१२९	पंचायत गोशाला कर्मचारी संघ, वृन्दाबन, मथुरा	नेहरू रोड, बृन्दावन, मथुरा ...	विविध ...	१०–१०–१९५५
१३०	चमड़ा मिल मजदूर यूनियन, कानपुर ...	३९/७० बी, तोपखाना बाजार, कानपुर	उत्पादन (चमड़ा तथा चमड़ा के बने सामान)	१०–१०–१९५५
१३१	टी० डी० ई० (डब्ल्यू) कर्मचारी यूनियन, कानपुर	क्वार्टर नं० जी० टी० १०२, अर्मापुर इस्टट, कानपुर	सेवायें ...	१०–१०–१९५५
१३२	दी न्यू इंडिया ऐशोरेन्स क० लि० इम्पला–ईज यूनियन, कानपुर ब्रांच	पार्कव्यू होटल, फूलबाग, कानपुर ...	बाणिज्य, (बैंकिंग ऐण्ड इन्श्योरेन्स)	१०–१०–१९५५
१३३	भारतीय निषाद कत्था कारीगारान यूनियन, गोंडा	मनकापुर, गोंडा ...	उत्पादन (खाद्य, पेय और तम्बाकू)	१०–१०–१९५५
१३४	राष्ट्रीय आयरन ऐण्ड स्टील मजदूर सभा, गाजियाबाद, मेरठ	बिल्डिंग गोपाल चन्द्र, गोपाल नगर, जी० टी० रोड, गाजियाबाद, मेरठ	उत्पादन (आयरन और स्टील	११–१०–१९५५
१३५	मोटर कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	मजदूर कार्यालय, बिरहाना, लखनऊ .	परिवहन (मोटर)	११–१०–१९५५
१३६	इलाहाबाद मोटर ड्राइवर्स तथा मोटर कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद	२१/ए, यस० सी० बसु रोड, इलाहाबाद	परिवहन	११–१०–१९५५
१३७	शकर कामगर सभा, कैप्टनगंज, देवरिया	सिसवा बाजार, गोरखपुर ...	उत्पादन (खाद्य)	२०–१०–१९५५
१३८	रामपुर इंजीनियरिंग वर्क्स यूनियन, रामपुर	इमली झूलावाली इशहाक खां रेजीडेन्स, रामपुर	इन्जीनियरिंग ..	२०–१०–१९५५

१	२	३	४	५
१३९	पैराशूट कर्मचारी यूनियन, कानपुर	१०८/३८, गांधीनगर, कानपुर ...	उत्पादन (क्लोदिंग फुटवियर तैयार सूती सामान)	२-११-१९५५
१४०	जाजमऊ वर्कर्स यूनियन, कानपुर	जाफर अली बिल्डिंग, मजीद अहमद रोड, कानपुर	विविध ...	२-११-१९५५
१४१	म्युनिसिपल इम्पलाईज़ यूनियन, गोरखपुर	मार्फत हिन्दुस्तान लाईफ आफिस, गोलघर, गोरखपुर	सेवायें	१२-११-१९५५
१४२	गोरखपुर फारेस्ट कन्ट्रैक्टर्स एसोसियेशन, गोरखपुर	११४ गाजीकटरा, रहमान मंजिल, गोरखपुर	उत्पादन (लकड़ी और कार्क)	१२-११-१९५५
१४३	लोहा मिल मजदूर सभा, कानपुर	जाफरअली बिल्डिंग, मजीद अहमदरोड, कानपुर	उत्पादन (लोहा और इस्पात)	१२-११-१९५५
१४४	भारतीय केमिकल मजदूर संघ, कानपुर	११०/१२९ आर० के० नगर, कानपुर ...	उत्पादन (रसायन तथा रसायन उपज)	१९-११-१९५५
१४५	नेशनल इंश्योरेन्स इम्पलाईज़ यूनियन, कानपुर ब्रांच, कानपुर	१८/४८ गनेश उद्यान के सामने, महात्मा-गांधी, रोड, कानपुर	वाणिज्य (बैंकिंग और इन्श्योरेन्स)	२३-११-१९५५
१४६	आल इंडिया एसोसियेशन आफ ई० एम० ई० सुपरवाईजर्स टेक्निकल, मेरठ	राजनिवास, पी० एल० शर्मा रोड, मेरठ	सेवायें	२३-११-१९५५

१	२	३	४	५
१४७	हिल्स श्रमिक संघ, खमोरिया, मिर्जापुर	खमोरिया, मिर्जापुर ...	उत्पादन (क्लोदिंग फुटविय़र, सूती निर्मित सामान)	२४-११-१९५५
१४८	यू० पी० टाइपराईटर सर्विसेज इम्पलाईज एसोसियेशन कानपुर	६४/१५ गडेरिया मोहला, कानपुर ..	विविध ..	२८-११-१९५५
१४९	पी० डब्ल्यू० डी० मजदूर सभा, देहरादून	१४ न्यू कैन्ट रोड, देहरादून ...	निर्माण .	६-१२-१९५५
१५०	भारतीय मजदूर यूनियन मोदी शुगर मिल, मोदीनगर, मेरठ	४३८ पी० ओ० मुल्तानीपुरा, मोदीनगर, मेरठ	उत्पादन (खाद्य)	४-१२-१९५५
१५१	आटा मिल मजदूर यूनियन, मेरठ	मार्फत श्री सन्तराम अपोजिट पावर हाउस, देहली गेट, मेरठ सिटी	उत्पादन (खाद्य, पेय और तम्बाकू)	४-१२-१९५४
१५२	कांग्रेस रिक्शा पूलर्स एसोसियेशन, मुरादाबाद	गंज बाजार, मुरादाबाद	"	१०-१२-१९५५
१५३	कपडा मिल मजदूर यूनियन, सहारनपुर	चौकी सराय सहारनपुर .	उत्पादन (टेक्सटाइल)	१०-१२-१९५५
१५४	मथुरा जंक्शन कर्मचारी संघ, मथुरा	देवी गली शीतला पैसा, मथुरा ...	सेवायें ...	१०-१२-१९५५
१५५	कब्रैरी इम्पलाईज यूनियन, शुर्मा, पो० आ० राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर	पो० आ० राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर ...	निर्माण ...	१०-१२-१९५५
१५६	यातायात कर्मचारी संघ, हरिद्वार ...	भैरों अखाडा, बिरला रोड, हरद्वार, सहारनपुर	परिवहन (मोटर) ...	१२-१२-१९५५
१५७	बाल्मीकि यूनियन, बिजनौर ...	मार्फत श्री ईश्वरचन्द्र कौशिक, मदन स्ट्रीट, बिजनौर	बिजली, गैस, पानी, सैनिट्री सेवायें	१९-१२-१९५५

१	२	३	४	५
१५८	राष्ट्रीय ग्लास वर्क्स मजदूर सभा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा	सदरबाजार, फिरोजाबाद, आगरा	विविध ...	२१-१२-१९५५
१५९	यू० पी० इम्प्लाइज ऐण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट एसोसियेशन, कानपुर	पटेल बिल्डिंग, दी माल, कानपुर	"	२३-१२-१९५५
१६०	जर्मन वाटर डेवलपमेंट कार्पोरेशन इम्प्लाइज एसोसियेशन, मसूरी, देहरादून	जर्मन कैम्प, स्टेशन रोड, मैनपुरी	एलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और सैनिटरी सर्विसेज	२७-१२-१९५५
१६१	मसूरी होटल इम्प्लाइज यूनियन, मसूरी, देहरादून	पेरिस हाउस शाप, मसूरी	विविध ...	२७-१२-१९५५
१६२	नेशनल इन्स्योरेन्स इम्प्लाइज यूनियन, लखनऊ	९६, हलवासिया मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ	वाणिज्य (बैंकिंग ऐंड इन्शोरेंस)	२८-१२-१९५५
१६३	न० २ रिजर्व पेट्रोल डिपो, ए० एस० सी० मजदूर यूनियन, बाराबंकी	टाउन एरिया, बंकी, बाराबंकी ...	नानमेटलिक (मिनरल प्रोडक्ट)	३०-१२-१९५५
१६४	दी फार्मर्स यूनियन, काशीपुर, नैनीताल	काशीपुर, नैनीताल	कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्य	३०-१२-१९५५
१६५	आयलऐण्ड केमिकल वर्कर्स यूनियन, कानपुर	१५/१०, बम्बा रोड, दर्शनपुरवा, कानपुर	उत्पादन (रसायन तथा रसायन उपज)	३०-१२-१९५५
१६६	कानपुर तेल मजदूर सभा, कानपुर ...	४८/१७२, झकरकटी, जी० टी० रोड, कानपुर	उत्पादन (विविध)	३०-१२-१९५५
१६७	नार्दर्न रेलवे कुली कांग्रेस, मुरादाबाद	गंज बाजार, मुरादाबाद	परिवहन (रेलवे)	३०-१२-१९५५

परिशिष्ट ब (३)

सन् १९५५ में औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) कानून, १९४६ के अंतर्गत प्रमाणित किए गए स्थायी आदेशों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान

क्रमांक	औद्योगिक प्रतिष्ठान व पते	प्रमाणित होने की तिथि
१	२	३
१	दि मास प्राडक्ट्स (इंडिया) लि०, ऐशबाग, लखनऊ	१–१–१९५५
२	यूनाइटेड इंजीनियरिंग ऐण्ड कानस्ट्रक्शन कं० लि०, न० १, नवल-किशोर रोड, लखनऊ	१–१–१९५५
३	दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०, नार्थ वेस्ट टैनरी ब्रांच, सिविल लाइन, कानपुर	१–१–१९५५
४	रमेश मेटर वर्क्स, कटरा शहीद, मुरादाबाद	१–१–१९५५
५	कनौडिया काटन-वेस्ट फैक्ट्री, ८५/७४, लक्ष्मीपुरवा, कानपुर	१–१–१९५५
६	दि जनता ग्लास वर्क्स, आगरा दरवाजा, फिरोजाबाद, आगरा	८–१–१९५५
७	श्री सन्त ग्लास वर्क्स, नई बस्ती, फिरोजाबाद	८–१–१९५५
८	रामेश्वर लाल शंकर लाल तपरिया राइस, दाल ऐंड आयल मिल्स, स्टेशन रोड, मैनपुरी	२३–१–१९५५
९	तेज कुमार प्रेस, नवल किशोर रोड, लखनऊ	२५–३–१९५५
१०	हिन्द लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद, जि० मैनपुरी	१५–४–१९५५
११	दि अपर इंडिया टैनरी, जाजमऊ, कानपुर	२०–४–१९५५
१२	सोलर केमिकल्स, ७७, फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर	२४–४–१९५५
१३	जमींदार ग्लास वर्क्स, नैनी, इलाहाबाद	२७–४–१९५५
१४	श्रवण कुमार ऐण्ड क०, राइस ऐण्ड आयल मिल्स, ऐशबाग, लखनऊ	२३–५–१९५५
१५	विशेश्वरनाथ मूलचन्द, टिम्बर मर्चेन्ट्स, किराची खाना, कानपुर	२–७–१९५५
१६	गोपाल मेटल वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ	४–७–१९५५

१	२		३
१७	पजाब आइरन ऐण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ऐशबाग, लखनऊ	...	२५–८–१९५५
१८	दि सुपर टैनरी, ८७/९, काल्पी रोड, कानपुर	..	७–९–१९५५
१९	दि नव भारत ग्लास वर्क्स, रेलवे रोड, फिरोजाबाद	.	१९–९–१९५५
२०	दि बीटा पिकर ऐण्ड कं० लि०, सदर लैंड हाउस, कानपुर	..	१९–९–१९५५
२१	बाटला इंजीनियरिंग वर्क्स ऐण्ड लखनऊ आयल मिल्स, वाटरवर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ		२२–९–१९५५
२२	दि यूनियन माडल टैनरी, जाजमऊ रोड, कानपुर	..	१५–१०–१९५५
२३	दि लारी टैनरी, जाजमऊ रोड, कानपुर	..	१५–१०–१९५५
२४	वाटर वर्क्स, मुगलसराय	.	१२–११–१९५५
२५	गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, १२ सरोजिनी नायडू रोड, इलाहाबाद	..	२६–११–१९५५
२६	गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, माल रोड, लखनऊ	..	२६–११–१९५५
२७	दि न्यू गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ	..	२६–११–१९५५
२८	गवर्नमेंट हाउस प्रेस, लखनऊ	.	२६–११–१९५५
२९	गवर्नमेंट फोटो लीथो प्रेस, रुड़की, सहारनपुर	..	२६–११–१९५५
३०	गवर्नमेंट हाउस प्रेस, नैनीताल	..	२६–११–१९५५
३१	शामली डिस्टिलरी ऐण्ड केमिकल वर्क्स, शामली, जि० मुजफ्फरनगर		६–१२–१९५५
३२	पर्ल्स ऐण्ड बीड्स (इंडिया), जी० टी० रोड, अलीगढ़	...	६–१२–१९५५
३३	मेहरा सिल्क मिल्स एस-१५/६, गउसाबाद, बनारस कैंट	...	६–१२–१९५५
३४	राजाराम कुमार प्रेस, लखनऊ ऐण्ड राजाराम कुमार बुकडिपो, लखनऊ		२३–१२–१९५५
३५	वाटर वर्क्स, बहराइच	..	३०–१२–१९५५

परिशिष्ट द (१)

[१] उत्तर प्रदेश में श्रम-प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों की सूची

१--लखनऊ--स्थित सरकार का मुख्य कार्यालय--

(१) आचार्य जुगल किशोर .. श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री ।

(२) श्री परमात्मा नन्द सिंह .. श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री के सभा सचिव।

(३) श्री राधा कान्त, आई० ए० एस० .. सचिव, श्रम विभाग ।

(४) श्री एच० एस० शर्मा .. अवर सचिव, श्रम विभाग ।

(५) श्री रामेश्वर लाल .. अवर सचिव, श्रम विभाग ।

२--कानपुर-स्थित श्रमायुक्त का संगठन :--

(१) श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस० — श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा प्रादेशिक प्राविडेंट फन्ड कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, पदेन संयुक्त सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(२) श्री जय नारायण तिवारी, आई० ए० एस० — प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशीय दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों के मुख्य निरीक्षक (न्यूनतम वेतन "कृषि तथा औद्योगिक," स्थायी आदेश, प्रचार व दूकान विभाग के इन्चार्ज)

(३) श्री महेशचन्द्र पन्त, एम० ए० — प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश तथा श्रमिक संघ निबन्धक, पदेन प्रति-सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (व्यावसायिक संघ, संख्या व हितकारी विभाग के इन्चार्ज)

(४) श्री शिव प्रसाद पांडे, एम० ए०, यू० पी० सी० एस० — प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश (सामान्य प्रशासन, औद्योगिक सम्बन्ध व गृह निर्माण विभाग के इंचार्ज)

(५) श्री उदयवीर सिंह, एम० ए०, यू० पी० सी० एस० — सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

(६) श्री जगदीश्वर प्रसाद, एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० बी० — ,,

(७) श्री शिवप्रताप सिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० — ,,

(८) डा० बंसीधर — ,,

(९) श्री नन्द लाल दीक्षित — ,,

(१०) श्री हरी मोहन मिश्र — सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश (कानपुर सूती मिल्स अभिनवीकरण समिति के सदस्य सचिव)

(११) श्री रघुबरदत्त पन्त, एम० ए० . संराधन अधिकारी (अनुसधान अधिकारी)
(१२) श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, एम० ए० . संराधन अधिकारी (संख्या अधिकारी)
(१३) श्री हरिनारायण वाजपेयी, एम० ए०, एल-एल० बी० . . श्रम सूचना अधिकारी
(१४) श्रीमती सुशीला गन्जू, एम० ए० . श्रम हितकारी अधिकारी
(१५) श्रीमती कोशल्या शंकर वस्त्रकार्य विशेषज्ञ तथा समयाध्ययन अधिकारी
(१६) श्री प्रयाग नारायण साभरवाल . . प्रति मुख्य निरीक्षक, दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान, उत्तर प्रदेश
(१७) श्री पवन बिहारी लाल, एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० बी० . . सहायक श्रमिक संघ निबंधक
(१८) श्री अभयराम दत्त सिर्सवाल, बी० एस-सी० (एग्री०) . श्रमिक संघ निरीक्षक
(१९) श्रीमती कुन्तला रावल, एम० ए० . . सहायक महिला हितकारी अधिकारी
(२०) श्री प्रेम बहादुर सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी० . . सहायक श्रम हितकारी अधिकारी
(२१) श्री मुनेश्वरलाल . . सहायक इन्जीनियर तथा केयर टेकर
(२२) श्री बनारसी लाल मनचन्दा . सहायक लेखाधिकारी (गृहनिर्माण)
(२३) श्री प्रकाश देव मालवीय ... सहायक लेखाधिकारी
(२४) डा० नरेन्द्र वर्मा, पी० एम० एस० (द्वितीय) . . चिकित्सा अधिकारी, राजयक्ष्मा चिकित्सालय, कानपुर
(२५) डा० एस० एन० मलहोत्रा, पी० एम० एस० (द्वितीय) ... अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी, राजयक्ष्मा चिकित्सालय, कानपुर

ब्यायलर निरीक्षक कार्यालय --

(१) श्री श्रीनारायण निगम, बी० एस-सी० (इन्जी०) ए० एम० आई० ई०, एम० आई० ई० टी० (लंदन) एम० मेक० ई० ए० (इंडिया) . मुख्य ब्वायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
(२) श्री रामेश्वरदयाल शर्मा ब्यायलर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
(३) श्री शिवराम भट्ट .. ,,
(४) श्री ओम्प्रकाश अग्रवाल .. ,,
(५) श्री बी० एम० पांचाल .. ,,
(६) श्री के० सी० एन० जोहरी . ,,

कारखाना निरीक्षक कार्यालय :-- ..

(१) श्री गुरुदत्त बिश्नोई, बी० एस-सी० (इंजी०), ए० एम० आई० ई० . कारखानों के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश

(२)	श्री मिर्ज़ा मुहम्मद हुसनैन किजलबाश, बी० एस-सी०, जी० आई० मेक०, ई० (लन्दन)		प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
(३)	श्री मुहम्मद सिद्दीक, बी० एस-सी०, जी० आई० मेक०, ई० (लन्दन)		कारखाना निरीक्षक
(४)	श्री भिक्खी लाल भगत, बी० एस-सी०, जी० आई०, मेक, आर० (लन्दन)		"
(५)	श्री रमेश चन्द्र निगम	...	"
(६)	श्री मदनमोहन शर्मा	...	"
(७)	श्री विश्वनाथ अग्रवाल	..	"
(८)	श्री दूरदर्शक	...	"
(९)	श्री अमरनाथ मिश्र	...	"
(१०)	श्री नरेन्द्र प्रताप जौहरी	...	"
(११)	श्री बनवारी लाल शुक्ल	...	"
(१२)	श्री नानक प्रसाद सिन्हा	...	"
(१३)	श्री मनमोहन लाल भार्गव	..	"
(१४)	श्री श्याम प्रसाद	.	"

३—प्रादेशिक संराधन अधिकारी :—

(१)	शतीस नारायण सक्सेना	.	प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर
(२)	श्री रामफूल महेश्वरी	...	अतिरिक्त प्रा० स० अ०, कानपुर
(३)	श्री हरी कृष्ण कौल	...	"
(४)	श्री कामेश्वर नाथ	...	"
(५)	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंघल	...	"
(६)	श्री नसीर हुसेन	...	"
(७)	श्री आर० एल० गुप्ता	...	"
(८)	श्री जे० के० धवन	...	"
(९)	श्री जगदीश नारायण श्रीवस्तव	...	"
(१०)	श्री महेश प्रसाद विद्यार्थी	.	प्रा० स०आ०, लखनऊ
(११)	श्री आदित्य प्रसाद त्रिवेदी		अतिरिक्त, प्रा० सं० अ०, लखनऊ
(१२)	श्री जे० एन० खन्ना	.	प्रा० स० अ०, गोरखपुर
(१३)	श्री पी० सी० कुलश्रेष्ठ		अतिरिक्त प्रा० सं० अ०, गोरखपुर
(१४)	जे० एन० श्रीवास्तव	.	प्रा० सं० अ०, इलाहाबाद
(१५)	श्री ए० बी० कारीडाल	.	अतिरिक्त सं० अ०, इलाहाबाद
(१६)	श्री एस० बी० हैकरवाल	..	प्रा० सं० अ०, बरेली
(१७)	श्री जे० एन० सिह	...	प्रा० सं० अ०, आगरा

(१८) श्री जे० बी० सिह ... अतिरिक्त सं० अ०, आगरा
(१९) श्री के० के० पाडेय ... प्रा० स० अ०, मेरठ
(२०) श्री (डा०) विद्याधर अग्निहोत्री ... अतिरिक्त प्रा० सं० अ०, मेरठ
(२१) श्री श्याम नारायण सिंह ... अतिरिक्त प्रा० स० अ०, रामपुर

४--माननीय लेबर, एपेलेट ट्राइब्यूनल आफ इंडिया (लखनऊ बेंच) --

(१) डा० मुहम्मद वलीउल्लाह ... अध्यक्ष
(२) श्री बिन्द बासनी प्रसाद .. सदस्य
(इस समय कानपुर सूती मिल अभिनवीकरण समिति के चेयरमैन)
(३) श्री आर० के० बसु .. सदस्य
(४) श्री एन० गोविन्दन .. ,,
(५) श्री अहमद मुहीउद्दीन अन्सारी .. ,,
(६) श्रीमती उद्दीन . ,,
(७) श्री नवल किशोर ,,

५--राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद --

(१) श्री राधामोहन, आई० ए० एस० . अध्यक्ष
(२) श्री राम चरण वर्मा, अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश सदस्य
(३) श्री बृज नन्दन लाल, अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश ,,

६--उत्तर प्रदेश में श्रम-प्रशासन से संबंधित अन्य अधिकारी --

(१) श्री एस० के० वाधवान ... प्रादेशिक संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर
(२) श्री एच० एन० शिवपुरी .. चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाओं (सामाजिक बीमा) के प्रतिसंचालक
(३) डा० इकबाल बहादुर सिंह ... चिकित्सा निर्देशक
(४) श्री ए० एन० बिदानी ... डिप्टी रीजनल डाइरेक्टर
(५) श्री ए० के० पद्मनाभम ... सहायक लेखा अधिकारी
(५) श्री एल० पी० गुप्ता ... सहायक, रीजनल डाइरेक्टर
(६) श्री एम० आर० मलहोत्रा .. ,,
(७) श्री डी० डी० सेठी .. प्रबन्धक
(८) श्री वशीम खां यूसुफ जई ... न्यायाधीश, कर्मचारी बीमा न्यायालय, कानपुर
(९) श्री पी० तिवारी ... प्रादेशिक निर्वाह निधि निरीक्षक, उत्तर प्रदेश

(१०) श्री डी० ज० जाधव ... प्रादेशिक श्रमायुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, कानपुर

७—पुनर्वास एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक संचालक का कार्यालय :—

(१) श्री जी० आर० नागर .. प्रादेशिक पुनर्वास एवं नियोजन संचालक, उत्तर प्रदेश

(२) श्री जे० ए० रिजवी प्रति प्रादेशिक पुनर्वास एवं नियोजन संचालक, उत्तर प्रदेश

(३) श्री डी० एन० जोशी अतिरिक्त प्रति संचालक (कार्यवाहक, समुदाय, श्रम योजना, गोरखपुर)

(४) श्री नारायण स्वरूप .. सहायक सचालक, नियोजन-कार्यालय

(५) श्री ए० पी० श्रीवास्तव ... सहायक सचालक, प्रशिक्षण

(६) श्री ओ० डब्ल्यू० प्रह्लाद . सहायक सचालक, नियोजन-कार्यालय, प्रधान कार्यालय, आगरा मे

(७) श्री रतनस्वरूप . प्रादेशिक नियोजन अधिकारी, कानपुर

(८) श्री एस० एन० सिन्हा . नियोजन अधिकारी, लखनऊ

(९) श्री बी० एस० मेहता नि० अ०, आगरा

(१०) श्री जे० सी० गुप्ता .. नि० अ०, इलाहाबाद

(११) श्री एस० बाराथोके ... नि० अ०, अल्मोडा

(१२) श्री आर० एल० मिश्र . नि० अ०, बरेली

(१३) श्री एस० एन० मालवीय . नियोजन अधिकारी, गोरखपुर

(१४) श्री एन० पी० धुसिया . ,, ,, झासी

(१५) श्री पी० बी० नेगी . ,, ,, मेरठ

(१६) श्रीमती शेरगिल . ,, ,, लैन्सडाउन

(१७) श्री जगदीश राय नियोजन सम्पर्क अधिकारी, कानपुर

———

परिशिष्ट द (२)

[२] श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक कार्यालयो एवं उप-कार्यालयों की सूची

अ--प्रादेशिक सराधन अधिकारियों के कार्यालय --

१--प्रादेशिक सराधन कार्यालय ३२ गार्डन रोड, आगरा
२-- " " ३-ए, एलगिन रोड, इलाहाबाद
३-- " " ३४ सिविल लाइन, बरेली
३-अ--अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन कार्यालय (बरेली) रामपुर मे. कमर मंजिल मुरादाबाद रोड, रामपुर
४--प्रादेशिक सराधन कार्यालय, पुलिस लाइन रोड, गोरखपुर
५-- " " १०, नवलकिशोर रोड, लखनऊ
६-- " " २४३-ए, सर्क्यूलर रोड, मेरठ
७-- " " गुटैया, जी० टी० रोड, कानपुर

ब--प्रादेशिक सराधन अधिकारियों के प्रधान कार्यालयों के बाहर नियुक्त विभाग के श्रम निरीक्षकों के स्थान एव पते :--

१--श्रम निरीक्षक	७६ रामघाट, अलीगढ
२-- "	.. आगरा रोड, हाथरस
३-- "	. हरीनगर, फिरोजबाद
४-- "	. केशव देव की बिल्डिंग, डैम्पियर पार्क, मथुरा
५-- "	५/३७, रेलवे रोड, फर्रुखाबाद
६--सहायक श्रम निरीक्षक	९१/१ सिविल लाइन्स, उन्नाव
७--श्रम निरीक्षक	लक्ष्मी कुन्ड, बनारस
८-- "	ठाकुर यदुनाथ सिह एडवोकेट की बिल्डिग, कटरा, बांदा
९-- "	. ११३, महाजन टोली, गाजीपुर
१०-- "	.. १६, आलम नगर, सीतापुर
११-- "	७७, चार्लीगज, झासी।
१२-- "	. अख्तरी मंजिल, रीडगंज, फैजाबाद
१३-- "	. गनेश गज, मिर्जापुर
१४--सहायक श्रम निरीक्षक	२२ रिफ्यूजी क्वार्टर्स,प्रतापगढ़
१५--श्रम निरीक्षक	मकान नं० बी-९/२ लोअर पोर्शन, मोहल्ला फैजुल्ला खा पूरनगंज, पीलीभीत
१६-- "	शाती निवास, अम्बाला रोड, सहारनपुर
१७-- "	. कोठी डा० राम स्वरूप, सिविल लाइन, मुरादाबाद

१८—श्रम निरीक्षक ... रोड़ न० ३, नईमंडी, मुजफ्फरनगर
१९— ,, कलक्ट्रेट, देवरिया
२०— ,, . बनकटवा, गोंडा
२१— ,, पो० आ० पडरौना, जिला देवरिया
२२— ,, मकान न० २०१, मोहल्ला कन्हैया लाल, गाजियाबाद, देहली गेट, जिला मेरठ
२३— ,, . ४६ ई० सी० रोड, देहरादून

स—उत्तर प्रदेश में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र :—

वर्ग 'ए'

१—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र ... ग्वालटोली, कानपुर
२— ,, . जुही, कानपुर
३— ,, ... गोविन्द नगर, श्रमिक बस्ती, कानपुर
४— ,, . चमनगंज, कानपुर
५— ,, ... न्यू गवर्नमेंट प्रेस, लखनऊ
६— ,, .. दर्शनपुरवा, कानपुर
७— ,, ... सिविल लाइन्स, रामपुर
८— ,, ... शास्त्री नगर, कानपुर
९— ,, .. हीवेट पार्क, आगरा
१०— ,, . फैजगंज, मुरादाबाद
११— ,, ईश्वरी गंगी, बनारस
१२— ,, ... प्रिंटिंग ऐण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद
१३— ,, खलासी लाइन, सहारनपुर
१४— ,, . निशातगंज, लखनऊ

वर्ग 'बी'

१५—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र रामनारायण बाजार, कानपुर
१६— ,, डिप्टी का पडाव, कानपुर
१७— ,, पुराना कानपुर, कानपुर
१८— ,, बाबू पुरवा, कानपुर
१९— ,, ब्लाक न० १०, गोविन्दनगर, कानपुर
२०— ,, . लाल दिग्गी, मिर्जापुर
२१— ,, सादाबाद गेट, हाथरस
२२— ,, नई बस्ती, मकान न० ६०९ व ६१०, झांसी

२३—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	. जी० टी० रोड, गाजियाबाद
२४— ,,	. एशबाग, लेबर कालोनी, लखनऊ
२५— ,,	गवर्नमेंट ब्राच प्रेस, लखनऊ
२६— ,,	रेलरोड, फिरोजाबाद
२७— ,,	क्लटरबक, गज, बरेली
२८— ,,	. पीली कोठी, जयगज, अलीगढ

वर्ग 'सी'

२९—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	. कर्नलगज, कानपुर
३०— ,,	जरीब की चौकी, कानपुर
३१— ,,	. जाजमऊ, कानपुर
३२— ,,	. मीरपुर, कानपुर
३३— ,,	. माधोबारी, बरेली
३४— ,,	लखीगेट, सहारनपुर
३५— ,,	. मदारगेट, अलीगढ
३६— ,,	. बिजली मिल के निकट, हाथरस
३७— ,,	. फोटो लिथो प्रेस, रुड़की
३८— ,,	. चौबे जी का बाग, फिरोजाबाद
३९— ,,	. रामकोला

मौसमी केन्द्र—

४०—बलरामपुर शुगर मिल्स	बलरामपुर
४१—अपर इंडिया शुगर वर्क्स	खतौली
४२—अजुध्या शुगर मिल्स,	. राजा का सहसपुर (मुरादाबाद)

चाय बागान के श्रमिकों के लिये विशेष केन्द्र

४३—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र	हरबश वाला टी इस्टेट, देहरादून
४४— ,,	. उदियाबाग टी स्टेट, चोहारपुर, जिला देहरादून

————

परिशिष्ट य

विभिन्न श्रम अधिनियमो के अन्तर्गत सन् १९५५ में उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रचारित महत्वपूर्ण गजट अधिसूचनाएं

(१) चीनी उद्योग से संबंधित आदेश

परिशिष्ट—य (१) १

लखनऊ, १०, जनवरी, १९५५ ई०

संख्या ७०९५ (एस-टी)/३६-ए—७१ (एस-टी)-५४—चूंकि ८ जून, १९५४ को हुए राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन (चीनी) की सिफारिश पर सरकारी अधिसूचना संख्या यू-१९९ (एस० टी०)/३६-ए-७१ (एस० टी०)—५४, दिनाक २६ जून, १९५४ के अनुसार एक समिति राज्य के चीनी के कारखानो के कर्मचारियो के लिये सन् १९५३-५४ के बोनस के प्रश्न की जाच करने और सरकार को रिपोर्ट देने के लिये नियुक्ति की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और चूंकि समिति ने उस विषय पर अपनी सिफारिशे दे दी है, जिन्हे कि सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

और चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सम्मति मे सार्वजनिक सुविधा की रक्षा के लिये और सार्वजनिक सुव्यवस्था, समाज के जीवन के लिये आवश्यक सेवाओ और संपूर्तियो को बनाये रखने के लिये तथा नियोजन बनाये रखने के लिये समिति की सिफारिशो को लागू करना आवश्यक हैं ;

इसलिये अब उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेश की अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आज्ञा देते है और उपरोक्त अधिनियम की धारा १९ के संदर्भ मे निर्देश करते है कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशनार्थ दे दी जाय।

आदेश

१—उत्तर प्रदेश की चीनी के वैकुअमपैन कारखाने (किन्तु वाक्य खंड (बी) मे उल्लिखित कारखानो के संबंध मे उस वाक्य खंड के अंतर्गत नियुक्त समिति द्वारा निश्चित संशोधनों के अधीन, यदि कोई हो) भुगतान करेगे :—

(अ) सब व्यक्तियो को, जो उनमे या उनके अधीन नियोजित थे और जो १९५३-५४ के पेराई के मौसम मे इस प्रकार नियोजित थे, और

(ब) उन सब व्यक्तियो को जो १९५३-५४ के पेराई के मौसम में नियोजित थे लेकिन जो अब उनके अधीन नियोजित न हो, बोनस के तौर पर रकम आगे की दरो से हिसाब लगा कर देगे :—

(१) चीनी के कारखाने, जिन्हे गन्ना उत्पादको को कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं देना पडता या कारखाने, जिन्हे भारत सरकार की गन्ने के मूल्य को चीनी के मूल्य से संबद्ध करने की योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त मूल्य ६ पा० प्रतिमन से अधिक नहीं देना पडता :

१९५३–५४ मे गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा (मनो मे)	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१	२
	आ० पा०
१ लाख तक . ..	कुछ नहीं
१ लाख से अधिक २ लाख तक	२ ६
२ लाख से अधिक ३ $\frac{१}{२}$ लाख तक	५ ०
३ $\frac{१}{२}$ लाख से अधिक ५ लाख तक ...	७ ६
५ लाख से अधिक . .	१० ०

(२) चीनी के कारखाने, जिन्हे गन्ना उत्पादको को ६ पा० से १ आना तक प्रतिमन अधिक मूल्य भारत सरकार की गन्ना के मूल्य को चीनी के मूल्य से सबंद्ध करने की योजना के अन्तर्गत देना पडता है :

सन् १९५३–५४ मे गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा (मनो में)	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१	२
	आ० पा०
१ लाख तक ..	कुछ नही
१ लाख से अधिक २ लाख तक	२ ३
२ लाख से अधिक ३ लाख तक .. .	४ ६
३ $\frac{१}{२}$ लाख से अधिक ५ लाख तक .. .	६ ९
५ लाख से अधिक	९ ०

(३) चीनी क कारखाने, जिन्हे भारत सरकार की गन्ने की मूल्य के चीनी के मूल्य के साथ सबद्ध करने की योजना के अन्तर्गत गन्ना उत्पादको को प्रतिमन १ आना से अधिक अतिरिक्त मूल्य देना पडता है :--

सन् १९५३-५४ मे गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा	प्रतिमन उत्पादित चीनी पर बोनस की दर
१	२
१ लाख तक	कुछ नही
१ लाख से अधिक २ लाख तक	२ आ०
२ लाख से अधिक ३ ½ लाख तक ...	४ ,,
३ ½ लाख से अधिक ५ लाख तक ..	६ ,,
५ लाख से अधिक	८ ,,

(ब) निम्नलिखित चीनी के कारखानो के मामलो मे राज्यपाल ने कृपा कर तत्काल एक समिति की नियुक्ति की है, जिसके अध्यक्ष श्रमायुक्त श्री ओकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस० तथा सदस्य श्री डी० आर० नारग, बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती तथा काशी नाथ पांडे, जनरल सेक्रेटरी, भारतीय राष्ट्रीय चीनी कारखाना, श्रमिक संघ, पडरौना, जिला देवरिया होगे। यह समिति वाक्य-खंड (ए) मे निर्धारित बोनस की दरो में परिवर्तनों के लिये यदि कोई हो सकते हो, जांच करेगी और सिफारिश करेगी :--

(१) एम० के० एम० जी० शुगर मिल्स, मुंडेरवा, बस्ती।
(२) देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया।
(३) श्री सीताराम शुगर कं० लि० बैतालपुर, देवरिया।
(४) महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
(५) न्योली शुगर फैक्ट्री, न्योली, एटा।
(६) बुढवल शुगर मिल्स, बुढवल, बाराबंकी।
(७) नवाबगंज, शुगर मिल्स, नवाबगज, गोडा।
(८) रजा शुगर क०, रामपुर।
(९) बुलन्द शुगर कं०, रामपुर।
(१०) केसर शुगर वर्क्स, बहेरी, बरेली।

(११) कैरयू ऐण्ड क०, रोजा, शाहजहापुर।
(१२) रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
(१३) धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर, बिजनौर।
(१४) दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, सखोटी टाडा, मेरठ।
(१५) लक्ष्मी जी शुगर ऐण्ड आयल मिल्स, हरदोई।
(१६) कुंदन शुगर मिल्स, अमरोहा, मुरादाबाद।

उप-समिति दौरौला शुगर वर्क्स, दोराला, मेरठ के मामले की भी जाच यह निश्चय करने के लिये करेगी कि क्या कर्मचारियो को इस कारखाने की विशेष परिस्थितियों में प्रतिमन उत्पादित चीनी पर ६ आना की बोनस की मूल दर के अतिरिक्त उसका २५ प्रतिशत या २५ प्रतिशत का अश अतिरिक्त बोनस दिया जाय।

१—उप-समिति इस अधिसूचना के ६ सप्ताह के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट उचित आदेशों के लिए सरकार को दे देगी।

२—बोनस उन सब कर्मचारियो को दिया जायगा जिन्होने १९५३–५४ के पेराई के मौसम मे कारखाने से वेतन और मजदूरी पाई है।

३—बोनस प्रत्येक कर्मचारी को सन् १९५३–५४ के पेराई के मौसम के आय के अनुपात से वितरित किया जायगा।

४—यदि कोई कर्मचारी जो कारखाने मे सन् १९५३–५४ मे काम करता था, मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को वह बोनस दिया जायगा जो कर्मचारी को यदि वह जीवित होता तो दिया जाता।

५—पूर्ववर्ती अनुच्छेदो मे से कोई भी बात किसी कारखाने को यह अधिकार नही देती है कि वह किसी कर्मचारी को सन् १९५३–५४ के पेराई के मौसम के लिये बोनस में भुगतान किए धन को, यदि वह इस आदेश के अतर्गत भुगतान किए जाने वाले धन से अधिक है, तो वापस ले ले।

६—उपर्युक्त अनुच्छेद (पैराग्राफ) १ के वाक्यखंड (बी) के अतर्गत उल्लिखित कारखाने अपने कर्मचारियो को इस आदेश के ६ सप्ताह के अन्तर्गत बोनस दे देगे तथा अन्य कारखाने उस समय के अन्दर दे देंगे, जो इसके पश्चात् निर्धारित किया जाय।

७—यह आदेश प्रथमत. एक वर्ष के लिये लागू होगे और यह अवधि आवश्यक प्रतीत होने पर समय-समय पर बढाई जा सकेगी।

परिशिष्ट य—(१) २

लखनऊ, १० जनवरी, १९५५

संख्या १५३ (एस-टी-)/३६-(ए)-७१८ (एस-टी-)-५३—चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय की राय में सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामुदायिक जीवन के लिये आवश्यक सेवाओ और पूर्तियो को बनाये रखने तथा नियोजन कायम रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है,

अतः अब यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १६४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ ई०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित आज्ञा देते हैं और उक्त ऐक्ट की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत यह आदेश देते हैं कि इस आज्ञा की सूचना शासकीय गजट में प्रकाशित करके दी जाय :—

१—उत्तर प्रदेश के प्रत्येक चीनी मिल के कारखाने इस आज्ञा की तिथि से अपने मजदूरों को निम्नांकित त्योहार की छुट्टियां, स्थायी आदेशों की व्यवस्थाओं का विचार न करते हुए, वेतन के साथ देंगे :—

			दिन
गणतन्त्र दिवस	..	..	१
होली	..	..	२
स्वतन्त्रता दिवस	.	..	१
नाग पंचमी	..	..	१
रक्षाबंधन	..	..	१
जन्माष्टमी	..	...	१
महात्मा गांधी का जन्म दिवस	...	.	१
दशहरा	..	.	४
दिवाली	...	..	२
कार्तिक स्नान	..	...	१
गुरु नानक जन्म दिवस	...	..	१
ईद	..	..	१
मुहर्रम	..	...	१

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि रामपुर जिले में रजा शुगर कम्पनी लिमिटेड, कार्तिक स्नान और नागपंचमी के स्थान पर अपने मजदूरों की निम्नलिखित छुट्टियां वेतन सहित देंगे :—

			दिन
अलविदा	..	..	१
ईदुल जुहा	..	...	१

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी फैक्ट्री ने १९४७ ई० के वर्ष में उपर्युक्त दिनों से अधिक दिनों की छुट्टियां दी हो तो ऐसे अधिक दिनों की संख्या कम न की जायगी, किन्तु शेष दिनों की छुट्टियां फैक्ट्री के द्वारा उस क्षेत्र के प्रादेशिक सराधन अधिकारी की सलाह एवं आज्ञा से ईसवी वर्ष के आरम्भ में निर्दिष्ट की जायगी।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि मुहर्रम और ईद की छुट्टियां पेराई के मौसम में पड़ें तो सभी चीनी मिल के कारखानों को इन छुट्टियों को केवल मुसलमानों के लिये ही देने का अधिकार होगा।

अर्थ-वेतन का अर्थ इस आज्ञा के लिये वेतन के अंदर अधिक समय तक काम करने तथा बोनस के अतिरिक्त त्योहार को छुट्टी या छुट्टियो के ठीक पहले पूर्ण दिन का सभी वेतन होगा।

२--कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस आज्ञा का अथवा उसके किसी भाग का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा अथवा उसके उल्लंघन में सहायक होगा, दण्ड-दोष निर्णीत होने पर यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २८, १९४७) की धारा १४ के अन्तर्गत ऐसे दण्ड का भागी होगा, जो ३ वर्ष का कारावास अथवा अर्थ-दण्ड या दोनो होगा।

यह आज्ञा इस विज्ञप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिये लागू रहेगी।

परिशिष्ट य--(१) ३

सख्या १४५० (एस-टी)/३६-ए--२७१ (एस-टी)-५४,--चूंकि सरकारी अधिसूचना सख्या ७०९५ (एस-टी)/३६-ए--७१ (एस-टी)-५४, दिनाक १० जनवरी, १९५५ के वाक्य खंड १(बी) के अन्तर्गत सगठित उपसमिति ने अपनी जांच की रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

ओर चूंकि उपसमिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं;

इसलिए अब यू० पी० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेश अधिनियम स० २८) की तीसरी धारा के अतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी अधिसूचना सख्या ७०९५ (एस टी)/३६-ए-७१ (एस-टी)-५४, ता० १० जनवरी, १९५५ में ओर आगे राज्यपाल महोदय कृपापूर्वक निम्नलिखित आदेश देते हैं और उक्त अधिनियम की धारा १९ के सदर्भ में निर्देश करते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ दे दी जाय।

आदेश

(१) निम्नलिखित वैकुअमपैन चीनी के कारखाने सन् १९५३-५४ के पेराई के मौसम के लिए अपने कर्मचारियो को नीचे निर्धारित दरो से बोनस देंगे:--

क्रमांक	कारखाने का नाम	बोनस की दर
१	श्री सीताराम शुगर मिल्स, बैतालपुर, देवरिया	सरकारी अधिसूचना संख्या ७०९५ (एस-टी)/३६-ए--७१ (एस-टी)-५४, दिनाक १० जनवरी, १९५५, के वाक्य-खंड १ (ए) में निर्धारित दरों तथा शर्तों और दशाओं के अनुसार
२	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला	"

क्रमांक	कारखाने का नाम	बोनस की दर
३	न्योली शुगर फैक्टरी, न्योली, जिला एटा	सरकारी अधिसूचना सं० ७०६५ (एस-टी)/३६-ए--७१ (एस-टी)-५४, दिनांक १० जनवरी, १९५५ के वाक्य खंड १ (ए) में निर्धारित दरों तथा शर्तों और दशाओं के अनुसार
४	रजा शुगर कं०, रामपुर ...	"
५	बुलंद शुगर कं०, रामपुर ...	"
६	रामकोला शुगर वर्क्स, रामकोला, जिला देवरिया	"
७	दीवान शुगर ऐंड जनरल मिल्स, सखोटी, टांडा	"
८	लक्ष्मीजी गर शुऐण्ड आयल मिल्स, हरदोई	"
९	कुंदन शुगर मिल्स अमरोहा, जिला मुरादाबाद	"
१०	केसर शुगर वर्क्स बहेरी, बरेली ...	२५,००० रुपया

(ब) निम्नलिखित चीनी के कारखानों को सन् १९५३-५४ के पेराई के मौसम के लिए अपने कर्मचारियों को कोई बोनस न देना पड़ेगा :

(१) एम० के० एम० जी० शुगर मिल्स, मुंडेरवा, जिला बस्ती।

(२) देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया।

(३) बुढ़वल शुगर मिल्स, बुढ़वल, जिला बाराबंकी।

(४) नवाबगंज शुगर मिल्स, नवाबगंज, जिला गोंडा।

(स) दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ को सरकारी आदेश संख्या ७०९५ (एस-टी)/३६-ए--७१ (एस-टी)-५४, दिनांक १० जनवरी, १९५५ में निर्धारित मूलदरो के अतिरिक्त बोनस न देना पडेगा।

(द) धामपुर सुगर मिल्स, धामपुर, जिला बिजनौर और केरयू ऐण्ड कं०, रोजा, शाहजहांपुर को बोनस देने के बारे में कोई आदेश आवश्यक नही है क्योंकि इन कारखानो के मालिक और कर्मचारियों में इस सम्बन्ध में समझौते हो चुके हैं।

(२) ऊपर के पैराग्राफ १ (ए) मे उल्लिखित कारखानों द्वारा अपने कर्मचारियो को बोनस का भुगतान सरकारी अधिसूचना संख्या ७०९५(एस-टी)/३६-ए--७१(एस-टी) ५४, दिनांक १० जनवरी, १९५५, के उपबन्धो के अनुसार इस आदेश के ६ महीने के अन्दर दे दिया जायगा।

(३) यह आदेश प्रथमतः अभी से १ वर्ष के लिए लागू किया जाता है और लागू रहेगा और इस अवधि को आवश्यकता प्रतीत होने पर समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

परिशिष्ट--य (१) ४

संख्या ५०१०(एस-टी)/३६-ए--७२(एस-टी)-५४

लखनऊ, १ सितम्बर, १९५५ ई०

चूंकि राज्य के वैकुअमपैन चीनी के कारखानों (परिशिष्ट में जिनके नाम उल्लिखित हैं) और उनके कर्मचारियों के बीच आगे उल्लिखित मामलो में औद्योगिक विवाद उपस्थित हैं और चूंकि राज्यपाल की सम्मति में सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य सेवाओ एवं संपूर्तियो तथा नियोजन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है;

इसलिए अब, उत्तर प्रदेश ओद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के अधिनियम संख्या २८) की धाराओ ३, ४, ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना यू-४६४ (एल-एल)/३६-बी--२५७ (एल-एल)-५४, दिनांक १२ जुलाई, १९५५ के वाक्यखड ११ की व्यवस्थाओं के अनुसार जैसी कि वे सरकारी आदेश संख्या ३५२१ (एस-टी)/३६--४-५४ (एस-टी)-५५, दिनाक १२ जुलाई, १९५५ के अनुसार विस्तृत की गई हैं, राज्यपाल कृपा कर उक्त विवाद को सरकारो आदेश सख्या यू-५३४ (एल-एल)/३६-बी--२५७ (एल-एल)-५४, दिनाक १४ जुलाई १९५४, के अन्तर्गत, जिसकी अवधि सरकारी आदेश सख्या ३५२१ (एस-टी)/३६-ए--१३४ (एस-टी)-५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५५ के अनुसार बढ़ाई गई, नियुक्त राज्य ओद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सोपते हैं, जो निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में उपर्युक्त सरकारी आदेश सख्या यू-४६४ (एल-एल)/३६-बी--२५७ (एल-एल)-५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के उपबंधो के अनुसार, जैसा कि उसे सरकारी आदेश सख्या ३५२७ (एस-टी)/३६-ए--१३४ (एस-टी)-५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५५ द्वारा बढ़ाया गया, निर्णय करेगा तथा उक्त अधिनियम की धारा १९ के सदर्भ में निर्देश करते हैं कि इसकी सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशनार्थ दे दी जायगी।

विवाद के विषय

ए--रिटेनिग भत्ता

विवाद संख्या १

१--उत्तर प्रदेश में वैकुअम पैन चीनी के कारखानो को (जिनके नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं) अपने यहां किस वर्ग और किन श्रेणियो के कर्मचारियो को रिटेनिंग भत्ता देना आवश्यक है ?

२--कोन सी दरें होना चाहिये, जिनके अनुसार विभिन्न वर्ग और श्रेणी के कर्मचारियों को रिटेनिंग भत्ता दिया जाय ?

विवाद संख्या ३

विवाद सं० १ व २ पर दिए गए निर्माण के अनुसार, उत्तर प्रदेश के वैकुअम पैन चीनी के कारखान (जिनके नाम परिशिष्ट में दिए गये हैं) अपने नियोजित कर्मचारियों की किन श्रेणियो व वर्ग को १९५४-५५ की निष्क्रिय ऋतु का रिटेनिंग भत्ता देंगे और किस दर या दरो से ?

विवाद संख्या ४

४--क्या उत्तर प्रदेश के चीनी के कारखानो को (परिशिष्ट में उल्लिखित नाम) अपने कर्मचारियो को अर्जित, आकस्मिक तथा चिकित्सा अवकाश एक ही दर पर देना आवश्यक होना चाहिए ?

विवाद संख्या ५

५—यदि ऐसा हो तो किन शर्तों और दशाओं में और किन विवरणों के साथ वैकुअम पैन चीनी के कारखानों को अर्जित, आकस्मिक तथा चिकित्सा अवकाश अपने कर्मचारियों को देना आवश्यक होना चाहिए?

परिशिष्ट

१—बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, बस्ती।
२—बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, वाल्टरगंज, बस्ती।
३—सराया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर, गोरखपुर।
४—गनेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर, गोरखपुर।
५—ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, लक्ष्मीगंज, देवरिया।
६—प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री, मेरवा' देवरिया।
७—कानपुर शुगर वर्क्स, गौरी बाजार, देवरिया।
८—शंकर शुगर मिल्स, कैप्टेनगंज, देवरिया।
९—यू० पी० शुगर कं० लि०, सिवराही, देवरिया।
१०—सेकसरिया शुगर मिल्स लि०, बभनान, गोंडा।
११—बलराम शुगर कं० लि०, तुलसीपुर, गोंडा।
१२—बलरामपुर शुगर कं० लि०, बलरामपुर, गोंडा।
१३—पडरौना राज कृष्ण शुगर वर्क्स, पडरौना, जिला देवरिया।
१४—पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, घुगली, गोरखपुर।
१५—डायमंड शुगर मिल्स, पिपरायच, गोरखपुर।
१६—महावीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार, गोरखपुर।
१७—मेसर्स आर० बी० लछमनदास सुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, जरवाल रोड, बहराइच।
१८—लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि०, छितौनी, देवरिया।
१९—विश्नु प्रताप शुगर वर्क्स, खड्डा, देवरिया।
२०—जगदीश शुगर मिल्स लि०, कठकुइयां, देवरिया।
२१—आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद, बस्ती।
२२—नवाबगंज शुगर मिल्स, नवाबगंज, गोंडा।
२३—देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया।
२४—एम० के० एन० जी० शुगर मिल्स, मुंडेरवा, बस्ती।
२५—श्री सीताराम शुगर मिल्स, बैतालपुर, देवरिया।
२६—महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
२७—रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।
२८—रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी।
२९—सकसेरिया बिसवान शुगर मिल्स, बिसवान, सीतापुर।

३०—अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव, सीतापुर।
३१—लक्ष्मी जी शुगर मिल्स, महोली, सीतापुर।
३२—के० एम० शुगर मिल्स, मसोधा, फैजाबाद।
३३—हिंदुस्तान शुगर मिल्स, गोला गोकरन नाथ।
३४—लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई।
३५—गोविंद शुगर मिल्स लि०, ऐरा, जिला लखीमपुर खेरी।
३६—एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली।
३७—एल० एच० शुगर फैक्ट्री, लि०, काशीपुर, नैनीताल।
३८—एल० एच० शुगर फैक्ट्री लि०, पोलीभीत।
३९—अयोध्या शुगर मिल्स राजा का सहसपुर, मुरादाबाद।
४०—एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर।
४१—अपर गैंगेज शुगर मिल्स, सेवहरा, बिजनौर।
४२—रजा शुगर कं०, रामपुर।
४३—बुलद शुगर कं०, रामपुर।
४४—कुंदन शुगर मिल्स, अमरोहा, मुरादाबाद।
४५—केसर शुगर वर्क्स, बहेड़ी, बरेली।
४६—धामपुर, शुगर मिल्स, धामपुर, बिजनौर।
४७—कैर्यू एण्ड कं०, रोजा, शाहजहांपुर।
४८—मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर, मेरठ।
४९—दि अमृतसर, शुगर मिल्स कं० लि०, रोहना कला, मुजफ्फरनगर।
५०—सर सादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स, लि०, मसूरपुर।
५१—दि गैंगेज शुगर मिल्स कारपोरेशन, देवबद, सहारनपुर।
५२—राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीनपुर, मेरठ।
५३—दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, शामली, मुजफ्फरनगर।
५४—जसवंत शुगर मिल्स लि०, मेरठ।
५५—सिम्होली शुगर मिल्स लि०, सिम्हौली, जिला मेरठ।
५६—अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, मुजफ्फरनगर।
५७—मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, मेरठ।
५८—लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर।
५९—आर० बी० नरायन सिंह शुगर मिल्स, लक्सर, सहारनपुर।
६०—दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स लि०, बुलन्दशहर।
६१—दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, मेरठ।
६२—श्री जानकी शुगर मिल्स, दोई वाला, देहरादून।
६३—पन्नी जी शुगर एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, बुलन्दशहर।
६४—रतन शुगर मिल्स कं० लि०, शाहगज, जौनपुर।
६५—न्योली शुगर फैक्ट्री, जिला एटा।

परिशिष्ट—य (१) ५

१ सितम्बर, १९५५

संख्या ५००७(एस–टी)/३६–ए०—२०(एस–टी)–५५—चूकि राज्य के वैकुअम पैन चीनी के कारखानो (जिनके नाम परिशिष्ट मे दिए है) और उनके कर्मचारियो के बीच आगे निर्धारित मामलो के बारे में औद्योगिक विवाद उपस्थित है और चूकि राज्यपाल की सम्मति मे सार्वजनिक व्यवस्था, समाज के जीवन के लिए अनिवार्य सेवाओं एवं सपूर्तियो को बनाये रखने तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए यह करना आवश्यक है ;

अब इसलिए उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम (१९४७ के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८) की धारा ३, ४ और ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये और सरकारी आदेश संख्या यू–४६४(एल–एल)/३६–बी०—२५७ (एल–एल)–५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के उपबधो के, जैसा कि उन्हें सरकारी आदेश सख्या ३५२१(एस–टी)/३६–ए—१३४ (एस–टी)–५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५५, के द्वारा परिवर्धित किया गया है अनुसार राज्यपाल महोदय कृपापूर्वक उक्त विवाद को सरकारी आदेश संख्या यू–५३४ (एल–एल)/३६–बी—२५७(एल–एल)–५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५४, के, जैसा कि उसे सरकारी आदेश सख्या ३५२१ (एस–टी)/३६–ए—१३४(एस–टी)–५५, दिनाक १२ जुलाई १९५५ के द्वारा बढ़ाया गया, अतर्गत नियुक्त राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास प्रेषित करते है कि वह निम्नलिखित विवादो का अभिनिर्णय उपर्युक्त सरकारी आदेश सख्या यू–४६४(एल–एल)/३६–बी—२५७(एल–एल)–५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५४ के जैसा कि उसे सरकारी आदेश संख्या ३५२१(एस–टी)/३६–ए—१३४ (एस–टी)–५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५५, के द्वारा बढाया गया, अनुसार करेगा और यह निर्देश करते है कि उक्त अधिनियम की धारा १९ के सदर्भ में इसकी सूचना सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा दी जायगी।

विवाद का विषय

बोनस

विवाद संख्या १

१—क्या राज्य के चीनी के कारखानो के चीनी के उत्पादन पर बोनस निश्चित करने तथा भुगतान करने के आधार तथा तरीको मे पुनर्वीक्षण की आवश्यकता है? यदि ऐसा है तो बोनस के निश्चित करने और उसके भुगतान करने का क्या आधार और तरीके होना चाहिए?

विवाद संख्या २

२—विवाद सख्या १ के सम्बन्ध में दिए गए निर्णय को देखते हुए किस दर या किन दरों पर तथा किन शर्तों और दशाओ में, यदि कोई हो राज्य के वैकुअम पैन चीनी के कारखानों को (जिनके नाम परिशिष्ट मे दिए गये है) अपने कर्मचारियो को सन् १९५४–५५ के पेराई के मोसम के लिए बोनस देना चाहिए?

परिशिष्ट—य (१) ६

लखनऊ, १ सितम्बर, १९५५

संख्या ५०११(एच-टी)/३६-ए—८४(एस-टी)-५५—३१ अगस्त सन् १९५५ को होने वाले राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी) की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय कृपा कर इस अधिसूचना की तिथि से निम्नलिखित की एक समिति नियुक्त करते हैं :—

(१) श्री ओंकार नाथ मिश्र, आई०ए०एस०, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष।
(२) श्री डी० आर० नारंग, बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती ..	नियोजकों के प्रतिनिधि
(३) श्री आर० पी० नेवटिया, हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि०, गोला गोकरन नाथ, जिला लखीमपुर खेरी ...	
(४) श्री जी० एन० मोदी, शुगर मिल्स लि०, मोदीनगर, जिला मेरठ	
(५) श्री काशीनाथ पांडे, जिला चीनी मिल मजदूर संघ, पडरौना, देवरिया ..	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
(६) श्री बी० डी० शुक्ल, मजदूर संघ, हरगांव, सीतापुर और	
(७) श्री एस० एस० लाल जौहरी, मार्फत एल० एच० शुगर फैक्ट्री, मजदूर यूनियन, पीलीभीत ...	

यह समिति राज्य के चीनी के कारखानों द्वारा १९५४-५५ के पेराई के मौसम के बोनस के भुगतान से सम्बन्धित मामलों पर, जैसा कि नीचे निर्देश दिया गया है। विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट आगामी २ महीने के अंदर सरकार को देगी।

२—समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(अ) सरकार से सिफारिश करना कि जब तक बोनस के प्रश्न पर किसी सक्षम संस्था द्वारा अंतिम रूप से निर्णय न दिया जाय, तब तक के लिए चीनी के कारखानों द्वारा अंतरिम सहायता के तौर पर अंतरिम बोनस की मात्रा क्या हो अथवा दरें क्या हों, जिनके अनुसार तदर्थ आधार पर बोनस का भुगतान किया जाय।

(ब) सुझाव देना कि किन शर्तों और अवस्थाओं में उपर्युक्त (अ) में उल्लिखित अंतरिम बोनस को चीनी के विभिन्न कारखानें भुगतान करें।

३—समिति को श्रमिकों तथा मालिकों के प्रत्येक पक्ष से एक-एक सदस्य और 'को-आप्ट' करने का अधिकार होगा।

४—सरकार आशा करती है कि सम्बन्धित पक्ष समिति को प्रत्येक संभव सहायता देंगे।

परिशिष्ट—य (१) ७

दिनांक, लखनऊ, ३० सितम्बर १९५५

संख्या ५५०५ (एस-टी)/३६-ए—२० (ए-सटी)-५५—औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८) की धारा ३, ४ और ८ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी आदेश संख्या यू-४६४ (एल-एल)/३६-बी—२५७(एल-एल)-५४, दिनाक १४ जुलाई, १९५४ के वाक्य-खड ११ की व्यवस्थाओ के, जैसी कि वे सरकारी आदेश संख्या ३५२१-(एस-टी)/३६-ए—१३४(एस-टी)-५५, दिनांक १२ जुलाई, १९५५ के द्वारा बढाई गई, अनुसार राज्यपाल कृपाकर सरकारी आदेश सख्या ५०१० (एस-टी)/३६-ए—७२(एस-टी)-५२, दिनांक १ सितम्बर, १९५५ तथा आदेश सख्या ५००७ (एस टी)/३६-ए—२०(एस-टी)-५५, दिनाक १ सितम्बर, १९५५ मे निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचनाओ की परिशिष्ट मे क्रमांक "६५, न्योली शुगर फैक्ट्री, न्योली, जिला एटा" में निम्नलिखित जोडो :

"६६, बुडवल शुगर फैक्ट्री, बुडवल, जिला बाराबकी"

"६७, महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर, जिला सहारनपुर"

परिशिष्ट—य (१) ८

लखनऊ, २८ नवम्बर, १९५५ ई०

संख्या ६५२(एस-टी)/३६-ए—८४(एस-टी)-५५—चूकि ३१ अगस्त, १९५५ को हुए राज्य त्रिदलीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर एक समिति सरकारी अधिसूचना संख्या ५०११ (एस-टी)/३६-ए—८४ (एस-टी)-५५—दिनांक १ सितम्बर, १९५५ को इसलिए नियुक्त की गई थी कि वह राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के अतिम निर्णय होने तक राज्य के वैकुअम पेन चीनी कारखानो द्वारा कर्मचारियो को १९५४-५५ के पेराई मोसम के अंतरिम बोनस के अस्थायी सहायता के रूप मे दिए जाने के प्रश्न की जाच करके सरकार को रिपोर्ट दे ओर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

ओर चूकि समिति इस मामले में मालिको तथा कर्मचारियो के प्रतिनिधियों के बीच समझोता कराने मे सफल हुई है ओर तदनुसार उस विषय पर सिफारिशें की हैं, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ;

ओर चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय की सम्मति में सार्वजनिक सुविधा की सुरक्षा के लिए तथा सार्वजनिक व्यवस्था, समाज के जीवन के लिए अनिवार्य सेवाओ और सपूर्तियो को तथा नियोजन को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है ;

इसलिए अब, ओद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कृपा कर निम्नलिखित आदेश करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा १९ के संदर्भ में निर्देश देते हैं कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशनार्थ दी जाय।

आदेश

१—अनुच्छेद २ के अधीन—

(१) अनुसूची में उल्लिखित चीनी के वैकुअम-पैन कारखाने अपने कर्मचारियों को १९५४–५५ के पेराई के मोसम के लिए अंतरिम बोनस के तौर पर वह रकम देंगे, जो परिशिष्ट के तीसरे स्तंभ में उनके नाम के सामने दिखलाई गई है;

(२) अंतरिम बोनस उन सब व्यक्तियों को दिया जायगा जो १९५४–५५ के पेराई के मोसम में कर्मचारी की भांति नियोजित थे और उपर्युक्त मोसम में उनकी अर्जित आय के अनुपात से बांटा जायगा;

(३) उपर्युक्त वाक्य-खंड (१) और (२) के अंतर्गत दी जाने वाली अंतरिम बोनस की रकम उस बोनस के हिसाब में लगा ली जायगी, जो कि राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के निर्णय के आधार पर अंतिम रूप से निश्चित होगा।

(४) जिन कारखानों ने १९५४–५५ के मोसम के लिए कोई अग्रिम बोनस दे दिया है, उसका हिसाब अंतरिम बोनस में कर लें;

(५) कारखानों द्वारा अंतरिम बोनस का भुगतान इस आदेश के तीन सप्ताह के भीतर कर दिया जायगा।

२—जहां पर कोई कारखाना दावा करता है कि उसे उस अवधि में घाटा हुआ है, जिसके संबंध में उपर्युक्त अनुच्छेद (१) के अनुसार अंतरिम बोनस दिये जाने को है तो राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे कारखाने द्वारा प्रार्थनापत्र दिये जाने पर और उस मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित पक्षों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसे कारखाने को अंतरिम बोनस नहीं देना पड़ेगा।

३—यह आदेश प्रथमतः ६ महीने के लिये लागू होगा और इस अवधि को आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

४—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने की चेष्टा करता है या इस प्रकार के उल्लंघन में सहायक होता है उस पर उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक अधिनियम, १९४७ की धारा १४ के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश के चीनी के वैकुअम-पैन कारखाने

क्रम-संख्या	कारखाने का नाम		अग्रिम दी जाने वाली रकम
१	२		३
			रु०
१	जसवंत शुगर मिल्स, मेरठ	..	१,६८,०००
२	दि मवाना शुगर वर्क्स, मवाना	..	९७,०००
३	दि दौराला शुगर वर्क्स, दौराला	..	१,७२,०००
४	दि मोदी शुगर मिल्स, मोदीनगर		८४,०००
५	लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर	.	१,५२,०००
६	दि लक्ष्मी जी शुगर मिल्स लि० महौली	..	१,६५,०००
७	दि अपर इंडियन शुगर मिल्स लि०, खटौली	..	१,६९,०००
८	दि लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई	.	१,१२,०००
९	दि गंगा शुगर कारपोरेशन लि०, देवबन्द	..	१,६६ ,०००
१०	राम लक्ष्मण शुगर मिल्स लि०, मुहीउद्दीनपुर	..	९५ ०००
११	दि अजोध्या शुगर मिल्स, राजा-का-सहसपुर		१,०१,०००
१२	अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव	..	२,४१,०००
१३	दि अपर गेंजिज् शुगर मिल्स लि०, सिवहरा	..	२,७८,०००
१४	दि कुंदन शुगर मिल्स, अमरोहा	..	१,५८,०००
१५	दि एस० बी० शुगर मिल्स, बिजनौर	..	१,६५,०००
१६	दि अमृतसर शुगर मिल्स कं०, रोहना कलां	..	१,७२,०००

१	२		३
			रु०
१७	दीवान शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, सखोटी टांडा	...	४८,०००
१८	दि केसर शुगर वर्क्स लि०, बहेरी	...	१.०० ०००
१९	दि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोलागोकरननाथ	...	२,९४,०००
२०	एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली	...	४९,०००
२१	आर० बी० नरायन सिह शुगर मिल्स, लक्सर	..	१,५७,०००
२२	धामपुर शुगर मिल्स, धामपुर	...	९१.०००
२३	एल० एच० शुगर फैक्टरी ऐण्ड आयल मिल्स, पीलीभीत	..	१,९७,०००
२४	रोजा शुगर वर्क्स ऐण्ड डिस्टिलरी आफ कैरयू ऐण्ड कं० रोजा		३८,०००
२५	सिभोली शुगर मिल्स, सिभौली ...	..	१,०५,०००
२६	न्योली शुगर फैक्ट्री, न्योली ...	...	४८,०००
२७	अपर दोआब शुगर मिल्स, सामली	...	१,९०,०००
२८	सर शादीलाल शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, मंसूरपुर	...	१,७९,०००
२९	एल० एच० शुगर फैक्ट्री ऐण्ड आयल मिल्स, काशीपुर	..	४०,०००
३०	गोविंद शुगर मिल्स, ऐरा ...	.	१४,०००
३१	श्री जानकी शुगर मिल्स कं०, दोईवाला	..	११,०००
३२	बुलंद शुगर कं०, रामपुर ...	...	५०,०००
३३	रजा शुगर कं०, रामपुर ...	...	५०,०००
३४	पन्नी जी शुगर मिल्स, बुलन्दशहर	..	११,०००
३५	महालक्ष्मी शुगर मिल्स, इकबालपुर	...	११,०००
३६	लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि०, छितौनी	...	३३,०००
३७	डायमंड शुगर मिल्स लि०, पिपराइच	...	४४,०००

१	२		३
			रु०
३८	सक्सेरिया बिस्वान शुगर फैक्ट्री लि०, बिसवान	...	३५,०००
३९	रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला	...	४०,०००
४०	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, लखीमगंज	...	१४,०००
४१	श्री आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद	...	१३,०००
४२	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स लि०, रामकोला	...	३५,०००
४३	जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइयां	...	११,०००
४४	शंकर शुगर मिल्स, कैप्टेनगंज	..	४६,०००
४५	पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, घुघली	..	३१,०००
४६	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, वाल्टरगंज	...	४२,०००
४७	महाबीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार	..	१३,०००
४८	रामचन्द्र ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी	..	४८,०००
४९	गनेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर	..	३२,०००
५०	बस्ती शुगर मिल्स कं० लि०, बस्ती	..	४७,०००
५१	माधो कन्हैया महेश गोरी शुगर मिल्स, मुंडेरवा	...	३१,०००
५२	दि यूनाइटेड प्राविंसेज़ शुगर कं०, सिवराही	..	३८,०००
५३	दि बुड़वल शुगर मिल्स कं०, बुड़वल	...	१४,०००
५४	आर० बी० लक्ष्मणदास मोहनलाल ऐण्ड सन्स शुगर मिल्स, जरवल रोड	...	४३,०००
५५	सक्सेरिया शुगर मिल्स लि०, बाभनान	...	३६,०००
५६	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मोतीनगर	...	३८,०००
५७	विष्णुप्रताप शुगर मिल्स, खड्डा	...	१९,०००

१	२		३
			रु०
५८	कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गोरी बाजार	...	३९,०००
५९	परतापपुर शुगर कं० लि०, मैरवा	...	४०,०००
६०	बलरामपुर शुगर कं०, तुलसीपुर	...	३५,०००
६१	रतन शुगर मिल्स कं० लि०, शाहगंज	...	२५ ०००
६२	श्री सीताराम शुगर कं०, बैतालपुर	...	४५ ०००
६३	देवरिया शुगर कं० लि०, देवरिया	...	४१,०००
६४	सराया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर	...	२,३६,०००
६५	पडरोना राजकृष्ण शुगर वर्क्स, पडरोना	...	११,०००
६६	नवाबगंज शुगर मिल्स कं० लि०, नवाबगंज	...	४९,०००
६७	बलरामपुर शुगर कं० लि०, बलरामपुर	...	३१,०००
	योग	...	५४,३९,०००

परिशिष्ट—य (१) ह

लखनऊ, १७ दिसम्बर, १९५५ ई०

संख्या ७१२९(एन-टी)/३६-ए—८४ (एस-टी)-५५—उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक अधिनियम, १९४७ (१९४७ के उ० प्र० अधिनियम संख्या २८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृपा कर सरकारी अधिसूचना स० ६५९२(एन-टी)/३६—ए-८४(एस-टी)-५५, दिनांक २८ नवम्बर, १९५५ में निम्न-लिखित संशोधन करने की आज्ञा देते हैं :—

संशोधन

१—आदेश के अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (५) की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'तीन' के स्थान पर शब्द '६' रखो,

२—आदेश के अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति में 'ऊपर' और 'राज्य' शब्दों के मध्य में निम्नलिखित जोड़ दो :—

'या कि उसको इतना कम लाभ हुआ है कि उसके लिये बोनस देना अनुचित होगा'

(२) श्रम-सम्बन्धी विभिन्न कानूनों के बारे में राज्यादेश

(अ) कारखाना अधिनियम

परिशिष्ट य (२) (अ)-१

लखनऊ, ५ मार्च, १९५५

राज्यादेश सं० ३७९३ (य)/३६-बी--२३३ (म)-५२--इस विभाग की अधिसूचना सं० १९१८ (एल-एम)-५१ क्रमशः दिनांक ७ मई, १९५१, २७ दिसम्बर १९५१, और अप्रैल, १९५४ के अधिक्रमण स्वरूप एव कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (१) के द्वारा प्राप्त अधिकारो के अनुसार राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त अधिनियम की समस्त अनुधाराओ एव नियमो को अधिनियम के उन परिच्छेदो को छोड़कर, जिनका उल्लेख विशेषतौर से प्रत्येक मामले मे, एव तत्सम्बन्धो नियमगत अवस्थाओ में किया जा चुका है, फिरोजाबाद, अलीगढ और मुरादाबाद के कारखानो पर लागू किया जायगा। जहां पर वस्तुओ का निर्माण किया जाता है अथवा विद्युत् शक्ति की सहायता से किया जा रहा है, वहां पर १० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं अथवा विगत १२ मास के अन्दर कभी काम किया है, यद्यपि चाहे उन व्यक्तियो को कारखाने के अध्यासी / मालिक नौकर न रखें या नही रखा, किन्तु वे उस अध्यासी/मालिक की रजामन्दी या स्वीकृति से ही काम कर रहे हैं, अथवा किया था--

क्रम-संख्या	कारखानों के नाम	कारखाना अधिनियम, १९४८ को शर्तें लागू नही होगी
१	२	३
१	एजाज चूड़ी कटिंग फैक्टरी, फिरोजाबाद ...	सभी श्रमिको के लिये लागू होने वाली अधिनियम की धारायें १५, ४७ और ४८ और केवल घिसाई के काम में लगे हुये श्रमिकों के लिये धारायें ७२ और ७३ और परिच्छेद ८
२	सरस्वती चूड़ी कटिंग फैक्टरी, प्रेमपुर गेट, फिरोजाबाद..	वही
३	वृजेश चूड़ी कटिंग फैक्टरी और आटा मिल, छपेटी, खुर्द, फिरोजाबाद ...	वही
४	राम सिंह चूड़ी कटिंग फैक्टरी, चदवार गेट, फिरोजाबाद...	वही
५	भगवान कटिंग फैक्टरी, चदवार गेट, फिरोजाबाद ...	वही
६	माखन लाल रामजी लाल कटिंग फैक्टरी, दतिया, फिरोजाबाद ...	वही

१	२		३
७	रवोन्द्र सिंह सुरजन सिंह चूड़ी कटिंग फैक्टरी, फिरोजाबाद	...	वही
८	हिंद चूड़ी कटिंग फैक्टरी, झमैया टोला, फिरोजाबाद	..	
९	शारदा चूड़ी कटिंग फैक्टरी, दुगड़ेवाला, फिरोजाबाद	...	वही
१०	सच्चा सौदा चूड़ी कटिंग फैक्टरी, नट का थान, फिरोजाबाद	...	वही
११	रफी कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, मछला श्री मत टोला, फिरोजाबाद	...	वही
१२	एस० वी० इंडस्ट्रीज, शिकोहाबाद गेट, फिरोजाबाद	...	वही
१३	नरेन्द्र ग्लास बैंगल कटिंग फैक्टरी, प्रेमपुर गेट, फिरोजाबाद	...	वही
१४	गुप्ता ग्लास बैंगल कटिंग फैक्टरी, प्रेमपुर गेट, फिरोजाबाद	.	वही
१५	जगदीश शरन, महेन्द्र कुमार कांच चूड़ी फैक्टरी और आटा चक्की, चपेटी कला, फिरोजाबाद	...	वही
१६	मित्तल कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, चपेटी कलां, फिरोजाबाद	...	वही
१७	असीजा कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, मुहल्ला शीशग्राम, फिरोजाबाद	...	वही
१८	महबूब कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी और आटा चक्की, शीशग्राम, फिरोजाबाद	...	वही
१९	मदन कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, चपेटी कलां, फिरोजाबाद	...	वही
२०	रामा कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, चपेटी कलां, फिरोजाबाद	...	वही
२१	जैन कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, चौबेजी का बाग, फिरोजाबाद	...	वही
२२	जै हिंद चूड़ी कटिंग फैक्टरी, हनुमान गंज, फिरोजाबाद	...	वही
२३	मदन चूड़ी कटिंग फैक्टरी, फिरोजाबाद	...	वही
२४	लक्ष्मी कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, कानेपुरा, फिरोजाबाद	...	वही
२५	बाबरा विनोद इंडस्ट्रीज, रानी वाला बिल्डिंग, फिरोजाबाद	...	वही

१	२	३
२६	सुगना ग्लास बैंगल इडस्ट्रीज, चवरगेट, फिरोजाबाद ..	वही
२७	कृष्णा कांच चूड़ी कटिग फैक्टरी और आटा चक्की, चदवार गेट, फिरोजाबाद . .	वही
२८	कैलाश काच चूडी कटिग फैक्टरी, मुहल्ला हुंडेवाला, फिरोजाबाद	वही
२९	रतन कांच चूडी कटिग फैक्टरी, नगाडचीटोला, फिरोजाबाद	वही
३०	चैम्पियन ग्लास बंगल कटिग फैक्टरी, चपेटी खुर्द, फिरोजाबाद .	वही
३१	विजय कांच चूडी कटिग फैक्टरी, आगरा गेट, फिरोजाबाद ..	वही
३२	नारंग चूडी कटिग फैक्टरी, नई बस्ती, फिरोजाबाद ...	वही
३३	राजेन्द्र कटिंग फैक्टरी, चदवार गेट, फिरोजाबाद ...	वही
३४	भवानी चूडी कटिग इडस्ट्रीज, मोहल्ला कोटला, फिरोजाबाद ...	वही
३५	पन्ना लाल प्यारे लाल चूडी कटिंग फैक्टरी, दकियान, फिरोजाबाद ...	वही
३६	विजय ग्लास बैंगल कटिग फैक्टरी, नई बस्ती, फिरोजाबाद ..	वही
३७	ग्लोव इडस्ट्रीज, नई बस्ती, फिरोजाबाद ...	वही
३८	सवरी कांच चूडी कटिंग फैक्टरी, चपेटी कलां, फिरोजाबाद ..	वही
३९	हिन्दुस्तान कांच चूड़ी कटिंग फैक्टरी, कोटला, फिरोजाबाद ...	वही
४०	रामचन्द्र, चूडी कटिग फैक्टरी, जलेश्वर रोड. फिरोजाबाद ..	वही
४१	आसिजा कांच चूडी कटिंग फैक्टरी, जलेश्वररोड, फिरोजाबाद .	वही
४२	रामा कांच चूडी कटिंग फैक्टरी, कोटला रोड, फिरोजाबाद . .	वही
४३	कृष्णा चूडी कटिंग फैक्टरी, कोटला रोड, फिरोजाबाद .	वही

१	२		३
४४	अशफाक हुसैन, मतलूब हुसेन पुत्र मुहम्मद हुसैन, मुस्त-जाहुसैन पुत्र मुहम्मद ईशाक, कलोटा कारखाना, मुहल्ला काठ दरवाजा, मकान नं० ३-ई/८, मुरादाबाद	..	वही
४५	इकबाल अहमद ऐंड ब्रदर्स, चोनियाबाग, मकान नं० १६२/एफ, मुरादाबाद	...	वही
४६	सरदार इलेक्ट्रो-प्लेटिंग वर्क्स, २९/बी-८, भट्टी मुहल्ला, मुरादाबाद	...	वही
४७	जहीद अली नासिर अली, कारखाना छिलाई-कटाई, भट्टी मुहल्ला, बाजार मुफ्ती (नवाबपुर), मुरादा-बाद	...	वही
४८	फैजी इलेक्ट्रो-प्लेटिंग वर्क्स, ६६/ई-१४, मुहल्ला देह-रिया, मुरादाबाद	...	वही
४९	बाल गोविंद इंडस्ट्रीज, मुहल्ला मकबरा, मुरादाबाद	...	वही
५०	हरिओम् लाल पुत्र गंगा सहाय, पालिशिंग वर्क्स, गंगागंज, दुबे का पड़ाव, अलीगढ़	...	वही
५१	देवराज चमन राज पालिशिंग वर्क्स, पुरानी कोतवाली, अलीगढ़	...	वही
५२	मौलाबख्श पालिशिंग वर्क्स और इंजिनियरिंग वर्कशाप, स्टेशन रोड, मुरादाबाद	...	वही
५३	हाजी शमशाद हुसैन, नं० २५/एफ-१४, संभली गेट, काली पेंडी, मुरादाबाद	...	वही
५४	पुत्तन खां और अच्छन खां, छिलाई का कारखाना, मकान नं० २२८/बी-८, मुहल्ला मानपुर, मुरादाबाद		वही
५५	हाजी शमशेर हुसैन नं० ३/एफ-१४, संभली गेट, काली पेंडी, मुरादाबाद	...	वही
५६	स्टैंडर्ड पालिशिंग वर्क्स, प्रवीन प्लेटिंग वर्क्स, सुलतान हुसेन प्लेटिंग और पालिशिंग वर्क्स, मकान नं० ३८ बी-१०, लाल मसजिद, मुरादाबाद	.	वही
५७	मुहम्मद इब्राहीम, मुहम्मद रफीक का छिलाई का कारखाना, नं० २४१/सी-४, नई आबादी ईदगाह, मुरादाबाद	...	वही
५८	मुन्नी लाल कृष्ण कांत इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, ब्रासवेयर और आइसक्रीम वर्क्स, राजूगली, मुरादाबाद	...	वही

परिशिष्ट य (२) (अ)-२

सं० ६४५(एम)/३६-बी-२३३(एम)-५२—इस विभाग की ५ मार्च, १९५५ ई० की विज्ञप्ति सं० ३७९२ (एम)/३६-बी—२३३(एम)-५२ के क्रम में और फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ६३, १९४८ ई०) की धारा ८५ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम मे लाकर राज्यपाल यह घोषित करते है कि उक्त ऐक्ट तथा उसके अधीन बने नियमो के समस्त उपबन्ध प्रत्येक दशा मे विशेष रूप से उल्लिखित धाराओं और उनसे सम्बद्ध नियमो के उपबन्धों को छोड़कर, निम्नलिखित व्यापारिक सस्थाओ (Concerns) पर प्रवृत्त होंगे, जिनमे मैन्यू फैक्चरिंग प्रोसेस (उत्पादन कार्य) पावर (शक्ति) की सहायता से या साधारणतया उसकी सहायता से किया जाता है और जिनमे दस या दस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हों या जिनमे उन्होने पिछले बारह महीनों मे किसी एक दिन (डे) मे कार्य किया हो, चाहे आक्यूपायर (अध्यासी) स्वामी द्वारा ऐसे व्यक्ति नियोजित न हों या नियोजित न किये गये हो, किन्तु ऐसे आक्यूपायर (अध्यासी) स्वामी की अनुमति से अथवा उसके साथ किये गये अनुबन्ध के अधीन कार्य करते हो या कार्य करते थे :—

क्रम-सं०	फैक्टरियो के नाम	फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ ई० के उपबन्ध, जो प्रवृत्त न होंगे।
१	कमर ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरी, फिरोजाबाद, आगरा ...	समस्त कर्मचारियो के संबन्ध मे इस ऐक्ट की धाराये १५, ४७ और ४८ तथा केवल घिसाई के काम पर (grinding process) नियोजित कर्मचारियो के सम्बन्ध में धारायें ६२ और ७३ और अध्याय ८
२	इम्पीरियल ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरी, रेलवे रोड, फिरोजाबाद, आगरा ...	,,
३	मानसिंह कटिंग फैक्टरी ऐण्ड फ्लावर मिल्स, फिरोजाबाद, आगरा ...	,,
४	हाजी नजीर ऐण्ड सन्स, बेरल प्लेटिंग वर्क्स, कंवारीगंज, अलीगढ ...	समस्त कर्मचारियों के सम्बन्ध मे इस ऐक्ट की धाराये १५, ४७ और ४८
५	त्रिलोकीनाथ छिलाई का कारखाना, ३२/जी-१६ पीरजादा, मुरादाबाद ..	,,

परिशिष्ट य(२) (अ)-३

लखनऊ, २१ नवम्बर, १९५५ ई०

स० २८९८-एम (३)/३६-बी--२३३-एम-५२--जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १८९७ ई० (ऐक्ट स० १०, १८९७ ई०) की धारा २१ के साथ पठित फैक्टरीज़ ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट स० ६३, १९४८ ई०) की धारा ८५ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल क्रमश ५ मार्च तथा २३ मार्च, १९५५ ई० की विज्ञप्ति सं० ३७९३ (एम)/३६-बी--२३३ (एम)-५२ और ६४५ (एम)/३६-बी--२३३-एम-५२ मे उनमें निर्दिष्ट व्यापारिक सस्थाओ पर उक्त ऐक्ट के कुछ उपबन्धो के प्रवर्तन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

संशोधन

(१) विज्ञप्ति स० ३७९३-एम/३६-बी--२३३ (एम)-५२, दिनांक ५ मार्च, १९५५ ई० की ग्यारहवी पंक्ति मे शब्द "व्यापारिक संस्थाओ" के स्थान पर शब्द "स्थानो" रक्खा जाय।

(२) विज्ञप्ति स० ६४५(एम)/३६-बी---२३३-एम-५२ तथा ६४५-एम/३६-बी-२३३-एम-५२, क्रमशः दिनाक ५ मार्च तथा २३ मार्च, १९५५ ई० मे शीर्षक "फैक्टरियों के नाम" के स्थान पर शीर्षक "स्थान जिनमे उत्पादन कार्य निम्नलिखित द्वारा किया जाता हो" रक्खा जाय ।

(३) विज्ञप्ति स० ३७९३/एम-३६-बी--२३३-एम-५२ तथा ६४५-एम/३६-बी-२३३-एम-५२, क्रमश: दिनाक ५ मार्च तथा २३ मार्च, १९५५ ई० मे शीर्षक "फैक्टरियों के नाम" के स्थान पर शीर्षक "स्थान जिसमे उत्पादन कार्य निम्नलिखित द्वारा किया जाता हो" रक्खा जाय।

(४) उपर्युक्त दोनो विज्ञप्तियो मे शीर्षक "फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ ई० के उपबन्ध जो प्रवृत्त न होगें" के अन्तर्गत शब्द "घिसाई के काम पर नियोजित कर्मचारियो के सम्बन्ध मे धारायें ६२ और ७३ और अध्याय ८" के स्थान पर शब्द "घिसाई के काम पर लगे हुये कर्मचारियो के सम्बन्ध मे धारा ६२ और ७३ तथा अध्याय ८, किन्तु जो अध्यासी/स्वामी द्वारा नियोजित नही या नियोजित न किये गये हो और जिन्हे केवल किराये के आधार पर 'अड्डे' प्रयोग में लाने दिये जाते हो" रखे जायं ।

(५) विज्ञप्ति सं० ३७९३-एम/३६-बी--२३३-एम-५२, दिनाक ५ मार्च, १९५५ ई० मे :--

(क) मद १ मे "एजाज बैगल कटिंग फैक्टरी, छपेटी कला, फिरोजाबाद" के स्थान पर "नसीम ग्लास बैंगल कटिंग फैक्टरी ऐंड फ्लावर मिल्स, फिरोजाबाद" रक्खा जाय ।

(ख) मद १० मे "रामा ग्लास बैंगल कटिंग फैक्टरी, छपेटी कला, फिरोजाबाद" के स्थान पर "नसीम ग्लास बैगल कटिंग फैक्टरी ऐण्ड फ्लावर मिल्स, फिरोजाबाद" रक्खा जाय।

(ग) मद ४३ मे "कृष्ण ग्लास बैंगल कटिंग वर्क्स, मुहल्ला कोटला रोड, फिरोजाबाद" के स्थान पर "कृष्ण ग्लास बैंगल कटिंग वर्क्स, मुहल्ला चदवार गेट, फिरोजाबाद" रक्खा जाय।

परिशिष्ट य (२) (अ)-४

लखनऊ, २१ नवम्बर, १९५५

सं० २८९८ (एम) (६)/३६-बी--२३३ (एम)-५२--इस विभाग की २३ मार्च, १९५५ ई० की विज्ञप्ति सं० ६४५ (एम)/३६-बी--२३३(एम)-५२ के अनुक्रम मे और फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ६३, १९४८ ई०) की धारा ८५ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषित करते है कि उक्त ऐक्ट के समस्त उपबन्ध तथा उसके अधीन निर्मित नियम प्रत्येक दिशा मे विशेष रूप से उल्लिखित धाराओ के उपबन्धो ओर उनसे सम्बन्धित नियमो के उपबन्धो को छोडकर निम्नलिखित स्थानो पर प्रवृत्त होगे, जिनमे उत्पादन कार्य शक्ति की सहायता से या साधारणतया उसकी सहायता से किया जाता हो, और जिसमे दस या दस से अधिक व्यक्ति कार्य करते हो या जिनमे उन्होंने पिछले बारह महीनो मे किसी एक दिन कार्य किया हो, चाहे अध्यासी/स्वामी द्वारा ऐसे व्यक्ति नियोजित न हो या नियोजित न किये गये हो, किन्तु ऐसे अध्यासी/स्वामी की अनुमति से अथवा उसके साथ किये गये अनुबन्ध के अधीन कार्य करते हो या कार्य करते थे :—

सं०-क्रम	स्थान जिनमे उत्पादन कार्य किया जाता हो	फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ ई० के उपबन्ध, जो प्रवृत्त न होगे
१	२	३
१	समर इण्डस्ट्रीज, म्युनिसिपल हाउस न० ४४८, कटरा पजावा कोटला, फिरोजाबाद (आगरा)	समस्त कर्मचारियो के सम्बन्ध में इस ऐक्ट की धारा १५, ४७ और ४८ तथा केवल घिसाई के काम पर लगे हुये कर्मचारियो के सम्बन्ध मे धारा ६२ और ७३ तथा अध्याय ८, किन्तु जो अध्यासी/स्वामी द्वारा नियोजित न हो या नियोजित न किये गये हो और जिन्हे केवल किराये के आधार पर 'अड्डे' प्रयोग मे लाने दिये जाते हो।
२	राम किशोर राम गोपाल, कटिग फैक्टरी ऐण्ड फ्लावर मिल्स चादवार गेट, फिरोजाबाद (आगरा)	
३	स्वतन्त्र बेगिल कटिग फैक्टरी, नई बस्ती, फिरोजाबाद (आगरा)	
४	राजा इण्डस्ट्रीज, जो उस अहाते म स्थित हैं, जिसमे पहिले शारदा ग्लास, मैनपुरी गेट, म्युनिसिपल हाउस न०१६३, फिरोजाबाद (आगरा) था	

१	२	३
५	मुन्ना लाल बैंगिल कटिंग फैक्टरी, छपेटी कला, फिरोजा-बाद	समस्त कर्मचारियो के सम्बन्ध मे इस ऐक्ट की धारा १५,४७ और ४८ तथा केवल घिसाई के काम पर लगे हुये कर्म-चारियो के सम्बन्ध में धार ६२ और ७३ तथा अध्याय ८, किन्तु जो अध्यासी/स्वामी द्वारा नियोजित न हो या नियोजित न किये गये हो और जिन्हे केवल किराये के आध.र पर 'अड्डे' प्रयोग में लाने दिये जाते हो ।
६	चमन ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरी, मुहल्ला गडहिया, फिरो-जाबाद	
७	महालक्ष्मी इडस्ट्रीज, तेलाग स्ट्रीट, कारोनेशन ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद के सामने	
८	अब्दुल लतीफ ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरीज, छपेटी कला, फिरोजाबाद	
९	लेबर ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, मुहल्ला हुसनी, फिरोजाबाद	
१०	जोडाई का पखा आफ श्री भागीरथ, आत्मज गोपीनाथ, २६, सरोजिनी नायडू रोड, फिरोजाबाद	
११	जोडाई पंखा आफ श्री पूरन चन्द्र यादव आत्मज सुमेर कामा, म्युनिसिपल हाउस न० ४३०, नई बस्ती, फिरोजा-बाद	तदैव
१२	शान्ति प्रकाश बैंगिल कटिंग फैक्टरी, कटरा पठाना, फिरोजा-बाद	तदैव
१३	मोहम्मद इनाम ऐण्ड ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरी, छपेटी कला, फिरोजाबाद	तदैव
१४	गुप्ता ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्टरी ऐण्ड फ्लावर मिल्स, चादवार गेट, फिरोजाबाद	तदैव
१५	रहमान इलेक्ट्रो--प्लेटिंग ऐण्ड पालिशिंग वर्क्स मुहल्ला भट्टी, मुरादाबाद	समस्त कर्मचारियो के सम्बन्ध मे इस ऐक्ट की धारा १५, ५० और ४८
१६	कमरुल जमा का छिलाई का कारखाना, काली प्यादी, संभली गेट, मुरादाबाद	तदैव
१७	हाजी अब्दुल वाजिद का छिलाई का कारखाना, मुहल्ला भूर, असालतपुरा, मुरादाबाद	तदैव

(ब) दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम

परिशिष्ट य (२) (ब)-१

३ जून, १९५५ ई०

संख्या यू-१२७ (एम)/३६-बी--११६ (एम)-५५--यू० पी० दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७ (१९४७ के यू० पी० अधिनियम २७) की धारा १ की उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और सरकारी अधिसूचना स० २८१४ (एम)/३६-बी--८३ (एम)-५३, दिनांक २९ नवम्बर, १९५३ को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के सब उपबंध १ जून, १९५५ से मिर्जापुर म्युनिसिपल क्षेत्र में और सीतापुर के म्युनिसिपल और कैंटोनमेंट क्षेत्र मे सब दूकानो और वाणिज्य प्रतिष्ठानो में लागू हो जायंगे।

परिशिष्ट य (२) (ब)-२

११ जून, १९५५ ई०

संख्या यू-१२७ (एम) (५)/३६-बी--११६ (एम)-५५--यू० पी० दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७ (१९४७ के यू० पी० अधिनियम २२) की धारा १ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और सरकारी आदेश संख्या २८१४ (एम)/३६-बी--३३ (एम)-५३, दिनाक २९ अक्तूबर, १९५३ को जारी रखते हुए राज्यपाल यह आदेश करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा १० और १२ के उपबंध १५ जून, १९५५ से निम्नलिखित कस्बों के म्युनिसिपल क्षेत्रो में दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान के संबंध में लागू होंगे :--

(१) बलिया, (२) बादा, (३) बिजनौर,

(४) चंदौसी, (५) देवरिया, (६) गाजीपुर,

(७) हरदोई, (८) हरद्वार, (९) जौनपुर,

(१०) खुर्जा, (११) लखीमपुर-खेरी, (१२) पीलीभीत,

(१३) प्रतापगढ़, (१४) रुड़की, (१५) शाहजहापुर।

(३) कुछ उद्योगों को जनोपयोगी सेवाएं घोषित करने-सम्बन्धी आदेश

परिशिष्ट य (३)–१

१५ फरवरी, १९५५ ई०

सं० १५२३–(टी–डी)/३६–ए––५६ (टी–डी)–५४––चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्य-पाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगडों के ऐक्ट, १९४७ ई० (संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के खंड (४) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर और १८ अगस्त, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ६८५० (टी–डी)/३६–ए––५६(टी–डी)–५४ के अनुक्रम मे राज्यपाल उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये पाद्यादि (hosiery) उद्योग तथा पाद्यादि के उत्पादन अथवा वितरण से सम्बन्धित प्रत्येक कारोबार को १ मार्च, १९५५ ई० से ६ महीने की और आगे अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस घोषित करते हैं ।

२––उक्त ऐक्ट की धारा १९ के प्रयोजनों के लिये राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा दी जाय ।

परिशिष्ट य (३)–२

१४ अप्रैल, १९५५ ई०

स० ३०८८(टी–डी)/३६–ए––११(टी–डी)–४९––चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जनता के हित के लिये यह आवश्यक है;

अतः १२ अक्तूबर, १९५४ ई० की विज्ञप्ति सं० ८३५३ (टी–डी)/३६–ए––११ (टी–डी)–४९ के क्रम में तथा यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखण्ड (४) द्वारा दिये गये अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल महोदय यह घोषित करते हैं कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये सूती उद्योग और सब ऐसे कारखाने, जिनका सम्बन्ध सूती कपडे के उत्पादन तथा वितरण से है, २२ अप्रैल, १९५५ ई० से ६ माह की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस माने जायेंगे ।

यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा १९ के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय यह और आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायगी ।

परिशिष्ट य (३)–३

२३ जुलाई, १९५५ ई०

स० ४१२७ (एस–टी)/३६–ए––३२ (एस–टी)–५२––चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्य-पाल महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित के लिये यह आवश्यक है;

अतः यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट सं० २८,१९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के वाक्यखंड (४) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को काम में लाकर

और सरकारी विज्ञप्ति स० ४५२ (एस-टी)/३६-ए--३२ (एस-टी)-५२, दिनाक २४ जनवरी, १९५५ ई० के सिलसिले मे राज्यपाल महोदय यह घोषित करते है कि उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजन के लिये चीनी उद्योग और प्रत्येक ऐसे कारखाने, जिनका सम्बन्ध चीनी के उत्पादन तथा वितरण से है, १० अगस्त, १९५५ ई० से ६ मास की और अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस मानी जायेगी।

यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा १९ के सम्बन्ध मे गवर्नर महोदय यह और आदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित करके दी जायेगी।

परिशिष्ट य (३)-४

स० ६२०४ (टी-डी)/३६-ए--५६ (टी-डी) ५४--चूंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सार्वजनिक हित मे ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव सयुक्त प्रान्तीय ओद्योगिक झगडो के ऐक्ट, १९४७ ई० (स० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ ई०) की धारा २ की उपधारा (२) के खड (४) द्वारा प्राप्त अधिकारो को काम मे लाकर और १५ फरवरी, १९५५ ई० की सरकारी विज्ञप्ति स० १५२३ (टी-डी)/३६-ए--५६ (टी-डी)-५४ के अनुक्रम मे राज्यपाल उक्त ऐक्ट के प्रयोजनो के लिये पाद्यादि (hosiery) उद्योग तथा पाद्यादि के उत्पादन अथवा वितरण से सम्बन्धित प्रत्येक कारोबार को १ सितम्बर, १९५५ ई० से ६ महीने की और आगे की अवधि के लिये सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस घोषित करते हैं।

२--उक्त ऐक्ट की धारा १९ के प्रयोजनो के लिये राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि इस आज्ञा की सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशन द्वारा दी जाय।

परिशिष्ट य (३)-५

३१ अक्तूबर, १९५५ ई०

सं० ८२१९ (टी-डी)/३६-ए--९१ (टी-डी)-४९--चूकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अनुभव करते हैं कि सार्वजनिक हित मे इस बात की आवश्यकता है;

इसलिए अब अधिसूचना सख्या ३०८८ (टी-डी)/३६-ए--९१ (टी-डी), दिनाक १४ अप्रैल, १९५५ को जारी रखते हुए यू० पी० ओद्योगिक अधिनियम, १९४७ (१९४७ के यू० पी० अधिनियम २८) की धारा २ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सूती वस्त्र उद्योग तथा सूती वस्त्र के निर्माण तथा वितरण से सबंधित प्रत्येक सस्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए २२ अक्तूबर, १९५५ से ६ महीने की अवधि के लिए और सार्वजनिक उपयोग की सेवा घोषित करते हैं।

राज्यपाल कृपापूर्वक यह भी यू० पी० औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १९ के संदर्भ मे निर्देश करते है कि इस अधिसूचना का नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशनार्थं दे दिया जाय।

(४) नियमो मे सशोधन

परिशिष्ट य (४)-१

विविध

३ जनवरी, १९५५ ई०

स० १७७२ (एल-एल)/३६-बी--६० (एल-एल)-५३--पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ (१९३६ का चौथा ऐक्ट) की धारा २६ द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग कर, राज्यपाल ने यू० पी० पेमेण्ट आफ वेजेज रूल्स, १९३६ में पूर्व प्रकाशन के उपरान्त निम्नलिखित सशोधन किये ह --

संशोधन

उक्त नियमावली मे सलग्न प्रपत्र सख्या ४ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र करो :--

"प्रपत्र ४"

मजदूरी और मजदूरी मे कटोती

(३१ दिसम्बर, १९· ·को समाप्त होने वाले वर्ष का विवरण)

१--(अ) कारखाने या प्रतिष्ठान का नाम और डाक का पता... ..

(ब) उद्योग

२--वर्ष मे काम के दिनो की सख्या. .

३--(अ) वर्ष मे नियोजित व्यक्तियो की औसत दैनिक सख्या · ···

प्रोढ· ·

बालक·

(ब) नियोजित व्यक्तियो को वेतन के तौर पर दी जाने वाली कुल रक़म, जिसमें धारा ७ (२) के अतर्गत की जाने वाली कटौती ... .भी शामिल है, जिसमे से बोनस मे दी जाने वाली रकम . है और सुविधाओं का रुपयो मे मूल्य . . है।

४--निम्नलिखित मदो पर धारा ७ (२) के अतर्गत की गई कटौतियो को शामिल करते हुए कुल भुगतान की हुई मजदूरी :--

(अ) मूल मजदूरी. . . ...

(ब) महंगाई और दूसरे भत्ते नकद रुपयो मे. ...

(स) ओवरटाइम मजदूरी · ··· · ····· ·

(द) पिछले वर्ष का शेष वेतन, जो इस वर्ष मे भुगतान किया गया ·· ·

५--मामलो की संख्या और रकम वसूल की गई बतौर :--

(अ) जुरमाने ·· ····· · मामलों की संख्या · · · · · · · · रक़म · ··

(ब) क्षति या हानि के लिए कटौती ·········

(स) शर्तनामे के उल्लघन के लिए कटौती · ·· ·····

६—जुरमाने के कोष से वितरण :—

(अ) .. . . प्रयोजन . . रकम

(ब)

(स)

(द)

७—वर्ष के अत मे जुरमाने की जमा रकम.....

हस्ताक्षर ..

दिनांक पद ..

टिप्पणी—(१) व्यक्तियो की औसत दैनिक सख्या वर्ष मे उपस्थिति की कुल सख्या को काम के दिनो से विभाजित करके निकाली जाती है।

(२) मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धारा १ (१६) के अनुसार २०० रु० या अधिक प्रति मास पाने वालो की मजदूरी शामिल नही की जायगी।

(३) मूल मजदूरी मे निजी मजदूरी शामिल है।

परिशिष्ट य (४)–२

सं० २६८९ (एल–एल)/३६–बी—४४७–(एल–एल)–५२—उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० के नियम ६८ (१) के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित कारखानों के नाम प्रकाशित करते है, जिनमे इस विज्ञप्ति के दिनाक से ६ मास के अन्दर पूर्वोक्त नियमो में निर्धारित स्तर के अनुसार उपयुक्त भोजनालय स्थापित किये जावेगे —

१—बंसीधर प्रेमसुख दास आयल मिल्स, मैथान, आगरा।

२—जान्स प्रिंस आफ वेल्स स्पिनिंग मिल्स, नं० ४, ऐण्ड जान्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल्स, नं० ३, मुहल्ला होनी मडी, आगरा।

३—५०९ आर्मी वर्कशाप, ई० एम० ई०, ग्वालियर रोड, आगरा।

४—सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो, ग्वालियर रोड, आगरा।

५—गवर्नमेट आफ इडिया फार्म्स प्रेस, घटाघर के पास, सिविल लाइन्स, अलीगढ।

६—बिजली काटन मिल्स लि०, मेंडू गेट, हाथरस, जिला अलीगढ।

७—गवर्नमेट सेंट्रल प्रेस, उत्तर प्रदेश, १२ सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

८—एन० ई० रेलवे कैरिज ऐण्ड वैगन वर्कशाप, इज्जतनगर, बरेली।

९—वेस्टर्न इडिया मैच कं० लि०, क्लटरबक गज, बरेली।

१०—बनारस काटन ऐण्ड सिल्क मिल्स लि०, चौकाघाट, बनारस।

११—अपर गैंगेज सुगर मिल्स लि०, सिवहरा, जिला बिजनौर।

१२—धामपुर शुगर मिल्स, लि० धामपुर, जि० बिजनौर।

१३—शिवप्रसाद बनारसी दास शुगर मिल्स, बिजनौर।

१४—हाथी बरकला लीथो आफिस, सर्वे आफ इडिया, न्यू कैंट, हाथी बरकला, देहरादून।

१५—श्री जानकी शुगर मिल्स क०, दोइवाला, जिला देहरादून ।

१६—प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री, डाकखाना मरवा, जिला देवरिया ।

१७—लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लि०, छितौनी, जिला देवरिया ।

१८—कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, डाकखाना मोतीनगर मसोधा, जिला फैजाबाद ।

१९—दि नवाबगंज, शुगर मिल्स क० लि० नवाबगंज, जिला गोंडा ।

२०—एन० ई० रेलवे प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर ।

२१—पंजाब शुगर मिल्स कं० लि०, घुघली, जिला गोरखपुर ।

२२—गनेश शुगर मिल्स लि०, डाकखाना आनंद नगर, जिला गोरखपुर ।

२३—गवर्नमेंट हार्नेस ऐण्ड सेडलरी फैक्टरी, कानपुर ।

२४—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज़ सेंट्रल वर्कशाप, नवाबगंज, कानपुर ।

२५—दि म्योर मिल्स क० लि०, कानपुर ।

२६—न्यू विक्टोरिया मिल्स क० लि०, पोस्ट बाक्स नं० ४६, कानपुर ।

२७—एल्गिन मिल्स क० लि०, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

२८—कानपुर काटन मिल्स क० लि० (बी० आई० सी० की शाखा), कोपरगंज कानपुर ।

२९—स्वदेशी काटन मिल्स क० लि०, जूही, कानपुर ।

३०—महेश्वरी देवी जूट मिल्स लि०, रेल बाजार, कानपुर ।

३१—जे० के० काटन, स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स क० लि०, अनवरगंज, कानपुर ।

३२—कानपुर टेक्सटाइल्स लि०, कानपुर ।

३३—अथर्टन वेस्ट ऐण्ड क० लि०, अनवरगंज, कानपुर ।

३४—बी० आई० सी० कानपुर ऊलन मिल्स कं० लि०, कानपुर ।

३५—कूपर एलन ऐण्ड क० (बी० आई० सी० की शाखा), कानपुर ।

३६—रिवरसाइड पावर हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

३७—जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कं० लि०, कालपी रोड, कानपुर ।

३८—जे० के० काटन मैन्यूफैक्चरर्स लि०, लाला कमलापत रोड, कानपुर ।

३९—लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि०, कालपी रोड, कानपुर ।

४०—जे० के० आयरन ऐण्ड स्टील क० लि०, कालपी रोड, कानपुर ।

४१—आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, नेपियर रोड, कानपुर ।

४२—नं० १ बी० आर० डी० एयर क्राफ्ट डिपो, चकेरी, कानपुर ।

४३—आर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी, कानपुर । }

४४—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (शस्त्र) क०, आर्डिनेंस फैक्टरी, कालपी रोड, कानपुर । } एक सम्मिलित कैंटीन दोनों के लिए मानी जायगी ।

४५—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (लेबोरेट्रीज) नेपियर रोड, पोस्ट बाक्स नं० ३५०, कैंट, कानपुर। ४६—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (सूत और वस्त्र), पोस्ट बाक्स न० २९४, कानपुर। ४७—इस्पेक्टरेट आफ जनरल स्टोर्स, सेंट्रल इंडिया, पोस्ट बाक्स नं० ३०७, कानपुर। ४८—टेक्निकल इस्टैब्लिशमेंट स्टोर्स, पोस्ट बाक्स न० १२७, कानपुर।	एक सम्मिलित कैंटीन सब के लिए स्वीकार की जायगी।

४९—सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो, कानपुर।

५०—स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कालपी रोड, कानपुर।

५१—गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ।

५२—लोकोमोटिव वर्कशाप, उत्तरी रेलवे, चारबाग, लखनऊ।

५३—कैरिज ऐण्ड वैगन वर्कशाप, उत्तरी रेलवे, आलमबाग, लखनऊ।

५४—स्टोर्स डिपो, उत्तरी रेलवे, आलमबाग, लखनऊ।

५५—रिलायेबिल वाटर सप्लाई सर्विस आफ इंडिया लि०, आलमबाग, लखनऊ।

५६—हिंद लैम्प्स लि०, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी।

५७—जसवंत शुगर मिल्स लि०, मलीना, मेरठ सिटी।

५८—दीवान शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, डाकखाना सखौटी टांडा, मेरठ।

५९—मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स, मैलाना, मेरठ सिटी।

६०—राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मुहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ।

६१—मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, डा० मोदीनगर, मेरठ।

६२—मोदी वनस्पति मैन्यूफैक्चर्स कं०, मोदीनगर, मेरठ।

६३—मोदी आयल मिल्स, डाकखाना, मोदीनगर, मेरठ।

६४—मोदी हरीकेन फैक्ट्री, डाकखाना मोदीनगर, मेरठ।

६५—मोदी शुगर मिल्स, डाकखाना मोदीनगर, मेरठ।

६६—आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर, मेरठ।

६७—५०१ आर्मी वर्कशाप, ई० एम० ई०, मेरठ कैंट।

६८—सर शादी लाल शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, डाकखाना, मंसूरपुर।

६९—अमृत शुगर मिल्स कं० लि०, रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर।

७०—अपर इंडिया शुगर मिल्स लि०, खटौली, जिला मुजफ्फरनगर।

७१—एल० एच० शुगर फैक्टरीज ऐण्ड आयल मिल्स, काशीपुर, जिला नैनीताल।

७२—रजा टेक्सटाइल्स लि०, डाकखाना ज्वालानगर, कानपुर।

७३—रजा शुगर कं० लि०, रहे बाजार, रामपुर।

७४—दि इंपीरियल टोबैको कं० आफ इंडिया लि०, सहारनपुर।

७५—लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स लि०, नुकार रोड, सहारनपुर।

७६—आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।

७७--रोजा शुगर वर्क्स ऐण्ड डिस्टिलरी आफ मेसर्स कैरयू ऐण्ड कं० लि०, रोजा, जिला शाहजहांपुर।

७८--प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर।

७९--दि एसोशियेटेड जर्नल्स, १, विश्वेश्वर नाथ रोड, लखनऊ।

परिशिष्ट य--(४) ३

२२ मई, १९५५ ई०

संख्या ३९५ (एल-एल)/३६-बी--३१३ (एल-एल)-५३--यू० पी० कारखाना कानून, १९४८ (१९४८ के अधिनियम ६३) की धारा ११२ के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उ० प्र० कारखाना नियमावली, १९५० में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

संशोधन

१--नियम ३३ के ऊपर शीर्षक 'मशीनों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए सावधानी' के नीचे '[धारा २२(३)]' के स्थान पर '[धारा २२(१) और (३)]' शब्द रखो।

२--नियम ५३ के उपनियम (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये अधिनियम (जी) की भांति जोड़ दें :--

"अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) के अनुसार आवश्यक प्रपत्र संख्या २५ के अंदर होगा।"

प्रपत्र सं० २५

(नियम ५३)

(१) कर्मचारी का नाम ....

(२) अधिनियम की धारा ६२ के अंतर्गत रजिस्टर में उल्लिखित क्रमांक ....

(३) पिता का नाम ....

(४) आयु तथा जन्म-तिथि ....

(५) कौन सा काम करता है ....

(६) उसी प्रकार के काम की योग्यतायें, यदि कोई हो ... अथवा नौकरी की अवधि.....

(७) तिथि जब कि कसी हुई पोशाक दी गई ....

(८) विशेष विवरण ....

३--मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त कर्मचारी, जिसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान नीचे दिया है, ठीक प्रकार से प्रशिक्षित प्रौढ़, पुरुष कर्मचारी है, जो हमारे कारखाने में लगी मशीनरी पर चलते हुए पट्टे को चढ़ाने, उतारने, तेल लगाने या ठीक करने के और कार्य करने में सक्षम है--

कर्मचारी का हस्ताक्षर या निशान अंगूठा

मालिक का हस्ताक्षर ....

दिनांक...............

४--नियम ६८ के उपनियम (१८) मे निम्नलिखित उपबंध जोड़ दो :--

"शर्त यह है कि किसी सरकारी कारखाने की कैंटीन से संबंधित हिसाब-किताब की विभागीय लेखाधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा की जा सकती है"

परिशिष्ट--य (४) ४

२७ जून, १९५५ ई०

सं० ५१६ (एल-एल)/३६-बी--४३२ (एल-एल)-५३--इण्डियन ब्वायलर्स ऐक्ट, १९२३ (१९२३ ई० को ऐक्ट संख्या ५) की धारा २९ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय यू० पी० ब्वायलर इन्सपेक्शन रूल्स, १९२४ मे निम्नलिखित संशोधन करते है, जो उक्त ऐक्ट की धारा ३१ (१) के अधीन ८ अक्तूबर, १९५४ ई० की विज्ञप्ति स० २१९० (एल-एल)/३६-बी--४३२ (एल-एल)-५३ के साथ पहिले प्रकाशित किये गये थे :--

परिशिष्ट य--(४) ५

विविध

२६ अगस्त, १९५५ ई०

स० १३९३ (एल-एल)/३६-बी--२९२ (एल-एल)-५४--फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ६३वां ऐक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग मे लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपल महोदय यू० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० मे निम्नलिखित संशोधन, जो विज्ञप्ति सं० १९२५ (एल-एल)/३६-बी--२९२ (एल-एल)-५४, दिनाक २७ जनवरी, १९५५ द्वारा पहले ही उक्त ऐक्ट की धारा ११५ के अनुसार प्रकाशित किये जा चुके है, करते है :--

संशोधन

१--उक्त नियमो के साथ सलग्न प्रपत्र संख्या २ मे क्रमाक ९ के पश्चात् नया क्रमाक १० निम्नलिखित अनुसार जोड दो :

"१०--स्थान पर अधिकार रखने वाले के हस्ताक्षर इस पृष्ठाकन के साथ कि प्रमाणित करने वाले इंजीनियर ने कारखाने को मेरी प्रार्थना पर देखा और उसकी स्थिरता का प्रमाणपत्र दिया।

२--उक्त नियमो के साथ संलग्न प्रपत्र सख्या २१ की पादटिप्पणी १ मे द्वितीय वाक्य के स्थान पर अधिसूचना सख्या २१७९ (एल-एल)/३६-बी--४९८ (एल-एल)-५२, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५३ द्वारा दिए गये सशोधन के अनुसार निम्नलिखित करो :--

"उपस्थिति की गणना करने मे (१) कर्मचारी की उपस्थिति

(अ) किसी काम के दिन मे निर्धारित काम के घटो के आधे से कम को छोड दिया जायगा।

(ब) काम के दिन मे निर्धारित काम के घटो से आधे के बराबर या अधिक की उपस्थिति, पूरी उपस्थिति गिनी जायगी।

(२) अस्थायी तथा स्थायी दोनो प्रकार के कर्मचारियो की उपस्थिति गिनी जायगी।"

परिशिष्ट य--(

विविध

२१ सितम्बर, १९५५ ई०

सं० १८१६ (एल-एल)/३६-बी-९५ (एल-एल)--५४--फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३वां ऐक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय विज्ञप्ति सं० ६१९ (एल-एल)/३६-बी--९५(एल-एल)-५४, दिनांक २३ जून, १९५४ ई० में पूर्व प्रकाशन के उपरान्त यू० पी०, फैक्टरीज रूल्स, १९५० में आगे लिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त नियमों के साथ "दुर्घटनाओं और संकटपूर्ण घटनाओं की रजिस्ट्री" शीर्षक के प्रपत्र संख्या २३ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखो :—

प्रपत्र संख्या २३

(धारा ११२, नियम १२२)

'दुर्घटनाओं और संकटपूर्ण घटनाओं का रजिस्टर'

क्रम-संख्या	प्रपत्र संख्या १८ में निरीक्षक को की गई रिपोर्ट की तारीख (और बीमा अधिकारियों को सूचना)	रिपोर्ट और सूचना का समय	घायल व्यक्ति का नाम और पता	पुरुष अथवा स्त्री	आयु	बीमा संख्या	कर्मचारी की पाली, विभाग और काम	चोट अथवा संकटपूर्ण घटना						सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, काम पता और हस्ताक्षर या निशान अंगूठा	प्रपत्र भरने वाले व्यक्ति का नाम और पद	दो साक्षियों के नाम, पते तथा काम	घायल व्यक्ति के काम पर वापस लौटने की तारीख	राज्य बीमा के स्थानीय कार्यालय का नाम जहां से घायल व्यक्ति का संबंध हो	विशेष विवरण, यदि कोई हो
								दिनांक	समय	स्थान	चोट या संकटपूर्ण घटना के कारण	चोट या संकटपूर्ण घटना की दशा	चोट के समय घायल ठीक-ठीक क्या कर रहा था						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०

टिप्पणी—(१) इस प्रपत्र का उपयोग प्रपत्र १५ के लिए भी हो सकता है जिस, के रखने की आवश्यकता कर्मचारी राज्य बीमा योजना (सामान्य) नियमावली, १९५० के नियम ६६ के अंतर्गत पड़ती है।

(२) स्तंभ २ तथा स्तंभ ७ के लिए आवश्यक सूचना केवल उन कारखानों को भरनी होगी, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत आते हैं।

परिशिष्ट य--(४) ७

७ दिसम्बर, १९५५ ई०

सं० ३२४६(एम)/३६-बी--३०६(एम)-५३--फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३वां ऐक्ट) की धारा ११२ द्वारा प्राप्त तथा इस सम्बन्ध में अन्य समस्त अधिकारों को प्रयोग मे लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यू० पी० फैक्ट्रीज रूल्स, १९५० में निम्नलिखित संशोधन, जिसको इस विभाग की विज्ञप्ति सं० ३७५२ (एम), ३६-बी-३०६(एम)-५३, दिनांक १५ अप्रैल, १९५५ द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा ११५ के उपबन्धों के अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, करते है :--

संशोधन

नियमावली के नियम २ के वाक्यखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये वाक्य-खंड (१) की भांति जोडिये :--

"प्रमाणित परिचारिका" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है, जो इंडियन नर्सिंग कौन्सिल अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत मान्य परीक्षा से उत्तीर्ण है और जिसकी रजिस्ट्री उ० प्र० नर्सेज और मिडवाइफ्स कौन्सिल में या भारत में किसी राज्य की उसी प्रकार की रजिस्टर्ड संस्था में हो गई है।

परिशिष्ट य--(४) ८

१२ दिसम्बर, १९५५ ई०

सं० १७२६(एल-एल)/३६-बी--३८ (एल-एल)-५४--यू० पी० मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, १९३८ (यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९३८) की धारा १६ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय यू० पी० मेटरनिटी बेनिफिट रूल्स, १९३९ मे निम्नलिखित संशोधन करते है। यह संशोधन उक्त धारा की उपधारा (४) में उपबन्धों के अनुसार आपत्ति तथा सुझाव के लिये इस विभाग की विज्ञप्ति सं० २२८८ (एल-एल)/ ३६-बी--३८०(एल-एल)-५४, दिनांक २ फरवरी, १९५५ में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है :--

संशोधन

उक्त नियमो के साथ संलग्न प्रपत्र 'स' के स्थान पर निम्नलिखित रखिये

प्रपत्र 'स'

१५ जनवरी या उसमे पूर्व कारखानो के मुख्य निरीक्षक को दिया जाने वाला विवरण

(देखिये नियम ७)

१--कारखाने का नाम और उसका डाक का पता----------

२--मालिक (स्वामी) का नाम----------

३--प्रबन्धक का नाम----------

४--३१ दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष १९. ----------

५—नियोजित स्त्रियों की औसत दैनिक संख्या—————————————

६—क्या मालिक कोई शिशु शाला रखता है —————————————

७—स्त्रियों की संख्या, जिन्होंने अधिनियम की धारा

६(१) के अन्तर्गत मातृका हितलाभ का दावा किया—————————————

८—उन स्त्रियों की संख्या, जो उस मातृका

हितलाभ से वंचित रहीं, जिसको पाने की वे अधिकारी थीं—————————————

९—स्त्रियों की संख्या, जिन्हें शिशु-जन्म पर मातृका हितलाभ दिया गया—————————————

१०—स्त्रियों की संख्या, जिन्हें धारा ६(४) के अन्तर्गत गर्भपात पर मातृका हित लाभ दिया गया —————————————

११—स्त्रियों की संख्या जिन्हें धारा ५ (३) के अन्तर्गत बोनस दिया गया —————————————

१२—बच्चों के संरक्षक या कानूनी प्रतिनिधियों की संख्या. जिन्हें स्त्री कर्मचारी की मृत्यु पर (धारा ७) मातृका हितलाभ का भुगतान दिया गया —————————————

१३—दावों की संख्या जो पूर्ण या अंशतः स्वीकार और भुगतान हुये —————————————

१४—उन मामलों की संख्या, जिनमें स्त्रियों ने प्रसूत काल के पहले पूरा मातृका अवकाश का लाभ उठाया—————————————

१५—मातृका हितलाभ में भुगतान की गई कुल रकम—————————————

१६—भुगतान किए गये बोनस की कुल रकम—————————————

१७—बोनस की कुल रकम, जो उक्त क्रमांक ११ में दी गई संख्या की स्त्रियों को भुगतान किया गया—————————————

दिनांक——————— हस्ताक्षर———————

नियोजक———————

पता———————

(५) अधिनियम एवं आनियमों की विभिन्न व्यवस्थाओं से मुक्ति

(अ) कारखाना कानून

परिशिष्ट य--(५) (अ) १

१४ मार्च, १९५५ ई०

सं० ५७४(एम)/३६–बी---फैक्ट्रीज ऐक्ट,१९४८ ई० (ऐक्ट सं० ६३, १९४८ ई०) की धारा ५ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के नियन्त्रण में उत्तर प्रदेश के सरकारी मुद्रालयो को उनमें नियोजित समस्त प्रौढ़ पुरुष कर्मचारियो के सम्बन्ध में, १ दिसम्बर, १९५४ ई० से तीन महीने की अवधि के लिये उक्त ऐक्ट की धारा ५१,५२,५४,५६ और ५८ (१) के उपबन्धों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त करते हैं :—

(१) किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन किया गया कुल काम १२ घंटे से अधिक न होगा।

(२) प्रतिदिन के काम आरम्भ करने से अन्त तक के घंटे १३ से अधिक न होंगे।

(३) अतिरिक्त समय का वेतन उक्त ऐक्ट की धारा ५९ के उपबन्धों के अनुसार दिया जायेगा।

(४) बदले की छुट्टी उक्त ऐक्ट की धारा ५३ के अनुसार दी जायेगी।

(५) किसी भी कर्मचारी के काम करने के कुल साप्ताहिक घंटे किसी सप्ताह में ७२ से अधिक न होंगे।

परिशिष्ट य—(५) (अ) २

सं० ९३०(एम)/३६–बी---७७(एम)–४९—विज्ञप्ति सं० ४००४(एम)/३६–बी–७७(एम)–४९, दिनांक ४ जनवरी, १९५५ ई० के क्रम में तथा फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ ई० का ६३वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के निम्नलिखित डिफेन्स आर्म्स तथा एम्युनिशन्स के कारखानो को उनके वयस्क पुरुष श्रमिको के सम्बन्ध में फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ७६ की धारा ५१,५२, ५४, ५५ तथा ५६ के आदेशों से १ अप्रैल, १९५५ ई० से तीन मास की और अवधि के लिये मुक्त करते हैं :—

१—आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर।
२—हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर।
३—क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।
४—पैराशूट फैक्टरी, कानपुर,
५—आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर।
६—आर्डिनेन्स फैक्टरी, देहरादून।
७—स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।

८—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट. वैपन्स, कानपुर विंग, काल्पी रोड, कानपुर (ए)।

९—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट, वैपन्स, कानपुर विंग काल्पी रोड, कानपुर (बी)।

१०—सेण्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, कानपुर।

११—आर्डिनेन्स सब-डिपो, शाहजहांपुर।

परिशिष्ट य--(५) (अ) ३

४ जुलाई, १९५५ ई०

सं० [२०४४(एम)/३६-बी (एम)-५३—विज्ञप्ति सं० ९६९ (एम)/३६-बी—२ (एम)-५३, दिनांक ७ अप्रैल, १९५५ ई० के क्रम में तथा फैक्ट्रीज़ ऐक्ट, १९४८ (१९४८ ई० का ६३वां ऐक्ट) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग में लाते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय सेण्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, छिवकी, इलाहाबाद को उसके २०० वयस्क पुरुष श्रमिकों क सम्बन्ध में उक्त ऐक्ट की धारा ५१, ५२, ५४, ५६ तथा ५८(१) के उपबन्धों से १५ जून, १९५५ ई० से ३ मास की और अवधि के लिये मुक्त करते है।

परिशिष्ट य--(५) (अ) ४

१३ जुलाई, १९५५ ई०

संख्या २११० (एम)/३६-बी--७७(एम)-४९—अधिसूचना संख्या ९३० (एम)/३६-बी--७७ (एम)-४९, दिनांक २२ मार्च, १९५५ को जारी रखते हुए तथा कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ के अधिनियम संख्या ६३) की धारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय कृपापूर्वक भारत सरकार की उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित डिफेन्स आर्म्स ऐण्ड एम्यूनीशन्स फैक्टरियों में उनके प्रौढ़ पुरुष कर्मचारियों के संबंध में कारखाना कानून, १९४८ के अध्याय ६ की धारा ५१, ५२, ५४ और ५५ के उपबंधों से १ जुलाई, १९५५ से तीन महीने की अवधि के लिए आगे और मुक्त करते है :—

१—आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर।

२—हार्नेस तथा सैडलरी फैक्टरी, कानपुर।

३—क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर।

४—पैराशूट फैक्टरी, कानपुर।

५—आर्डनेंस फैक्टरी, मुरादनगर।

६—आर्डनेंस फैक्टरी, देहरादून।

७—स्माल आर्म्स फैक्टरी, कानपुर।

८—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (शस्त्र) कानपुर विभाग, कालपी रोड, कानपुर (ए)।

९—टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (शस्त्र) कानपुर विभाग, कालपी रोड, कानपुर (बी)।

१०—आर्डनेंस सब-डिपो, शाहजहांपुर।

(ब) दूकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान ऐक्ट, १९४७ ई०

परिशिष्ट य—(५) (ब) १

१६ फरवरी, १९५५ ई०

सं० ३२७ (एम)/३६–बी—४०९ (एम)–५२—अद्यावधि संशोधित यू० पी० शाप्स एण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर राज्यपाल महोदय बनारस म्युनिसिपल और कैण्टूनमेंट क्षेत्रो मे स्थित समस्त ऐसी दूकानो और व्यावसायिक संस्थाओ को, जिनमें रेशम की बुनाई का काम होता है, उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ के प्रवर्तन से सन् १९५५ ई० के पश्री वर्ष के लिये निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करते है :—

(१) प्रत्येक ऐसी दूकान और व्यावसायिक संस्था के कर्मचारियों को सन् १९५५ में ३३ (तेंतीस) दिनों की छुट्टी, जो संलग्न सूची में निर्दिष्ट है, दी जायेगी तथा

(२) संलग्न सूची में निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त प्रत्येक कारखानादार (employer) अपना करघा स्वेच्छानुसार सन् १९५५ में १९ (उन्नीस) दिन बन्द रखेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस दिन ऐसी छुट्टी मनाई जावे, उस दिनांक से एक सप्ताह क भीतर उसकी सूचना सम्बद्ध शाप इन्स्पेक्टर को दे दी जायेगी ।

दिनों की सूची जब सिल्क उद्योग के बुनकर करघा बन्द रखेंगे:—

१—मकर संक्रांति	१ दिन
२—महात्मा गांधी का मृत्यु दिवस	१ दिन
३—होली	१ दिन
४—शब मिराज	१ दिन
५—शबे बरात	२ दिन
६—मेऊागाजो मियां	२ दिन
७—जमातुल बिदा	१ दिन
८—ईदुल फितर	३ दिन
९—उर्स शाह तैयब	१ दिन
१०—नाग पचमी	१ दिन
११—गणतन्त्र दिवस	१ दिन
१२—तीज	१ दिन
१३—ईदुज्जुहा	३ दिन
१४—महात्मा गांधी का जन्म दिवस	१ दिन
१५—दशहरा	२ दिन
१६—मुहर्रम	२ दिन
१७—तीजा	१ दिन

१८—दिवाली	१ दिन
१९—जुमा बरना	१ दिन
२०—गुरु नानक का जन्म दिवस	१ दिन
२१—आखिरी बुधवार	२ दिन
२२—योम बफात और मीलाद उन्नवी	२ दिन
२३—ग्यारहवीं शरीफ	१ दिन

परिशिष्ट य--(५)(ब) २

सं० १२००(एम)/३६-बी—१४० (एम)-५४--यू० पी० शाप्स एण्ड कार्माशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२,१९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा दत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, मेसर्स कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के लखनऊ में स्थित सेल्स आफिस (Sales office) को उक्त ऐक्ट की धारा ५ और १३ के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करते हैं :—

(१) किसी साल में कर्मचारियो को दी गई कुल छुट्टी की संख्या १३० दिन से कम न होगी।

(२) यदि आवश्यक होगा तो कर्मचारियों के परामर्श से त्योहार वाली तीन अन्य छुट्टियों को छोड़कर दी गई त्योहार वाली छुट्टियों में उक्त ऐक्ट की धारा ११ के अधीन नियत ३ ट्रेजरी वाली छुट्टियां सम्मिलित होंगी।

(३) उक्त ऐक्ट की धारा ५ के प्रवर्तन से मुक्ति उस हद तक दी जायगी, जो उपर्युक्त शर्त (२) की पूर्ति के लिये आवश्यक हो।

परिशिष्ट य—(५) (ब) ३

११ अगस्त, १९५५ ई०

सं० १९८९ (एम)/३६-बी—१०४(एम)-५५--यू० पी० शाप्स ऐण्ड कार्माशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट संख्या २२,१९४७ ई०), की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय लखनऊ और कानपूर के इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं को तारीख ३१ मार्च, १९५५ के दिन उक्त ऐक्ट की धारा ६ और ८ के पालन से निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करते हैं :—

(१) उस दिन कर्मचारियों से बैंक के साधारण काम करने के घंटों के अलावा लिया गया कुल कार्य अतिरिक्त समय (ovrtime) माना जायेगा और ऐसी दर से भुगतान किया जायेगा, जो उनके साधारण वेतन की दर से दूने से कम न हो।

(२) किसी भी कर्मचारी के अतिरिक्त समय का काम सन् १९५५ ई० में २०० घंटे से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट य—(५) (ब) ४

१९ अक्तूबर, १९५५ ई०

सं० ३३५८ (एम)/३६-बी--२६३(एम)-५५--यू० पी० शाप्स ऐण्ड कार्माशियल इस्टैब्लिसमेण्ट्स ऐक्ट, १९४७ई०(यू० पी० ऐक्ट सं० २२,१९४७ ई०)की धारा ३४ द्वारा

प्रदत्त अधिकारो को काम में लाकर राज्यपाल चुनाव सूचियां छपने वाले छापे खानो को १४ सितम्बर, १९५५ से १५ नवम्बर, १९५५ तक उक्त ऐक्ट की धारा ६, ८, १० और ११ के पालन से निम्नलिखित शर्तो पर मुक्त करते हैं :—

(१) कर्मचारियो से अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) के काम के पारिश्रमिक का भुगतान उनके घंटो के हिसाब से लगाये गये साधारण पारिश्रमिक की दूनी दर के हिसाब से किया जायगा,

(२) अतिरिक्त समय का काम १२० घंटों से अधिक का नहीं होगा ।

(३) यदि ऐक्ट की धारा १० और १२ के अन्तर्गत कोई कर्मचारी किसी छुट्टी से वंचित रहे, तो उसको ३१ दिसम्बर, १९५५ के पहिले उतने ही दिनो की छुट्टी देंगे ।

परिशिष्ट य—(५) (ब) ५

विविध

७ दिसम्बर, १९५५ ई०

सं० २८५८ (एम)/३६–बी––२१३ (एम)–५४––संयुक्त प्रांतीय दुकानों और व्यावसायिक संस्थाओ के ऐक्ट, १९४७ ई० (संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट सं० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय नेशनल ग्लास सिलिकेट ऐण्ड केमिकल वर्क्स, आगरा को उक्त ऐक्ट की धारा १० तथा ११ के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करते हैं :—

(१) उपर्युक्त मुक्ति केवल कांच उत्पादन की विधि (process) और उसमें नियोजित कर्मचारियों के सबंध में लागू होगी और फैक्टरी के कार्य से संबंधित किसी अन्य विधि (process) पर लागू न होगी ।

(२) ऐसे कर्मचारियो को, जिन्हें इस ऐक्ट की धारा ११ के अधीन नियत सरकारी खजाने वाली किसी छुट्टी के दिन कार्य करना पड़ता है, ऐसी छुट्टी के एक पखवारे के भीतर उसके बदले छुट्टी दी जायगी और सरकारी खजाने वाली किसी छुट्टी के दिन ऐसा कार्य कराने के कम से कम २४ घंटे पूर्व सम्बन्धित इसपेक्टर को सूचना भेज दी जायगी ।

(३) कर्मचारियो से कराये गये ओवरटाइम कार्य के लिये घंटे के हिसाब से औसत पारिश्रमिक को दुगुनी दर से भुगतान किया जायगा ।

परिशिष्ट य—(५) (ब) ६

सं० २९९२ (एन)/३६–बी––२३६(एन)–५५––यू० पी० शाप्स ऐण्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेण्ट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (यू० पी० ऐक्ट स० २२, १९४७ ई०) की धारा ३४ द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय, बनारस के म्यूनिसिपल और कैण्टूनमेंट क्षेत्रों में स्थित उन सभी दुकानों तथा व्यावसायिक संस्थाओ को, जो चूड़ियों का व्यवसाय करते हैं, रविवार, १८ सितम्बर, १९५५ ई० को होने वाली साप्ताहिक बन्दी दिवस के लिए उक्त ऐक्ट की धारा १० और १२ के पालन से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि दुकान मालिक इस छुट्टी के स्थान पर उसी हफ्ते में किसी ऐसे दूसरे दिन, जो कि जिलाधीश, बनारस नियत करें, बन्दी दिवस मनायेंगे और अपने कर्मचारियों को उस दिन एक पूरे दिन की छुट्टी भी देंगे ।

(स) कर्मचारी राज्य बीमा कानून

परिशिष्ट ट—(५) (स) १

१९ जनवरी, १९५५ ई०

सं० ५३ (एम-एम)/३६-ए—४०३-५५—एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८७ द्वारा प्राप्त अधिकारो को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, इस ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड कर २२ जनवरी, १९५५ ई० से एक वर्ष की अवधि के लिये अनुसूची मे उल्लिखित कारखानों को उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते है ।

अनुसूची

क्रम-संख्या	सेवा योजकों के नाम		
१	मदन ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद		
२	सरस्वती बैंगिल	,,	,,
३	जैन ,,	,,	
४	मित्तल बैंगिल	,,	
५	ऐजाज बैंगिल	,,	
६	राजेन्द्र ,,	,,	,,
७	रामा बैंगिल	कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद।	
८	मदन ग्लास बैंगिल	,,	,,
९	सच्चा सौदा ,,	,,	,,
१०	सुग्गा बैंगिल	,,	,,
११	रफीक	,,	,,
१२	चमन	,,	,,
१३	रवेन्द्र सिंह सूरजभान बैंगिल	,,	,,
१४	विजय ग्लास बैंगिल	,,	,,
१५	थड्डा राम तकीकर दास बैंगिल		,,
१६	मेसर्स विजय ग्लास बैंगिल	,,	,,
१७	शारदा ग्लास	,,	,,
१८	ब्रजेश बैंगिल	,,	,,
१९	रतन बैंगिल	,,	,,
२०	राम चन्द्र	,,	,,
२१	नरेन्द्र	,,	,,
२२	पन्ना लाल प्यारे लाल बैंगिल	,,	,,
२३	कृष्णा बैंगिल कटिंग फैक्टरी ऐन्ड आयल मिल्स, फिरोजाबाद ।		
२४	राम सिंह बैंगिल	कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद ।	
२५	मुन्नी लाल श्री भगवान	,,	

क्रम-संख्या	सेवा योजकों के नाम	
२६	कैलाश	बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद
२७	जगदीश सरन महेन्द्रकुमार	"
२८	मक्खन लाल राम जी दास	"
२९	भगवान	"
३०	जय हिन्द	"
३१	कृष्णा	"
३२	भवानी	"
३३	ग्लोब इण्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद।	
३४	गुप्ता बैंगिल कटिंग, फैक्ट्री, फिरोजाबाद।	
३५	लक्ष्मी ग्लास बैंगिल कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद।	
३६	हिन्दुस्तान कटिंग फैक्ट्री, फिरोजाबाद।	

परिशिष्ट य—(५) (स) २

८ जुलाई, १९५५ ई०

सं० ८२३ (एल-एम)/३६-ए—४१४-५४—दिनांक १२ जुलाई, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ४४९ (एल-एम)/३६—२७-४१४-५४—के अनुक्रम में तथा एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट स० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय उक्त ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड़ कर १२ जुलाई, १९५५ ई० से एक वर्ष की और अवधि के लिये लोवपुर में तैनात मेसर्स यूनाइटेड केमिकल वर्क्स, कानपुर के प्रतिनिधि, श्री डी० आर० आनन्द को उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से इस शर्त पर मुक्त करते हैं कि श्री आनन्द कानपुर की मुख्य फैक्ट्री में किसी पत्री वर्ष में तीन मास की अवधि से अधिक न रहे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त फैक्ट्री एक लेखा रक्खेगी, जिसमें यह दिखाया जायगा कि श्री आनन्द कानपुर क्षेत्र से बाहर कितने दिनों तक रहे।

परिशिष्ट य—(५) (स) ३

१३ सितम्बर, १९५५ ई०

सं० १०३७ (एल-एम)/३६-ए—४२३-५४—दिनाक ४ सितम्बर, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति स० ७९७ (एल-एम)/३६-ए—४२३-५४ के अनुक्रम में और एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, उक्त ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड़ कर मेसर्स कानपुर प्लेट मिल्स लिमिटेड, कानपुर के ऐसे कर्मचारियो को, जो उनके गोरखपुर तथा लखनऊ स्थित प्रदर्शन कक्षो में तैनात है, ४ सितम्बर, १९५५ ई० से एक वर्ष की और अवधि के लिये उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त करते हैं :—

(१) ऐसे कर्मचारी कानपुर के मुख्य कारखाने में किसी पत्री वर्ष में तीन मास से अधिक न रहें।

(२) उक्त कारखाना एक विवरण-पत्र रखेगा, जिसमें यह दिखाया जायगा कि वे कर्मचारी कानपुर क्षेत्र से बाहर कितने दिनों तक रहे।

(३) इस प्रकार मुक्त किये जाने पर भी इन कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अंतर्गत ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उन्हें ४ सितम्बर, १९५४ ई० से पूर्व भुगतान किये गये अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

परिशिष्ट य--(५) (स) ४

नई दिल्ली, १८ जून, १९५५ ई०

सं०एस० एस०-१३९(२२)--कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, १९४८(१९४८ ई० को ऐक्ट सं० ३४) की धारा ७३-एफ के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में तथा भारत सरकार के मंत्रालय के आदेश संख्या एस० आर० ओ० २७२ का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार इस आज्ञा द्वारा २१ जनवरी, १९५६ तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रकरण ५-अ के अंतर्गत देय विशेष चंदे के भुगतान से उन कारखानों को छूट देते हैं, जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित नहीं हैं या पूर्ववर्ती १२ महीनों में कभी भी मालिक द्वारा सीधे या एक तात्कालिक नियोजक द्वारा या उसके जरिए नियोजित नहीं थे, यद्यपि बीस या उससे अधिक व्यक्ति कारखाने के क्षेत्र में काम करते हैं या करते थे।

परिशिष्ट य--(५) (स) ५

२१ सितम्बर, १९५५ ई०

सं० १०७४ (एस-एम)/३६-ए--४१३-५४--ता० १४ सितम्बर, १९५४ ई० की सरकारी आज्ञा सं० ७८९ (एस-एम)/३६-ए-४१३-५४ के अनुक्रम में तथा एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ऐक्ट सं० ३४) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय उक्त ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड़ कर २६ सितम्बर, १९५५ से एक वर्ष की और अवधि के लिये मेसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (कूपर एलन ब्रांच), कानपुर नामक कारखाना के ऐसे कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त करते हैं, जो यांत्रिक प्रतिनिधियों के रूप में काम करते हैं :-

१--कानपुर के उक्त कारखाना में से कर्मचारी किसी पचांगीय वर्ष में तीन मास से अधिक कार्य न करें।

२--उक्त कारखाना एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें इस ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त किये गये ऐसे समस्त कर्मचारियों के नाम तथा पद लिखे होंगे और यह कि वे कानपुर क्षेत्र से बाहर कितने दिन रहे; और

३--इस प्रकार मुक्त किये गये कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उनके मुक्त किये जाने के दिनांक से पूर्व भुगतान किये गये अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

परिशिष्ट य--(५) (स) ६

सं० १०७६ (एस-एम)/३६-ए--४४०-५४, ता० २५ सितम्बर, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ९२६ (एस-एम)/३६-ए--४४०-५४ के अनुक्रम में तथा एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८७ द्वारा प्राप्त अधिकारों

का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय यह आज्ञा देते हैं कि कुछ शर्तों के अन्तर्गत उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से कुछ कारखानों को मुक्त करने वाली २६ सितम्बर, १९५३ ई० की विज्ञप्ति सं० २४६७ (एल-एल)/३६-बी—२२० (एल-एल)-५२ के उपबन्ध, २७ सितम्बर, १९५५ ई० से एक वर्ष की और अवधि तक लागू रहेंगे।

परिशिष्ट य—(५) (स) ७

नई दिल्ली, दिनांक १६ सितम्बर, १९५५ ई०

एस० आर० ओ० २०९७—कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, १९४८ (१९४८ के ३४) की धारा ७३-एफ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार इस और आदेश द्वारा १ अक्तूबर, १९५५ से एक वर्ष की अवधि के लिये और उक्त अधिनियम के प्रकरण ५ (ब) के अन्तर्गत देय विशेष चन्दे के भुगतान से प्रत्येक ऐसे कारखाने को मुक्त करती है—

(अ) जो पूर्णतः इस आदेश के साथ दी गई तालिका में निर्देशित एक या अधिक प्रकार के उत्पादन में या पूर्वोक्त उत्पादन के परिणाम स्वरूप उससे सम्बन्धित उत्पादन प्रणाली में अथवा उक्त अधिनियम की धारा २ के वाक्य खंड (१२) में उल्लिखित मौसमी कारखाने के ढंग के उत्पादन में लगे हैं और

(ब) जो उक्त तालिका के स्तम्भ ३ की सम्बन्धित प्रविष्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, उक्त तालिका के स्तम्भ २ की सम्बन्धित प्रविष्ट में निर्धारित किसी क्षेत्र में स्थित हों :—

तालिका

उत्पादन प्रणाली का नाम	क्षेत्र, जहां स्थित है	शर्तें
१	२	३
१—बिना बनी पत्ते की तमाकू का पुनः सुखाना ..	जम्मू और काश्मीर को छोड़कर पूरा भारत	..
२—चावल कूटना ...	"	...
३—शीत भंडार ...	"	..
४—नमक बनाना ...	"	..
५—काजू तैयार करना ...	"	..
६—तेल मिल ...	"	.. शर्त यह है कि तेल उत्पादन के लिये पेरना किसी अन्य उत्पादन के फल स्वरूप है, जो मौसमी है और तब तक, जब तक कि तेल पेरने में नियोजित व्यक्तियों की संख्या ५० से कम है।

१	२	३
७—बर्फ बनाना	...	पंजाब, दिल्ली, अजमेर, उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल, हैदराबाद, बिहार, राजस्थान और पेप्सू ।

परिशिष्ट य (५) (स) ८

१९ अक्तूबर, १९५५ ई०

सं० ११४२(एस-एस)/३६-ए—४४५-५४—३० अक्तूबर, १९५५ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० १०६९ (एस-एम)/३६-ए के अनुक्रम में और इम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट स० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, उक्त ऐक्ट के अध्याय ५-ए को छोड़कर ३१ अक्तूबर, १९५५ से एक वर्ष की और अवधि के लिये मेसर्स बर्मा शेल आयल स्टोरेज ऐण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, काल्पी रोड, कानपुर के ऐसे कर्मचारियो को, जो कम्पनी की फैक्टरी के अतिरिक्त अन्य पदों पर फिटर, पेण्टर और शिक्षु के रूप में नियोजित हैं और जो फैक्टरी में किसी पत्री वर्ष में ३० दिन से अधिक कार्य नहीं करते, उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त करते हैं :—

(१) यह कि उक्त फैक्टरी एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें इस प्रकार मुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम तथा पद दिखाये जायेंगे और यह कि वे कितने दिनों तक कानपुर क्षेत्र के बाहर रहे और

(२) इस प्रकार मुक्त किये जाने पर भी ऐसे कर्मचारियो को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे जो उन्हें मुक्त करने के दिनांक से पूर्व भुगतान किये गये अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते ।

परिशिष्ट य (५) (स) ९

१ नवम्बर, १९५५ ई०

स० ११६८ (एस-एम)/३६-ए—४३६-५४—३० अक्टूबर, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० १०७७ (एस-एम)/३६-ए—४३६-५४ के अनुक्रम में और एम्पलाइज स्टेट इन्श्योरेन्स ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ३४, १९४८ ई०) की धारा ८८ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, उक्त ऐक्ट के अध्याय (५) ए को छोड़कर ३१ अक्तूबर, १९५५ ई० से एक वर्ष की और अवधि के लिये मेसर्स हिन्द केमिकल्स

लिमिटेड, कानपुर के ऐसे कर्मचारियों को, जो विक्रेता तथा प्रतिनिधि के रूप में नियोजित हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त ऐक्ट के प्रवर्तन से मुक्त करते हैं :—

(१) उक्त कारखाना में ऐसे कर्मचारी किसी पत्री वर्ष में तीन महीने से अधिक कार्य न करें।

(२) उक्त कारखाना एक रजिस्टर रक्खेगा, जिसमें इस प्रकार मुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम तथा पद दिखाये जायेंगे और यह कि ये कर्मचारी कानपुर क्षेत्र से बाहर कितने दिनों तक रहे।

(३) इस प्रकार मुक्त किये जाने पर भी इन कर्मचारियों को उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसे लाभ प्राप्त होते रहेंगे, जो उन्हें मुक्त किये जाने के दिनांक से पूर्व भुगतान किये गये अंशदानों के आधार पर प्राप्त होते।

(६) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत समितियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बधिन्त सूचनायें

परिशिष्ट य (६) १

२७ जनवरी, १९५५ ई०

सं० १६५७ (एल–एल) (४)/३६–बी—१८०(एल–एल)–५२—विज्ञप्ति सं० १६५७ (एल–एल)/३६–बी—सरकारी १८० (एल–एल) ५२, दिनांक १७ जुलाई, १९५४ ई० के क्रम में तथा सरकारी आज्ञा सं० यू–४६४ (एल–एल)/४६–बी—२५७(एल–एल)–५४, दिनांक १४ जुलाई, १९५४ ई० के वाक्य खंड १६ के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय, श्री जे० एन० श्रीवास्तव, प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद को इलाहबाद–स्थित राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के हेतु आये हुये समस्त औद्योगिक विवादों में आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में दिनांक १५ जनवरी, १९५५ से अगले ६ मास के लिये भाग लेने का अधिकार देते हैं।

परिशिष्ट य (६) २

१९ फरवरी, १९५५ ई०

सं० ४३ (एस–एम)/३६–ए—२१६–५४—भारत सरकार के श्रम विभाग की ३० नवम्बर, १९५४ ई० की विज्ञप्ति स० पी० एफ–४३–४–५४ के साथ पठित एम्पलाइज प्राविडेण्ट फण्ड ऐक्ट, १९५२ ई० (ऐक्ट सं० १९,१९५२ ई०) की धारा १४ की उपधारा (३) द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये अधिकारी निर्दिष्ट करते हैं।

नई दिल्ली, ३० नवम्बर, १९५४ ई०

भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ लेबर की विज्ञप्ति स० पी-एफ ४३ (४)/५४-१, दिनांक ३० नवम्बर, १९५४ ई०, जो भारत सरकार के गजट भाग २, सेक्शन ३ में एस-आर-ओ०-३५२८, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५४ ई० के रूप में प्रकाशित हुई है, की प्रतिलिपि।

परिशिष्ट य (६) ३

सं० पी-एफ-४३ (४)—५४-१—इम्पलाइज प्राविडेण्ट फंड ऐक्ट, १९५२ ई० (ऐक्ट सं० १९, १९५२ ई०) की धारा १० द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम में लाकर केन्द्रीय सरकार इस विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश देती है कि उक्त ऐक्ट की धारा १४-बी के अधीन उसके द्वारा सरकार के रूप में काम लाये जाने वाले अधिकार इसके साथ नत्थी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्यों के भीतर क्रमशः ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा भी काम में लाये जा सकेंगे।

१—आन्ध्र
२—बिहार
३—बम्बई
४—हैदराबाद
५—मद्रास
६—मैसूर
७—मध्य प्रदेश
८—मध्य भारत
९—उड़ीसा
१०—पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन
११—पंजाब
१२—राजस्थान
१३—सौराष्ट्र
१४—ट्रावनकोर-कोचीन
१५—उत्तर प्रदेश
१६—पश्चिमी बंगाल

परिशिष्ट य (६) ४

१९ फरवरी, १९५४ ई०

सं० ३०५३ (एल-एल)/३६-बी—३४७(एल-एल)-५४—विज्ञप्ति स० २४९७ (एल-एल)/३६-ख-३४७ (एल-एल) ५४, दिनांक ५ नवम्बर, १९५४ ई० का आंशिक संशोधन करते हुये, गवर्नर महोदय, श्री महेश चन्द्र मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर के स्थान पर, पद ग्रहण की तारीख से, श्री वासिमखान यूसुफ जई, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर को उत्तर प्रदेश के राज्य के कानपुर क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति स० ५४४(एल-एल) (६)/३६-ख—२५४, (एल-एल) -५३, दिनांक २४ मार्च, १९५४ ई० द्वारा निर्मित इम्पलाइज इन्श्योरेन्स कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं। वे इस कोर्ट का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त करेंगे।

परिशिष्ट य (६) ५

२८ फरवरी, १९५५ ई०

स० ५७५ (एल)/३६-बी--४८-५५--भूतपूर्व श्री जे० पी० श्रीवास्तव के दायाधिकारियों द्वारा दानस्वरूप बारविक इस्टेट, बासगांव, जियोलीकोट, जिला नैनीताल नामक भूमि पर भूतपूर्व श्री जे० पी० श्रीवास्तव के नाम पर एक श्रम विश्राम तथा स्वास्थ्य लाभगृह (labour rest and convalescent home) की स्थापना की योजना के विवरण बनाने के लिये राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाते हैं :—

(१) श्रम कमिश्नर, उत्तर प्रदेश .. चेयरमैन

(२) श्री जे० के० श्रीवास्तव, कैलाश, कानपुर .. सदस्य

(३) श्री आर० एस० पावेल, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर .. "

(४) श्री डी० आर० नारंग, माल एवेन्यू, लखनऊ .. "

(५) श्री राजाराम शास्त्री, ग्वालटोली, सूटरगंज, कानपुर .. "

(६) श्री सूरज प्रसाद अवस्थी, १०/६७, खल्लासी लाइन्स, कानपुर "

(७) श्री काशीनाथ पाण्डे, जिला चीनीमिल मजदूर फेडरेशन, पडरौना, देवरिया .. "

२—समिति के विचारणीय विषय ये हैं :—

(१) प्रस्तावों और सम्बद्ध मामलों के विवरण पर विचार करना और उन आधारों के सम्बन्ध में सिफारिश करना, जिनपर यह योजना बनाई जाय, और

(२) सिफारिशों के वित्तीय पहलुओं पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में आवश्यक ब्योरे देना।

(३) इस समिति को अधिकार होगा कि वह श्रमिकों और नियोजकों का बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व करने के लिये ऐसे चार अतिरिक्त सदस्यों को समिति में सम्मिलित करे, जो उसे कार्य में सहायता दें।

परिशिष्ट य (६) ६

४ मार्च, १९५५ ई०

सं० १२८७(टी-डी)/३६-ए--२७१(टी० डी)-५४—इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ ई० (ऐक्ट सं० १४, १९४७ ई०) की धारा ३४ की उपधारा (१) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुये, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त और उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेटों को उक्त ऐक्ट के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अथवा उसके लिये प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में मुकदमा दायर करने का अधिकार देते हैं।

परिशिष्ट य(६)७

५ मार्च, १९५५ ई०

राज्यादेश सं० ४५२(ल)/३५-ब--५३२-५२--सरकारी अधिसूचना सं० ६०७८ (ल) (२)/१८--२०८(ल)-४७, दिनांक २८ नवम्बर, १९४७ के अतिक्रमण स्वरूप एवं उत्तर प्रदेशीय दूकान एव वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २२, १९४७) की दफा २३ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के डिप्टी श्रम कमिश्नर श्री जय नारायण तिवारी, आई० ए० एस० को, उपरोक्त अधिनियम की शर्तों को कार्यरूप मे देने के लिये सारे उत्तर देश के लिये चीफ इस्पेक्टर नियुक्त करते है।

परिशिष्ट य(६) ८

२३ मार्च, १९५५ ई०

स० ७४६(एल)/३६-बी--३७८-५४--इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६(१९२६ का ऐक्ट सं० १६) की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करके और ३० जुलाई, १९४७ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ४५८४ (एल)/१८--३३८(एल)-४७ का संशोधन करके, उत्तर प्रदेश के राज्य पाल महोदय, श्री महेश चन्द्र पन्त, प्रतिश्रम-कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को १६ फरवरी, १९५५ ई० से उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रेड यूनियन्स का रजिस्ट्रार नियुक्त करते है।

परिशिष्ट--य(६)९

३० मार्च, १९५५ ई०

सं० ४५२(एल) (८)/३६-बी--५३२-५२--संयुक्त प्रांतीय दूकानो और व्यावसायिक संस्थाओं के ऐक्ट, १९४७ ई० (सयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सख्या २२, १९४७ ई०) की धारा २३ द्वारा प्राप्त अधिकारों को काम मे लाकर राज्यपाल महोदय उक्त ऐक्ट के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित व्यक्तियो को इंस्पेक्टर नियुक्त करते है.--

क्रम-स०	नाम		पद
१	श्री एस० पी० पांडे	...	प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२	श्री एम० सी० पन्त	...	"
३	श्री उदयवीर सिह (द्वितीय)	..	सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
४	श्री जे० प्रसाद	...	"
५	श्री शिव प्रताप सिह	...	"
६	श्री डा० बन्शी धर	...	"
७	श्री एन० एल० दीक्षित	..	विशेष कार्याधिकारी, श्रमविभाग।
८	श्री पी० एन० सांभर वाल		डिप्टी चीफ इसपेक्टर आफ शाप्स ऐण्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट्स यू० पी०।

क्रम सं०	नाम		पद
९	श्री एच० एम० मिश्रा	...	प्रादेशिक संराधन अधिकारी।
१०	श्री के० के० पांडे	...	”
११	श्री एम० पी० विद्यार्थी	...	”
१२	श्री जे० एन० खन्ना	...	”
१३	श्री जे० एन० सिंह	...	”
१४	श्री एस० बी० हुँकरवाल	..	”
१५	श्री जे० एन० श्रीवास्तव	...	”
१६	श्री एन० एल० वर्मा	..	अतिरिक्त प्रादेशिक सराधन अधिकारी।
१७	श्री एस० एन० सक्सेना	..	”
१८	श्री आर० पी० महेश्वरी	.	”
१९	श्री आर० डी० पंत	..	”
२०	श्री एच० के० कौल	..	”
२१	श्री कामेश्वर नाथ	...	”
२२	श्री बी० डी० अग्निहोत्री	..	”
२३	श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव	...	”
२४	श्री आर० एल० गुप्त	...	”
२५	श्री नासिर हुसैन	...	”
२६	श्री ए० बी० कारीधाल	...	”
२७	श्री बी० सी० कुलश्रेष्ठ	..	”
२८	श्री पी० एन० सक्सेना	..	”
२९	श्री ए० पी० त्रिवेदी	...	”
३०	श्री जे० बी० सिंह	.	”
३१	श्री एस० एन० सिंह	.	”
३२	श्री बी० के० सिंघल	.	लेबर आफिसर, उत्तर प्रदेश।
३३	श्रीमती एस० गजू	.	”
३४	श्री के० एम० लाल	.	लेबर इन्सपेक्टर
३५	श्री पी० सी० सिन्हा	...	”
३६	श्री इन्द्रजीत सिंह सिरोही	...	”
३७	श्री आर० सी० अग्रवाल	...	”
३८	श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना	..	”
३९	श्री लक्ष्मी शंकर अवस्थी	.	”
४०	श्री गुर प्रसाद निगम	...	”
४१	श्री वेद प्रकाश प्रताप	...	”
४२	श्री चंडी लाल ततुवाय	...	”

क्रम-संख्या	नाम		पद
४३	श्री राम लखन मिश्रा	...	लेबर इंस्पेक्टर
४४	श्री सुखबीर सिंह रावल	..	,,
४५	श्री करुणा शंकर श्रीवास्तव	..	,,
४६	श्री के० सी० तायल	..	,,
४७	श्री डी० एन० बाजपेयी	..	,,
४८	श्री आर० पी० थपलियाल	..	,,
४९	श्री उमा शंकर शर्मा	..	,,
५०	श्री छैल बिहारी मिश्र	...	,,
५१	श्री जे० के० धावन	..	,,
५२	श्री राज मोहन कृष्ण	.	,,
५३	श्री ब्रज नाथ सिंह		,,
५४	श्री आर० पी० भटनागर	.	,,
५५	श्री रघुनन्दन स्वरूप	...	,,
५६	श्री एल० एस० हितकारी	.	,,
५७	श्री ओ० पी० साह	...	,,
५८	श्री पी० के० श्रीवास्तव	.	,,
५९	श्री के० के० भगोलीवाल	...	,,
६०	श्री एस० के० मेहरोत्रा	...	,,
६१	श्री जी० एस० श्रीवास्तव	...	,,
६२	श्री ओ० पी० पांडेय	...	,,
६३	श्री कृष्ण प्रसाद भार्गव	...	,,
६४	श्री घनश्याम लाल	...	,,
६५	श्री एस० डी० प्रधान	...	,,
६६	श्री एस० एस० निगम	...	,,
६७	श्री तारा चन्द्र जोशी	...	,,
६८	श्री श्याम मोहन कक्कड	...	,,
६९	श्री लक्ष्मी नारायण लाल	...	,,
७०	श्री गंगा राम शर्मा	...	,,
७१	श्री जगदीश कुमार श्रीवास्तव	.	,,
७२	श्री गोपाल नारायण	..	,,
७३	श्री श्याम नारायण	...	,,
७४	श्री बेनी प्रसाद करवरिया	.	,,
७५	श्री बी० आर० के० सहरिया	.	,,
७६	श्री आर० बी० राय	..	,,

क्रम-संख्या	नाम		पद
७७	श्री राम गोपाल माथुर	...	लेबर इंसपेक्टर
७८	श्री अजीत सिंह	...	,,
७९	श्री जे० पी० गर्ग	...	,,
८०	श्री बी० एन० एस० भटनागर	...	,,
८१	श्री महेश चरण	...	,,
८२	श्री राज किशोर सिंह	...	,,
८३	श्री प्रीतम सिंह	...	,,
८४	श्री आई० एन० सक्सेना	...	,,
८५	श्री एस० पी० सिंह	...	असिस्टेंट लेबर इस्पेक्टर
८६	श्री डी० एन० चोपडा	...	,,
८७	श्री उमानाथ द्विवेदी	...	,,

परिशिष्ट य (६) १०

नियुक्ति

३० मार्च, १९५५ ई०

स० ४५२(एल) (४)/३६–बी—५३२–५२—राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित अफसरो को यू० पी० इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेण्ट (स्टैंडिंग आर्डर्स) रूल्स, १९४६ ई० के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनो के लिये उस रूप में इंस्पेक्टर नियुक्त करते है, जैसी कि उनकी परिभाषा उक्त रूल्स के रूल २ के खंड (७) के अधीन की गई है:—

क्रम स०	नाम		पद
१	श्री ० जे० एन० तिवारी, आई० ए० एस०		प्रति–श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२	श्री एस० पी० पांडे	...	,,
३	श्री एम० सी० पंत	...	,,
४	श्री उदयवीर सिंह (द्वितीय)	...	सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
५	श्री जे० प्रसाद	...	,,
६	श्री शिव प्रताप सिंह	...	,,
७	डा० बन्शीधर	...	,,
८	श्री एन० एल० दीक्षित	...	विशेष कार्याधिकारी, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।
९	श्री पी० एन० सांभरवाल	..	डिप्टी चीफ-इस्पेक्टर आफ शाप्स ऐंण्ड कामशियल इस्टैब्लिशमेंट्स, उत्तर प्रदेश।

क्रम-संख्या	नाम		पद
१०	श्री एच० एम० मिश्रा	..	प्रादेशिक संराधन अधिकारी।
११	श्री के० के० पांडे	...	,,
१२	श्री एम० पी० विद्यार्थी	..	,,
१३	श्री ज० एन० खन्ना	...	,,
१४	श्री जे० एन० सिह	...	,,
१५	श्री एस० बी० हैकराल	...	,,
१६	श्री जे० एन० श्रीवास्तव	...	,,
१७	श्री एन० एस० वर्मा	...	अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी।
१८	श्री एस० एन० सक्सेना	...	,,
१९	श्री आर० पी० महेश्वरी	...	,,
२०	श्री आर० डी० पन्त	...	,,
२१	श्री एच० के० कौल	...	,,
२२	श्री कामेश्वर नाथ	...	,,
२३	श्री बी० डी० अग्निहोत्री	...	,,
२४	श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव	...	,,
२५	श्री आर० एल० गुप्त	...	,,
२६	श्री नासिर हुसैन	...	,,
२७	श्री ए० बी० कारीधाल	...	,,
२८	श्री पी० सी० कुलश्रेष्ठ	...	,,
२९	श्री पी० एन० सक्सेना	...	,
३०	श्री ए० पी० त्रिवेदी	...	
३१	श्री जे० बी० सिह	...	,,
३२	श्री एस० एन० सिह	...	,,
३३	श्री बी० के० सिड्ल	..	लेबर आफिसर, उत्तर प्रदेश।
३४	श्रीमती एस० गञ्जू	...	,,
३५	श्री के० एम० लाल	..	लेबर इसपेक्टर
३६	श्री पी० सी० सिन्हा	...	,,
३७	श्री इद्रजीत सिह सिरोही	...	,,
३८	श्री आर० सी० अग्रवाल	...	,,
३९	श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना	..	,,
४०	श्री लक्ष्मी शकर अवस्थी	..	,,
४१	श्री गुरु प्रसाद निगम	..	,

क्रम-सख्या	नाम		पद
४२	श्री वेद प्रकाश प्रताप	..	लेबर इंसपेक्टर
४३	श्री चडी लाल तंतुवाय	...	,,
४४	श्री राम लखन मिश्रा	.	,,
४५	श्री सुखबीर सिह रावल	..	,,
४६	श्री करुणाशकर श्रीवास्तव	..	,,
४७	श्री के० सी० दयाल	.	,,
४८	श्री डी० एन० वाजपेयी	.	,,
४९	श्री आर० पी० थपलियाल	...	,,
५०	श्री उमाशकर	..	,,
५१	श्री छैलबिहारी मिश्रा		,
५२	श्री जे० के० धावन	..	,,
५३	श्री राजमोहन कृष्ण	.	,,
५४	श्री बृजनाथ सिह	..	,,
५५	श्री आर० पी० भटनागर	...	,,
५६	श्री रघुनन्दन स्वरूप	..	,,
५७	श्री एल० एस० हितकारी	..	,,
५८	श्री ओ० पी० शाह	...	,,
५९	श्री पी० के० श्रीवास्तव	...	,,
६०	श्री के० के० भगोलीवाल	..	,,
६१	श्री एस० के० मेहरोत्रा	...	,,
६२	श्री जी० एस० श्रीवास्तव	...	,,
६३	श्री ओ० पी० पांडे	...	,,
६४	श्री कृष्ण प्रसाद भार्गव	..	,,
६५	श्री घनश्याम लाल	...	,,
६६	श्री एस० डी० प्रधान	...	,,
६७	श्री एस० एस० निगम	...	,,
६८	श्री तारान्द्र जोशी	..	,,
६९	श्री श्याम मोहन कक्कड	...	,,
७०	श्री लक्ष्मी नारायण लाल	...	,,
७१	श्री गगा राम शर्मा	...	,,
७२	श्री जगदीश कुवर श्रीवास्तवा	..	,,
७३	श्री गोपाल नारायण	...	,,
७४	श्री श्याम नारायण	...	,,

क्रम-सं०	नाम		पद
७५	श्री बेनी प्रसाद करवरिया	...	लेबर इंसपेक्टर
७६	श्री बी० आर० के० सहरिआ	...	,,
७७	श्री आर० बी० राय	...	,,
७८	श्री राम गोपाल माथुर	...	,,
७९	श्री अजीत सिंह	...	,,
८०	श्री जे० पी० गर्ग	...	,,
८१	श्री बी० एन० एस० भटनागर	...	,,
८२	श्री महेश चरन	..	,,
८३	श्री राज किशोर सिंह	...	,,
८४	श्री पीतम सिंह	..	,,
८५	श्री आई० एन० सक्सेना	..	,,
८६	श्री एस० पी० सिंह	...	असिस्टेंट लेबर इंसपेक्टर।
८७	श्री डी० सी० चोपड़ा	...	,,
८८	श्री उमानाथ त्रिवेदी	...	,,

परिशिष्ट य(६) ११

नियुक्ति

३० मार्च, १९५५ ई०

सं० ४५२(एल)/३६-बी--५३२-५२--मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ ई० (ऐक्ट सं० ११, १९४८ ई०) की धारा १२ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारो को काम में लाकर राज्यपाल महोदय, उपर्युक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों को समस्त उत्तर प्रदेश के लिये इसपेक्टर नियुक्त करते हैं :--

क्रम-सं०	नाम		पद
१	श्री जे० एन० तिवारी, आई० ए० एस०		प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
२	श्री एस० पी० पांडे	...	प्रति श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३	श्री एम० सी० पन्त	..	,,
४	श्री उदयवीर सिंह (द्वितीय)	...	सहायक-श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
५	श्री जे० प्रसाद	...	,,
६	श्री शिव प्रताप सिंह	...	,,
७	श्री डा० बन्शीधर	...	,,
८	श्री एन० एल० दीक्षित	...	विशेष कार्याधिकारी, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश।

क्रम-सं०	नाम		पद
९	श्री पी० एन० सांभरवाल	...	डिप्टी चीफ इंसपेक्टर आफ शाप्स ऐण्ड कार्माशियल इस्टैब्लिशमेंट्स, उत्तर प्रदेश।
१०	श्री एच० एम० मिश्रा	...	प्रादेशिक सराधन अधिकारी।
११	श्री के० के० पान्डे	..	"
१२	श्री एम० पी० विद्यार्थी	...	"
१३	श्री जे० एन० खन्ना	..	"
१४	श्री जे० एन० सिंह	...	"
१५	श्री एस० बी० हैकरवाल	...	"
१६	श्री जे० एन० श्रीवास्तव	...	"
१७	श्री एन० एस० वर्मा	...	अतिरिक्त प्रादेशिक, संराधन अधिकारी
१८	श्री एस० एन० सक्सेना	..	"
१९	श्री आर० पी० महेश्वरी	...	"
२०	श्री आर० डी० पन्त	..	"
२१	श्री एच० के० कौल	...	"
२२	श्री कामेश्वर नाथ	...	"
२३	श्री वी० डी० अग्निहोत्री	...	"
२४	श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव	..	"
२५	श्री आर० एल० गुप्त	..	"
२६	श्री नासिर हुसैन	...	"
२७	श्री ए० बी० कारीवाल	...	"
२८	श्री पी० सी० कुलश्रेष्ठ	...	"
२९	श्री पी० एन० सक्सेना	..	"
३०	श्री ए० पी० त्रिवेदी	..	"
३१	श्री जे० बी० सिंह	...	"
३२	श्री एस० एन० सिंह	...	"
३३	श्री वी० के० सिंघल	...	लेबर आफिसर, उत्तर प्रदेश।
३४	श्रीमती एस० गंजू	..	"
३५	श्री के० एम० लाल	..	लेबर इन्सपेक्टर
३६	श्री पी० सी० सिन्हा	...	"
३७	श्री इंद्रजीत सिंह सिरोही	.	"
३८	श्री आर० एस० अग्रवाल	...	"
३९	श्री गिरीशचन्द्र सक्सेना	...	"
४०	श्री लक्ष्मी शंकर अवस्थी	...	"
४१	श्री गुरुप्रसाद निगम	...	"

क्रम-सं०	नाम		पद
४२	श्री वेद प्रकाश	...	लेबर इंसपेक्टर
४३	श्री चंडी लाल तंतुवाय	...	"
४४	श्री रामलखन मिश्र	...	"
४५	श्री सुखबीर सिंह रावल	...	"
४६	श्री करुणाशंकर श्रीवास्तव	...	"
४७	श्री के० सी० दयाल	..	"
४८	श्री डी० एन० वाजपेयी	..	"
४९	श्री आर० पी० थपलियाल	...	"
५०	श्री उमाशंकर शर्मा	...	"
५१	श्री छैल बिहारी मिश्रा	..	"
५२	श्री जे० के० धावन	...	"
५३	श्री राज मोहन कृष्ण	..	"
५४	श्री ब्रिज नाथ सिंह	...	"
५५	श्री आर० पी० भटनागर	...	"
५६	श्री रघुनन्दन स्वरूप	...	"
५७	श्री एल० एस० हितकारी	...	"
५८	श्री ओ० पी० शाह	...	"
५९	श्री पी० के० श्रीवास्तव	...	"
६०	श्री के० के० भगोलीवाल	...	"
६१	श्री एस० के० मेहरोत्रा	.	"
६२	श्री जी० एस० श्रीवास्तव	.	"
६३	श्री ओ० पी० पांडे	...	"
६४	श्री कृष्ण प्रसाद भार्गव	...	"
६५	श्री घनश्याम लाल	...	"
६६	श्री एस० डी० प्रधान	.	"
६७	श्री एस० एस० निगम	..	"
६८	श्री ताराचन्द्र जोशी	.	"
६९	श्री श्याममोहन कक्कड	..	"
७०	श्री लक्ष्मी नारायण लाल	..	"
७१	श्री गंगा राम शर्मा	...	"
७२	श्री जगदीश कुमार श्रीवास्तव	.	"
७३	श्री गोपाल नारायण		"
७४	श्री श्याम नारायण	...	"
७५	श्री बेनी प्रसाद करवरिया	..	"

क्रम–सं०	नाम	पद
७६	श्री बी० आर ० के० सहरिया ..	लेबर इंस्पेक्टर
७७	श्री आर० बी० राय	,,
७८	श्री राम गोपाल माथुर	,,
७९	श्री अजीत सिह .	,,
८०	श्री जे० पी० गर्ग .	,,
८१	श्री बी० एन० एस० [illegible]नागर .	,,
८२	श्री महेश चरन ..	,,
८३	श्री राजकिशोर सिह ..	,,
८४	श्री पीतम सिंह ...	,,
८५	श्री आई० एन० सक्सेना ..	,,
८६	श्री एस० पी० सिह .	असिस्टेट लेबर इसपेक्टर।
८७	श्री डी० सी० चोपडा ..	,,
८८	श्री उमा नाथ त्रिवेदी ...	,

परिशिष्ट य (६) १२

३१ मई, १९५५

संख्या यू–२८२ (एस–टी)/३६–ए—१२६ (एस–टी)—५३—अधसूचना संख्या २२२३ (एल–एल)/३६–बी, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५४ का आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल, १६ फरवरी, १९५५ से उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश श्री एम० सी० पंत को श्री उदयवीर सिंह के स्थान पर उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए श्रम विभाग में, जिसका केंद्रीय कार्यालय, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश सरकार के पदेन प्रतिसचिव नियुक्त करते हैं।

परिशिष्ट य (६) १३

२२ अगस्त, १९५५ ई०

सं० १८२६ (एल–एल)/३६–बी—३४७ (एल–एल)–५४—उत्तर प्रदेश के राज्य पाल महोदय, जब तक श्री वासिम खान युसुफजई छुट्टी पर रहते है, पद ग्रहण की तारीख से, श्री ए० पी० अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर को उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति स० ५४४ (एल–एल) (६)/३६–(बी)—२५४(एल–एल)–५३, दिनांक २४ मार्च, १९५४ ई० द्वारा निर्मित एम्प्लाइज इन्श्योरेन्स कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं। वे इस कोर्ट का कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त करेगे।

परिशिष्ट य (६) १४

नई दिल्ली, २ जुलाई, १९५५ ई०

एस० आर० ओ०—नियोजक प्रावीडेंट फंड अधिनियम, १९५२ (१९५२ ई० की ऐक्ट सं० १९) की धारा १९ के वाक्यखंड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा १७ के अंतर्गत प्रयोज्य अधिकारो का प्रयोग डिप्टी प्राविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा ही हो सकेगा।

परिशिष्ट य (६) १५

एस० आर० ओ०--नियोजक प्राविडेंट फंड ऐक्ट, १९५२ (१९५२ ई० की ऐक्ट सं० १९) की धारा १४ की उपधारा के अनुसार केंद्रीय सरकार डिप्टी प्राविडेंट फंड, कमिश्नर को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये अधिकारी निर्धारित करती है।

परिशिष्ट य (६) १६

११ अगस्त, १९५५ ई०

सं० १८०१ (एल-एल)/३६-बी चूंकि :--

(अ) कानपुर के सूती मिलो मे अब हड़ताल को नियमित रूप से वापस ले लिया गया है ;

(ब) नैनीताल सम्मेलन में निर्धारित तरीके पर कानपुर के सूती मिलों में अभिनवीकरण को लागू करने की बात, उचित एवं आवश्यक कदम के रूप में पुनः एक बार सभी क्षेत्रो में, जिनमे वे लोग भी शामिल है, जिन्होने हड़ताल करने का निश्चय किया, मान ली गयी है; और

(स) सभी पक्षों की यह सामान्य इच्छा है कि इस संबंध में सरकार अगला कदम उठावे,

अतएव राज्यपाल ने निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करना स्वीकार किया है :--

(१) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश तथा श्रम अपीली न्यायाधिकरण के वर्तमान सदय श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद .. ... अध्यक्ष

(२) श्री आर० डी० आर० बेल, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (एलगिन मिल्स शाखा) कानपुर तथा
(३) श्री मुन्ना लाल बागला, स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर
} कानपुर के सूती मिलो के मालिकों के प्रतिनिधि सदस्य

(४) श्री काशीनाथ पांडे, एम० एल० सी० उत्तर प्रदेश, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लखनऊ के प्रतिनिधि तथा
(५) श्री गणेश दत्त वाजपेयी, सूती मिल मजदूर सभा, कानपुर के प्रतिनिधि
} कानपुर के सूती मिलो के मजदूरो के प्रतिनिधि

(६) श्री हरिमोहन मिश्र, सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर। .. .. सदस्य मंत्री

जो कि :--

(१) आगे लिखे पैराग्राफ २ में वर्णित उस राज्य श्रम त्रिदलीय (सूती वस्त्र) सम्मेलन के जो जून, १९५४ मे नैनीताल मे हुआ था, निर्णयों की मोटी रूपरेखा की और उससे सन्नद्ध अन्य विषयो की, यदि कोई हों तो विस्तार की बाते निश्चित करेगी, तथा

(२) इस प्रकार की विस्तार की बातों को ध्यान में रखत हुए कानपुर क निम्नलिखित सूती मिलो के लिय अलग-अलग अभिनवीकरण योजनाएं तैयार करेगी :--

(१) एलगिन मिल्स कम्पनी, लि० (ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन)

(२) कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड (ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन)

(३) कानपुर काटन मिल्स लिमिटेड (ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन)।

(४) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०

(५) म्योर मिल्स कम्पनी लि०

(६) अथर्टन वेस्ट ऐण्ड कम्पनी लि०

(७) जे० के० काटन स्पिनिग ऐंड वीविंग मिल्स कम्पनी लि०।

२--मोटे तौर पर नैनीताल सम्मेलन के निम्नलिखित निर्णय थे:--

(१) अभिनवीकरण को लागू करने का अर्थ बेकारी पैदा करना नहीं होना चाहिए, अर्थात मजदूरो की संख्या में कमी केवल मजदूरो को अवकाश ग्रहण करा कर अथवा प्रकृत क्षय द्वारा की जायेगी ;

(२) मजदूरी की दरें और कार्यभार को, जैसा कि उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति ने सुझाव दिया था, स्वीकार करने पर विचार करना चाहिये;

(३) अधिक कुशल कार्य के लिये पुरस्कार देने के हेतु, प्रेरणादायक मजदूरी देने की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए,

(४) मिलो में कार्यावस्था पर दृष्टि रखी जानी चाहिये तथा

(५) एक ऐसी समिति की स्थापना की जानी चाहिये, जो इस मोटी रूपरेखा के आधार पर एक विस्तृत योजना तैयार करन पर विचार करे और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपायो और साधनो का निश्चय करे।

३--इन सभी विषयो की, तमाम विस्तार की बातों की जांच यह समिति करेगी। यह उन निर्णयो को भी ध्यान में रखेगी, जो देश के अन्य भागों में सूती मिलों में अभिनवीकरण योजना लागू करने के सिलसिले में समझौतो द्वारा अथवा न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णयो द्वारा हुए है। समिति जितनी सुगमता से संभव हो सके अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार के समक्ष उपस्थित कर देगी।

४--समिति की सहायता के लिये अनेक विशेषज्ञ नियुक्त किए जायेंगे, जो उसके अध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।

५--समिति का सदर मुकाम लखनऊ में रहेगा।

६—समिति की सामान्य कार्य-विधि निम्न प्रकार से होगी :

(१) कार्य-विधि सम्बन्धी समस्त निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

(२) नैनीताल सम्मेलन के निर्णयो के विस्तार-निर्धारण और उपर्युक्त सात सूती मिलो के लिये अलग-अलग अभिनवीकरण योजना के निर्धारण में समस्त निर्णय अध्यक्ष और सदस्यो की सर्व-सम्मति से होगे। उन मामलों मे, जिनमें एकमत से निर्णय न हो सकेंगे, अध्यक्ष का निर्णय समिति का निर्णय माना जायेगा।

(३) किसी भी कारण से, अथवा किसी भी अवस्था मे किसी भी सदस्य के भाग न लेने से समिति के कार्य मे कोई बाधा उपस्थित न मानी जायेगी और न किसी प्रकार समिति को प्रभावहीन ही मान लिया जायेगा।

(४) अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे समिति का कोई कार्य न हो सकेगा।

(५) जब जैसी आवश्यकता पड़े, अध्यक्ष को अंग्रेजी या हिन्दी मे समिति की कार्यवाही लिखने अथवा कागजात रखने का अधिकार होगा।

(६) अध्यक्ष को मौखिक अथवा लिखित गवाही लेने का पूरा अधिकार होगा।

७—वर्तमान अध्यक्ष के स्थान पर नये अध्यक्ष, अथवा वर्तमान सदस्य या सदस्यो के स्थान पर नये सदस्य या सदस्यो की नियुक्ति, अथवा अतिरिक्त सदस्य या सदस्यो की नियुक्ति का अधिकार होगा, यदि सरकार ऐसा करना आवश्यक समझेगी।

८—इस विज्ञप्ति के जारी होने के एक माह के अन्दर, उत्तर भारत मिल मालिक संघ, कानपुर, उपर्युक्त सातो मिल, उत्तर प्रदेश इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा कानपुर सूती मिल मजदूर सभा, यदि चाहे तो, निम्नलिखित विषयो के संबंध मे अपने प्रस्ताव भेज सकेंगे :

(अ) गत जून, १९५४ ई० मे नैनीताल में हुए राज्य श्रम त्रिदलीय (सूती वस्त्र) सम्मेलन के निर्णयो की मोटी रूपरेखा के अन्तर्गत विस्तार की बाते तथा

(ब) उपर्युक्त सात सूती मिलो मे अभिनवीकरण की योजनाए।

ये प्रस्ताव निर्धारित समय क अन्दर, १२ प्रतियो मे सदस्य-मत्री के पास भेज दिए जायेगे।

इन प्रस्तावो के प्राप्त होने की अतिम तिथि के दूसरे दिन सदस्य-मंत्री प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति विरोधी समूह को सौप देगा, अर्थात् उत्तर भारत मिल मालिक सघ, कानपुर और सात मिलो से अलग-अलग प्रस्ताव इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, काग्रेस तथा कानपुर सूती मिल मजदूर सभा के प्रतिनिधियो को और इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं सूती मिल मजदूर सभा के प्रस्तावो की प्रतिया उत्तर भारत मिल मालिक संघ और सातो मिलो को दे दी जायेगी। प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के पहले ये

संख्यायें इस कार्य के लिये अपने प्रतिनिधियो को मनोनीत कर देंगी। ये प्रतिनिधि अपनी संस्थाओं से आदेश प्राप्त करेंगे कि वे निर्धारित दिन को प्रात: १० बजे लखनऊ में सदस्य-मंत्री से समिति के कार्यालय में मिलें।

९—इन संस्थाओ से प्रस्ताव पाने की अंतिम तिथि के सात दिन के अन्दर, विरोधी समूह को आपत्तियां, यदि कोई हो, तो सदस्य-मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। इन आपत्तियो को भी, प्रत्येक की १२ प्रतियां होगी।

१०—सदस्य-मत्री उपरिलिखित पैराग्राफ ८ और ९ में वर्णित विभिन्न अवस्थाओ की निश्चित तिथियो की घोषणा करेंगे। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि कठिनाई की विशेष अवस्था में वह अपने विवेक से अवधि को आगे बढ़ा सकेगा।

परिशिष्ट इ (६)—१७

नई दिल्ली, १० अगस्त, १९५५ ई०

राज्यादेश संख्या अ० ड० म० (१४)-२-५५—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४), कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) राज्य नियम, १९५० के नियम सं० १० के साथ पठित, कर्मचारी बीमा अधिनियम की धारा २५ के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है कि कानपुर क्षेत्र निर्माण के लिये, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश को मिलाकर एक प्रादेशिक बोर्ड बना दिया है। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य रहेगे :—

अध्यक्ष

राज्यनियम १०(१)अ

१—उत्तर प्रदेश के श्रममंत्री—पदेन।

उपाध्यक्ष

राज्यनियम १०(१) ब

२—उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री—पदेन।

सदस्य

राज्यनियम १०(१)स

३—मध्य प्रदेश के नागपुर-स्थित श्रम कमिश्नर, श्री पी० के० सेन, बी० एस-सी० (एडिन)।

४—उत्तर प्रदेश के कानपुर-स्थित श्रम कमिश्नर, श्री ओकार नाथ मिश्र, आई० ए० एस०।

५—विंध्य प्रदेश के रीवा-स्थित उद्योग निर्देशक, श्री बी० पी० तिवारी।

राज्य नियम १० (१)—ङ

६—मध्य प्रदेश, नागपुर के स्वास्थ्य निर्देशक—पदेन।

७—उत्तर प्रदेश, लखनऊ के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्देशक—पदेन।

८—विंध्य प्रदेश, रीवा के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्देशक—पदेन।

राज्य नियम १० (१)—य

९—बरहमपुर ताप्ती मिल लिमिटेड, ३२४ कुक्स बिल्डिंग, हार्नबी रोड, बम्बई के डाइरेक्टर, श्री पी० एफ० मेहता।

१०—मध्य प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वाल्कररोड, नागपुर के प्रधान सचिव, डा० एस० एल० काशीकर।

११—स्वदेशी काटन मिल्स कं०, लिमिटेड के श्री एम० एल० बागला।

१२—राष्ट्रीय सूती मिल मजदूर यूनियन, १४/८९ बी० चुन्नीगंज, कानपुर के प्रधान सचिव, श्री लक्ष्मी नारायण सिह।

१३ और १४—स्थान खाली है।

राज्य नियम १० (१)—फ

१५—श्री ई० एन० मोदी—मोदी स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, मोदीनगर, मेरठ—पदेन।

१६—भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की शाखा, शहंशाह मंजिल, बारूदखाना, गोलागंज, लखनऊ—पदेन।

३—श्री गोपी नाथ सिह, सदस्य लोक सभा ११/३६४, ग्वालटोली, कानपुर—पदेन।

परिशिष्ट य (६) १८

६ सितम्बर, १९५५ ई०

सं० ४९८(एल-एल)/३६-बी—४५४(एल)-५३—प्लांटेशन्स लेबर ऐक्ट, १९५१ ई० (१९५१ ई० का ६९वां ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारो का प्रयोग कर राज्यपाल, श्री गुरुदत्त बिश्नोई, चीफ-इंस्पेक्टर आफ फैक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश मे उक्त ऐक्ट के निमित्त चीफ-इंस्पेक्टर आफ प्लाण्टेशन्स नियुक्त करते है।

परिशिष्ट य (६) १९

स० ४९८(एल-एल)/३६-बी—४५४(एल-एल)-५४—प्लांटेशन्स लेबर ऐक्ट, १९५१ ई० (१९५१ ई० का ६९वा ऐक्ट) की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारो का

प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्य पाल उक्त ऐक्ट के निमित्त उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित इंसपेक्टर आफ फैक्ट्रीज को निरीक्षक नियुक्त करते हैं :—

(१) श्री एम० एल० भगत।

(२) श्री आर० सी० निगम।

(३) श्री बी० एल० शुक्ल।

(४) श्री एन० पी० जौहरी।

परिशिष्ट य (६) २०

नियुक्ति

१२ सितम्बर, १९५५ ई०

सं० २०३२ (एल–एल)/३६–बी—२५७ (एल–एल)–५५—दिनाक १ सितम्बर, १९५५ ई० से लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य श्री बिन्ध्यवासिनी प्रसाद को विज्ञप्ति संख्या १८०१ (एल–एल)/३६–बी, दिनांक ११ अगस्त, १९५५ द्वारा स्थापित कानपुर टेक्सटाइल्स मिल्स, रेशनलाइजेशन कमेटी का सभापति नियुक्त किया जाता है।

परिशिष्ट य (६) २१

१३ अक्तूबर, १९५५ ई०

स० ३६६१(एम)/३६–बी—२१२(एम)–५५—फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ (१९४८ का ६३वा ऐक्ट) की धारा १० की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारो को प्रयोग में लाकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आदेश देते है कि उक्त ऐक्ट के निमित्त उत्तर प्रदेश के सभी सिविल सर्जन अपने-अपने जिलों के सबंध में सर्टिफाइग सर्जन होगे।

पी० एस० यू० पी०—४४ लेबर—१९५६—२,०००